सप्तम माला, खंड 48, अंक 44, गुरुवार, 26 अप्रैल, 1984/6 वैशाख, 1906 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(चौदहवां सत्र)

7th Lok Sabha

(खंड 48 में अंक 41 से 52 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली।

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद - विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 26 अप्रैल, 1984/6 वैशाख, 1906 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

विषय सूची, पृष्ठ (i) पंक्ति 8, पृष्ठ संख्या में "306" भी पढ़िये।

विषय सूची, पृष्ठ (i), पंक्ति 12, "प्रक्कलन समिति" के स्थान पर "प्राक्कलन समिति" पढ़िए।

विषय सूची पृष्ठ (ii), श्री बाबूराम परांजपे" के स्थान पर "श्री बाबूराव परांजपे" पढ़िए।

विषय सूची, पृष्ठ (ii) पंक्ति 22, "टी·के· कोसलराम" के स्थान पर "के·टी· कोसलराम" पढ़िए।

विषय सूची, पृष्ठ (iv) पंक्ति 7, "बाग लगाने" के स्थान पर "बाड़ लगाने" पढ़िए।

पृष्ठ 4, पंक्ति 9 तथा 19, "श्री कमल दत्त" के स्थान पर "श्री अमल दत्त"पढ़िए।

पृष्ठ 4, अंतिम पंक्ति, "उपाध्यक्ष" के स्थान पर "अध्यक्ष" पढ़िए।

पृष्ठ 8, पंक्ति 13, "बातचोत" के स्थान पर "बातचीत" पढ़िए।

पृष्ठ 8, प्रश्न संख्या "*828" के स्थान पर "*824" पढ़िए।

पृष्ठ 10, पंक्ति 8, "श्री एन् बी·ए· गनी खान चौधरी" के स्थान पर "श्री ए·बी·ए· गनी खान चौधरी" पढ़िए।

पृष्ठ 10, पंक्ति 13, "नीच" के स्थान पर "बीच" पढ़िए।

पृष्ठ 10, नीचे से पंक्ति 3, "जी·पे कुरियन" के स्थान पर "पी·जे· कुरियन" पढ़िए।

पृष्ठ 12, पंक्ति 3, "जो·के· कुरियन" के स्थान पर "पी·जे· कुरियन" पढ़िए ।

पृष्ठ 14, नीचे से पंक्ति 2, "श्री सूरज भान" के नाम के ऊपर "+" चिन्ह लगाइये ।

पृष्ठ 21, पंक्ति 14, ता·प्र· संख्या "×20" के स्थान पर "×820" पढ़िए ।

पृष्ठ 23, पंक्ति 2, "नोयहन" के स्थान पर "नौवहन" पढ़िए ।

पृष्ठ 27, नीचे से पंक्ति 6, "श्री वी·पी· देसाई" के स्थान पर श्री बी·वी· देसाई" पढ़िए ।

पृष्ठ 28, नीचे से पंक्ति 8, "जानवा" के स्थान पर "जानुवा" पढ़िए ।

पृष्ठ 33, नीचे सें पंक्ति 6, "ई·के· राय" के स्थान पर "ए·के· राय" पढ़िए ।

पृष्ठ 34, नीचे से पंक्ति 7, "श्री सी·के· जफर शरीफ" के स्थान पर "श्री सी·के· जाफर शरीफ पढ़िए ।

पृष्ठ 56, पंक्ति 9, "श्री पी·के· सुंगन" के स्थान पर "श्री पी·के· थुंगन" पढ़िए ।

पृष्ठ 79, नीचे से पंक्ति 9, "श्री राम जो भाई मावणो" के स्थान पर "श्री राम जी भाई मावणि" पढ़िए ।

पृष्ठ 81, पंक्ति 10, "वरिष्ठना" के स्थान पर "वरिष्ठता" पढ़िए ।

पृष्ठ 85, पंक्ति 11, श्री सकारियाथोमस" के स्थान पर "श्री स्कारिया थामस" पढ़िए ।

पृष्ठ 92, प्रथम पंक्ति, "श्री जी·के· जाफर शारो" के स्थान पर "श्री सी·के· जाफर शरीफ" पढ़िए ।

पृष्ठ 92, नीचे से पंक्ति 2 के अंत में लगे प्रश्न चिन्ह का लोप कीजिये ।

पृष्ठ 94, पंक्ति 10, श्री हरालाल-आर· परमार"
के स्थान पर "श्री हीरालाल आर· परमार" पढ़िए ।

पृष्ठ 100, प्रथम पंक्ति, श्री अमर हिंह राठवा"
के स्थान पर"श्री अमर सिंह राठवा" पढ़िए ।

पृष्ठ 102, पंक्ति 12, "श्री नवीन रावण" के स्थान पर
"श्री नवीन रावणी" पढ़िए ।

पृष्ठ 105, पंक्ति 4, "श्री गिरिधर गोमांगो" के स्थान पर
"श्री गिरिधर गोमांगो" पढ़िए ।

पृष्ठ 108, पंक्ति 3, "श्रीमती मोहिसीना किदवई"
के स्थान पर "श्रीमती मोहसिना किदवई" पढ़िए ।

पृष्ठ 112, पंक्ति 4, "ढलकुनी" के स्थान पर "दनकुनी" पढ़िए
तथा पंक्ति 19 में "जाटिया" के स्थान पर "जटिया" पढ़िए ।

पृष्ठ 116, पंक्ति 4, "वज-वज-कमखाना" के स्थान पर
"वज-वज- नामखाना" पढ़िए ।

पृष्ठ 128, पंक्ति 2 तथा 18, पृष्ठ 129, पंक्ति 10,
और पृष्ठ 130, पंक्ति 2, "श्री बी·बी· देसाई"
के स्थान पर "श्री बी·वी· देसाई" पढ़िए ।

पृष्ठ 148, पंक्ति नीचे से 4, अ·प्र· संख्या "8991"
के स्थान पर "8981" पढ़िए ।

पृष्ठ 157, पंक्ति 15, "थाणो" के स्थान पर
"थाणा" पढ़िए ।

पृष्ठ 166, प्रथम पंक्ति, "दौरोन" के स्थान पर
"दोरान पढ़िए ।

पृष्ठ 167, पंक्ति 14, "लिए" के स्थान पर "लिए" पढ़िए ।

पृष्ठ 170, पंक्ति 16, "जजनातियों" के स्थान पर "जनजातियों" पढ़िए ।

पृष्ठ 170, नीचे से पंक्ति 6, "रायज्मंत्री" के स्थान पर "राज्यमंत्री" पढ़िए ।

पृष्ठ 170, नीचे से पंक्ति 2, "विदाराम फुलवारिया" के स्थान पर "विरदाराम फुलवारिया" पढ़िए ।

पृष्ठ 179, नीचे से पंक्ति 6, "मोहसिन किदवई" के स्थान पर "मोहसिना किदवई" पढ़िए ।

पृष्ठ 184, नीचे से पंक्ति 4, "श्री सैफुद्दीन सोज" के स्थान पर "श्री सैफुद्दीन सोज" पढ़िए ।

पृष्ठ 187, नीचे से पंक्ति 5, "श्री भुवनेश्वर भुमन" के स्थान पर "श्री भुवनेश्वर भूयन" पढ़िए ।

पृष्ठ 189, पंक्ति 6, "अनुसंधार" के स्थान पर "अनुसंधान पढ़िए ।

पृष्ठ 191, पंक्ति 6, "कार्यवाही" के स्थान पर "कार्यवाही-सारांश" पढ़िए ।

पृष्ठ 193, पंक्ति 18, "श्री रामवतार शास्त्री के स्थान पर "श्री रामावतार शास्त्री" पढ़िए ।

पृष्ठ 194, पंक्ति 15, "श्री बाबूराम परांजपे" के स्थान पर "श्री बाबू राव परांजपे" पढ़िए ।

पृष्ठ 209, पंक्ति 24, "श्री वी.के. नायर" के स्थान पर "श्री बी.के. नय्यर" पढ़िए ।

पृष्ठ 246, नीचे से पंक्ति 2, "श्री कृष्ण चन्द्र हल्दर" के स्थान पर "श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर" पढ़िए ।

पृष्ठ 256, अंतिम पंक्ति, "चित्ता गसु" के स्थान पर "चित्त वसु" पढ़िए ।

पृष्ठ 297, पंक्ति 6 तथा 9, "श्री मधुसूदन वैशले" के स्थान पर "श्री मधुसूदन वैराले" पढ़िए ।

पृष्ठ 300, पंक्ति 13, श्री चित्त वसु (बारसर)" के स्थान पर "श्री चित्त वसु (बारसाट)" पढ़िए ।

विषय-सूची

अंक 44, गुरुवार 26 अप्रैल, 1984/6 वैशाख, 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1-21
*तारांकित प्रश्न संख्या : 822 से 824, 826 और 828 से 830	1-18
प्रश्नों के लिखित उत्तर	21-183
तारांकित प्रश्न संख्या : 820, 821, 825, 827, 831 से 839	21-32
अतारांकित प्रश्न संख्या : 8856 से 8977 और 8979 से 9020	32-183
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	189-190
राज्य सभा से संदेश	190
लोक लेखा समिति	
195वां और 198वां प्रतिवेदन	190-191
प्राक्कलन समिति	
83वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश	191
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	
94वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश	191
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	
51वां और 54वां प्रतिवेदन	191

*किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय पृष्ठ

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) वायुदूत सेवा के लिए काजीरंगा(असम) के निकट मिसा स्थित हवाई पट्टी का विकास करने की आवश्यकता

श्री विष्णु प्रसाद 192

(दो) दवाइयों पर शुल्क समाप्त करने तथा भेषजों का आयात बन्द करने तथा सरकारी क्षेत्र के औषध निर्माण उद्योगों को गतिशील बनाने की आवश्यकता

श्री रामावतार शास्त्री 193

(तीन) मध्य प्रदेश शासन को डाकुओं के आत्म-समर्पण की प्रथा को बन्द करने के लिए गृहमंत्री द्वारा निदेश दिये जाने की मांग

श्री बाबूराम परांजये 194

(चार) सियालदह डिवीजन में बाथना में एक रेल स्टेशन बनाने की आवश्यकता

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी 195

(पांच) धनबाद में एक सेवा निवृत खनन इंजीनियरिंग द्वारा कोक प्रौद्योगिकों में किए गए एक नए आविष्कार के लिए आविष्कारक को धन तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता

श्री ए० के० राय 195

(छः) तमिलनाडु में कागज की कमी, जिसके परिणामस्वरूप परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी हैं, तथा छोटे कागज मिलों द्वारा कागज का उत्पादन बढ़ाने के उपाय करने की आवश्यकता

श्री टी० के० कोसलराम 196

(सात) सड़कें बनाने हेतु जिन लोगों की जमीन/मकानों का अधिग्रहण किया गया था उन्हें मुआवजा देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को केंद्रीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी 197

(आठ) मिर्जापुर, वाराणसी तथा पहाड़ी क्षेत्रों के छोटे गावों में पेय जल की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री उमाकांत मिश्र 197

विषय	पृष्ठ
उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक—1982	198-247
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री के० राममूर्ति	199
डा० ए० कलानिधि	201
श्री मूल चन्द डागा	203
श्री राजेश कुमार सिंह	205
श्री के० ए० राजन	207
श्री बी० के० नायर	209
श्री राम विलास पासवान	212
श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा	214
श्री रामलाल राही	215
श्री गिरधारी लाल व्यास	217
श्री ए० के० राय	219
श्री अब्दुल रशीद काबुली	223
श्री सुबोध सेन	225
श्री ईरा मोहन	228
श्री सत्य नारायण जटिया	230
श्री हरिकेश बहादुर	231
श्री बृजमोहन महन्ती	233
श्री अजित कुमार मेहता	236
श्री वीरेन्द्र पाटिल	238
2 से खण्ड 6 और ।	247-249
यथासंशोधित पास करने का प्रस्ताव	
श्री वीरेन्द्र पाटिल	247

उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 1984	249-251
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री वीरेन्द्र पाटिल	249
खण्ड 2 से 6 और 1	
यथासंशोधित पास करने का प्रस्ताव	
श्री वीरेन्द्र पाटिल	249
भारत बंगलादेश सीमा पर भारतीय क्षेत्र में बाग लगाने संबंधी घटनाओं से उत्पन्न स्थित के बारे में चर्चा	251-307
श्री आर० एन० राकेश	252
श्री प्रकाश चन्द सेठी	260
श्री माधवराव सिंधिया	262
श्री चन्द्रजीत यादव	267
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती	271
श्री भुवनेश्वर भूयन	275
श्री जगपाल सिंह	277
श्री बृजमोहन महन्ती	279
श्री रतनसिंह राजदा	281
श्री राम जेठमलानी	285
श्री राजेश पाइलट	288
श्रीमती गीता मुखर्जी	292
श्री ए० के० राय	295
श्री अब्दुल रशीद काबुली	298
श्री चित्त बसु	300
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी	304

लोक सभा

गुरुवार, 26 अप्रैल, 1984/6 वैशाख 1906 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मध्य प्रदेश में तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा के लिए योजना परिव्यय

*822. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्रीं यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में से प्रत्येक में मध्य प्रदेश में तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा के लिए कितना योजना परिव्यय किया गया;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कम से कम सातवीं योजना अवधि में मध्य प्रदेश में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए योजना परिव्यय बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मांगों का व्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) प्रत्येक पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के लिए कुल परिव्यय निम्नलिखित है :

योजना	परिव्यय (लाख रुपये)
1	2
पहली योजना	मध्य प्रदेश राज्य 1956 में अस्तित्व में आया था ।
दूसरी योजना	250
तीसरी योजना	500
चौथी योजना	300

1	2
पांचवीं योजना	547
छठी योजना	615

(ख) जी, नहीं। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विशेष ध्यान दें : क्योंकि व्यवसायिक शिक्षा का परिव्यय सामान्य शिक्षा में शामिल है, इस लिए इसको अलग नहीं किया जा सकता ।

डा० बसंत कुमार पंडित : उत्तर में मध्य प्रदेश में तकनीकी शिक्षा पर के कुल परिव्यय के आंकड़े दिए गए हैं जबकि टिप्पण (फुलनोट) में कहा गया है :

'क्योंकि व्यवसायिक शिक्षा सम्बन्धी परिव्यय सामान्य शिक्षा में शामिल है, इसलिए उसकोनहीं अलग से नहीं दिया जा सकता ।'

इससे मेरी इस धारणा की पुष्टि हो गयी है कि शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के व्यवसायीकरण के प्रति सरकार उदासीन है। इसकी स्पष्ट रूप से पहचान की जानी है, और हमारे देश में शिक्षा की व्यवसायीकरण पहले ही देर से शुरू हुआ है। गत दो योजनाओं के दौरान गंभीरता से कार्य कोई भी नहीं किया गया है। जहां तक शिक्षा व्यवसायीकरण का सम्बन्ध है शहरी स्तर पर तो यह समाजिक स्तर का सामाजिक अवरोध था जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई ज्यादा कार्य नहीं किया गया। औद्योगिक तकनीकी संस्थानों में (आई०टी०आई० एम०) केवल व्यवसायिक प्रशिक्षण शुरू करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। व्यवसायिक शिक्षा आज की आवश्यकता है। हमारे औद्योगिक आधार का विस्तार हो रहा है और आपके पासइस शताब्दी के अंत तक इसके अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त प्रतिभाएं होनी चाहिए। केवल नए बेरोजगार स्नातक बनते जाने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार को तकनीकी शिक्षा और शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए परिव्यय की धनराशि पृथक रूप से रखनी होगी। हमने इसे पहले ही देर से शुरू किया है। हमें बहुत जल्दी ही । हमें इसके कुछ परिणाम प्राप्त करने चाहिए। और ऐसा केवल सामाजिक अवरोधों को दूर करके प्रशिक्षणार्थियों को लाभप्रद रोजगार देकर, जिसमें श्रम का भी महत्व है और आगामी दस वर्षों के लिए आवश्यक कुशलता (स्किल) के क्षेत्रों का पता करके और रोजगार के क्षेत्र के समीप प्रशिक्षण केन्द्र शुरू करके ही किया जा सकता है। क्या सरकार मेरे विचारों पर टिप्पणी करेगी।

श्रीमती शीला कौल : शिक्षा की पद्धति में, जिसकी कि इस समय परिकल्पना की गई है; 10+2 की प्रणाली रहनी है। लगभग 17 राज्यो और अनेक संघशासी क्षेत्रों ने इसे अपना लिया है। माननीय सदस्य का यह कहना ठीक है कि यह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसका पालन किया जाना चाहिए, उनका यह कहना भी सही है कि इसको उचित महत्व प्रदान नहीं किया गया है। इसको मध्य प्रदेश में उचित महत्व दिया गया है। तमिलनाडु जैसे अन्य राज्यों में

लगभग 50,000 विद्यार्थी +2 के अन्तिम चरण में पहले ही भाग ले चुके हैं और इस **चरण** से निकल गए हैं, महाराष्ट्र में 11,000 विद्यार्थी हैं; कर्नाटक में यह कार्यक्रम अच्छी तरह चल रहा है। लेकिन अन्य राज्यों में यह कार्यक्रम चालू हो रहा है और हम मध्य प्रदेश की राज्य सरकार को भी उस राज्य की शिक्षा के व्यावमायीकरण का अनुसरण करने के लिए जोर देते रहे हैं।

डा० वसंत कुमार पंडित : जहां तक आगामी सातवीं पंचवर्षीय योजना में कुशल श्रमिकों और तकनीकी श्रमिकों का सम्बन्ध है, मध्य प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा के बिना एक बड़ी समस्या उठती है। क्या उनका ध्यान राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा हाल ही में शुरू किए गए शिक्षा के व्यावसायीकरण के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय सेमिनार की ओर आकर्षित किया गया है। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। क्या सरकार देश की शिल्प-वार (स्किल वाइज) औद्योगिक श्रमिकों की आवश्यकता का पता करेंगे और उस आधार पर तकनीकी विद्यालय और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई०टी०आई०एस०) खोलने के लिए केन्द्रीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा प्रवर्तित करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षाणिक एवं अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के अंतर्गत अन्य विशेषज्ञों के साथ एक उच्च शक्ति प्राप्त निगरानी समिति और एक **कृतिक** बल गठित करेगी ?

श्रीमती शीला कौल : मध्य प्रदेश में अनेक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। वहां 10 इंजीनियरिंग कालेज हैं और 24 पोलीटेक्निक हैं, जिनमें से 7 गैर-सरकारी निकाय हैं। 24 में से एक महिला पोलीटेक्निक है; और वहां हमारे पास तकनीकी अध्यापकों के प्रशिक्षण स्कूल भी हैं, और उस सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के साथ-साथ 100 प्राइवेट संस्थान भी हैं। यदि ये सभी कार्य करते हैं तो मैं नहीं समझती कि उस कार्य के लिए जिसकी आपने **परिकल्पना** की है; श्रम शक्ति की कोई कमी होगी।

डा० वसंत कुमार पंडित : क्या आप सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक कृतिक बल और उच्च शक्ति प्राप्त निगरानी समिति गठित करेंगी।

श्री सतीश अग्रवाल : उन्होंने इसे स्पष्ट नहीं किया है।

श्रीमती शीला कौल : 1978 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने टिप्पणी की थी कि डिप्लोमा और स्नातकोत्तर स्तर के बाद सभी स्तरों पर वर्तमान वार्षिक प्रवेश क्षमता अगले दस वर्षों के लिए पर्याप्त है तथा और आगे इसके विस्तार की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन, अब हाल ही में कुछ छूट दी गई है और गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश की तकनीकी शिक्षा की अनुभव की आवश्यकताओं को इन मार्ग-निर्देशनों के अंतर्गत लाया गया है और जैसा कि मैंने कहा, कुछ रियायतें दी गयी हैं। इसलिए, हम इस सातवीं योजना के दौरान तकनीकी शिक्षा का और अधिक विकास कर सकते हैं।

श्री अमल दत्त : इस देश में हर व्यक्ति खासतौर पर राजनीतिज्ञ मतदाताओं के समक्ष बोलते हुए हमेशा ही व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकताओं पर बल देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से यह देखा गया है कि जब संसद में इस प्रकार के किसी प्रश्न का उत्तर देते समय मंत्री महोदय यह बिल्कुल नहीं समझतीं कि इस सन्दर्भ में व्यावसायिक शिक्षा का क्या अर्थ है। यह तकनीकी शिक्षा नहीं है। यह औद्योगिक प्रारीक्षण संस्थान और इंजीनियरिंग कालेज नहीं है। यह स्कूल के विद्यार्थियों को किसी

व्यवसाय के लिए दी जाने वाली शिक्षा है। और इस सन्दर्भ में केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को कोई सहायता नहीं देती। और यही कारण है कि राज्य सरकारें व्यावसायिक किक्षा जो कि अत्यंत आवश्यक है, देने में असमर्थ हैं। क्या शिक्षा मंत्री यह स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्या केन्द्र सरकार के पास स्कूल स्तर पर व्यापक पैमाने पर व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने की कोई योजना है और यदि हां, तो उनको कितनी धनराशि दी जा रही है अथवा उपलब्ध कराई जाएगी।

श्री सतीश अग्रवाल : इस प्रश्न का उत्तर उप मंत्री द्वारा दिया जाना चाहिए क्यों कि यह बच्चों से संबंधित हैं। इसका उत्तर श्री थुंगन द्वारा दिया जाना चाहिए।

श्री अमल दत्त : यदि शिक्षा मंत्री को जानकारी नहीं है तो उप मंत्री इसका उत्तर दें।

श्रीमती शीला कौल : उत्तर हम सभी जानते हैं। उत्तर आप भी जानते हैं। यदि आप चाहें तो आप भी उत्तर दे सकते हैं।

में माननीय सदस्यों को आन्ध्र प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों में किए गए कार्य के बारे में बताना चाहती हूं जहां व्यवसाय संबंधी पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। आन्ध्र प्रदेश में जल सप्लाई और सफाई इंजीनियरी तकनीक और ग्रामीण इंजीनियरी और बिजली उत्पादन, डेरी फार्मिंग, मुर्गी पालन, वाणिज्यिक वस्त्र निर्माण, प्रेस और स्कुल प्रबंध आदि जैसे 22 पाठ्य क्रम हैं। गुजरात राज्य में भी डिप्लोमा पाठ्यक्रम, मूर्तिकला, कार्मशियल आर्ट, और मूर्ति कला, कृषि आदि में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम हैं। यह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नहीं हैं। यह सब स्कूल के बच्चों ने स्वयं किया है।

श्री अमल दत्त : यह व्यवसाय संबंधी पाठ्यक्रम नही हैं।

श्रीमती शीला कौल : यदि आप व्यवसाय संबंधी शिक्षा लेना चाहते हैं तो इन सब बातों की जानकारी जरूरी है।

श्री अमल दत्त : तकनीकी शिक्षा व्यवसाय संबंधी शिक्षा नहीं है।

श्रीमती शीला कौल : जिस प्रकार आप सोचते हैं उस प्रकार पेंटिंग तकनीकी शिक्षा नहीं है। मैंने डा० पंडित को उत्तर दिया है।

श्री अमल दत्त : आप इंजीनियरी का क्षेत्र और औद्योगिक आई० टी० आई० की बात कर रही हैं। आप इन्हें व्यवसाय संबंधी शिक्षा के रूप में कैसे ले रही हैं।

श्रीमती शीला कौल : आप क्या चाहते हैं? आप कृपया बताएं कि आप क्या चाहते हैं, मेरे पास समस्त ब्यौरा है।

डा० बसंत कुमार पण्डित : आपने स्कूल स्तर पर ही बच्चों को व्यवसाय संबंधी शिक्षा देनी है।

सभापति महोदय : श्री भीखा भाई।

मीटर गेज जोन

*823. **श्री भीखा भाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पृथक मीटर गेज जोन बनाने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में कितना और समय लगेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर नख दिया गया है।

विवरण

रेलों पर जोनों का सृजन करने के प्रश्न और मीटर आभात के एक पृथक जोन की स्थापना करने के प्रस्ताव पर रेलवे सुधार समिति द्वारा विचार किया जा रहा है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री भीखा भाई : क्या यह सही है कि रेलवे बोर्ड ने राजस्थान राज्य की हमेशा अनदेखी की है और उसके साथ मौतेला व्यवहार किया गया है क्यों कि अब तक खर्च किए 8000 करोड रुपये में से राजस्थान में केवल 0.06 प्रतिशत खर्च किए गए हैं। यह पूरा श्रेय राजा-महाराजाओं के राज्य को जाता है जिन्होंने रेलवे लाइनें बनवाई हैं। परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा रेलवे के अधिग्रहण के बाद कुछ भी नहीं किया गया है। क्या रेल मंत्री राजस्थान के साथ उचित व्यवहार करेंगे क्यों कि इसके पिछड़ेपन और रेल लाइनें न बिछाने के कारण यह उपेक्षित रहा है। भूतपूर्व रेल मंत्रियों में श्री लाल बहादुर शास्त्री और श्री जगजीवन राम को छोड कर सभी रेल मंत्रियों ने चाहे वह श्री हनुमंतैय्या हों या श्री दासप्पा हों। अपने चुनाव क्षेत्र और अपने राज्य में ही रेल लाइनें बिछाने या अन्य कार्य किए हैं। वर्तमान रेल मंत्री जी केवल मालदा का ही विकास कर रहे हैं। क्या वे राजस्थान में, विशेष कर जयपुर या अजमेर, में एक पृथक मीटर गेज जोन स्थापित कर रहे हैं। यदि आप इस मुद्दे की अनदेखी करना चाहते हैं तो इसे समिति को सौप दें।

श्री सतीश अग्रवाल : अध्यक्ष मोहदय, आपने सुना होगा कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : मैं वर्तमान जोन प्रणाली, डिवीजन आदि के पुनर्गठन के बारे में जानता हूं। इस मुद्दे पर उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं। इस प्रस्ताव के लिए मैंने कभी भी नहीं कहा।

कुछ माननीय सदस्य : आपने कभी हां नहीं कहा।

श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी : इस संबंध में रेलवे सुधार समिति बनाई गई थी जिसने मुझे बताया है कि पूरी जोनल, प्रणाली डिवीजन आदि के बारे में समिति अपनी रिपोर्ट इस महीने के

अंत तक प्रस्तुत कर देगी । मैं रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा हूं । इससे मेरे हाथ मजबूत हो जाएंगे क्यों कि जोन बनाने में न केवल राजस्थान बल्कि अन्य क्षेत्रों के बारे में भी सोचना पड़ेगा । मेरे देखने में आया है कि पुनर्गठन अनिवार्य है। पर इसे हम किस प्रकार करें। यह बहुत ही चिंता का विषय है क्यों कि दूर-दराज के क्षेत्रों के साथ न्याय नहीं किया जा सकता और कुछ तात्कालिक समस्याओं को दूर नहीं किया जा सकता। अत: जोन आदि बनाने के बारे में इस समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं । परन्तु इसी दौरान मैंने डिवीजन बनाने के लिए कुछ उपाय किए हैं । यात्रियों और माल गाड़ियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि को देखते हुए तथा चलती रेल गाडियों में सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए रेलवे प्रशासन ने कुछ दूर-दराज और अधिक काम वाले डिवीजनों को हिस्सों में बांटने का निर्णय किया है । ये डिवीजन हैं, ये डिवीजन हैं दक्षिण रेलवे में त्रिवेन्द्रम और बंगलौर, मध्य रेलवे में भोपाल, पूर्वी रेलवे में मालदा, दक्षिण पूर्व रेलवे में सम्बलपुर और पश्चिम रेलवे में अहमदाबाद ।

इन सब पर मैं पहले ही कार्रवाई कर चुका हूं तथा और मार्ग कार्रवाई की जानी है और मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैं पुर्नगठन के लिए इच्छुक हूं । क्योंकि मुझे सिफारिश प्राप्त होती है—क्योंकि इसका अर्थ है अधिक धन, अधिक व्यय, अधिक संसाधन तथा अन्य सभी कुछ—तो मेरे हाथ मजबूत होंगे और मैं आवश्यक कार्रवाई करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि अब आप सन्तुष्ट हैं ।

श्री भीखाभाई : जो कुछ मैंने कहा, मंत्री महोदय ने उसकी पुष्टि की है । उन्होंने स्वीकार किया है कि मालदा के बारे में विचार किया जा रहा है । वह जमालपुर वर्कशाप को मालदा ले जाने के बारे में कार्रवाई कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, आपकी रुचि भी राजस्थान में है । मैं मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि रेलवे विस्तार के लिए राजस्थान में हुए व्यय के बारे में जो जानकारी मैंने दी है, क्या वह सही है । दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् पिछले 37 वर्ष के दौरान राजस्थान में कितनी रेल लाइनें डाली गई हैं ? राजस्थान एक पिछड़ा हुआ राज्य है और इसी राज्य में बांसवाड़ा भी उतना ही पिछड़ा हुआ है और इसे रतलाम के साथ जोड़ा जाना था जो बांसवाड़ा से केवल 54 किलोमीटर की दूरी पर है । यह लाइन तीन जनजातीय राज्यों, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात को जोड़ेगी । मैंने माननीय मंत्री महोदय से पुन: सर्वेक्षण करवाने का अनुरोध किया है किन्तु, चूंकि उनके अनुसार सर्वेक्षण अलाभकारी है, इस लिए मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि जब वह राजस्थान के मामले पर विचार करे तो उन्हें इस लाइन के पुन: सर्वेक्षण के मामलों पर भी विचार करना चाहिए । उन्हें यह देखना चाहिए राजस्थान के साथ क्या अन्याय हुआ है और उसे कैसे दूर किया जाए । मुख्य मंत्री जी ने भी एक सुपर फास्ट गाड़ी के लिए लिखा है किन्तु मंत्री महोदय द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया । राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्, एक या दो के अलावा कोई नई रेल लाइन नहीं डाली गई । इसलिए मैं मन्त्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि राजस्थान के साथ न्याय होगा और जब जोन बनाया जाए, या तो यह जयपुर या अजमेर में बनाया जाए ।

श्री सी० के० जफर शरीफ : जैसा कि मंत्री महोदय, नें पहले कहा कि माननीय सदस्य को इस मामले में इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। यह मामला केवल जोन तक सीमित है और जहां तक जोन का संबंध है, जैसा कि माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा कि राजस्थान में अधिकांशत: छोटी लाईन है। इसलिए, जहां तक छोटी लाईन का संबंध है, एक पृथक जोन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। यह पहलू रेल सुधार समिति के विचाराधीन भी है और समिति के प्रतिवेदन की इस मास के अन्त तक प्राप्त होने की सम्भावना है। प्रतिवेदन प्राप्त होने की संभावना है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् मंत्रालय इसके सभी पहलुओं पर विचार करेगा।

श्री दीन बन्धु वर्मा : महोदय, पश्चिम रेलवे जोन में, मरम्मतों और रख-रखाव के लिए, विशेष रूप से उदयपुर-चित्तौड़गढ़ रेल पटरी पर, धन का पर्याप्त आबंटन नहीं किया जाता है। क्या मंत्री महोदय इस सदन को आश्वासन देंगे कि पश्चिम रेलवे के राजस्थान खंड की अपेक्षा नहीं की जाएगी ?

श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरा मामला स्पष्ट कर दिया है।

श्री सतीश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह विधि की विडम्बना ही है कि देश की केवल एक राजधानी जो बड़ी लाइन से नहीं जुड़ी है वह जयपुर है। जब कभी भी हम दिल्ली से जयपुर या अहमदाबाद के लिए बड़ी लाइन की मांग करते हैं आप धन की कमी के कारण मना कर देते हैं। जब हम छोटी लाइन क्षेत्र के लिए जोन बनाने की बात कहते हैं जो अधिकांशत: राजस्थान में पश्चिम रेलवे है तो आप कहते हैं कि हम रेल सुधार समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब आपने डिविजन बनाने के संबंध में निर्णय लिया, तब आपने समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा नहीं की, स्वतंत्र रूप से निर्णय ले लिया। यदि आप दिल्ली से बीकानेर जाएं आप सूरतगढ़ तक उत्तर रेलवे के अन्तर्गत यात्रा करते हैं और तब आप पश्चिम रेलवे में पहुंचते है। बार-बार स्टाप आते हैं। कई समस्याएं है। यदि आप दिल्ली से बीकानेर जाएं तो वातानुकूल की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि आप दिल्ली से जयपुर जाएं तो कोई व्यवस्था नहीं है। ये कुछ समस्याएं हैं। राजस्थान के एक राजसी राज्य होने के नाते—यह 22 राज्यों को मिलाकर बनाया गया था—राजस्थान के अधिकांश रेलवे वह हैं जो रजवाड़ों द्वारा चलाए जाते थे। चाहे यह बीकानेर हो, जयपुर, या जोधपुर या अजमेर हो, इक्का-दुक्का को छोड़कर कोई भी नई रेल लाइन नहीं डाली गई। राजस्थान आर्थिक तथा औद्योगिक रूप से अभी भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसलिए, क्या आप पश्चिमी जोन बनाने के लिए शीघ्र उपाय करेंगे—जिसका मुख्यालय या तो जयपुर में हो या अजमेर में हो—मैं क्षेत्रीय भावनाओं से प्रेरित नहीं हूं। कृपया आप कोई निर्णय लें और हमें आश्वासन दें क्योंकि हम 9 मई के बाद फिर नहीं मिलेंगे।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : यदि आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी हो तो जो कुछ मैंने कहा वह आश्वासन ही है। एक रेल मंत्री के नाते मैंने कहा है कि तमाम मौजूदा जोनल प्रणाली के पुर्नगठन की आवश्यकता है। मैं इस तमाम प्रणाली का पुर्नगठन करने जा रहा हूं। मुझे यह समझ नहीं आता कि में राजस्थान की उपेक्षा क्यों करूंगा। दुर्भाग्य से मेरे पास माननीय सदस्य

की दलीलों का खंडन करने के लिए आंकड़े नहीं हैं। नहीं तो मैं दिखाता कि इस वर्ष 1984-85 में मैंने लगभग अधिकतम आबंटन किया है। इससे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि मैं राजस्थान की उपेक्षा कर रहा हूं। किन्तु जब एक समिति नियुक्त की गई—ठीक या गलत एक समिति नियुक्त की गई है—यदि वह कुछ देरी कर रहे है······

एक माननीय सदस्य : गलत क्यों ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : कुछ कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है। यदि कोई और चीज आवश्यक है तो मैं वह करूंगा।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं आप पर राजस्थान की उपेक्षा करने का अभियोग लगाता हूं क्यों कि श्री कमलापति त्रिपाठी के समय के दौरान उन्होंने दिल्ली से अहमदाबाद तक बड़ी लाइन बिछाने का आश्वासन दिया था। उस आश्वासन का क्या हुआ ? इसे अभी भी पूरा किया जाना है। इसी लिए मैं आप पर राजस्थान की उपेक्षा का आरोप लगाता हूं।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : यह इससे सम्बद्ध नहीं है।

आल इंडिया लोको-रनिंग स्टाफ एशोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत

*828 **श्री अजित कुमार साहा**
श्री बाजु बन रियान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ उनकी काफी समय से चली आ रही समस्याओं का हल ढूंढने के लिए बातचीत चल रही है;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मांगें क्या हैं;

(ग) किन विषयों पर बातचीत चल रही है; और

(घ) मांगों को मानने के संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री अजीत कुमार साहा : 1973 में लोको रनिंग स्टाफ के साथ एक समझौता किया गया था और एक शिकायतों सम्बन्धी समिति गठित की गई थी। एक समिति की नियुक्ति के संबंध में मंत्री जी ने "निश्चित रूप में अथवा गलती" से क्यों कहा इसका मुझे पता नहीं है। इस समिति

की वर्ष सामने बैठकर मामलों को हल किया जाता है। इन सुविधाओं को 'रेलवे में बिगड़ते संबंधों की दृष्टि से" एक गुप्त परिपत्र जारी करके बंद कर दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी का लोको रनिंग स्टाफ के मामलों को आमने-सामने बैठकर हल करने के लिए इस शिकायत समिति को पुनर्जीवित करने का विचार है।

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : यह सच है कि मंत्रालय स्तर और प्रत्येक रेलवे जोन स्तर पर कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक शिकायतों संबंधी समिति गठित की गई थी। 1980 तक इसकी नियमित बैठकें होती थीं। इन सीमित सुविधाओं के बावजूद, एशोसिएशन गंभीर अवसरों और कुछ क्षेत्रों में आन्दोनात्मक रूख अपनाती रही। अप्रैल 1981 में, अकस्मात ही उन्होंने सामूहिक आकस्मिक अवकाश आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने धमकी, जोर-जबरदस्ती और तोड़-फोड़ की कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी। इन परिस्थितियों के अन्तर्गत, महाप्रबन्धक ने आपसी बातचीत की यह सुविधा वापस लेने का निर्णय किया। यह स्थिति है। इस मामले पर विपक्ष के नेता मुझसे कई बार मिल चुके हैं। मैंने कर्मचारियों के सदस्यों को निर्देश दिए हैं कि वे इस प्रश्न पर लोको यूनियनों के साथ और मान्यता प्राप्त संगठनों के साथ चल कर्मचारियों के काम के घंटों के मामले में आवश्यक सुधार के लिए इस प्रश्न पर विचार करें। यहां भी मैं सदन को बताना चाहता हूं कि 26 फरवरी, 1984 को मैंने सभी महाप्रबन्धकों और बोर्ड के सदस्यों की विशेषकर भारतीय रेलवे में सुरक्षा में सुधार के तरीकों पर विचार करने के लिए लखनऊ में एक बैठक बुलाई थी। जिन मुद्दों पर बातचीत हुई उनमें से एक मुख्य मुद्दा पर विचार हुआ वह मुद्दा यह था कि लोको रनिंग स्टाफ और कार्यकरण के सुरक्षात्मक पहलुओं पर प्रभावों पर विचार था रनिंग स्टाफ के लिए आवश्यक काम के घंटों की दृष्टि से महाप्रबन्धकों द्वारा विचारित विशेष राय प्राप्त की गई। महाप्रबन्धकों से रनिंग स्टाफ की कठिनाइयों को जिनका चल घंटों की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है कम करने की दृष्टि से काम के घंटों में आवश्यक सुधार सुझाने के लिए दोनों मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठनों से इस विषय पर बातचीत करने को कहा गया था। जैसे ही संगठित श्रमिक संगठनों के साथ परामर्श करके आगे विचार प्राप्त हो जाएंगे इस प्रश्न पर आगे विचार किया जाएगा। इस बीच मैंने विपक्षी नेताओं के साथ हुई मेरी बातचीत के दौरान प्राप्त सुझावों के संबंध में भी मैंने अनुदेश दिए हैं। मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि हम अवश्य इस मामले पर विचार करेंगे और लोको रनिंग स्टाफ द्वारा महसूस की जा रही कठिनाइयों को दूर करेंगे। क्योंकि उसका सुरक्षा पर असर पड़ता है। हम इस मामले पर अत्यधिक सावधान हैं। मैं सदन को केवल यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम निश्चित रूप में कुछ करेंगे।

श्री अजीत कुमार साहा : महोदय, मैं संतुष्ट हूं । और कोई प्रश्न नहीं है।

श्री सतीश अग्रवाल : विपक्ष का रचनात्मक रुख है। वे संतुष्ट हैं। कोई और प्रश्न नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, इधर रेलवे कर्मचारियों में असंतोष दिनो-दिन बढ़ता जा रहा है...

अध्यक्ष महोदय : वह तो उन्होंने कह दिया है ठीक हो जायेगा।

श्री रामावतार शास्त्री : आल इंडिया रेलवे इम्पलाईज कन्फेडरेशन संघर्ष की तैयारी में है। इंडियन रेलवे सिगनल एंड टेलि-कम्युनिकेशन एसोसिएशन ने सम्भवतः वर्क टु रूल शुरू ही कर दिया है, परसों रात से स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन की भी वही हालत है और आल इंडिया लोको मेकेनिकल स्टाफ एसोसिएशन ने भी इनके यहां धरना दिया है। इन तमाम लोगों ने इनके पास ज्ञापन भी भेजे हैं और सम्भवतः कुछ लोगों ने मेम्बर (स्टाफ) से बातें भी की हैं। मेरा निवेदन है क्या आप इन लोगों से यथाशीघ्र टेबल पर बैठकर बात-चीत करके रास्ता निकालेंगे ताकि रेल मजदूरों को संघर्ष के रास्ते पर न जाना पड़े ?

श्री एनुबी० ए० गनी खान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, प्रजातांत्रिक प्रणाली में, हड़तालें, आंदोलन जीवन का सत्य हैं। इन्हें स्वीकार करना ही होता है। इससे बचा नहीं जा सकता है। अब क्योंकि माननीय सदस्य ने मेरे से निवेदन किया है, मैं उनसे आज भी निवेदन करूंगा कि उनसे कहें कि वे रेल भवन आकर हमसे आमने-सामने बैठकर बातचीत करें और जिससे हम समस्या का हल निकाल सकें।

नई दिल्ली और त्रिवेन्द्रम के बीच चलने वाली केरल एक्सप्रेस

की बारम्बारता में वृद्धि करना

*826. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और त्रिवेन्द्रम के बीच चलने वाली केरल एक्सप्रेस की बारम्बारम्ता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) अभी सवारी डिब्बों, डीजल इन्जनों और लाइन क्षमता के रूप में संसाधनों की तंगी के कारण केरल एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाने का विचार नहीं है।

प्रो० जी० जे० कुरियन : महोदय, जब मंत्री जी ने कहा कि सदन के पटल पर एक वकतव्य रख दिया गया है, मैंने सोचा कि इसमें कुछ अन्तर्विष्ट होगा, परन्तु महोदय इसमें कुछ भी नहीं है। यह राजस्थान के साथ-साथ केरल की उपेक्षा का एक और उदाहरण है।

दिल्ली-त्रिवेन्द्रम गाड़ी, केरल एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाने का निवेदन करते हुए मंत्री जी को कई अभ्यावेद दिए गए हैं। केरल के मुख्यमंत्री ने भी रेल मंत्री को लिखा है। इसके बावजूद, उनका कहना है कि उन्होंने उस गाड़ी के फेरे बढ़ाने के विषय में कुछ भी विचार नहीं किया है। उन्होंने विचार क्यों नहीं किया है। हम इस गाड़ी के फेरों में वृद्धि की मांग इसलिए करते हैं कि हम केरल-वासी और अन्य दक्षिण भारतीय राजधानी तक की यात्रा के लिए सर्वाधिक व्यय कर रहे हैं। हमारी ओर से सबसे अधिक यात्री आते हैं। राजधानी में कार्य करने वाले केरलवासी और अन्य दक्षिण भारतीयों को दक्षिण जाने के लिए तीन महीनों के इंतजाम के बावजूद टिकट नहीं मिल पा रहे हैं। इन सबके बावजूद मंत्री जी इस निवेदन पर विचार करने को तैयार नहीं हैं। वह डिब्बों और डीजल इंजनों की कमी की बात कर रहे हैं, ऐसी कई गाड़ियां हैं जो लाभ नहीं कमा रहीं हैं और कई जगह यात्रियों की संख्या कहीं कम है। अतः यदि संभव हो तो उनमें से डिब्बे कम कर दें और उन गाड़ियों में लगा दें जहां यात्री अधिक हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा : क्या आप इस प्रश्न पर विचार करने को तैयार हैं? यदि हां, तो क्या आप वहां से जहाँ डिब्बे उपलब्ध हैं डिब्बे प्राप्त करने को तैयार हैं और जहाँ अधिकतम यात्री हैं वहां लगाने को तैयार हैं? और क्या आप यह यात्रियों की अधिकतम संख्या का पता लगाने के लिए प्रतिगाड़ी यात्रियों की संख्या के लिए एक सर्वेक्षण कराने को तैयार हैं? यदि केरल एक्सप्रेस में उनकी संख्या अधिकतम हो तो आप उसमें अधिक डिब्बे लगाइए। बस इतना ही कीजिए। मैं मंत्री जी से इस विषय पर आश्वासन चाहता हूं।

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : मैं निश्चय ही उनके सुझाव की जांच करूंगा। उस पर दो विचार नहीं हैं। मैं विचार क्यों नहीं करूंगा? यह मेरा कर्त्तव्य है। यह मेरा कर्तव्य कि मैं न केवल केरल में वरन् संपूर्ण भारत में यात्रियों को अधिकतम आराम और सुविधाएं उपलब्ध कराऊं। परन्तु, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं इसकी जांच करूंगा।

केरल एक्सप्रेस, दिल्ली और त्रिवेन्द्रम सेंट्रल के बीच एक सप्ताह में दो दिन मंगलवार और शुक्रवार को नई दिल्ली से और सोमवार और शुक्रवार को त्रिवेन्द्रम सेंट्रल से चलने वाली 21 डिब्बों, दो इंजनों वाली गाड़ी है। उसके अतिरिक्त, एक और गाड़ी, जयन्ती जनता एक्सप्रेस है जो निजामुद्दीन और कोचीन तथा बंगलौर के बीच एक सप्ताह में पांच दिन चलती है।

केरल एक्सप्रेस की आवृत्ति में वृद्धि के संबंध में, मैं समझाता हूं कि आपके अनुसार ही उसमें कुछ कठिनाइयां हैं और मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता हूं। मैंने सदन में यह वायदा भी किया था कि मैं इसकी जांच करूंगा।

सदन में यह मांग भी की गई थी कि क्या मैं जम्मू-तवी से कन्याकुमारी तक एक गाड़ी चला सकता हूं। मैंने निर्णय लिया है कि जून, 1984 के मध्य में सप्ताह में एक बार कश्मीर—कन्याकुमारी नाम की एक गाड़ी चलाई जायेगी। इससे केरल वासियों के लिए गाड़ियों की सेवाओं के फेरों में स्वतः ही वृद्धि हो जायेगी और उनकी मांग पूरी हो जायेगी। मैं इस गाड़ी को शीघ्र चला रहा

हूं और जैसा कि आपने सुझाव दिया है मैं प्रश्न के अन्य भाग की भी जांच करूंगा ।

(व्यवधान)

प्रो० जी० के० कुरियन : महोदय, मैं मंत्री जी द्वारा दिए गए आश्वासन के लिए धन्यवाद देता हूं । मैं इससे और भी प्रसन्न हूं कि मंत्री जी अपने वायदों को पूरा करने के लिए प्रसिद्ध हैं। महोदय, वह देश में इसके लिए प्रसिद्ध हैं कि वह जो आश्वासन देते हैं उसे कार्यान्वित करते हैं। अत:, मैं पुनः उनका धन्यवाद करता हूं । मैं जम्मू-कन्याकुमारी गाड़ी के बारे में पूछना चाहता हूं । जब यह प्रारम्भ की जाएगी, क्या वह सप्ताह में दो बार दैनिक अथवा सप्ताह में एक बार होगी ? यदि यह सप्ताह में एक बार भी होगी तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह 21 डिब्बों सहित दो इंजिन वाली गाड़ी हो जिससे अधिक से अधिक यात्री जा सकें ।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : इसका ब्यौरा विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जाता है । मैंने अभी कहा कि इस गाड़ी को चलाने का यह निर्णय बोर्ड में लिया गया है । मैंने उनसे यह करने को कहा है । मेरा विचार है कि वे ऐसा करेंगे ।

हमें यह देखना है यह किस प्रकार कार्य करती है । इस समय, मैं यह नहीं कह सकता हूं कि हम इसे एक सप्ताह में तीन दिन चला सकते हैं । मैंने एक सप्ताह में एक दिन का निर्णय लिया है। शेष हम समय आने पर निर्णय लेंगे ।

श्री एम० रामन्ना राय : केरल एक्सप्रेस त्रिवेन्द्रम और मंगलौर से चलती है । यह केरल एक्सप्रेस मंगलौर के एक भाग और त्रिवेन्द्रम के एक भाग से होकर चलती है । वास्तव में, मंगलौर के लिए केवल एक प्रथम श्रेणी और दो द्वितीय श्रेणी के डिब्बे हैं। परन्तु हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इस केरल एक्सप्रेस से केरल के 50 प्रतिशत यात्रियों और मालाबार और मंगलौर के 50 प्रतिशत यात्रियों को लाभ पहुंचना चाहिए । उसमें दो वातानुकूलित डिब्बे हैं । दोनों ही त्रिवेन्द्रम के लिए हैं । समस्त खान-पान सेवा भी त्रिवेन्द्रम के लिए है। केवल एक प्रथम श्रेणी और दो द्वितीय श्रेणी के डिब्बे मंगलौर के लिए हैं । वास्तव में यह गाड़ी मालाबार क्षेत्र और कर्नाटक और केरल के दक्षिण कनारा जिले की सेवा के लिए है मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या द्वितीय श्रेणी के इस वातानुकूलित डिब्बे को मंगलौर के लिए भी भेजा जायेगा ? क्या मंत्री जी खान-पान सेवा के डिब्बे को भी मंगलौर तक के लिए करने पर विचार करेंगे ? अन्यथा, इस गाड़ी से केरल के एक भाग को ही लाभ पहुंचेगा । मालाबार क्षेत्र और दक्षिण कनारा को नहीं । क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है । वह उस पर विचार करेंगे।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैं इस सुझाव पर विचार करूंगा।

266 अप और 265 डाउन जोधपुर-भिलड़ी एक्सप्रेस को अहमदाबाद तक बढ़ाना

*828. **श्री विरधाराम फुलवारिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जोधपुर-जयपुर पिंक सिटी एक्सप्रेस को सीधे लखनऊ तक बढ़ा दिया गया है;

(ख) क्या इसी प्रकार दिल्ली-जयपुर पिंक सिटी एक्सप्रेस को सीधे उदयपुर तक बढ़ा दिया गया है;

(ग) क्या 266 अप और 265 डाउन जोधपुर भिलड़ी एक्सप्रेस को सीधे अहमदाबाद तक नहीं बढ़ाया जा रहा है जिसके कारण वहां से दक्षिण की ओर आने-जाने वाले व्यापारियों और श्रमिकों को कठिनाई होती है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 266 अप और 265 डाउन रेलगाड़ी को सीधे अहसदाबाद तक बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफरशरीफ) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) पिंक सिटी एक्सप्रेस का केवल एक भाग जिसमें 8 सवारी डिब्बे हैं, सप्ताह में तीन दिन उदयपुर तक चलाया जाने लगा है, जिसे गरीब नवाज एक्सप्रेस कहते हैं ।

(ग) जोधपुर से 7 डिब्बे भुज-अहमदाबाद फास्ट पैसेंजर में लगाकर अहमदाबाद तक चलाए जाने लगे हैं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) अहमदाबाद तक एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है ।

श्री विरदाराम फुलवारिया : अध्यक्ष महोदय, पिछले चार सालों से मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि जोधपुर-भिलड़ी एक्सप्रेस को अहमदाबाद तक बढ़ाया जाय । इस समय स्थिति यह है कि जोधपुर-भिलड़ी एक्सप्रेस के सात डिब्बे भिलड़ी स्टेशन पर भुज-अहमदाबाद गाड़ी में जोड़े जाते हैं, जिस से यात्रियों को बहुत कठिनाई होती है । उन को बहुत समय तक वहां पड़े रहना पड़ता है । अहमदाबाद से बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर सब के सम्बन्ध है । बहुत बड़ी संख्या में व्यापारी और मजदूर अहमदाबाद जाते हैं लेकिन गाड़ी की सीधी व्यवस्था न होने में उन को बहुत कठिनाई होती है । अहमदाबाद में एक-एक सीट के लिए 10-10 और 15-15 रुपया अलग से देना पड़ता है । क्या आप जोधपुर-भिलड़ी एक्सप्रेस को अहमदाबाद तक बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, 1-4-1983 से जोधपुर और अहमदाबाद के बीच एक सुपर फास्ट गाड़ी चलाई गई है। यह इन दो स्टेशनों के बीच पहले से ही उपलब्ध गाड़ियों के अतिरिक्त है।

जिसका माननीय सदस्य ने दावा किया है उसके अतिरिक्त 265/266 जोधपुर-भीलवाड़ी एक्सप्रेस भीलवाड़ी पर समाप्त होती है। डिब्बे—एक प्रथम श्रेणी और 6 द्वितीय श्रेणी के भुज-अहमदाबाद तीव्र गाड़ी में अहमदाबाद तक के लिए स्थानांतरित किए गए हैं। अब मैं इसकी अवश्य जांच करूंगा। इस समय आप देखेंगे कि स्थिति बहुत अच्छी है। परन्तु यदि उन्हें और अधिक गाड़ियां चाहिए तो इस पर अवश्य ध्यान देंगे।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, जोधपुर से भीलड़ी एक्सप्रेस ट्रेन है और उस को एक्सटेंड करने के लिए सुझाव प्रस्तुत किया है। कठिनाई यह है कि भीलड़ी में भुज की अलग फास्ट ट्रेन आती है और दोनों ट्रेने मिल कर फिर अहमदाबाद पहुंचती हैं। हम यह चाहते हैं कि सीधा संबंध हो क्योंकि अहमदाबाद से बाड़मेर, जेसलमेर, जोधपुर और जालौर, इन सब का संबंध है और वहां के व्यापारी, मजदूर बगैरह सब आते-जाते हैं और उन को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है। इसलिए हम यह आश्वासन चाहते हैं और बार-बार मैंने इस प्रश्न को उठाया है। लेकिन कोई सैटिसफैक्टरी रिप्लाई नहीं मिला है। इस में कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि कोई नई ट्रेन चलाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि जो आलरेडी ट्रेन है; उसमें और कोचेज जोड़ने की आवश्यकता है। इस संबंध में आप क्या कदम उठाएंगे ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा, मैं इसकी जांच करूंगा। यह विशेषज्ञों द्वारा जांच करने और उत्तर देने का मामला है।

श्री मोती भाई आर० चौधरी : मैं यह कहना चाहता हूं कि व्यवहारिक रूप में यह ट्रेन चलाना अनुकूल नहीं है लेकिन मैं एक सुझाव दे रहा हूं और वह यह है कि कासा से भीलड़ी का 20 किलोमीटर का रास्ता है और भीलड़ी से पाटन होकर अहमदाबाद जा सकते हैं और डिफेन्स के प्वाइन्ट आफ व्यू से भी यह ठीक रहेगा। 20 किलोमीटर का रास्ता बनाने की आवश्यकता है और कई साल पहले इस का सर्वे भी हो चुका है। एक छोटी सी लिंक लाइन बनाने से ये दोनों काम पूरे हो जायेंगे और इस बारे में हम मंत्री जी का आश्वासन चाहते हैं।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस समय मेरे लिए ऐसा कहना संभव नहीं है।

एयर-ब्रेक युक्त इंजनों द्वारा सुपर-फास्ट गाड़ियों का खींचा जाना और उनकी गति

*829. **श्री सूरज भान** :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन सी सुपर-फास्ट गाड़ियां एयर-ब्रेक युक्त इंजनों द्वारा खींची जाती हैं;

(ख) रेलवे सुरक्षा आयोग ने 18 सवारी डिब्बों वाली ऐसी सुपर-फास्ट गाड़ियों के लिए कितनी गति की मंजूरी दी है;

(ग) ऐसी प्रत्येक सुपर-फास्ट गाड़ी की वास्तविक गति क्या होती है;

(घ) क्या किसी समय सुपर फास्ट गाड़ियों की गति कम की गई थी, यदि हां, तो कब;

(ङ.) सभी सुपर-फास्ट गाड़ियों में कब तक एयर-ब्रेकों की व्यवस्था कर दी जायेगी; और

(च) उच्च शक्ति वाले विद्युत चालित 20 इंजनों के आयात के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) हावड़ा-नही दिल्ली और बम्बई-नयी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को खींचने वाले इंजनों में वात ब्रेक लगे हैं ।

(ख) बम्बई-नयी दिल्ली राजधानी के मामले में अधिकतम 120 कि० मी० प्रति घंटे की रफ्तार स्वीकृत है । हावड़ा-नयी दिल्ली राजधानी के मामले में अधिकतम 110 किमी० प्रति घंटे की रफ्तार स्वीकृत है ।

(ग) हावड़ा-नयी दिल्ली राजधानी के मामले में गाड़ी की रफ्तार 60 किमी० प्रति घंटे से 105 कि० मी० प्रति घंटे के बीच निर्धारित है । बम्बई-नयी दिल्ली राजधानी के मामले में गाड़ी की रफ्तार 70 कि० मी० प्रति घंटे से 115 कि० मी० प्रति घंटे के बीच निर्धारित है । यह रफ्तार समय-समय पर लगाये जाने वाले गति संबंधी स्थायी और अस्थायी प्रतिबंधों के पालन के अध्याधीन है ।

(घ) जी हां । हावड़ा राजधानी के मामले में रफ्तार 16.3.81 से कम कर दी गयी है । बम्बई राजधानी के मामले में रफ्तार 1.4.81 से कम कर दी गयी है ।

(ङ.) धन की तंगी है और जब कभी पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंगे तभी और अधिक सुपर फास्ट गाड़ियों में वात ब्रेक फिट किये जा सकेंगे ।

(च) विदेशी फर्मों से प्राप्त प्रस्तावों का तकनीकी और वाणिज्यिक मूल्यांकन किया जा रहा है ।

माननीय सदस्य : महोदय, सी० पी० एम० दत श्री वाजपेयी के पीछे लगा है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, वे मेरे पीछे बैठे हैं ।.

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : वह इसलिए कि मैं क्योंकि कुछ सप्लीमेंन्ट्री प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

श्री सूरज भान : अध्यक्ष महोदय, ये जो दो गाड़ियां हैं हावड़ा से दिल्ली और बम्बई से नई दिल्ली, इन की डिजाइन स्पीड 140 किलो मीटर पर आवर है । हावड़ा वाले की जो सेफ्टी की स्पीड किलयर की है, वह 110 किलोमीटर है और बम्बई वाले की 120 किलोमीटर है । पहले की स्पीड 60 और 105 किलोमीटर के दर्मियान है और दूसरी की 70 से 115 किलोमीटर के दर्मियान है और सेफ्टी को देखते हुए यह 18 कोचेज ले कर चल सकती हैं लेकिन 18 की बजाय 8 कोचेज ले कर ही यह चल रही हैं । इस के बाबजूद कि अरबों रुपया ट्रैक पर खर्च किया हैं, 1981 में जो स्पीड थी, उस स्पीड को आप ने कम कर दिया है । अब तीन साल हो गये हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस स्पीड को आप क्यों नहीं बढ़ा रहे और सन् 1981 में स्पीड को कम करने के कारण क्या थे और क्या आप स्पीड को रेस्टोर करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि आपको, श्री सूरज भान को रेलवे भी सभी तकनीका बातों के साथ संबंद्ध करना चाहिए । उनकी गति तथा अन्य सभी बातों पर नजर है ।

एक माननीय सदस्य : उन्हें यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए ।

श्री सूरज भान : कृपया बारम्बारत (आवृति) के बारे में क्या बताई ।

रेल मन्त्री श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : इस समय राजधानी एक्सप्रेस नाम की इन दो गाड़ियों की बारम्बारता बढ़ाने का हमारा कोई इरादा नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री अटल बिहारी वाजपेयी ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं अपना अवसर हाल्दर जी को देता हूं ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : देखिए विरोधी दलों के बीच कितना सहयोग है, और हमसे कुछ सीखिए ।

श्री सतीश अग्रवाल : यह अच्छी बात है । सी० पी० एम० भारतीय जनता पार्टी की मैत्रा स्वीकार कर रहा है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, यह कोई नई बात नहीं है । लोकतन्त्र के लिए और अधिनायकवाद के विरुद्ध हम हमेशा ही मिल कर लड़े हैं ।

श्री सतीश अग्रवाल : विरोधी पक्षी में हंसी-मजाक की भावना देखिये । सत्ताधारी दल के लोग भेड़-बकरियों की तरह बैठे हैं वे लोग कोई प्रतिक्रिया ही व्यक्त नहीं कर रहे हैं ।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अभी पीछे यह प्रश्न उठा था और मैंने इसे विस्तार से स्पष्ट किया था। इस समय 18 डिब्बे हैं···

श्री सतीश अग्रवाल : और मंत्री भी वही है। क्या आप इस प्रश्न को फिर स्वीकार कर रहे हैं।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : समोवेश रूप से उसी प्रकार का प्रश्न है।

श्री सतीश अग्रवाल : यह तो मनो विनोद की बात है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : इस समय 18 डिब्बे हैं जिनमें 780 यात्री आते हैं। अब बढ़े हुए भार को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि यद्यपि हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी की अधिकतम गति सीमा 130 किलोमीटर प्रति घंटा है किन्तु अनुमान अधिकतम गति सीमा को घटा कर 110 किलोमीटर प्रति घंटा किया जाए। इस रूट पर गति बढ़ाने के प्रश्न पर, संशोधित विद्युत इंजन उपलब्ध होने के बाद विचार किया जाएगा।

अब आप देखिए कि अभी हाल ही में मैंने आपको वैकम ब्रेक प्रणाली और एयर ब्रेक प्रणाली के संबंध में बताया। एयर ब्रेक प्रणाली सर्वोत्तम है। जब हम इंजनों में एयर ब्रेक प्रणाली की व्यवस्था कर लेंगे, तो मैं समझता हूं कि हम गति सीमा को बढ़ा सकेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री सतीश अग्रवाल मनो विनोद करने के मूड में हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : महोदय, मैं आपका ध्यान प्रश्न के भाग (ग) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ; इस प्रकार की प्रत्येक सुपर फास्ट गाड़ी की वास्तविक गति क्या है। 1-डाउन कालका मेल और हावड़ा से नई दिल्ली तक 103/104 डाउन वातनुकूलित एक्सप्रैस। अन्य सुपरफास्ट गाड़ियां भी हैं। रेल विभाग, इन सुपरफास्ट गाड़ियों के लिए रेल यात्रियों से अधिक किराया वसूल करता है। किन्तु उन्होंने सुपरफास्ट गाड़ियों के नामों और उनकी गति का उल्लेख नहीं किया है। इसलिए, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सुपर फास्ट गाड़ियों की संख्या क्या है और उनकी गति कितनी है और यह भाग (ग) से संबंधित है, इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या वे हावड़ा-नई दिल्ली और नई दिल्ली-हावड़ा की गति को बम्बई-नई दिल्ली राजधानी के समकक्ष करेंगे। मैं यही जानना चाहता हूं, यह सप्ताह में पांच दिन चलती है।

श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी : मैंने राजधानी-कलकत्ता के बारे में स्पष्ट किया है। हावड़ा राजधानी की बुक्ड गति (जैसी कि इसकी शब्दावली है) 60 से 105 कि०मी ०के बीच है। बम्बई-राजधानी की बुक्ड गति, मैं फिर से शब्दावली का प्रयोग कर रहा हूं, 70 से 115 कि०मी प्रति घंटा के बीच है। अब सामान्य रूप से सुपर फास्ट गाड़ियों की परिकल्पना यह है कि, और औसत गति 55 से 60 किलो मीटर प्रति घंटा होनी चाहिए।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : बारम्बारता कितनी है ।

अध्यक्ष महोदय : "हम बारम्बारता नहीं बढ़ा सकते" ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : उन्होंने सुपर फास्ट गाड़ियों के नाम नहीं बताए ?

श्री ए०बी०ए०गनी खान चौधरी : मैंने एक सामान्य परिकल्पना दी है । मेरे पास सभी गाड़ियों के नाम नहीं हैं । तिनसुकिया मेल भी है तथा और भी बहुत सी गाड़ियां हैं ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों की नियुक्ति

*830. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की **कृपा करेंगे** कि :

(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में उप-कुलपतियों की नियुक्ति की शर्तों के बारे में कोई एकीकृत प्रणाली है;

(ख) यदि नहीं, तो प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के उप-कुलपति की नियुक्ति की क्या शर्तें हैं;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में उप-कुलपतियों की नियुक्ति के बारे में हाल ही में कोई सिफारिशें की हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)

(क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(क) और (ख) : केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति की शर्तों में मामूली भिन्नताएं हैं । दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय और उत्तर-पर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय के कुलपति सम्बन्धित विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के दो नमाजद व्यक्तियों तथा विजीटर के एक नामजद व्यक्ति की एक चयन समिति द्वारा अनुशंसित तीन नामों के पेनल में से विजीटर द्वारा नियुक्त किए जाते हैं । अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मामले में कुलपति को कार्यकारी परिषद द्वारा अनुशंसित पांच नामों के एक पेनल में से कोर्ट द्वारा अनुशंसित तीन नामों के एक पेनल में से विजीटर द्वारा नियुक्त किया जाता है ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का कुलपति विजीटर द्वारा गठित चयन समिति के अनुशंसित पेनल में से विजीटर द्वारा नियुक्त किया जाता है ।

विश्व भारती में कुलपति की नियुक्ति की प्रणाली यह है कि कार्यकारी परिषद अधिमानतः

के क्रम में तीन नामों के एक पेनल की सिफारिश कोर्ट को करती है और यदि कोर्ट बहुमत से प्रथम नाम को स्वीकार करता है तो विजीटर कुलपति के रूप में उसकी नियुक्ति की पुष्टि कर देता है। यदि कार्यकारी परिषद द्वारा अनुशंसित प्रथम नाम को कोर्ट स्वीकार नहीं करता है तो इन तीनों नामों के सम्बन्ध में मतदान होता है और फिर कोर्ट द्वारा अधिमानतः का नया क्रम तैयार किया जाता है। इसके बाद अधिमानतः के दोनों क्रम विजीटर को भेज दिए जाते हैं जो नियुक्ति करते हैं।

सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की सेवा निवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। यद्यपि, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दिल्ली, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, हैदराबाद और उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय में कार्यकाल 5 वर्ष है किन्तु बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय में कुलपति तीन वर्ष की अवधि तथा विश्व भारती में 6 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। दिल्ली, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय और विश्व भारती की सांविधियों में यह व्यवस्था है कि कुलपति दूसरी बार के लिए पात्र नहीं है, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और उत्तर पूर्वी-पर्वतीय विश्वविद्यालय की सांविधियों में विशेष रूप से यह व्यवस्था है कि कुलपति को दूसरी बार भी पुनः नियुक्त किया जा सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की सांविधियों में दूसरी बार के लिए कोई प्रावधान नहीं है। सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में यह प्रावधान है कि कुलपति अपना कार्यकाल समाप्त हो जाने पर अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा अपना कार्यभार ग्रहण करता है।

सभा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को 3,000 रूपये प्रतिमाह का वेतन तथा भत्ते उसी दर पर दिए जाते हैं जो 3,000 रूपये प्रति माह का वेतन लेने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी को अनुमत्य हैं।

(ग) और (घ) 7 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के सम्बन्ध में विजीटर द्वारा अंतिम चयन किए जाने से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के विचार उन्हें उपलब्ध किए जाने चाहिए। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि चयन समिति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष का भी एक नामजद व्यक्ति होना चाहिए। इसके अलावा समिति ने यह शिफारिश भी की है कि कुल-पतियों की नियुक्ति की शर्तें साविधानों में निर्धारित शर्तों से भिन्न नहीं होनी चाहिए और परि-लब्धियों सहित नियुक्ति की सभी शर्तें साविधियों के जरिए निर्धारित की जानी चाहिएं। समिति के अनुसार कुलपति को दिया जाने वाला वेतन भारत सरकार के सचिव के बराबर होना चाहिए और वह केन्द्रीय सरकार के तदनुरूपी कर्मचारियों को देय भत्ते प्राप्त करने का पात्र होना चाहिए।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों की नियुवित के लिए एक एकीकृत प्रणाली अपनाने में क्या कठिनाई है। विवरण से

ही यह अत्यंत स्पष्ट है क्योंकि सरकार ने उप-कुलपतियों की नियुक्ति के लिए कोई एकीकृत तरीका तैयार नहीं कर रखा है, इसलिए बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के मामलों में सरकार के पास हस्ताक्षेप के अधिक मौके हैं, अधिक शक्तियां हैं। विवरण में ही यह कहा गया है:

"बनारस हिन्दु विश्वविधालय के उप कुलपति की नियुक्ति, विजीटर द्वारा गठित एक चयन समिति द्वारा संस्तुत एक पैनल से भेजे गए विजीटर द्वारा की जाती है।"

विवरण से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जहां तक दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का संबंध है, पैनल की सिफारिश या तो कार्यकारी परिषद या न्यायालय द्वारा की जाती है या दोनों द्वारा की जाती है और तब विजीटर को संस्तुत पैनल में से एक व्यक्ति का चयन करने का अवसर प्राप्त होता है। किन्तु बनारस विश्वविद्यालय के मामले में चूंकि उप कुलपतियों की नियुक्ति की कोई एकीकृत नीति नहीं है, हम हमेशा यही देखते हैं कि चयन समिति विजीटर द्वारा नियुक्त की जाती है और वह चयन समिति एक पैनल की सिफारिश करती है और बिजीटर को उसी पैनल में से उप-कुलपति के पद के लिए एक व्यक्ति चुनने की अनुमति होती है। इसलिए हम यह देखटे हैं कि बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के मामलों में सरकार का बहुत हस्तक्षेप है।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का इरादा उपकुलपतियों के नियुक्ति के लिए एक एकीकृत पद्धति अपनाने का इरादा है और यदि नहीं, तो क्यों नहीं।

श्रीमती शीला कौल : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय और अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में उपकुल पति की नियुक्ति में अन्तर क्यों है। मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि 1966/67 में माननीय सदस्द शायद बेहतर जानते हो क्योंकि वह बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे है···

श्री सतीश अग्रवाल : वह उस समय नाबालिग थे।

श्रीमती शीला कौल : 1966-67 में काफी गड़बढ़ी हुई और न्यायपूर्ति राजेन्द्रगढ़ की अध्यक्षता में एक जांच आयोग स्थापित किया गया और उस जांच आयोग की सिफारिश पर एक अध्यादेश जारी किया गया और बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए विभिन्न प्रधिकणों का गठन किया गया। बाद में 1969 में अध्यादेश को अधिनियम से बदल दिया गया। यह अधिनियम में यह व्यवस्था की गयी थी कि उपकुलपति की नियुक्ति तीन वर्ष के लिए की जाए। अब, चूंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कई सिफारिशें की हैं, इसलिए इस पर भी विचार किया जाएगा।

श्री हरिकेश बहादुर : विश्वविद्यालय न्यायालय अथवा सीनेट को अपना उपकुलपति चुनने की अनुमति होनी चाहिए, क्योंकि यदि यह कर दिया जाता है तो सरकार का हस्ताक्षेप कम हो

जाएगा या बिल्कुल कम हो जाएगा। मेरे विचार से विभिन्न विश्वविद्यालयों की शैक्षनिक परिषदों द्वारा योग्यताएं निर्धारित की जानी चाहिए। नियुक्ति का नमूना ऐसा होना चाहिए जो सभी विश्वविद्यालयों पर लागू हो। योग्यताएं, सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक परिषदों द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए ताकि वे अपने विश्वविद्यालयों को सुचारू रूप से चला सकें। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस सम्बन्ध में कुछ करने जा रही है।

विश्वविद्यालय की अदालतों या सीनेटों को उनके अपने उपकुलपति चुनने का अधिकार देना चाहिए ताकि वे अपने विश्व विद्यालयों को लोकतांत्रित तरीके से चला सकें।

श्रीमती शीला कौल : जैसी कि आज स्थिति है, शिक्षा मंत्रालय विश्वविद्यालयों के कार्यंचालन में हस्ताक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि इससे विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हजीरा में शिपयार्ड

*420. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में हजीरा में शिपयार्ड की स्थापना के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इसके कब तक कार्य शुरू कर देने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) और (ख) गुजरात में हजीरा में मौजूदा शिपयार्ड के अलावा एक नया शिपयार्ड स्थापित किए जाने की आवश्यकता पर, छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में विचार किया गया था। इसके बाद, यह अनुभव किया गया कि वर्तमान शिपयार्ड की क्षमता का अधिकतम प्रयोग करने और उनका विस्तार करने के मुद्दे को अग्रिमता दी जानी चाहिए। तदनुसार, छठी पंचवर्षीय योजना में, हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम की क्षमता के विस्तार की परियोजना को शामिल किया गया और इसे कार्यान्वित किया जा रहा है। शिपयार्डों में वर्तमान सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। योजना आयोग द्वारा, सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किए जाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए स्थापित एक कार्य दल इस समय, सातवीं पंचवर्षीय

योजना में नए शिपयार्डों की स्थापना करने की आवश्यकताओं, पूंजी के स्रोत और संभावनाओं का मूल्यांकन कर रहा है। कार्यदल की रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

बम्बई के पूर्व उपनगरीय, क्षेत्रों के कुछ स्टेशनों पर द्रुतगामी लोकल गाड़ियों के हाल्ट की व्यवस्था करने संबंधी मांग

*821. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने बम्बई में मध्य रेलवे उपनगरीय सेवा के अन्तर्गत सुबह और शाम को भीड़भाड़ वाले घंटों के दौरान थाणे से बम्बई वी० टी० की ओर चलने वाली लोकल गाड़ियों शुरू की हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या बम्बई के पूर्व उपनगरीय क्षेत्रों के कुछ स्टेशनों से संबंधित दैनिक यात्रियों ने उन स्टेशनों पर इन द्रुतगामी लोकल गाड़ियों को रोकने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) 1-4-84 से सुबह के व्यस्त समय में थाणे से बम्बई वी० टी० के लिए 18 रेल गाड़ियां चल रही हैं जबकि 1-4-1984 से पूर्व 16 गाड़ियां चल रही थीं। 18 गाड़ियों में से 5 तेज गाड़ियां हैं जिनके ठहराव सीमित हैं। शेष 13 गाड़ियां सभी स्टेशनों पर ठहर रही हैं। 1-4-1984 से पूर्व सभी 16 गाड़ियां सभी स्टेशनों पर ठहर रही थीं।

(ग) और (घ) ये तेज स्थानीय गाड़ियां पहले से ही बहुत सारे स्टेशनों पर ठहर रही हैं। ठहरावों की संख्या बढ़ाने से तेज स्थानीय गाड़ियां चलाने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।

अंतर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की ऋण योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में सड़कें और पुल

*825. **श्री राम अवध** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में अन्तर्राजीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) उन सड़कों और पुलों के नाम क्या है, जिनके निर्माण के लिए अब तक उक्त धनराशि दी गई है ; और

(ग) आगामी दो वर्षों में कितनी धनराशि आवंटित किये जाने का प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) और (ख) छठी योजना शुरू होने के पहले से चले आ रहे कार्यों और इस योजना में स्वीकृत नये कार्यों पर 1980-81 से 31-3-1984 तक चार वर्षों में 193 लाख रुपये रिलीज किए गए। छठी योजना अवधि में स्वीकृत कार्यों की सूची सभा-पटल पर रख दी गयी है।

(ग) आशा है कि 1984-85 के लिए फंड रिलीज करने के बारे में शीघ्र ही अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा। वर्ष 1985-86 के लिए जो धनराशि निश्चित की जायेगी, वह उस वर्ष में संसाधनों के उपलब्ध होने और कार्यों की प्रगति पर निर्भर करेगा।

विवरण

क्रम संख्या	कार्य का नाम	स्वीकृत अनुमानित लागत	केन्द्रीय शेयर
1	2	3	4
VI. योजना :		(लाख रु० में)	
1.	सुल्तानपुर जिले में करवार से हकियापुर तक सड़क का निर्माण (7.4 कि० मी०)	19.10	9.55
2.	सुल्तानपुर जिले में जगदीशपुर से जैस तक सड़क का निर्माण (15 कि० मी०)	42.72	21.36
3.	सुल्तानपुर जिले में हकियापुर से जेसन तक सड़क का निर्माण (11 कि० मी०)	37.50	18.75
4.	सुल्तानपुर जिले में कोथरा-राजमंडी से मोरैनी सड़क का निर्माण	34.42	17.21

1	2	3	4
5.	सुल्तानपुर जिले में हमीदपुर-तादीपुर सड़क	29.87	14.935
6.	रायबरेली जिले में मऊ-नसीराबाद सड़क	19.94	9.97
7.	बासुधरण-ईटावा-गिरधरपुर सड़क	34.81	17.405
8.	हरसु-नागला-मान्वा पट्टी सड़क का जिला सीमा तक विस्तार, चौड़ा और मजबूत करना	25.11	12.555
9.	पानीपत-खटीमा-दरोट सड़क का निर्माण	92.77	46 385
10.	शीशगढ़-बहेड़ी सड़क का निर्माण	69.86	34.93
11.	रायबरेली मार्ग का सुधार (कुछ भाग)		
12.	लखनऊ-जगदीशपुर-मुसाफिरखाना-रायबरेली मार्ग का सुधार	200.00	100.00
13.	शाहबाद-रामपुर सड़क पर शाहबाद के निकट रामगंगा नदी पर पुल	342.00	171.00
14.	रायबरेली में रिंग रोड	326.00	163.00
	कुल :	1274.10	637.05

नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा साऊथ एवेन्यू क्षेत्र में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डिस्पेंसरियां खोलना

*827. **श्री निहाल सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साऊथ एवेन्यू क्षेत्र में नई दिल्ली नगरपालिका की कोई डिस्पेंसरी नहीं है और यदि हां, तो क्या वहां एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खोलने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या नई दिल्ली नगरपालिका का दो आयुर्वेदिक और एक होम्योपैथिक डिस्पेंसरी खोलने का प्रस्ताव था, और यदि हां, तो इन डिस्पेंसरियों के अभी तक न खोले जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या नई दिल्ली नगरपालिका के अपने एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयों के स्टोर हैं परन्तु होम्योपैथिक दवाओं का स्टोर नहीं है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) साऊथ एवेन्यू क्षेत्र में नई दिल्ली नगर पालिका का कोई आयुर्वेदिक औषधालय नहीं है। नई दिल्ली नगर पालिका के अनुसार औरंगजेब लेन पर स्थित उनके आयुर्वेदिक औषधालय के अधीन साऊथ एवेन्यू क्षेत्र भी आता है।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा दो आयुर्वेदिक औषधालय खोले गये हैं जिनमें एक नई दिल्ली नगर पालिका टाऊन हाल और दूसरे नेताजी नगर मार्किट में है। नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा शहीद भगत सिंह मार्ग पर पालिक्लीनिक कम्पलेक्स में एक होम्योपैथिक औषधालय खोला गया है।

(ग) होम्योपैथिक दवाओं के लिए नई दिल्ली नगर पालिका का ऐसा कोई अलग स्टोर नहीं है, लेकिन नई दिल्ली नगर पालिका के टाऊन हाल भवन के एक कमरे को ट्रांजिट स्टोर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और होम्योपैथिक दवाओं की मात्रा और उनकी कीमत अपेक्षाकृत कम होती है।

पूर्व रेलवे में विद्युतीकरण और डीजल इंजनों से गाड़ियां चलाने के कारण फालतू हुए लोको-कर्मचारी

*831. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती**
श्री मतिलाल हसदा } : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे में कुछ सेक्शनों पर विद्युतीकरण और डीजल इंजनों से गाड़ियां चलाने के कारण सियालदह डिवीजन में विभिन्न श्रेणियों के लोको-कर्मचारी फालतू हो गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) रेलवे के स्थायी, अस्थाई और नैमित्तिक सभी प्रकार के ऐसे कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) हाल ही में कर्षण प्रणाली में परिवर्तन के कारण सियालदह मंडल में कुछ भाप रेल इंजन कर्मचारी फालतू हो गये थे ।

(ख) लगभग एक सौ ।

(ग) स्थायी तथा अस्थायी फालतू कर्मचारियों को डीजल कर्षण में अथवा यांत्रिक विभाग के अन्य स्कंधों में रिक्त स्थानों पर पुन: तैनात कर दिया गया है ।

ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में परिवार नियोजन संबंधी उपाय

*832. **श्री अमर सिंह राठवा** } **श्री लक्ष्मण मलिक** } क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में परिवार नियोजन संबंधी उपाय सफल नहीं हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इन क्षेत्रों में इन्हें सफल बनाने के लिये वर्ष 1984-85 के दौरान क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्य में लगातार सुधार हुआ है । इसमें और सुधार लाने के लिए प्रेरणा-कार्यों और सेवा-सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है ।

राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर विचार-विमर्श के लिए गुट-निरपेक्ष आंदोलन देशों की शासनाध्यक्ष स्तरीय बैठक

*833. **श्री बी०वी० देसाई :** क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, गुट-निरपेक्ष देशों का अध्यक्ष होने के नाते, विश्व में व्याप्त महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर शासनाध्यक्ष स्तर की एक और बैठक आयोजित करने के बारे में विचार जानने के लिए अनेक राज्याध्यक्षों और सरकारों से संपर्क बनाये हुए है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने शासनाध्यक्षों के विचार प्राप्त कर लिए हैं;

(ग) यदि हां, तो इनकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या इस प्रकार के शिखर सम्मेलन का

आयोजन करने के लिए कोई अंतिम तिथि निर्धारित की गई है; और

(घ) शिखर सम्मेलन में किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा ?

विदेश मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) से (घ) न्यूयार्क में 27 और 29 सितंबर, 1983 को प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में हुए शिखर स्तरीय अनौपचारिक सलाह-मशविरे के बाद प्रधान मन्त्री ने इस सलाह-मशविरे में शामिल सभी देशों तथा अन्य गुट-निरपेक्ष सदस्य देशों के नेताओं को पत्र लिखकर उनसे ये सुझाव मांगे कि न्यूयार्क वार्ता से जो वातावरण बना है, उसे कायम रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। बहुत से नेताओं ने प्रधान मन्त्री के पत्र के उत्तर में इस सम्बन्ध में अपने सुझाव दिए हैं। इन सुझावों पर अब विचार किया जा रहा है। तथापि, गुट-निरपेक्ष आंदोलन के तत्वावधान में शिखरस्तरीय विचार-विमर्श का एक और दौर आयोजित करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव इस समय सामने नहीं है।

ब्राजील के विदेश मंत्री का दौरा

*834. **श्री रामकृष्ण मोरे** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्राजील के विदेश मन्त्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने व्यापारिक औ वाणिज्यिक सम्बन्धों में वृद्धि के लिए भारत का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम रहा ?

विदेश मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) इस यात्रा के अवसर पर जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्य की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०—8255/84]

"जानवा" द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट सिक्किम को एक अलग देश दिखाना

*835 **श्री भीम सिंह**
श्री रवीन्द्र वर्मा } क्या विदेश मन्त्री चीन द्वारा सिक्किम को एक देश के रूप में उल्लिखित करने के बारे में 17 नवम्बर, 1933 के अतारांकित प्रश्न संख्या 578 के उत्तर क सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन से विरोध-पत्र का उत्तर मिल गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उत्तर प्राप्ति के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) चीन का उत्तर सिक्किम के सम्बन्ध में उसकी सुविदित स्थिति के अनुसार ही था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अमेरिका के डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी का दक्षिण एशिया के देशों का दौरा

*836. **श्री आनन्द सिंह** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका के डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी आफ स्टेट श्री हावर्ड शेफर ने फरवरी-मार्च 1984 में भारत सहित दक्षिण एशिया के देशों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने कौन-कौन से देशों का दौरा किया; और

(ग) उनके दौरे का उद्देश्य क्या था और उनकी भारत में हुई बात-चीत के क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) श्री शेफर ने भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान की यात्रा की।

(ग) श्री शेफर ने दक्षिण एशिया की यात्रा की और ढाका में 24 से 27 फरवरी, 1984 तक आयोजित अमरीकी राजदूतों की क्षेत्रीय बैठक में भाग लिया। अपनी भारत यात्रा के दौरान श्री शेफर ने भारत सरकार के कई अधिकारियों के साथ शिष्टाचार के नाते मुलाकात की। उनकी इस यात्रा के दौरान आपसी हित के मामलों पर विचार-विमर्श किया गया।

रेलवे द्वारा मालदा डिवीजन में आरम्भ की गई परियोजनाएं

*837. **श्री अमल दत्त** : क्या रेल मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा मालदा जिले में अथवा इससे सम्बन्धित कितनी परियोजनाएं आरंभ की गई हैं, उनके नाम क्या हैं, तथा प्रत्येक की अनुमानित लागत सहित अन्य विवरण क्या हैं और प्रत्येक परियोजना पर अब तक कितना व्यय किया गया है; और

(ख) इस प्रकार की प्रत्येक परियोजना को आरम्भ करने के क्या कारण हैं और किस आधार पर उन्हें प्राथमिकता दी गई है ?

रेल मंत्री (श्री ए०बी०ए० गनी खां चौधरी) : (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल के मालदा जिले में 1979-80 से शुरू होने वाले अब तक के चालू और निर्माणाधीन कामों में पूर्वोत्तर राज्यों के

लिए अनिवार्य वस्तुओं की ढुलाई हेतु क्षमता में वृद्धि करने के लिए भीड़-भाड़ वाले चामग्राम-न्यू बोंगाई-गांव मार्ग पर अतिरिक्त यातायात की सुविधाओं की व्यवस्था, भाप रेल इंजनों के अनिवार्य रूप से उतरोत्तर डीजलीकरण और बदलाव करके एक पुराने भाप रेल इंजन शेड को डीजल इंजन में बदलना, सेवाओं को बेहतर बनाने और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सवारी डिब्बों की अनुरक्षण सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार, मालदा स्टेशन यार्ड के चामग्राम छोर पर एक ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था, इकलाखी से बालूरघाट के सीमावर्ती शहर तक एक नयी लाइन का निर्माण, पूर्व और पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों के लिए एक सिगनल एवं दूर संचार प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना करना, रेल कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से आवास और अस्पताल सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था के साथ-साथ मण्डल मुख्यालय की स्थापना, शामिल है।

इन परियोजनाओं को शुरू करने का मुख्य कारण भीड़-भाड़ वाले फरक्का-न्यू जलपाई-गुड़ी मार्ग के आर-पार गाड़ियों के संचलन के लिए रेलपथ क्षमता में सुधार करना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की आवश्यकताओं को लम्बे समय से अनदेखा किया जा रहा है और इस की अब और अनदेखी नहीं की जा सकती। इस क्षेत्र की मांगों को राष्ट्रीय वरीयता के रूप में पूरा किया जाना है और सेवाओं के बेहतर परिचालन के लिए अतिरिक्त रेल सुविधाओं का सृजन किया जाना है। खाद्यान्न और अन्य अनिवार्य वस्तुओं की असम और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ढुलाई, फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन जैसे अवसंरचनात्मक विकास, मालदा में 400 कि०वा० के सब-स्टेशन सहित चुखा जल विद्युत परियोजना, मालदा आदि में भारतीय तेल निगम डिपो तथा यात्री सेवाओं के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं, जिनके लिए काफी समय से मांग की जा रही थी इन सभी कारणों ने मालदा और उस के आस-पास के इलाकों में अतिरिक्त सुविधाओं के सृजन को अनिवार्य बना दिया है। जबकि 1972-73 में मालदा जिले से होकर प्रत्येक मार्ग के लिए सवारी गाड़ियों सहित केवल 13 गाड़ियां चलती थीं, 1983-84 मे प्रत्येक मार्ग के लिए कुल 19 गाड़ियां चल रही हैं और यह आशा की जाती है कि 1987-88 तक प्रत्येक मार्ग की दैनिक गाड़ियों की संख्या बढ़कर 22 हो जाएगी। इन बढ़ती हुई मांगों के अनुरूप वहां रेलों द्वारा अतिरिक्त सुविधाओं का सृजन किया जा रहा है। परिचालन के हित में तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र की सर्वोपरि आवश्यकता को ध्यान में रखकर और असम के मुख्य मन्त्री द्वारा यथा प्रस्तावित केवल सात पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक पूर्ण रेलवे जोन गठित करने की वर्तमान विचारधारा को ध्यान में रखकर भी बोझिल हावड़ा मण्डल के विभाजन हेतु मालदा में एक मण्डल कार्यालय बनाने के लिए प्रशासनिक कारंबाई शुरू कर दी गयी है। प्रमुख परियोजनाओं में अन्तर्निहित लागत नीचे दी गयी है :

	(करोड़ रुपयों में)
(क) इकलाखी-बालूरघाट नयी लाइन	36.38
(ख) चामग्राम-न्यू जलपाईगुड़ी-न्यू बोंगाईगांव के बीच यातायात सुविधाएं	7.94

(ग)	डीजल लोको शेड	5.76
(घ)	छात्रावास सहित सिगनल एवं दूर संचार प्रशिक्षण स्कूल आदि	0.73
(ङ)	ऊपरी सड़क पुल	1.30
(च)	कोचिंग सुविधाएं	0.75
(छ)	क्वार्टरों की आवश्यकता तथा अस्पताल के विस्तार सहित मण्डल मुख्यालय की स्थापना	3.86
(ज)	विविध निर्माण (50 लाख रुपये से कम लागत वाले)	1.40

चूंकि मार्च, 1984 तक का वास्तविक अद्यतन खर्च अगस्त, 1984 तक लेखों के बन्द होने पर ही उपलब्ध होगा, इसलिए वास्तविक खर्च के आंकड़े केवल उसी समय प्राप्त हो सकते हैं।

जम्मू तवी और रामेश्वरम के बीच सीधी सुपरफास्ट रेलगाड़ी

*838. **श्री रामविलास पासवान :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तवी और रामेश्वरम के बीच सीधी सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो यह रेलगाड़ी कब से शुरू की जाएगी ?

रेल मंत्री (श्री ए०बी०ए० गनी खां चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जम्मू-तवी बड़ी लाइन पर और रामेश्वरम मीटर लाइन पर स्थित हैं और इस प्रकार इन दोनों स्थानों के बीच कोई सीधी गाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं है।

खड़गपुर-मिदनापुर सेक्शन का विद्युतीकरण

*839. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर-मिदनापुर सेक्शन के विद्युतीकरण के लिए उनके मत्रालय की योजना तथा कार्यक्रम क्या हैं ;

(ख) विद्युतीकरण का कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा और इसको कब पूरा किया जाएगा ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) खड़गपुर-मिदनापुर खंड के विद्युतीकरण को 1984-85 के निर्माण कार्यक्रम में अनुमोदित कर दिया गया है। संसाधन होते रहे तो यह कार्य इस वर्ष के भीतर पूरा हो जाने की संभावना है।

(ग) इस कार्य में 25 के०वी०, ए०सी० प्रणाली पर 13 कि०मी० लम्बे खंड का विद्युतीकरण शामिल है।

जयपुर डिवीजन में रेलवे के ठेकेदारों द्वारा ठेका श्रम नियमों का उल्लंघन करने के बारे में अभ्यावेदन

8856. **श्री नारायण चौबे :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी रेलवे के जयपुर डिवीजन के रेल प्राधिकारी को रेलवे के ठेकेदारों द्वारा ठेका श्रमिक नियमों का उल्लंघन किये जाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान महाप्रबन्धक को कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं तथा किन-किन संगठनों से ; और

(ग) जयपुर डिवीजन में ठेका श्रमिकों के संबंध में विद्यमान नियमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) एक गैर मान्यताप्राप्त पश्चिम रेलवे वर्क्स यूनियन, जयपुर से रेल प्रशासन को तीन अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

(ग) सम्बद्ध ठेकेदारों को ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम के प्रावधानों तथा नियमों का अनुपालन करने के लिए रेल प्रशासन द्वारा आवश्यक अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।

जयपुर डिवीजन में कार्य कर रहे स्थानापन्न कर्मचारी

8857. **श्री नारायण चौबे :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के जयपुर डिवीजन में विभागवार कितने स्थानापन्न कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ;

(ख) इनमें से कितने स्थानापन्न कर्मचारी दो वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं (समय-समय पर कार्य किया हो भले ही लगातार कार्य न किया हो) ; और

(ग) उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए अधिकारियों का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) पश्चिम रेलवे के जयपुर मण्डल में कार्य कर रहे एवजियों की विभाग-वार संख्या नीचे दी गयी है :

विभाग	संख्या
मंडल कार्यालय	18
स्कूल	8
चिकित्सा	23
इंजीनियरी	197
सिगनल	29
बिजली	28
यातायात	522
यांत्रिक विभाग	623
जोड़ :	1448

(ख) 1186।

(ग) एवजियों की सम्यक रूप से स्क्रीनिंग करके उन्हें समाहित कर लिया जाता है लेकिन उनका समाहित किया जाना अन्य बातों के साथ-साथ रिक्तियों की उपलब्धता और उनकी सेवा अवधि पर भी निर्भर करता है।

असिस्टेंट लेबर कमिश्नर (सी) धनबाद की रिपोर्ट

8858. **श्री ई० के० राय :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 6 जनवरी, 1984 औद्योगिक विवाद के निपटान में असफल होने पर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, धनबाद द्वारा लेबर सेक्रेटरी को भेजी गई रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया गया है जिनकी प्रतिलिपियां डिवीजनल रेलवे मेनेजर को भेजी गयी है जिसमें औद्योगिक विवादों के निपटाने में रेलवे प्रबन्धकों की लगातार अनुपस्थिति का उल्लेख किया गया है, यदि हां तो इस बारे में तथ्य क्या हैं ;

(ख) इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां। सहायक श्रम आयुक्त, धनबाद की रिपोर्ट की एक प्रति 6-1-1984 को प्राप्त हुई है।

(ख) और (ग) आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोशिएशन धनबाद मण्डल ने अपने दो सदस्यों के स्थानान्तरण के संबंध में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत अक्तूबर, 1983 में एक विवाद उठाया था। सहायक श्रम आयुक्त (सी) धनबाद ने समझौते की कार्यवाही की थी। आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोशिएशन एक गैर-मान्यता प्राप्त कोटि-वार एसोशिएशन है और मौजूदा नीति के अनुसार कोई सीधी वार्ता करने की हकदार नहीं है। सहायक श्रम आयुक्त (सी), धनबाद द्वारा मांगे गये संदर्भाधीन मामले के तथ्य पूर्व रेल प्रशासन द्वारा उन्हें भेज दिए गए थे और मामला पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया था।

दक्षिण पूर्व रेलवे की खड़कपुर डिवीजन बस्ता तथा अमरदा रेलवे स्टेशन पर रेल गाड़ियों को रोकने की व्यवस्था करना

8859. **श्री चिंतामणि जैना :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे की खड़गपुर डिवीजन में 45/46 ईष्ट कोस्ट एक्सप्रेस 9/10 श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस रेल गाड़ियों को दस्ता रेलवे हटेलन और 37/38 जनता एक्सप्रेस गाड़ियों को अमरदा रोड रेलवे स्टेशन पर रोकने की व्यवस्था करने के लिए तथा वहां से निर्वाचित संसद सदस्यों द्वारा कई अभ्यावेदन किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं और किस अवधि तक इन रेलवे स्टेशनों पर इन रेलगाड़ियों के रुकने की व्यवस्था कर दी जायेगी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जफर शरीफ) : (क) जी, हाँ।

(ख) इस मांग की जांच की गयी है लेकिन इसे वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

उड़ीसा में, विशेष रूप से भद्रक में नीलांचल एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रोकने की व्यवस्था

8860. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा राज्य में, विशेष रूप से महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों

जैसे भद्रक में नीलांचन एक्सप्रेस रेलगाड़ी के और अधिक स्थानों पर रोकने की व्यवस्था करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में रेल प्रयोक्ताओं की मांगें पूरी करने हेतु क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) भद्रक छः जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियों सहित 10 जोड़ी गाड़ियों द्वारा सेवित है। भद्रक से दिल्ली/पुरी की ओर यात्रा करने के इच्छुक यात्री उत्कल तथा कालिंग एक्सप्रेस उनमें से जो दिल्ली और पुरी के बीच दैनिक सेवा के रूप में चलती है, द्वारा यात्रा कर सकते हैं ।

मनखुर्द बेलापुर लाइन के लिए आबंटन

8861. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के लिए (एक दिनांक 9 जून, 1983 को मनखुर्द बम्बई लोकल रेल प्रणाली के अन्तर्गत मनखुर्द और बेलापुर को जोड़ने संबंधी तथा (दो) पश्चिम रेलवे के अन्धेरी आन्दरा सेक्शन पर सतही लाइनों की एक अतिरिक्त जोड़ी की व्यवस्था करने संबंधी परियोजनाओं के लिए कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गई है ;

(ख) इन दो परियोजनाओं से सम्बन्धित कार्य का ब्यौरा क्या है, तथा इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है ;

(ग) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी तथा कार्यक्रमानुसार इन्हें किन-किन चरणों में पूरा करने का विचार किया गया है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) 1984-85 के लिए किया गया आबंटन इस प्रकार है :

1. मानखुर्द-बेलापुर	75 लाख रुपये
2. बांद्रा-अंधेरी	75 लाख रुपये

(ख) (1) **मानखुर्द-बेलापुर**—यह परियोजना 17.96 कि०मी० लम्बे एक जोड़ी रेल पथ ताथ थार्पेक्रीक पर 2 कि० मी० लम्बे महत्वपूर्ण पुल के निर्माण से सम्बन्धित है । इसके अतिरिक्त, एक बड़े पुल तथा 21 छोटे पुलों का भी निर्माण किया जाना है । 1980 के मूल्य स्तर पर इस परियोजना पर 75.74 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है ।

(2) **बांद्रा-अंधेरी**—यह परियोजना 5.66 कि०मी० लम्बे एक जोड़ी रेल पथ तथा रावती जंक्शन पर एक फ्लाई-ओवर के निर्माण से सम्बन्धित है । 1980 के मूल्य स्तर पर परियोजना की अनुमानित लागत 46.61 करोड़ रुपये है ।

(ग) (1) **मानखुर्द-बेलापुर**—परियोजना को एक चरण में शुरू करने तथा 6-7 वर्षों में पूरा करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि पर्याप्त धन उपलब्ध हो और राज्य सरकार द्वारा समय से भूमि का अधिग्रहण कर दिया जाये।

(2) **बांद्रा-अंधेरी**—परियोजना को एक चरण में शुरू करने तथा 5-6 वर्षों में पूरा करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि पर्याप्त धन उपलब्ध हो और राज्य सरकार द्वारा समय से भूमि का अधिग्रहण कर दिया जाये।

बोंडामुंडा स्थित विद्यालय के मुख्याध्यापक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कथित आरोप

8862. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे मिक्सड हाई स्कूल बोंडामुंडा और इसके भूतपूर्व मुख्याध्यापक के विरुद्ध भ्रष्टाचार और धांधली करने के अनेक आरोप हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि महाप्रबंधक दक्षिण रेलवे, मध्यक्ष, रेलवे बोर्ड और उनका ध्यान उक्त आरोपों की ओर दिलाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) दक्षिण पूर्व रेलवे के मिक्सड हाई स्कूल बोंडामुंडा के वर्तमान मुख्याध्यापक के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें विद्यार्थियों से गैरकानूनी ढंग से धन इकट्ठा करने, अध्यापकों को परेशान करने तथा क्वार्टरों को किराये पर देने आदि के आरोप लगाये गये हैं। इन आरोपों की रेलवे के सतर्कता संगठन द्वारा जांच की जा रही है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भी सरकारी धन के दुर्विनियोग के आरोप में स्कूल के एक भूतपूर्व मुख्याध्यापक के विरुद्ध अलग से एक मामला दर्ज किया है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निष्कर्षों के आधार पर उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई की जायेगी।

अनधिकृत रूप में जीवन रक्षक औषधियों का निर्माण

8863. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन रक्षक औषधियों का अनधिकृत रूप से निर्माण किया जा रहा है और उन्हें खुले बाजार में बेचा जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनधिकृत रूप से निर्माण की जाने वाली और खुले बाजार में बेची जा रही औषधियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कृत्रिम अंग निर्माण निगम के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता

8864. **श्री सत्य साधन चक्रवती :** क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर के प्रबन्धकों ने अपने कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की तरह अन्तरिम सहायता प्रदान करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर, वेतनमानों/महंगाई भत्ते आदि के मामले में वेतन आयोग की सिफारिशों का अनुसरण करता है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी०के० थुंगन) (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) 1 जून, 1983 से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को स्वीकृत अन्तरिम सहायता चतुर्थ वेतन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने तक केन्द्रीय सरकार और राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदात्री समिति) के स्टाफ के बीच हुए समझौते का ही एक भाग है। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी चतुर्थ वेतन आयोग के सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते और केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू आदेशों के आधार पर ही सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने का प्रश्न पैदा नहीं हो सकता। अन्तरिम सहायता मंहगाई भत्ते के समझौते का भाग नहीं है। अत: सरकार ने एलिमको के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देना स्वीकार नहीं किया है।

(घ) निगम अब तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतनमानों और मंहगाई भत्ते का ही अनुसरण करता रहा है, परन्तु निगम के वेतनमान, मंहगाई भत्ते इत्यादि चतुर्थ वेतन आयोग के सीमा-क्षेत्र में नहीं आते हैं।

मानवीय अधिकार पैनल द्वारा सिक्किम की स्थिति के संबंध में मामला उठाना

8865. **श्री लक्ष्मण मलिक**
श्री अर्जुन सेठी } : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवीय अधिकार समिति ने सिक्किम जिसका वर्ष 1975 में भारतीय राज्य के रूप में विलय हुआ था, की स्थिति के सम्बन्ध में कुछ आपत्तियां उठाई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ से स्पष्ट रूप से कहा है कि सिक्किम भारत का अंग है और उक्त मंच में इससे सम्बन्धित मामलों के उठाये जाने के कोई कारण नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०ए० रहीम) : (क) सिविल और राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, जिसमें भारत 1979 में शामिल हुआ था, की धारा 40 के अधीन भारत की प्रारंभिक रिपोर्ट पर विचार करते समय मानवाधिकार समिति के एक सदस्य ने सिक्किम को संविधान की राज्य सूची में दिखाए जाने के सम्बन्ध में सूचना मांगी थी। उसने इस परिवर्तन के संवैधानिक आधार के सम्बन्ध में और सिक्किम की जनता के आत्म-निर्णय के अधिकार के सम्बन्ध में भी स्पष्टीकरण मांगा।

(ख) और (ख) जी हां। भारतीय प्रतिनिधि, भारत के महान्यायवादी ने बलपूर्वक कहा कि भारत राज्यों का संघ है जिनमें सिक्किम भी शामिल है जैसा कि हमारे संविधान की प्रथम अनुसूची से स्पष्ट है। उन्होंने यह भी कहा कि जब भारत सिविल और राजनीतिक अधिकारों से सम्बन्धित प्रसंविदा में शामिल हुआ था तब भी यह स्थिति थी और भारत की रिपोर्ट पर विचार के संदर्भ में इस तरह की पृच्छा संगत नहीं है।

उड़ीसा में जनसंख्या में वृद्धि

8866. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान जनसंख्या में वृद्धि की दर क्या थी और इसका ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : नमूना पंजीयन योजना के आधार पर उड़ीसा में वर्ष 1980-1982 (नवीनतम उपलब्ध) में ग्रामीण और शहरों में जन्म और मृत्यु दरों के अन्तर से प्राप्त सहज वृद्धि दर नीचे दी गई है :

वर्ष	उड़ीसा में सहज वृद्धि दर		
	ग्रामीण	शहरी	योग
1980	1.70 प्रतिशत	2.12 प्रतिशत	1.73 प्रतिशत
1981	1.99 प्रतिशत	2.14 प्रतिशत	2.00 प्रतिशत
1982	2 01 प्रतिशत	2.29 प्रतिशत	2.04 प्रतिशत

*अनन्तिम

हरदोई में सड़क ऊपरिपुल का निर्माण

8867. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यातायात के आवागमन सम्बन्धी कठिनाई और हरदोई की जनता की असुविधा को दूर करने के लिए हरदोई (यू०पी०) में लखनऊ-दिल्ली मुख्य रेल मार्ग पर एक सड़क ऊपरिपुल का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो पुल का निर्माण कार्य कब तक आरंभ कर दिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो हरदोई से आने-जाने वाले लोगों की कठिनाई की उपेक्षा किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मौजूदा व्यस्त समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण कार्य राज्य सरकारों के साथ लागत भागीदारी के आधार पर संयुक्त रूप से लिया जाता है और प्रस्ताव राज्य सरकारों/सड़क प्राधिकारियों द्वारा प्रयोजित किये जाने होते हैं तथा उन्हें अपनी लागत वहन करने का वचन देना होता है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा हरदोई के निकट ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किया गया है।

विदेशों से वापस भेजे गए भारतीय उत्प्रवासी श्रमिकों की संख्या में वृद्धि

8868. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों से वापस भेजे गये भारतीय उत्प्रवासी श्रमिकों की संख्या बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या सम्बन्धी वर्ष-वार, देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय श्रमिकों के विदेशों से अधिक संख्या में निकाले जाने के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०ए० रहीम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

स्वतंत्रता सेनानियों की परिचय पुस्तक का प्रकाशन

8869. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों का एक परिचय-पुस्तक ("हू इज हू") प्रकाशित करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) अब तक इस दिशा में क्या कार्रवाई की गई है और इस वर्ष उसको तेजी से पूरा करने के लिए योजना का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और सस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) यह परियोजना "भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास" और "भारतीय शहीदों का परिचय" की पूरक थी, जिसे पूरा किया जा चुका है। 1960 में संघ सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों को इस परियोजना को निष्ठापूर्वक आरंभ करने के लिए सलाह दी गई थी। अनेक राज्य सरकारें, जैसे पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, और दिल्ली आदि ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिचय के कुछ खण्ड प्रकाशित किये हैं।

कोयले की ढुलाई के दौरान चोरी से हुई हानि

8870. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कभी कोयला मुहानों से विभिन्न गंतव्य स्थानों को कोयले की ढुलाई के दौरान चोरी से होने वाले नुकसान का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं; और

(ग) इस प्रकार के नुकसान को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं और कोयले की इस प्रकार की चोरी में रेल कर्मचारियों और रेलवे सुरक्षा बल किस सीमा तक शामिल हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी, हां। 1980-81 से 1983-84 तक (सितम्बर 83 तक) की अवधि के दौरान परिवहन में हुई रेलवे कोयले की हानि नीचे दी गयी है :

वर्ष	परिवहन में हुई हानि की मात्रा (लाख टन में)	हानि का प्रतिशत
1980-81	3.45	2.9%
1981-82	4.08	3.9%
1982-83	4.80	4.7%
1983-84	2.55	5.4%

(ग) इस प्रकार की हानि की रोकथाम करने के लिए निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं :

1. कोयले की चोरी के मामलों को रोकने/पता लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को तैनात किया जाता है ।

2. अपराधियों को पकड़ने और चुराये गये कोयले को बरामद करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा छापे मारे जाते हैं ।

3. चुरायी गयी सम्पत्ति के प्रापकों के बारे में अपराध आसूचना इकट्ठी करने और उनके ठिकानों पर छापे मारने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को सादा कपड़ों में तैनात किया जाता है ।

4. भेद्य खंडों में कोयले के रेकों के साथ मार्ग रक्षियों को भी भेजा जाता है ।

5. प्रारम्भिक/लदान और यानान्तरण स्थलों पर कम लदान का पता लगाने के लिए अचानक जांच की जाती है ।

पिछले चार वर्षों के दौरान कोयले की चोरी के कारण निम्नलिखित रेल कर्मचारियों और रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों को गिरफ्तार किया गया था :

वर्ष	रेल कर्मचारी	रेलवे सुरक्षा बल के कर्मी
1981	439	11
1982	445	8
1983	361	7
1984 (फरवरी तक)	63	—

दिल्ली परिवहन निगम की समय सारणी

8871. **श्री सनत कुमार मण्डल : क्या नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम की समय-सारणी अथवा मार्ग-दर्शिका निर्देशिका पिछली बार कब प्रकाशित हुई थी ;

(ख) उसका अगला संस्करण कब प्रकाशित किये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि वर्तमान अनेक मार्गों और समय-समय पर शुरू किये जा रहे नये मार्गों को ध्यान में रखते हुए, उपलब्ध बसों के मार्गों और समय के संबंध में किसी संक्षिप्त पुस्तिका के अभाव में दैनिक यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) यह समय सारणी। "रूट गाइड" के रूप में पिछली बार नवम्बर, 1982 में प्रकाशित की गई थी।

(ख) और (ग) शहर में बसों के रूटों को युक्तियुक्त बनाने के बारे में दिल्ली परिवहन निगम के प्रस्तावित कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर जब तक इन रूटों का नक्शा अंतिम रूप से तैयार नहीं कर दिया जाता तब तक इस रूट गाइड मैप को फिर से प्रकाशित करना उचित नहीं समझा गया है। तथापि यात्रियों की सूचना के लिए नए रूटों के बारे में या मौजूदा रूटों में किसी भी प्रकार के संशोधन के बारे में सूचना सामान्यत: समाचार-पत्रों के माध्यम से दे दी जाती है।

सिगरेट की तुलना में बीड़ी पीना अधिक हानिकारक

8872. **श्री नवीन रावणी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ, के क्षय रोग विभाग के प्रोफेसर (डा०) एम० एस० अग्निहोत्री के अनुसार सिगरेट की तुलना में बीड़ी का पीना अधिक हानिकारक है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लगभग 70 से 80 प्रतिशत धूम्रपान करने वाले व्यक्ति विशेषकर कमजोर वर्ग के लोग बीड़ी ही पीते हैं ; और

(ग) धूम्रपान के नुकसान के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) सरकार को इस बात की जानकारी है कि बीड़ी अधिक हानिकारक होती है क्योंकि इसमें तार और निकोटीन की अधिक प्रतिशतता होती है जिसमें कैंसर पैदा करने वाले तत्व होते हैं। बीड़ी पीने वालों के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। वैसे 1977-78 के दौरान 32वें दौर में उपभोक्ता व्यय के एक भाग के रूप में किए गये सर्वेक्षण से यह अनुमान लगाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के सभी वर्गों के लोगों में बीड़ी की खपत लगभग 46 प्रतिशत थी जबकि शहरी क्षेत्रों में यह खपत 33 प्रतिशत थी।

धूम्रपान के खतरों के बारे में प्रकाशनों, पत्रिकाओं, रेडियो, दूरदर्शन और फिल्मों के जरिए जन स्वास्थ्य शिक्षा प्रचार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कैंसर अनुसंधान और उपचार कार्यक्रम के तहत खोले गए और सरकारी अनुदान प्राप्त कर रहे नौ क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र और शुरू में ही कैंसर का पता लगाने वाले 24 केन्द्र निकटवर्ती क्षेत्रों में धूम्रपान से होने वाली हानियों के बारे में समय-समय पर स्लाइड प्रोजेक्शनों, पर्चों और पोस्टरों का वितरण करके पर्याप्त शैक्षिक कार्यक्रम चला रहे हैं।

केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड की 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकों में धूम्रपान के कारण स्वास्थ्य को होने वाली हानियों के बारे में अध्याय शामिल किए गए हैं।

धूम्रपान की हानियों के बारे में औद्योगिक प्रतिष्ठान और मजदूर संघ अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने में लगे हुए हैं।

बरहामपुर विश्वविद्यालय द्वारा इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी महाविद्यालयों के लिए विकास अनुदानों की सिफारिश

8873. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरहामपुर विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों के रूप में गैर-सरकारी प्रबंध के अंतर्गत इंजानियरिंग और प्रौद्योगिकी महाविद्यालयों के लिए विकास अनुदानों की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो उन महाविद्यालयों के नाम क्या हैं ;

(ग) इन संस्थानों को अनुदान मंजूर करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(घ) संस्थान ने कितने विकास अनुदान की मांग की है और अब तक कितना अनुदान दिया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) केन्द्रीय सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ऐसी कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चे

8874. **श्री निर्मल सिन्हा :** क्या **शिक्षा और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की राज्य-वार संख्या क्या है जिन्होंने वर्ष 1982 में प्राथमिक शिक्षा पूरी की है ; और

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के इसी आयु वर्ग के बच्चों की तुलना में इनका क्या अनुपात है जो वर्ष 1982 में प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाये ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के 6-11 वर्ष की आयु वर्ग के छात्रों का राज्य-वार नामांकन तथा 1978-79 के दौरान शिक्षा के प्राइमरी स्तर पर स्कूल छोड़ जाने वालों की प्रतिशतता, तथा 1981-82 के दौरान दाखिल छात्रों, जिनकी सूचना उपलब्ध है, को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । वर्ष 1979-80 से आगे पढ़ाई छोड़ जाने वालों की प्रतिशतता अभी उपलब्ध नहीं है ।

विवरण

(X) **1978-79** के लिए अ० जा०/अ० ज० जा० के छात्रों का नामांकन तथा स्कूल छोड़ जाने वालों की प्रतिशतता तथा 1981-82++के लिए उनका नामांकन।

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		1978-79 के दौरान 6-11 आयु वर्ग के छात्रों का नामांकन	1978-79 के दौरान प्राईमरी स्तर पर स्कूल छोड़ जाने वालों की प्रतिशतता	1981-82 के दौरान 6-11 आयु वर्ग के छात्रों का नामांकन	1978-79 के दौरान 6-11 आयु वर्ग के छात्रों का नामांकन	1978-79 के दौरान प्राईमरी स्तर पर स्कूल छोड़ जाने वालों की प्रतिशतता	1981-82 के दौरान 6-11 आयु वर्ग के छात्रों का नामांकन
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	8,86,190	65.2	10,56,427	2,28,702	72.0	2,89,145
2.	असम	1,82,154	66.6	1,71,574	2,67,479	82.5	2,68,286
3.	बिहार	6,58,855	66.6	7,32,443	5,93,310	77.3	5,99,288
4.	गुजरात	3,50,804	53.9	3,96,500	5,25,872	62.9	5,90,500
5.	हरियाणा	1,67,255	40.5	2,01,545	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	हिमाचल प्रदेश	99,088	30.5	1,28,646	16,344	36.6	18,598
7.	जम्मू और काश्मीर	38,943	53.3	47,562	—	—	—
8.	कर्नाटक	5,53,718	66.5	4,77,207	87,932	29.4	67,081
9.	केरल	3,56,787	9.2	3,72,148	23,539	30.8	28,992
10.	मध्य प्रदेश	5,46,417	61.6	6,75,967	6,38,184	77.9	8,17,615
11.	महाराष्ट्र	10,52,798	54.1	11,51,000	4,46,151	76.4	5,15,000
12.	मणिपुर	3,293	88.9	4,880	70,369	84.9	74,530
13.	मेघालय	1,492	66.2	1,600*	1,77,540	75.3	1,68,000*
14.	नागालैंड	—	—	—	1,23,528	62.5	1,21,378
15.	उड़ीसा	3,83,601	78.8	4,09,000	4,91,386	85.0	5,60,000
16.	पंजाब	6,03,186	53.0	5,95,320	—	—	—
17.	राजस्थान	3,22,875	71.8	4,28,000	2,17,402	77.9	2,80,000
18.	सिक्किम	2,183	उपलब्ध नहीं	2,766	8,564	—	10,879
19.	तमिलनाडु	12,41,880	41.8	13,36,380	30,242	51.9	34,673

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	त्रिपुरा	33,614	78.1	54,743	44,828	83.2	76,388
21.	उत्तर प्रदेश	16,07,055	72.2	19,63,120	19,390	45.7	27,827
22.	पश्चिम बंगाल	10,73,590	74.0	9,51,757	2,33,416	80.4	2,22,340
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	......	—	2,368	19 9	2,767
24.	अरुणाचल प्रदेश	400	उपलब्ध नहीं	103	40,068	81.9	48,443
25.	चण्डीगढ़	4,662	26.4	4,811	—	—	—
26.	दादर तथा नागर हवेली	501	65.6	447	10,731	88.1	11,780
27.	दिल्ली	1,49,640	42.9	1,63,630	115	—	115
28.	गोवा, दमन और दीप	2,706	54.6	3,166	1,279	73.9	1,570
29.	लक्षद्वीप	8	—	7	6,650	31.1	7,054
30.	मिजोरम	—	—	—	62,806	65.0	78,705
31.	पांडिचेरी	11,096	42.4	12,314	—	—	—
	भारत	1,03,34,791	62.1	1,13,43,063	43,74,195	76.8	49,20,954

* श्रेणी क, ख I, II तथा III।

संसाधन × अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की शिक्षा की प्रगति 1978-79।

++ चुनिदा शैक्षिक आंकड़े, 1981-82।

उन्माद और अवनमन का उपचार

8875. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 मार्च, 1984 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि डा० ए० वेंकोवा राव और उनकी पत्नी डा० (श्रीमती) पारवती देवी की टीम ने उन्माद और अवनमन के उपचार में एक नई क्रांति पैदा कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस उपचार के लाभ का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इसका प्रयोग अन्य रोगों में भी किया गया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) हां।

(ख) और (ग) लिथियम उपचार का पता डा० विनोभा राव द्वारा नहीं लगाया गया था बल्कि मनश्चिकित्सा में यह 30 से भी अधिक वर्षों से जाना जाता है। लगभग पिछले 15 वर्षों से भारत में मनश्चिकित्सकों द्वारा इसका प्रयोग किया गया है। इस उपचार का ब्यौरा इस विषय से संबंधित सभी मानक पाठ्य-पुस्तकों में है। इसका इस्तेमाल मुख्यत: बार-बार होने वाली एक किस्म की मानसिक बीमारी की रोकथाम के लिए एक औषधि के रूप में किया जाता है जिसे उन्माद अवसादी विक्षिप्ति कहा जाता है। इस इलाज को विश्वभर में मनश्चिकित्सा के क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण प्रगति समझा जाता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से मनश्चिकित्सा के रोगियों पर किया जाता है।

दिल्ली के विद्यार्थियों द्वारा वार्षिक परीक्षाओं के समय में परिवर्तन की मांग

8876. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के विद्यार्थियों द्वारा वार्षिक परीक्षाओं के समय में परिवर्तन की अपनी मांग को लेकर कुछ प्रदर्शन किए गए थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है और उन मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने एक अभ्यावेदन दिया

कि चूंकि विश्वविद्यालय 1 अगस्त, 1983 को फिर से खुला था और कुछ परीक्षाओं के परिणाम देर से घोषित किए गए थे इसलिये जो परीक्षाएं 27 मार्च, 1984 से शुरू होनी थी, उन्हें कम से कम 20 दिन के लिये स्थगित कर देना चाहिये। छात्र संघ के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद विश्वविद्यालय ने परीक्षाएं 10 दिन के लिये स्थगित कर दी।

नई रेलवे लाइनों के निर्माण कार्य को पूरा करने की योजना

8877. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने नई रेलवे लाइनों के निर्माण-कार्य को पूरा करने के लिए कोई योजना तैयार की है, जिन पर चालू योजना अवधि में कार्य हो रहा है तथा जिनका कार्य सातवीं पंचवर्षीय योजना तक चलने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो जोन-वार ऐसी नई रेलवे लाइनों का ब्यौरा क्या है, जिन पर कार्य चल रहा है तथा उनकी अनुमानित लागत और किलोमीटरों में लम्बाई का ब्यौरा क्या है तथा तत्संबंधी कार्य कब तक पूरा हो जायेगा या उनके लिए समय संबंधी क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ; और

(ग) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उच्चतम प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि इन्हें योजना-अवधि में पूरा कर लिया जाए ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) सभी अनुमोदित निर्माण कार्य उनके लिये अलग-अलग से धनराशि के आबंटन और संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप प्रगति पर है। चल रही सभी नई लाइन परियोजनाओं का एक विवरण संलग्न है।

(ग) चल रही परियाजनाओं का पूरा होना 7वीं पंचवर्षीय योजना में धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण

क्र० सं०	निर्माण कार्य	लम्बाई	अनुमानित लागत	लक्ष्य तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
मध्य रेलवे :					
1.	बसई रोड-दीवा	42	30.00	—	12-4-1983 को खोल दिया गया
2.	आप्ता-रोहा	62	21.54	चरण II नगोथम 1984-85	चरण I आप्ता-पेन (20.35 कि० मी०) 21-2-1983 को खोल दिया
3.	बानी-पिंपलकुट्टी चनाका	76	15.50	1954-85	पिंपलकुट्टी तक (67 कि० मी०)
4.	मथुरा-अलवर	119.75	34.75	—	
पूर्व रेलवे :					
5.	करैला रोड-जयन्त	35	23.55	1984-85	
6.	बजबज-नामखाना लक्ष्मी-कान्तपुर-कुलपी सहित	100.39	20.77	—	योजना आयोग से स्वीकृति नहीं मिली है।

1	2	3	4	5	6
7.	हबड़ा-शियाखला	17.4	7.00	1984-85	
8.	फरक्ता दराज पर उपसंरचना	—	4.00	—	पूरा हो गया है।
उत्तर रेलवे :					
9.	शाहदरा-सहारनपुर	157.8	34.38	—	14-11-1980 को खोल दिया गया
10.	रोहतक-भिवानी	49.30	7.94	—	3-6-1980 को खोल दिया गया
11.	नंगल डैम-तलवाड़ा और मुकेरियां तलवाड़ा	83.74	33.49	—	
	साइडिंग का अधिग्रहण	29.16			
12.	जम्मूतवी-ऊधमपुर	53.2	69.50	—	
13.	भटिंडा बाईपास	8.30	2.96	1985-86	
14.	कालका-परबानू	4.31	1.60	—	
15.	रीवां-सुल्तानपुर बरास्ता गढ़ी मानिकपुर	265.00	200.00	—	

1	2	3	4	5	6
पूर्वोत्तर रेलवे :					
16.	सकरी-हसनपुर	74.90	10.38	1985-86	
17.	रामपुर-न्यू हलद्वानी	88.66	26.80	—	
18.	बगहा-छितौनी पुन:स्थापन	28.41	23.59	—	बगहा बालमीकिनगर (9.13 कि० मी०) खोल दिया गया ।
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे :					
19.	गुवाहाटी-बर्नीहाट	26.70	18.50	—	
20.	धर्मनगर-कुमारघाट	33.00	29.59	1986	
21.	बालीपाड़ा-भालुक पोंग	35.46	9.97	1986	
22.	सिलचर-जीरीबाम	49.16	26.58	1987	
23.	जोगी घोपा में ब्रह्मपुत्र पर रेल एवं सड़क पुल का निर्माण तथा जोगीघोपा से गुवाहाटी तक बड़ी रेल लाइन	142.00	87.73	—	
24.	आमगुड़ी-तुली	14.65	5.83	1986	

1	2	3	4	5	6
25.	लालाबाजार-भैरवी	48.77	27.18	1986	
26.	इकलाखी-बालूरघाट	90.56	36.38	—	
दक्षिण रेलवे :					
27.	मंगलूर-हसन	189.21	51.63	—	खोल दिया गया
28.	तिरुनेलवेलि-तिरुवनन्तपुरम सेंट्रल, नागरकोइल-कन्याकुमारी सहित	160.00	38.60	—	यातायात के लिये खोल दिया गया
29.	एर्णाकुलम अल्लेप्पी	57.12	22.00	—	
30.	करुर-डिंडीगल-मनियाचि-तूतीकोरिन/तिरुनेलवेलि	324.47	68.69	—	
31.	चित्रदुर्ग-रायदुर्ग	100.00	20.20	—	
32.	अल्लेप्पी-कायाकुलम	43.80	11.10	—	
दक्षिण मध्य रेलवे :					
33.	वीवीनगर-नाडिकुडे	149.00	39.15	चरण II	चरण I वीवीनगर नालगोंडा (73.52 कि० मी०) खोल दिया गया

1	2	3	4	5	6
34.	भद्राचलम रोड-मावुगुरु	49.05	19.95	—	29-9-1983 को खोल दिया गया
35.	तेलापुर-पत्तनचेरि	8.31	3.44	1984-85	
36.	मानिकगढ़-चंदूर	26.60	9.26	1984-85	
37.	मोटुमारी-जगैयापेट	31.56	19.22	1986	
38.	अदिलाबाद-पिम्पलकुट्टी	20.93	8.39	—	
39.	पुराने माधवनगर को मुख्य लाइन पर लाना (पुनःस्थापन)	7.00	1.22	—	
40.	मिरज-सांगली (पुनःस्थापना)	7.77	1.36	—	
दक्षिण पूर्व रेलवे :					
41.	हावड़ा-अमता-चम्पाडांगा (चरण I संतरागाछि-बड़गछिया 23.00 कि०मी० ।	73.53	31.78	चरण I 1984-85	
42.	जखापुरा-वांसपानी चरण I जखापुरा-दैतारी चरण II जखापुरा-क्योंझरगढ़	176.00	75.00	चरण II निर्धारित नहीं किया गया है	चरण I मार्च 1981 में खोल दिया गया

1	2	3	4	5	6
43.	तालगढ़िया-तुपकाडीह	33.00	11.14	1984-85	
44.	गोरापुट-रायगडा (चरण I मचिलीगुडा तक 19.65 कि० मी०)	174.32	200.00	चरण I 1985	
45.	तालचेर-सम्बलपुर	171.38	46.39	—	
46.	तामलुक-दीघा	97.5	43.72	—	
पश्चिम रेलवे :					
47.	कपड़बंज-मोडासा	60.50	10.00	—	
48.	कोटा-चित्तौरगढ़-नीमच	221.76	94.00	—	
49.	भुज-नलिया	110.00	41.00	1986	

स्कूल जाने से पूर्व "केयर स्कीम" के अन्तर्गत शामिल किये गये बच्चे

8878. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्कूल-पूर्व बच्चों की संख्या क्या है जिन्हें राज्य-वार सरकार की "केयर स्कीम" के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का इस योजना के अन्तर्गत स्कूल-पूर्व सभी जरूरतमंद बच्चों को सम्मिलित करने का समयबद्ध कार्यक्रम है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) स्कूल-पूर्व बच्चों के पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभप्राप्तकर्ता 0-6 वर्ष के आयु-वर्ग के स्कूल-पूर्व बच्चों, दूध पिलाने वाली और गर्भवती माताओं के लिए केयर द्वारा खाद्य सामग्री की आपूर्ति की जाती है। इस सम्बन्ध में वर्ष 1983-84 के लिए लाभप्राप्तकर्ताओं का राज्य-वार आबंटन अनुबन्ध में दिया गया है।

(ख) और (ग) चूंकि केयर खाद्य सहायता की मात्रा सीमित है, इसलिए देश में सभी जरूरतमंद स्कूल-पूर्व बच्चों को केयर खाद्य सहायता नहीं दी जा सकती।

विवरण

लाभ प्राप्तकर्ताओं का राज्य-वार आबंटन—1983-84

राज्य	लाभप्राप्तकर्ता
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	2,95,700
2. बिहार	1,00,000
3. गुजरात	6,25,900
4. हरियाणा	34,900
5. कर्नाटक	3,87,000
6. केरल	9,18,000
7. मध्य प्रदेश	5,77,000
8. महाराष्ट्र	4,47,200

1	2
9. उड़ीसा	7,08,000
10. पंजाब	16,500
11. राजस्थान	2,42,200
12. तमिलनाडु	3,27,000
13. पांडिचेरी	60,600
14. उत्तर प्रदेश	2,80,000
15. पश्चिमी बंगाल	4,52,000

चौ-महला रेल स्टेशन पर आरक्षण सुविधा

8879. **श्री चतुर्भुज :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौ-महला रेल स्टेशन पर बम्बई और दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस गाड़ियों और सुपर फास्ट गाड़ियों में कितनी आरक्षित सीटें उपलब्ध हैं और इस स्टेशन से किन-किन स्थानों के लिए आरक्षण कराया जा सकता है;

(ख) क्या यह सच है कि आल इंडिया जैन समाज के पदाधिकारियों ने इस स्टेशन से चार सीटें आरक्षित करने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो क्या वह आल इंडिया जैन समाज एंड ट्रेडर्स ऐसोसिएशन की मांग पर विचार करेंगे और यदि हां, तो इस स्टेशन से चार सीटें आरक्षित किये जाने सम्बन्धी निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) चौ-महला स्टेशन से इन गाड़ियों में से किसी भी गाड़ी में आरक्षण कोटे की व्यावस्था नहीं की गयी है।

(ख) जी, हां।

(ग) 1.6.84 से 19 डाउन बम्बई-देहरादून एक्सप्रेस, 20 अप देहरादून-बम्बई एक्सप्रेस, 23 डाउन बम्बई-फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस और 4 अप फिरोजपुर-बम्बई जनता एक्सप्रेस गाड़ियों में परीक्षण के तौर पर 2 शायिकाओं के आरक्षण कोटे की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है।

रेल विभाग द्वारा बिजली घरों की स्थापना

8880. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे विभाग पिछले बहुत से वर्षों से अपने निजी बिजली केन्द्र स्थापित करने पर विचार कर रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे विभाग के निजी बिजली केन्द्र स्थापित किये जाने पर रेलगाड़ियों के विद्युतीकरण करने में काफी सीमा तक सहायता मिलेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी, हां। कुछ समय पहले इस पर विचार किया जा रहा था ताकि विद्युतीकृत खंडों के लिए नियमित बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके।

(ग) रेलों के अपने ही बिजली संयंत्र रखने के प्रस्ताव को इस आधार पर रद्द कर दिया गया है कि राज्य बिजली बोर्डों ने बिजली सप्लाई करने का आश्वासन दिया है।

आई०सी०एस०एस०आर० द्वारा अकादमिशियनों को आर्थिक सहायता दिया जाना

8881. **श्री राम प्रसाद अहिरवार**
श्री दयाराम शाक्य : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री गोष्ठियों में भाग लेने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय के फेकल्टी सदस्यों का विदेश जाना और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय अनुदान आयोग से अनुदान के बारे में 17 नवम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 557 और 18 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3979 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई०सी०एस०एस०आर० द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी गोष्ठियों/सम्मेलनों में भाग लेने के लिए जिन व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दी गयी है उनके नाम क्या हैं और उन गोष्ठिगों के नाम क्या हैं जिनमें उन्होंने भाग लिया;

(ख) उन अकादमिशियनों के नाम क्या हैं जिनके विदेशी गोष्ठियों/सम्मेलनों में शोध-पत्र प्रस्तुत करने के लिए आर्थिक सहायता सम्बन्धी आवेदन पत्र 1 नवम्बर, 1983 को लम्बित थे और उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनको नवम्बर और दिसम्बर, 1983 और जनवरी, 1984 के दौरान इस प्रकार की सहायता की व्यवस्था करने के लिए आई०सी०एस०एस०आर० की असमर्थता की सूचना दे दी गयी थी; और

(ग) इस प्रकार के प्रत्येक मामले में वित्तीय सहायता न दिए जाने के क्या कारण हैं

और क्या प्रत्येक व्तक्ति को कारणों की जानकारी दे दी गयी थी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) उन शिक्षविदों के नाम जिनके आवेदन 1 नवम्बर, 1983 तक लंबित पड़े हुए थे, विवरण-II में दिए हुए हैं। उन व्यक्तियों के नाम, जिनके आवेदन नवम्बर-दिसम्बर, 1983 तथा जनवरी, 1984 के दौरान परिषद द्वारा स्वीकार नहीं किये जा सके, विवरण-III में दिए गए हैं।

(ग) विवरण-III के पहले चार मामलों के आवेदन शैक्षिक आधार पर अस्वीकार किये गये थे। क्रम संख्या 5 का मामला परिषद् के क्षेत्र में नहीं आता। क्रम संख्या 6 का मामला परिषद् को बहुत देर से प्राप्त हुआ था, अतः इस पर कार्रवाई नहीं की जा सकी।

जब सहायता के लिए अनुरोधों को शैक्षिक आधार पर स्वीकार नहीं किया जाता है तो परिषद् द्वारा आवेदकों को अस्वीकृति के कारण बताए नहीं जाते।

विवरण-I

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/सेमिनारों में भाग लेने के लिए भारतीय विद्वानों को दी गई वित्तीय सहायता

अध्येता का नाम	जिस सेमिनार/सम्मेलन के लिए वित्तीय सहायता दी गई।
1	2
1981-82	
1. प्रो० मार्ग्रेट चैट्टर्जी, अध्यक्ष, दर्शन शास्त्र विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय।	अंतर्राष्ट्रीय मेटाफिजिक्स सोसाइटी सम्मेलन नैरोबी, केन्या।
2. प्रो० आर०एन० श्रीवास्तव, प्रो० भाषा-विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।	नेपाल भाषा-विज्ञान सोसाइटी वार्षिक सम्नेलन, काठमाडू।

1	2
3. डा० (श्रीमती) मीरा वर्मा, रीडर, मनोविज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद ।	"शिशु एवं किशोर विकास" पर दूसरी एशियाई कार्यशाला बैंगकाक, थाईलैंड ।
4. डा० (श्रीमती) मीनाक्षी सक्सेना, प्राध्यापिका, इन्द्रप्रस्थ महिला कालेज, दिल्ली ।	"शिशु एवं किशोर विकास" पर दूसरी एशियाई कार्यशाला, बैंगकाक, थाईलैंड ।
1982-83	
5. प्रो० इक्बाल नारायण, कुलपति, बनारस हिन्दू, विश्वविद्यालय, वाराणसी ।	कार्यान्वयन विकेन्द्रीकरण नीति तथा कार्यक्रम सेमिनार, टोक्यो, जापान ।
6. डा० आर०आर० मेहरोत्रा, रीडर, भाषा-विज्ञान, अंग्रेजी विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ।	XIIIवीं अंतर्राष्ट्रीय भाषा-विज्ञान कांग्रेस टोक्यो, जापान ।
7. प्रो० कृष्णामूर्ति, प्रो० भाषा-विज्ञान विश्वविद्यालय कला तथा समाज विज्ञान कालेज, उस्मानिया विश्वविद्यालय ।	XIIIवीं अंतर्राष्ट्रीय भाषा-विज्ञान कांग्रेस टोक्यो, जापान ।
8. प्रो० जे०बी०पी० सिन्हा, ए०एन०एस० समाज अध्ययन संस्थान, पटना ।	अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न प्रतिकूल सांस्कृतिक मनोविज्ञान कांग्रेस तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रयुक्त मनोविज्ञान कांग्रेस, अबेर्दीन तथा एडिनबरोह, यू०के० ।
9. प्रो० डी०एम० पेस्टोनजी, भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद ।	—वही—

1	2
10. प्रो० पी०के० बोस, सांख्यिकी विभाग, विश्वविद्यालय विज्ञान कालेज, कलकत्ता ।	अन्तर्राष्ट्रीय सांख्यिकी शिक्षण कांग्रेस शेफील्ड यू०के० ।
11. प्रो० (श्रीमती) धर्म कुमार, दिल्ली अर्थशास्त्र स्कुल, दिल्ली विश्वविद्यालय ।	VIIIवीं अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, इतिहास कांग्रेस, हंगरी, बुड़ापेस्ट ।
12. डा० (श्रीमती) निर्मला बनर्जी, समाज विज्ञान अध्ययन केन्द्र, कलकत्ता ।	—वही—
13. डा० के०एस० अरूण कुमार प्राध्यापक, कृषि विज्ञान विभाग, बंगलौर ।	18वां अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन, जर्काता, इण्डोनेशिया ।
14. डा० एम०जी० चन्द्रकान्ता प्राध्यापिका, सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बंगलौर ।	—वही—
15. प्रो० कुलदीप माथुर, प्रो० भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली ।	एशियाई विकेन्द्रीकरण पर सेमिनार सियोल, दक्षिण कोरिया ।
16. डा० पी०एस० घोष, विजिटिंग फेलो नीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली ।	IXवीं निरस्त्रीकरण तथा युद्ध सम्बन्धी अनुसंधान कार्यशाला, वेरना, इटली ।
17. डा० डी०वी० शार्मा, संयुक्त निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली ।	अंतर्राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद का सम्मेलन तथा महा-सभा पेरिस, फ्रांस ।

1	2
1 83-84	
18. प्रो० सागर शर्मा, अध्यक्ष, कला संकाय डीन, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला।	अन्तर्राष्ट्रीय मेटाफिजिकस सोसाइटी सम्मेलन, ल्यूवेन, बेल्जियम।
19. डा० (श्रीमती) गीता गौरी, संकाय सदस्य, सरकारी उद्यम संस्थान, हैदराबाद।	एशिया तथा सुदूर पूर्व विकास अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान के संघ का सेमिनार कोलालम्पूर, मलेशिया।
20. डा० सी०पी० सिंह, प्राध्यापक, भूगोल विभाग, दिल्ली अर्थशास्त्र स्कूल, दिल्ली विश्वविद्यालय।	अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक भूगोल सम्मेलन आक्सफोर्ड, यू०के०।
21. प्रो० गौतम माथुर, निदेशक, प्रयुक्त मानवशक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली।	स्थानीय स्तरीय आयोजना पर सेमिनार, ढाका, बंगलादेश।
22. प्रो० आर०एस० निगम, अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।	अन्तर्राष्ट्रीय विभिन्न सांस्कृतिक संचार सम्मेलन सियोल, दक्षिण कोरिया।
23. प्रो० बी०के० राय बर्मन, समाज विकास परिषद्, नई दिल्ली।	XI वीं अन्तर्राष्ट्रीय मानवशास्त्रीय विज्ञान कांग्रेस, वेंकोवेर तथा क्योबेक, कनाडा।
24. डा० (श्रीमती) खदिजा अंसारी गुप्ता, वारिष्ठ फ़ेलो, आई०सी०एस०एस०आर०	—वही—

1	2
25. डा० के०एस० सिंह, आयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास, बिहार सरकार ।	—वही—
26. डा० जगन्नाथ पाथी, रीडर, समाज-विज्ञान विभाग, दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत ।	—वही—
27. डा० के०के० सिद्ध, अनुसंधान सहायक, आई०सी०एस०एस०आर०, नई दिल्ली ।	—वही—
28. डा० यू०सी० जैन, सह-प्रोफेसर, मनोविज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।	अन्तर्राष्ट्रीय मनोविज्ञानी परिषद का 41वां सम्मेलन, सान-फ्रांसिस्को, यू०एस०ए० ।
29. डा० सुरेश सी० घोष, अध्यक्ष, जाकिर हुसैन शिक्षा अध्ययन केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ।	अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, आक्सफोर्ड, यू०के० ।
30. प्रो० के० कृष्णामूर्ति, अध्यक्ष, आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली ।	अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री संघ की 7वीं विश्व कांग्रेस, मेड्रिड, स्पेन ।
31. डा० वी०एस० महाजन, रीडर, अर्थशास्त्र विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ ।	—वही—

1	2
32. डा० रामेश्वर टंडन, सहायक प्रोफेसर, सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बंगलौर ।	—वही—
33. आर०के० नायक सहायक प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली ।	(विधि केन्द्र के माध्यम से विश्व शान्ति पर XIवां सम्मेलन, केरो, मिश्र ।
34. प्रो० जनक पांडेय, सामाजिक परिवर्तन तथा राष्ट्रीय विकास मनोवैज्ञानिक अध्ययन केन्द्र, मनोविज्ञान विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ।	विभिन्न-सांस्कृतिक मनोविज्ञान का तीसरा एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन, कोलालम्पुर, मलेशिया ।
35. डा० के०डी० बूटा, रीडर, मनोविज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ।	—वही—
36. डा० हबीब अहमद, प्राध्यापक, मनोविज्ञान विभाग, जाकिर हुसैन कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ।	—वही—
37. डा० (श्रीमती) आर० बर्मन चन्द्र, निदेशक, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ।	एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका में मानव-विज्ञान का 31वां अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन टोक्यो, जापान ।
38. प्रो० डी०एन० झा, इतिहास विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ।	—वही—
39. डा० इन्दू माथुर, सह-प्रोफेसर,	एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका में मानवविज्ञान

1	2
समाज विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।	का 31वां अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, टोक्यो, जापान ।
40. प्रो० ए०आर० कुलकर्णी, अध्यक्ष, इतिहास विभाग, पूना विश्वविद्यालय, पूणे ।	महाराष्ट्र पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन संस्कृति तथा समाज, ओरंट टोरंटो, कनाडा ।

विवरण-II

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के पास दिनांक 1 नवम्बर 1983 को पड़ेअनिर्णिय मामले ।

नाम	सम्मेलन
1. प्रो० मन्सूर अली, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, रूड़की विश्वविद्यालय, रूड़की ।	VIवीं अन्तर्राष्ट्रीय वैकल्पिक शक्ति स्त्रोत सम्मेलन, फ्लोरिडा, अमेरिका ।
2. श्रीमती आरती गंगुली, प्राध्यापक, बंगला विभाग, मुरलीधर बालिका कालेज, कलकत्ता ।	अन्तर्राष्ट्रीय महिला अध्ययन अन्तर विषयक सम्मेलन, ग्रोनिनगर, नीदरलैण्ड ।
3. श्री एस० शानमुगनन्दन, भूगोल विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय, चीपपंक, मद्रास ।	तपेदिक के विरूद्ध अन्तर्राष्ट्रीय संघ का XIIIवां पूर्वी क्षेत्रीय तपेदिक सम्मेलन जकार्ता, इण्डोनेशिया ।

टिप्पणी : केवल वही आवेदन पत्र शामिल किए गए है जिनमें पूरी सूचना दी गई थी (प्रपर—जीवन-वृत्त) ।

विवरण-III

उन व्यक्तियों के नाम जिनकी प्रार्थना परिषद द्वारा स्वीकार नहीं की गई थी।

अध्येता का नाम	सम्मेलन का नाम	माह जिसमें अस्वीकार किया गया
1	2	3
1. प्रो० मन्सूर अली, अर्तशास्त्र के प्रोफेसर, रूड़की विश्वविद्यालय।	VIवां अन्तर्राष्ट्रीय वैकल्पिक शक्ति स्त्रोत सम्मेलन, फ्लोरिडा, अमेरिका।	नवम्बर, 1983
2. डा० ई० हरिबाबू, प्राध्यापक, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, कानपुर।	IV-सेमिनार आन फेमिली इन हाईटिज, क्वालालाम्पुर।	दिसम्बर, 1983
3. डा० यू०बी० भोयटे, समाजशास्त्र के रीडर, पूना विश्वविद्यालय, पुणे।	महाराष्ट्र संस्कृति और सोसायटी पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, टोरन्टो, कनाडा।	दिसम्बर, 1983
4. डा० श्रीराम खन्ना, प्राध्यापक, दिल्ली अर्थशास्त्र स्कूल, दिल्ली।	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अकादमी सम्मेलन, सन फ्रान्सिसको, अमेरिका।	दिसम्बर, 1983
5. डा० जी०एस० राव रीडर-व-अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर।	दक्षिण एशियाई भाषा विश्लेषण गोल मेज सम्मेलन, अमेरिका।	जनवरी, 1984

1	2	3
6. श्री शानमुगनन्दन, भूगोल विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास ।	तपेदिक के विरूद्ध अंतर्राष्ट्रीय संघ का XIIIवां पूर्वो क्षेत्रीय तपेदिक सम्मेलन, जकार्ता, इण्डोनेशिया ।	नवम्बर, 1984

भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों को पास जारी करना

8882. **श्री दया राम शाक्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सरकारी मान्यताप्राप्त ऐसे अनेक संगठन हैं, जिनके पदाधिकारियों को पूरे देश में यात्रा करने के प्रथम श्रेणी के पास जारी किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो भारतीय मजदूर संघ के जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और देश में दूसरे नम्बर पर हैं, के पदाधिकारियों को पास जारी न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे संगठनों के पदाधिकारियों को प्रथम श्रेणी के पूरे भारत की यात्रा के रेलवे पास जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ) भारतीय रेलों पर श्रम संगठनों में से, आल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और नेशनल फेडरेशन आफ इण्डियन रेलवे मैन नामक दो श्रम संगठनों तथा क्षेत्रीय रेलों पर उनसे सम्बद्ध यूनियनों को बात-चीत करने की सुविधाएं प्रदान की गयी हैं और इन सुविधाओं के परिणामस्वरूप इनके मनोनीत पदाधिकारियों को पास जारी किये गये हैं। रेलों पर बात-चीत सुविधाओं के लिए भारतीय मजदूर संघ को मान्यता नहीं दी गयी है, इसलिए इसके पदाधिकारी रेलों पर किसी प्रकार के मुफ्त पास के पात्र नहीं हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के कर्मचारियों की मांग

8883. **श्री अजित बाग :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् प्रशासनिक कर्मचारी संघ से 30 मार्च, 1983 का एक ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो संघ की क्या मांगे हैं;

(ग) क्या सरकार ने मांगों को निपटाने के बारे में कार्यवाही शुरू कर दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों के राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् एक स्वायत्त संगठन है। संघ द्वारा की गई मांगों पर उनके द्वारा विचार किया जाना तथा निपटाया जाना है।

विवरण

मुख्य मागें

1. समय मानपदनिति प्रथा चालू की जाये।
2. मकान किराया भत्ता 25% दिया जाये।
3. बोनस दिया जाये।
4. परिषद् का जो स्थान एन०बी०टी० को दिया गया है उस स्थान पर परिषद् के कर्मचारियों कि लिए मकान बनाएं जाए।

संशोधित मांग पत्र

1. वर्दी/जूता/चप्पल जिस रेट से स्टाफ कालेज में दिया जा रहा है उसी रेट से परिषद् में दिया जाए।
2. परीक्षा पद्धति सब श्रेणियों के लिए एक जैसी हो।
3. परिषद् के उच्चाधिकारी स्थाई रूप से नियुक्त किये जायें तथा वर्तमान उच्चाधिकारियों को तुरन्त बदला जाये।
4. जूनियर एकाउटेंट/सीनियर एकाउटेंट/ए०ओ० के पदों पर परिषद् के कर्मचारियों को नियुक्त किया जाये।
5. निम्न श्रेणिक लिपिक/उच्च श्रेणिक लिपिक/ सहायक के तीनों पदों को समाप्त करें। केवल दो पद रखें जायें। जैसे—1. जूनियर सहायक 2. सीनियर सहायक।

6. जिस रेशों से उप सचिव/संयुक्त सचिव/ए०पी०सी०/एस०ए० आदि के पदों में बढ़ोतरी की गई है उसी रेशों से सब श्रेणियों में बढ़ोतरी की जाये।

7. बागवानी विभाग को अपने हाथ में लिया जाये।

8. अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई किया जाये।

9. परिषद के कर्मचारियों के बच्चों को योग्यता अनुसार स्थान दिये जायें।

10. सरकार के कम खर्ची नियमों का सख्ती से पालन किया जाये।

11. भविष्य में प्रतिनियुक्ति पर कोई कर्मचारी न बुलाया जाये।

12. साईकल स्टैण्ड को जल्दी से जल्द खाली करके वहां पर साईकल स्टैण्ड बनाया जाये।

13. दैनिक वेतन कर्मचारियों को पक्का किया जाये।

14. रिकार्ड विभाग/अनुभाग पूर्ण रूप से खोला जाये।

15. जिन विभागों में अधीक्षक नहीं हैं वहां तुरन्त अधीक्षकों की नियुक्ति की जाये।

16. तदर्थ सेवा को समय मान पदनिति प्रथा में लागू करते समय जोड़ा जाये।

रतलाम जंक्शन पर पेय जल की सप्लाई

8884. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन और पश्चिम रेलवे की रेलवे कालोनी में सप्लाई किया जा रहा पेय जल प्रदूषित है और क्या उक्त जल की शुद्धता की जांच की गई थी और उसे मनुष्य के पीने के अनुपयुक्त पाया गया था, यदि हां, तो शुद्ध पेय जल की सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ख) क्या नागदा जंक्शन पर शुद्ध पेयजल की सप्लाई के सम्बन्ध में कुछ सुझाव प्राप्त हुये हैं और शुद्ध पेय जल की सप्लाई के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं। रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन और रेलवे कालोनी में पानी के नमूनों की नियमित रूप से जांच की जाती है और सप्लाई किया जाने वाला जल सामान्यत: मानवीय उपयोग के अनुरूप पाया गया है।

(ख) जी, हां। स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए नागदा में एक फिल्टर संयंत्र की व्यवस्था करने से सम्बन्धित कार्य 8.62 लाख रुपये की लागत से 1984-85 के बजट में स्वीकृत किया गया है।

धनबाद में "शन्ट मैन" "ग्राउन्ड पाइन्ट मैन" को विशेष वेतन की बकाया धनराशि का भुगतान न होना

8885. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शन्ट मैन, ग्राउन्ड पाइंट मैनों आदि को 1 अप्रैल, 1980 से 30 सितम्बर, 1982 तक विशेष वेतन के रूप में बकाया धनराशि का भुगतान न किए जाने के कारण "आल इंडिया शन्टिंग केबिन एंड ट्रेफिक स्टाफ एसोसिएशन धनबाद" डिवीजन पूर्व रेलवे के डिवीजनल सेक्रेटरी द्वारा, दिया गया 5 मार्च, 1984 का हड़ताल का नोटिस मिला है;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल से बचने के लिए पूर्व रेलवे के धनबाद डिवीजन के सम्बन्धित कर्मचारियों को बकाया धनराशि का भुगतान करने के बारे में क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) चतुर्थ श्रेणी के इन कर्मचारियों को बकाया धनराशि का भुगतान न करने के लिए उत्तरदायी सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पारादीप पत्तन के लिए अग्नि शमन उपकरण

8886. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तन प्राधिकरण के पास यदि अपने निजी अग्नि शमन उपकरण होते तो पारादीप पत्तन पर आग लगने के कारण हाल ही में हुई सम्पत्ति की बरबादी को रोका जा सकता था;

(ख) क्या पत्तन न्यास 20 वर्षों से भी अधिक वर्षो से कार्य कर रहा हैं तथापि किसी भी प्रकार के उपकरण के उपलब्ध न होने के कारण आग को बुझाने की स्थिति में नहीं है;

(ग) क्या पत्तन न्याय प्राधिकारियों द्वारा अपने पास अग्नि शमन उपकरणों को रखने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं किये गये हैं;

(घ) क्या केवल यही एक ऐसा पत्तन न्याय है जहां पर फायर इंजिन, फायर टेण्डर अथवा अग्नि शमन के कोई अन्य उपकरण नहीं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या 19 मार्च, 1984 की हाल ही की घटना को ध्यान में रखते हु

पत्तन पर, जहां की जनसंख्या लगभग 50,000 है, तुरन्त ही नियमित अग्नि शमन व्यवस्था रखने का कोई प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) चूंकि पोर्ट ट्रस्ट के पास अपने दमकल यंत्र नहीं हैं इसलिए उन्होंने राज्य सरकार से वायरलेस पर अनुरोध किया था कि आवश्यक उपस्करों से लैस फायर इंजिन परादीप भेजे जाएं। ये फायर इंजिन 19 मार्च, 1984 को परादीप पहुंचे। यह प्रश्न एक काल्पनिक प्रश्न है कि पत्तन के पास अपने नमकल यंत्र होते तो वे आग पर नियंत्रण कर सकते थे। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। यह इस बात से भी स्पष्ट है कि पत्तन के सुरक्षित क्षेत्र के बाहर रहने वाले श्रमिकों की झोपड़ियों में 19 मार्च, 1984 की शाम को, कुछ इंजिनों के दुर्घटना स्थल पर पहुचने के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका।

(ख) और (ग) परादीप पत्तन केवल लोहे के निर्यात के लिए बनाया गया था जिसमें आग नहीं लगती है। इस समय परादीप से लगभग 2 मिलियन टन माल की आयात-निर्यात होता है। इसमें से लगभग 70 प्रतिशत माल कच्चा लोह अयस्क, कच्चा क्रोम और अन्य कच्ची धातु होती हैं। कच्ची धातु से भिन्न अन्य माल जो इस पत्तन पर आता-जाता है, ऐसा नहीं होता जिसे आग जल्दी पकड़ सके। तथापि, माल को भंडार में रखने और लाने-ले जाने के लिए अग्निशमन परामर्शदाताओं के सुझावों के अनुसार सुरक्षा उपाय अपनाए गये हैं। भंडागारों, ट्रांजिट सेडों, कार्यस्थलों तथा कार्यालयों में अग्निशासक लगा दिए गए हैं। पत्तन ने, दमकल मशीनें मंगानें के लिए आर्डर भेज रखें हैं, जिनके कि मई, 1984 तक प्राप्त हो जाने की आशा है।

(घ) और (ङ) बड़े-बड़े पत्तनों में केवल परादीप ऐसा पत्तन है जिसके पास इस समय दमकल इंजिन और दमकल गाड़ियां आदि नहीं हैं। पोर्ट ट्रस्ट ने, हाल ही में हुई अग्नि दुर्घटना से पहले एक पूर्ण विकसित अग्निशमन एकक स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं।

अशोक बिहार चरण-तीन, दिल्ली में रेलवे क्वार्टरों का निर्माण

8887. **श्री चिन्ता मणि जेना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक बिहार चरण-तीन, दिल्ली में, दिल्ली विकास प्राधिकरण मार्केट के नजदीक उत्तर रेलवे कालोनी के लिए नियत की गई खाली भूमि पर बहुमंजिल क्वार्टरों के निर्माण कार्य को, वर्ष 1982-83 के रेलवे निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो कितने क्वार्टरों के निर्माण किये जाने की संभावना है; और

(ग) इन क्वार्टरों और अन्य-सामुदायिक सुविधाओं की व्यवस्था का वास्तविक निर्माण

कार्य कब तक प्रारम्भ किये जाने की संभावना है और उनको पूरा करने और रेलवे कर्मचारियों को आबंटन करने की लक्षित तिथि क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) टाईप 1 के 16 यूनिट चार मंजिले क्वार्टरों का एक ब्लाक।

(ग) इस कार्य के लिए जनवरी, 1984 में ठेका दिया गया है। 30.6.1985 तक काम पूरा हो जाने की संभावना है। फिलहाल क्वार्टरों के इस ब्लाक के लिए मूल सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी। इस क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए अधिक क्वार्टरों के निर्माण की स्वीकृति मिलने पर अन्य आवश्यक सामुदायिक सुविधाओं का विकास किया जायेगा।

वाल्व आपरेटरों को सुरक्षात्मक वस्त्रों की सप्लाई

8888. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलों के वाल्व आपरेटरों को वर्ष 1982-83 से सुरक्षात्मक वस्त्र दिए जाने थे;

(ख) यदि हां, तो क्या वाल्व आपरेटरों का वास्तव में 1982-83 की अवधि के लिए वर्दिया दी गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या संशोधित वर्दी विनियम, जो रेयवे को विभिन्न श्रेणियों पर लागू होता है, को जारी कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे विनियमों का ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर सरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 1984 की सर्दियों से कर्मचारियों को केवल सुरक्षात्मक वस्त्रों का पात्र बना दिया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) वर्दी विनियमों का ब्योरा, जो वृहदाकार स्वरूप का है, सरकार द्वारा यथा स्वीकृत वर्दी समिति, 1980 की रिपोर्ट में दिया गया है। सम्बन्धित माननीय सदस्य के संदर्भ के लिए उन्हें रिपोर्ट की एक प्रति भेजी जा रही है।

सड़क प्रयोक्ता लागत का अध्ययन

8889. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक और केन्द्रीय सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रयोजित सड़क प्रयोक्ता लागत अध्ययन को रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्रियान्वयन के लिए स्वीकृत सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में विश्व बैंक द्वारा क्या सहायता दी गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) जी, हां। यह अध्ययन एक अनुसन्धान परियोजना स्वरूप था। इस अध्ययन से भारत की अपनी विशेष परिस्थितियों में गाड़ियों के चलने में आने वाली लागत, यात्रा में लगने वाले समय, दुर्घटनाओं की संख्या और गति तथा आयतन के अनुपात के विषय में विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई है। इन तथ्यों का व्यापक प्रचार करने के बारे में सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है जिससे राजमार्गों की योजनाएं बनाने में इन तथ्यों का उपयोग किया जा सके। विश्व बैंक ने इस अध्ययन के खर्च में वित्तीय सहायता के रूप में 200,000 अमेरिकी डालर की धनराशि दी है।

स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए अभियान

8890. **श्री के० प्रधानी**
श्री के० मालन्ना } : क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "बाल पोषण प्रथाओं के कार्यान्वयन सम्बन्धी नीति" के बारे में हाल ही में हुए सेमिनार में यूनिसेफ के दक्षिण मध्य एशिया क्षेत्रीय निदेशक ने स्तन पान को बढ़ावा देने के अभियान का आह्वान किया था; और

(ख) यदि हां, तो स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए एक दीर्घावधिक अभियान आरम्भ करने और इस सम्बन्ध में और अधिक व्यवसायिक और स्वैच्छिक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने स्तनपान को संरक्षण और प्रोत्साहन देने के लिए एक राष्ट्रीय संहिता को अपनाया है। स्वास्थ्य और पोषाहार शिक्षा के माध्यम से लम्बी अवधि के लिए स्तनपान कराने को बढ़ावा दिया जाता है। मां के दूध के विकल्पों के विज्ञापनों को आल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर स्वीकार नहीं किया जाता है। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के कार्मिकों

को अनुदेश दिए जाते हैं कि वे मां के दूध के विकल्पों के मुफ्त दिए जाने वाले नमूनों को स्वीकार न करें ।

नई दिल्ली नगर पालिका ने नर्सरी सहायक शिक्षकों को सेलेक्शन ग्रेड

8891. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री नई दिल्ली नगर पालिका के नर्सरी सहायक शिक्षकों को सेलेक्शन ग्रेड के बारे में 22 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4998 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊपर लिखित उत्तर के भाग (ख) में जैसा कि बताया गया है, 8 शिक्षकों को सेलेक्शन ग्रेड मिल गया है;

(ख) यदि हां, तो नियुक्ति की तारीख सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन्हें किस निश्चित समय तक सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने की संभावना है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सभी 8 शिक्षकों को प्रवरण ग्रेड में शामिल कर दिया गया है ।

(ख) ब्यौरे इस प्रकार हैं :

नाम	नियुक्ति की तिथि
1. श्रीमती मीना कुमारी धवन	7.8.1962
2. श्रीमती शान्ता आर्य	10.8.1962
3. श्रीमती बृज रानी	13.9.1962
4. श्रीमती प्रभा लता मेहता	13.9.1962
5. श्रीमती लक्ष्मी मैत्रेय	12.11.1962
6. श्रीमती रक्षा सक्सैना	19.11.1962
7. श्रीमती राज कुमारी	19.11.1962
8. श्रीमती सन्तोष कुमारी चौहान	19.11.1962

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) प्रवरण ग्रेड शीघ्र दिए जाने की आशा है ।

मदुरै डिवीजन के यात्रा टिकट निरीक्षकों द्वारा धरना

8892. **श्री डी०एस०ए० शिवप्रकाशम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में डिवीजनल हेडक्वार्टर्स, मदुराई के कार्यालय के समक्ष 26 मार्च, 1984 का मदुराई डिवीजन के यात्रा टिकट निरीक्षकों द्वारा धरना दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो यात्रा टिकट निरीक्षकों की क्या मांगें हैं और उनकी मांगें कितने समय से सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(ग) क्या सरकार का मांग पर विचार करने और अन्तिम आदेश का शीघ्र पारित करने का प्रस्ताव ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० आफर शरीफ) : (क) से (ग) मदुरै मंडल के चल टिकट परीक्षकों ने 26-3-1984 को मंडल मुख्यालय, मदुरै के सामने धरना दिया था। उन्होंने शयनयानों में ड्यूटी पर तैनात चल टिकट परीक्षकों के लिए शायिकाओं की व्यवस्था करने, सभी मंडलों में शयनयानों का समान वितरण करने, सभी स्टेशनों पर विश्राम कक्ष सुविधाओं की व्यवस्था तथा उच्चतर ग्रेड के और अधिक पद स्वीकृत करने की मांग की है।

स्थिति यह है कि शयनयानों में ड्यूटी करने वाले चल टिकट परीक्षकों के इस्तेमाल के लिए एक सीट की व्यवस्था है जिसका इस्तेमाल केवल चल टिकट परीक्षक ही कर सकते हैं। चल टिकट परीक्षकों द्वारा सम्हाले जाने वाले शयनयानों का विभिन्न मंडलों में समान रूप से वितरण किया जाता है और ऐसा करते समय गाड़ी सेवाओं के स्तर, की जाने वाली ड्यूटी के कुल घंटों और गाड़ियों के ठहरावों आदि को ध्यान में रखा जाता है। चल टिकट परीक्षकों के लिए स्टेशनों पर वित्तीय कठिनाइयों के भीतर यथा संभव विश्राम कक्ष सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। चल टिकट परीक्षकों के संवर्ग की पुनर्संरचना की जा चुकी है और आदेश जारी कर दिये गये हैं जिनमें उच्चतर ग्रेड के अधिक पदों की व्यवस्था है।

रेलों पर बातचीत करने की सुविधाएं आल इंडिया रेलवे मैंस फेडरेशन और नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवे मैन नामक दो अखिल भारतीय श्रम फेडरेशनों को प्रदान की गयी हैं और चल टिकट परीक्षकों की मांगों सहित कर्मचारियों की सभी कोटियों की मांगों पर स्थायी वार्ता तंत्र और संयुक्त परामर्श तंत्र योजना के अंतर्गत समय-समय पर आयोजिक बैठकों में दोनों फेडरेशनों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है और इन बैठकों में जो निष्कर्ष निकलते हैं उन पर उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुई डी० टी० सी० की बसें

8893. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली परिवहन निगम की तथा उसके अंतर्गत चलने

वाली कितनी-कितनी निजी बसें दुर्घटनाग्रस्त हुई तथा इन दुर्घटनाओं में मारे गए/घायल हुए लोगों के बारे में तथा इसके लिए दिए गए मुआवजे का वर्ष वार ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (जियाउर्रहमान अंसारी) : दिल्ली परिवहन निगम सहित अपेक्षित सूचना नीचे दी जा रही है।

(i) **वर्षवार दुर्घटनाओं की संख्या :**

	1981	1982	1983	कुल
छोटे	3503	4190	3978	11643
बड़े	235	364	457	1056
घातक	161	201	228	590
कुल :	3901	4725	4663	13289

(ii) **दुर्घटनाओं में मृत/घायल व्यक्तियों की संख्या :**

	1981	1982	1983
मृत व्यक्तियों की संख्या	176	218	257
घायल व्यक्तियों की संख्या	1467	1869	2079

(iii) **दुर्घटनाओं के मामलों में निर्णीत और प्रदत्त मुआविजे की रकम :**

वर्ष	निर्णीत मामलों की संख्या	प्रदत्त मुआविजे की राशि
1981	80	18,51,706.57 रु०
1982	88	20,42,412.91 रु०
1983	141	58,90,430.75 रु०

दिल्ली परिवहन निगम अपने नियंत्रण के अधीन चलने वाली प्राइवेट बसों से होने वाली दुर्घटनाओं का रिकॉर्ड नहीं रखता। इसका कारण यह है कि इन दुर्घटना के परिणामस्वरूप मुकदमें आदि की जो कारंवाई होती है, उसके लिए दिल्ली परिवहन निगम के साथ होने वाले करार के अनुसार प्रायवेट ऑपरेटर स्वयं जिम्मेदार होते हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों को पुन: नियोजित

8894. **डा० ए० यू० आजमी : शिक्षा और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 अप्रैल, 1984 के इंडियन एक्सप्रेस में "10 पर्सेन्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स आन रि-इम्प्लायमेण्ट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सेवाकाल बढ़ाने/पुनः नियोजन और सेवानिवृत्त अध्यापकों के पुन: नियोजन को जारी रखने के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री के निर्देश की अवहेलना करने के क्या कारण हैं ;

(ग) दिल्ली विश्वविद्यालय में पुनः नियोजित सभी अध्यापकों को हटाने और उनके स्थान पर प्राथमिकता के आधार पर नियमित अध्यापकों की नियुक्ति करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ;

(घ) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के परिणाम असंतोषजनक होने का यह भी एक कारण है ; और

(ड.) दिल्ली विश्वविद्यालय में कितने अध्यापकों को पुनः नियोजित किया गया है और कब से ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिनियम, सांविधियों और अध्यादेशों में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों और गैर-शिक्षण स्टाफ का सेवा काल बढ़ाने अथवा पुन: रोजगार के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं है । तथापि विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में यह व्यवस्था है कि किसी भी विख्यात अध्यापक को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद, कुल मिलाकर अधिक से अधिक पांच वर्ष की अवधि के लिए पुनः रोजगार दिया जा सकता है किन्तु यह उसको 65 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद नहीं दिया जा सकता । विश्वविद्यालय के अनुसार शिक्षकों के पुन: रोजगार के सभी मामले विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उच्च शैक्षिक स्तरों को ध्यान में रखकर तय किए जाते हैं ।

(ड.) जो अध्यापक विश्वविद्यालय में इस समय पुन: रोजगार में हैं, उनकी सही संख्या का पता लगाया जा रहा है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

विदेशों में कार्यरत भारतवासियों का पत्नियों से संबंध-विच्छेद करना

8895. **श्री सज्जन कुमार** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में विदेशी कम्पनियों में कार्यरत भारतीय पारपत्र धारक भारतीय भारत में शादी के लिए आते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि अपर्याप्त दहेज के कारण उनमें से अधिक से अधिक व्यक्ति अपनी पत्नियों और बच्चों को छोड़ देते हैं;

(ग) क्या सरकार का ऐसे लोगों को वापस बुला कर उन्हें दण्डित करने के कोई कानूनी अधिकार नहीं है;

(घ) क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों के पारपत्र रद्द करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में और भोली-भाली लड़कियों को ऐसे लालची लोगों के शिकार होने से बचाने हेतु अन्य क्या उपचारात्मक उपाय करने का है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी; हां ।

(ख) ऐसी कोई सामान्य प्रवृत्ति सरकार के देखने में नहीं आयी है ।

(ग) सामान्यत: परित्याग को प्रत्यर्पणीय अपराध नहीं माना जाता ।

(घ) और (ङ) पासपोर्ट रद्द करने की बात पर केवल उन्हीं मामलों में विचार किया जा सकता है जिन पर पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के संगत प्रावधान लागू होते हों यानी अगर पासपोर्ट प्राधिकारी की जानकारी में यह बात लाई जाए कि किसी न्यायालय ने उस समय लागू किसी कानून के अधीन, पासपोर्ट अथवा यात्रा-प्रलेख धारी व्यक्ति को हाजिर होने का वारंट या सम्मन या उसे गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया है अथवा ऐसे न्यायालय ने पासपोर्ट या अन्य यात्रा-प्रलेख धारी व्यक्ति को भारत से बाहर जाने पर प्रतिबन्ध लगाने का आदेश दिया है ।

योजना लक्ष्यों में कमी

8896. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब तक योजनागत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की दृष्टि से रेलवे के छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लक्ष्यों से विशेषकर (एक) चल स्टाक के अधिग्रहण, (दो) भाड़ा परिचालन, (तीन) खराब रेलवे लाइनों के नवीकरण और लाइनों के विस्तार के संबंध में कहीं कम रहने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी की आशा है; और

(ग) क्या ऐसा मुख्यतः लगभग 40 प्रतिशत तक कम आबंटन के कारण है और रेलवे के कार्यक्रमों के लिए धन के आबंटन में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (**श्री सी० के० जाफर शरीफ**) : (क) और (ख) 780 रेल इंजनों (बाद में संशोधन करके 980 रेल इंजन), 1,00,000 माल डिब्बों (बाद में घटाकर 77,000 माल डिब्बे) तथा 5680 सवारी डिब्बों के लक्ष्य की तुलना में वह प्रत्याशा की गयी है कि रेलों को उपलब्ध कराये गये संसाधनों के भीतर 950 रेल इंजन, 72,000 माल डिब्बे तथा 5,000 सवारी डिब्बे प्राप्त करना संभव हो पायेगा।

छठी योजना के समापन वर्ष से मूलतः प्रत्याशित भाड़ा यातायात की 3090 लाख टन की मांग की तुलना में रेलों को 1984-85 में लगभग 2700 लाख टन यातायात ढोये जाने की संभावना है।

14,000 कि०मी० के लक्ष्य की तुलना में छठी योजना में लगभग 9150 कि०मी० रेल-पथ का नवीकरण किया जायेगा।

छठी योजना में नयी लाइनें बिछाने के लिए कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है लेकिन ऐसी संभावना है कि छठी योजना में लगभग 940 कि०मी० नयी लाइनों का निर्माण किया जायेगा।

(ग) लक्ष्यों में कमी का मुख्य कारण अपर्याप्त धनराशि का आबंटन तथा मूल्यों में वृद्धि है। रेलों के लिए धन के आबंटन में वृद्धि करने हेतु वित्त मंत्रालय और योजना आयोग को राज़ी करने के लिए प्रयास जारी रखे जायेंगे।

टेलीफोन आपरेटरों के मामले में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए रोस्टर

8897. **श्री राम जी भाई मावणी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली डिवीजन, उत्तर रेलवे में 550-700 रु० के ग्रेड के टेलीफोन आपरेटरों के मामले में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए दो रोस्टर रखे गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री सी०के० जाफर शरीफ**) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जनसंख्या विकास परिषद्

8898. **श्री के० मालन्ना** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में परिवार नियोजन कार्यक्रम को और जोर-शोर से लागू करने के लिए वित्तीय वर्ष 1984-85 में पुरुषों और महिलाओं के लिए कुछ वित्तीय प्रोत्साहनों की घोषणा की है;

(ख) क्या वर्ष 1982 के अन्त में गठित जनसंख्या विकास परिषद् जिसे "थिंक टैंक" की तरह कार्य करना था, ने सरकार को आगामी वर्ष में कुछ प्रोत्साहनों अथवा बेहतर प्रचार और प्रेरणादायक नीतियों का सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मती मोहनिया किदवई) :

(क) नहीं।

(ख) और (ग) जनसंख्या सलाहकार परिषद् ने प्रोत्साहनों और हतोत्साहनों, संचार नीति, लोगों की सहभागिता, आयोजन एवं प्रबन्ध तथा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी संबंधी पहलुओं पर विचार करने के लिए पांच कार्य दल गठित किए हैं। इन कार्य दलों से मिली रिपोर्टों पर यह परिषद् विचार कर रही है।

दिल्ली परिवहन निगम के अधीन चलने वाली निजी बसों में ड्राइवरों द्वारा बोनट पर अपने मित्रों को बैठाना तथा ट्रांजिस्टर और टेप रिकार्डर चलाना

8899. **श्री भीकू राम जैन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के अधीन चलने वाली निजी बसों में चालकों ने उनमें ट्रांजिस्टर और टेप रिकार्डर लगवा रखे हैं और ड्राइवर अपने मार्गों पर बस चलाते समय अपने ट्रांजिस्टर, टेप रिकार्डर पूरी आवाज से बजाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ड्राइवर का ध्यान दूसरी ओर चला आता है और कई अवसरों पर गंभीर दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) क्या यह सच है कि ड्राइवर अपने मित्रों को बोनट पर बिठा लेते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं और सड़क पर बसें चलाते समय अपनी बस की ओर पूरा ध्यान नहीं देते;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 2 अप्रैल, 1944 को पार्क स्ट्रीट मन्दिर-मार्ग चौराहे पर हुई दुर्घटना को देखते हुए, ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए इस गतिविधि पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) दिल्ली परिवहन निगम के नियन्त्रण में चलने वाली प्राइवेट बसों के आपरेट को अपनी-अपनी बसों में से सभी प्रकार के ट्रांजिस्टर रेडियो/टेप रिकार्डर आदि हटाने के बारे में कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। तथापि, इस प्रकार की शिकायतें कभी-कभी मिलती रही हैं और करार की शर्तों के अनुसार दोषी बसों के मालिकों के विरुद्ध हमेशा कार्रवाही की जाती है।

(ख) से (घ) बसों में, ड्राइवरों द्वारा अपने मित्रों को बोनट पर बैठाए जाने की घटनाएं दिल्ली परिवहन निगम के ध्यान में लाई गई हैं। हर प्राइवेट आपरेटर को किसी भी यात्री को बोनट पर न बैठने देने के लिए अपने ड्राइवरों को अनुदेश देने के लिए पत्र भेजे गए हैं।

रेलवे बोर्ड में हिन्दी टाइपिस्टों की वरिष्ठता

8900. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **रेल** मन्त्री रेलवे बोर्ड में हिन्दी टाइपिस्टों की वरिष्ठता निर्धारित करने के बारे में 17 नवम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 532 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड कार्यालय में हिन्दी टाइपिस्टों की वरिष्ठता निर्धारित करने के मामले में बोर्ड कार्यालय द्वारा वर्षों से केवल मामले पर विचार करने का आश्वासन दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वरिष्ठता निर्धारित करने में अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं और वरिष्ठता कब तक निर्धारित की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) 1973-76 के दौरान तदर्थ आधार पर भर्ती किये गये तथा नवम्बर, 1981 में रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा में समाहित किये गये हिन्दी टंककों की वरिष्ठता निर्धारित कर दी गयी है तथा अवर श्रेणी लिपिकों की वरिष्ठता सूची के भाग के रूप में 21-4-1984 को उनकी अनन्तिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी गयी है।

हिन्द महासागर आयोग का गठन

8901. **श्री रतन सिंह राजदा** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चार तटवर्ती देशों अर्थात् मारीशस, माडागास्कर का सेशल्स और कोमास द्वीप समूह द्वारा हिन्द महासागर आयोग का गठन किए जाने की जानकारी है; और

(ख) क्या सरकार ने ऐसी कोई पहल की है जिससे कि भारत उक्त आयोग से संबंद्ध हो

सके और हिन्द महासागर के देशों के बीच सहयोग विकसित करने में अपनी अधिकारिक और रचनात्मक भूमिका निभा सके ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी, हां। हमारी सूचना के अनुसार, हिन्द महासागर आयोग का विचार जुलाई, 1982 में पेश किया गया था और दिसम्बर, 1982 में पोर्ट लुई (मारीशस) में इसके संस्थापक सदस्यों, मारीशस, सेशेल्स और मडागास्कर के विदेश मंत्रियों की बैठक में इसने और ठोस शक्ल अख्तियार की। इसके संस्थापक सदस्यों की दिलचस्पी इस बात में है कि सदस्यों के बीच व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से लचीले स्वरूप का एक आर्थिक संगठन बनाया जाये और अन्ततः इसके माध्यम से ऐसे राजनीतिक मसलों पर भी एक राय कायम करने की कोशिश की जा सके जिनका इस क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता हो। हिन्द महासागर आयोग के विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक जनवरी, 1984 में माहे (सेशेल्स) में हुई जिसमें आर्थिक सहयोग के क्षेत्रों पर आर्थिक विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

(ख) हिन्द महासागर आयोग अभी अपनी प्रारम्भिक अवस्था में है और संस्थापक सदस्यों को अभी अपने अन्तिम लक्ष्य निर्धारित करने हैं। अभी तक भारत को हिन्द महासागर आयोग में भाग लेने का कोई औपचारिक निमन्त्रण नहीं मिला है।

विद्यालयों में उच्च कक्षाओं में प्रवेश

8902. **श्री एन० ई० होरो** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली में बच्चों को प्राथमिक विद्यालय (कक्षा-चार) अथवा आठ पास करने के पश्चात विद्यालयों की उच्च कक्षाओं में प्रवेश पाने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि मैरिट अथवा वित्तीय सहायता की दलील देकर न तो पब्लिक स्कूलों और न ही दिल्ली प्रशासन अथवा केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा उच्च कक्षाओं में प्रवेश की अनुमति देने में छात्रों की मदद की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई नीति निर्णय लिया जायेगा ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, छात्रों के दाखिल न किए जाने के बारे में उन्हें कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

बाठना (सियालदाह डिवीजन) में नया रेलवे स्टेशन

8903. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सियालदाह डिवीजन के फुलिया और शांतिपुर स्टेशनों के बीच बाठना में एक नये रेलवे स्टेशन की बहुत आवश्यकता है और लोगों द्वारा इसकी भारी मांग की जा रही है, और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में लोगों की संतुष्ट करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) पूर्व रेलवे द्वारा राणाघाट-शांतिपुर खंड पर बथना में एक हाल्ट स्टेशन खोलने के प्रस्ताव की जांच की गयी थी लेकिन परिचालन; इंजीनियरी और वाणिज्यिक दृष्टि से इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया।

2 अप्रैल, 1984 को मन्दिर मार्ग पार्क स्ट्रीट रोड पर दिल्ली परिवहन ननिगम की बस की दुर्घटना

8904. **श्री मनोहर लाल सैनी**
श्री सुभाष चन्द्र यादव } :क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 अप्रैल, 1984 के "इंण्डियन एक्सप्रेस" में "43 इन्ज्योर्ड इन डी० टी० सी० बस एक्सिडेंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिस में बताया गया था कि 2 अप्रैल, 1984 को रूट नं० 810 पर उत्तम नगर और केन्द्रीय सचिवालय के बीच चलने वाली एक प्राइवेट बस मन्दिर मार्ग-पार्क स्ट्रीट मोड़ पर दुर्घटना-ग्रस्त हो गई;

(ख) यदि हां, तो उक्त दुर्घटना के क्या कारण हैं;

(ग) इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप कितने लोग मरे और कितने घायल हुए ;

(घ) क्या इस अभागी बस के हताहतों को कोई मुआवजा दिया जा रहा है ; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउ र्रहमान अंसारी)

(क) से (ग) जी, हां। 2-4-84 को लगभग 10 बजकर 20 मिनट पर रूट नं० 810 पर, दिल्ली परिवहन निगम के नियन्त्रण के अधीन परिचालित, डी ई पी-4445 नम्बर की

प्राइवेट बस शंकर रोड के मोड़ पर, मन्दिर मार्ग क्रासिंग पर नियन्त्रण से बाहर हो गई और दो कारों को टक्कर मारते हुए समीप के घरों में घुस गई। पुलिस ने बस चालक का उतावलेपन और लापरवाही से बस चलाने के कारण चालान किया। बस कर्मचारियों सहित 43 यात्रियों को चोटें आईं किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है।

(घ) और (ड.) प्राइवेट आपरेटरों के साथ हुए समझौते की शर्तों के अनुसार दिल्ली परिवहन निगन द्वारा किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं है, दुर्घटना के मामले में मुआवजे का भुगतान करना बस मालिक की जिम्मेदारी है।

स्कूल/विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का समान स्तर

8905. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश भर में मेडिकल और तकनीकी शिक्षा सहित और विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के स्तर को समान बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) भारत में शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित है, जो संसद सदस्यों की एक समिति द्वारा तैयार की गई थी और 1968 में अपनाई गई थी।

नीति में शिक्षा प्रणाली में एकरूपता की आवश्यकता, 10+2 स्कूल पद्धति के लिए एक सामान्य पाठ्यचर्या अपनाने तथा +2 स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण पर बल दिया गया है।

कुल मिलाकर अधिकांश राज्यों में शिक्षा की 10+2+3 पद्धति अपना ली गई है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने 10 वर्षीय स्कूल पाठ्यचर्या के लिए रूप-रेखा तैयार की है जिसकी सिफारिश राज्य सरकारों से की गई है और यह देश भर में पाठ्य विवरण की एकरूपता का आधार है।

विश्वविद्यालय स्तर पर अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना का उद्देश्य प्रथम डिग्री में कुछ अनुप्रयोग-उन्मुख घटकों का शुरू करना है ताकि कुशल विकास को सुनिश्चित किया जा सके और इसके जरिए स्नातकों के रोजगार को बेहतर बनाया जा सके।

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी शिक्षा को उद्योग की आवश्यकताओं के अधिक अनुकूल

बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न योजनाएं तैयार की गई हैं। इन में सांतराल डिप्लोमा पाठ्यक्रम, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण का कार्यक्रम, सामुदायिक पालिटेक्निक, उत्तर-स्नातक औद्योगिक उन्मुख पाठ्यक्रमों का आयोजन शामिल है।

जहां तक चिकित्सा शिक्षा का संबंध है, स्वास्थ्य मंत्रालय समान स्तरों को बढ़ावा देने के लिए कुछ उपायों पर विचार कर रहा है, जिनमें वर्तमान आवासीय शर्त लगाए बिना अवसर-स्नातक और उत्तर-स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए सामान्य राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा का आयोजन और चिकित्सा संस्थाओं में छात्रों के दाखिला के लिए प्रति-व्यक्ति शुल्क लेने की प्रथा को समाप्त करना शामिल है।

रेल डिब्बे बनाने का कारखाना

8906. **श्री वी०एस० विजयराघवन**
श्री सकारिया थोमस } :क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं योजना में रेल डिब्बों के निर्माण के लिए संस्थापित की जाने वाली क्षमता के बारे में एक भावी योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेल डिब्बों के कारखाने स्थापित करने का प्रमुख मानदंड क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क), से (ग) सवारी डिब्बों के लिए उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए एक नया सवारी डिब्बा कारखाना स्थापित करने तथा मद्रास स्थित सवारी डिब्बा कारखाने की क्षमता को बढ़ाकर 1000 यूनिट प्रति वर्ष करने का भी प्रस्ताव है।

नए सवारी डिब्बा कारखाने के प्रस्ताव को योजना आयोग द्वारा सिद्धान्तः अनुमोदित कर दिया गया है।

रेल इंडिया टैक्नीकल एण्ड इकनामिक सर्विसेज को इस नये सवारी डिब्बा कारखाना के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है और उनकी रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर कारखाने के स्थान के बारे में निर्णय किया जायेगा।

अजमेर बिचावाड शटल मार्ग को सोजन रोड अथवा मारवाड़ जंक्शन तक बढ़ाना

8907. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजमेर-बियावाड़ शटल गाड़ी रात को बियावाड़ में रुक जाती है, और अगले दिन सुबह अजमेर के लिए चल पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर इसे सोजन रोड अथवा मारवाड़ जंक्शन तक बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक बढ़ा दिया जायेगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) फिलहाल नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन

8908. **श्री हरीश रावत** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने संगठनों को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से वित्तीय अनुदान दिया जाता है; और

(ख) 1983-84 में इन संगठनों को वित्तीय सहायता के रूप में कितनी राशि दी गई तथा 1984-85 के लिए कितनी वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने वर्ष 1983-84 के लिए जिन संगठनों को वित्तीय सहायता स्वीकृत की थी उनकी संख्या संलग्न विवरण में योजनावार दी गई है। जहां तक 1984-85 के लिए वित्तीय प्रावधान का सम्बन्ध है, किसी भी संगठन के लिए कोई अग्रिम नियतन नहीं किया जाता।

विवरण

वर्ष 1983-84 के लिए बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से अनुदान प्राप्तकर्ता उत्तर प्रदेश के संगठनों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

	अनुदान प्राप्त कर्त्ता संस्थाओं की संख्या	विक्त की गई राशि (रुपए लाखों में)
1	2	3
I. केन्द्रीय कार्यक्रम		
1. स्वयंसेवी कल्याण संस्थाएं योजना अवधि अनुदान (5000 रुपए से अधिक)	26	2.32

1		2	3
2.	सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम (उत्पादन एकक)	9	6.13
3.	कल्याण विस्तार परियोजनाएं (शहरी)	3	0.07
4.	श्रम जीवी महिलाओं के होस्टल	2	0.14
5.	समेकित स्कूल-पूर्व परियोजनाएं	1	0.17
6.	शिक्षु केन्द्र (I) राज्य-वार	271	16.23
	(II) अखिल भारतीय	5	
7.	जन सहयोग में ग्रामीण महिलाओं का प्रशिक्षण	18	1.38
II.	**विकेन्द्रीकृत कार्यक्रम:**		
8.	स्वयंसेवी संस्थाओं को एक-वर्षीय अनुदान (5000 रुपए तक)	473	6.65
9.	महिला मंडल	25	4.42
10.	अवकाश शिविर	47	2.47
11.	पोषाहार कार्यक्रम	418	19.97
12.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त और केन्द्रीय समाज कल्याण प्रेरक शिविर कल्याण बोर्ड द्वारा कार्यान्वित परिवार	67	3.00
III.	**अंशातः विकेन्द्रीकृत योजनाएं:**		
13.	संक्षिप्त शिक्षा पाठ्क्रम— 2 वर्षीय (एक वर्षीय भी और व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम)	103	23.61
14.	प्रदर्शन परियाजनाएं (बालवाडियां)	19	1.67
15.	डेयरी एकक (सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम) (डेयरी/कृषि आधारित एकक)	59	21.24
16.	सीमा-क्षेत्र परियोजनाएं	8	6.96

कलकत्ता में उत्तरी बंगाल बरास्ता जिया गंज-अजीमगंज-फरक्का तक छोटा मार्ग

8909. **श्री जायनल अबेदिन :** क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता से उत्तरी बंगाल और असम बरास्ता जियागंज-अजीमगंज-फरक्का के लिए नसीरपुर और अजीमगंज के बीच एक पुल बनाकर एक अन्य छोटा मार्ग उपलब्ध कराने की लोगों की मांग है; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) हालांकि नसीपुर और अजीमगंज के बीच एक पुल का प्रस्ताव पहले प्राप्त हुआ था लेकिन संसाधनों की भारी तंगी के कारण इस पर विचार करना संभव नहीं हो पाया है।

पामोलीन के उपयोग से विभिन्न रोगों से ग्रस्त होने वाले लोग

8910. **श्री चित्त महाटा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पामोलीन के उपभोग से लोग पेचिश आदि जैसे विभिन्न रोगों से पीड़ित हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का विचार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) ऐसी कोई रिपोर्ट सरकार के ध्यान में नहीं आयी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

शैक्षिक संस्थाओं को "देवनागरी" के कम्प्यूटर खरीदने के लिए अनुदान

8911. **श्री राम विलास पासवान :** क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी माध्यम से शिक्षा देने के लिए शैक्षिक संस्थानों को "देवनागरी" के कम्प्यूटर खरीदने के लिए कोई विशेष अनुदान दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या हिन्दी में कम्प्यूटर विज्ञान पढ़ाने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इलेक्ट्रानिकी विभाग ने हिन्दी माध्यम से संगणक शिक्षा के लिए एक नीति तैयार करने के वास्ते एक समिति गठित की है। समिति को अपनी रिपोर्ट को अभी अन्तिम रूप देना है।

1980 से आज तक गाड़ियों के पटरी से उतारने तथा दुर्घटनाग्रस्त होने की घटनाएं

8912. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 से लेकर आज तक देश में गाड़ियों के पटरी से उतार देने के लिए कितनी बार चेष्टा की गयी उसकी वर्षवार संख्या नीचे दी गयी है;

(ख) 1980 से लेकर आज तक देश में कितनी बार गाड़ियों पटरी से उतरी हैं, और

(ग) 1980 से लेकर आज तक देश में कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) 1980 से देश में गाड़ियों को पटरी से उतरने और कुल गाड़ी दुर्घटनाओं की वर्ष बार स्थिति नीचे दी गयी है :—

1980	90
1981	127
1982	119
1983	179
1984 (मार्च तक)	22

(ख) और (ग) : 1980 से गाड़ियों के पटरी से उतरने और कुल गाड़ी दुर्घटनाओं और गाड़ी दुर्घटनाओं की वर्षवार स्थिति नीचे दी गयी है,—

वर्ष	गाड़ियों के पटरी से उतरने की संख्या	गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या
1980	791	977
1981	918	1111
1982	743	907
1983	605	740
1984 (मार्च तक)	140	180

"नेशनल मेरिट-कम-मीन स्कोलरशिप"

8913. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा "नेशनल मेरिट-कम-मीन स्कालरशिप" देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की कितनी छात्रवृत्तियां पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई हैं;

(ग) इसको देने का क्या मानदंड है;

(घ) क्या यह सच है कि इस प्रकार की छात्रवृत्तियां केवल उन छात्रों को दी जाती हैं जिनके माता-पिता की मासिक आय 500 रु० से कम है;

(ङ) क्या, इस वर्ष की छात्रवृत्तियां प्रदान की जा चुकी हैं; और

(च) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं। तथापि, इस मन्त्रालय मे राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों की योजना है, जो कि राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उन परीक्षक निकायों में से एक है, जिन्हें इस योजना के क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया है।

(ख) वर्ष 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत आबंटित नई छात्रवृत्तियों की संख्या क्रमशः 24,000, 25,000 तथा 26,000 है।

(ग) शिक्षा के अवर-स्नातक स्तर पर छात्रवृत्तियां बिल्कुल योग्यता एवं साधन के आधार पर स्नातकोत्तर स्तर पर केवल योग्यता के आधार पर प्रदान की जाती हैं। केवल वे छात्र, जो अर्हक परीक्षाओं में कम-से-कम 60% अंक प्राप्त करते हैं, पात्र हैं।

(घ) केवल अवर-स्नातक स्तर पर 500 रु० प्रति माह अथवा 6000 रु० प्रति वर्ष की आय सीमा है। स्नातकोत्तर स्तर के लिए कोई आय सीमा नहीं है।

(ङ) और (च) वर्ष 1984-85 के लिए छात्रवृत्तियां राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को पहले ही आबंटित की जा चुकी हैं।

मद्रास में भारतीय नौवहन निगम की शाखा खोला जाना

8914. **श्री सी०टी० दंडपाणि :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में भारतीय नौवहन निगम की शाखा खोलने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि नहीं, तो सम्बन्धित कारणों का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) चूंकि एजेन्सी के माध्यम से कारगो हैंडलिंग के परिचालन को कम खर्चीला पाया गया है अतः मद्रास में कार्यालय खोलने के बारे में अभी भारतीय नौवहन निगम का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मट्टुपलायम ऊटी छोटी लाइन पर पर्यटकों के लिए यात्रा को आनन्ददायक बनाने के उपाय

8915. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मट्टुपलायम-ऊटी छोटी लाइन पर कितने यात्रियों ने यात्रा की;

(ख) उससे कितनी आय हुई;

(ग) पर्यटकों को और अधिक संख्या में आकर्षित करने के उद्देश्य से इस छोटी लाइन की यात्रा को और अधिक आनन्ददायक बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है, और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों 1980-81 से 1982-83 के दौरान इस लाइन पर 7.05 लाख व्यक्तियों ने यात्रा की और 74.16 लाख रुपये की आय प्राप्त की गयी ।

(ग) और (घ) पर्यटकों के लिए यात्रा अधिक सुखद बनाने के लिए किए गये उपायों में बेहतर खान-पान सुविधाओं की व्यवस्था, स्टेशनों पर अतिरिक्त विश्रामकक्षों/डारमिटरी में स्थान की व्यवस्था और पर्यटकों को सड़क परिवहन तथा गाइड सुविधाएं निर्धारित एवं किफायती दरों पर दिलाने में सहायता करना शामिल हैं ।

अप्रैल, 1983 से मार्च, 1984 तक के दौरान रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा जांच की गयी रेल दुर्घटनाओं की संख्या

8916. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करें कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा अप्रैल, 1983 से मार्च, 1984 तक के दौरान कितनी रेल दुर्घटनाओं की जांच की गयी और उनके क्या परिणाम रहे ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जी के जाफर शारी)

अप्रैल, 1983 से मार्च, 1984 तक रेल सुरक्षा आयुक्तों द्वारा 28 गाड़ी दुर्घटनाओं की जांच की गयी है। अब तक 21 मामलों के सम्बन्ध में रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी हैं जिनके अनुसार दुर्घटनाओं के कारण निम्नलिखित थे :—

(1) रेल कर्मचारियों की गलती	—	12
(2) रेल कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों की गलती	—	3
(3) यांत्रिक उपस्कर की खराबी	—	3
(4) तोड़-फोड़	—	2
(5) संयोगवश	—	1

इसके अलावा, 13-11-83 को फैजाबाद स्टेशन के निकट कुछ व्यक्तियों के गाड़ी के नीचे आ जाने की एक घटना की भी, रेल सुरक्षा आयुक्त/उत्तरी क्षेत्र द्वारा जांच की जा रही है।

प्रसव के बाद परिवार नियोजन प्रोत्साहन केन्द्रों की स्थापना के लिए नार्वे सरकार से सहायता

8917. **श्री के०ए० स्वामी**
श्री जी०वाई०कृष्णन } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नार्वे सरकार, भारत में, प्रसव के बाद परिवार नियोजन प्रोत्साहन केन्द्रों की स्थापना के लिए काफी सहायता देने पर सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) (क) और (ख) हाल ही में भारत सरकार और नार्वे सरकार के बीच हुए करार के अंतर्गत नार्वे सरकार 400 उप-जिला स्तर के प्रस्वोत्तर केन्द्रों की स्थापना और आंशिक रख-रखाव के लिए चार वर्ष की अवधि के दौरान लगभग 13.48 करोड़ रूपये की सहायता प्रदान करेगी।

मातृ और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए बढ़ाया गया आबंटन?

8918. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984-85 में मातृ और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए आबंटन की धनराशि को बढ़ाया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 में उपरोक्त कार्यक्रम के लिए कितनी धन-राशि आबंटित की गयी थी और बाद में उसे कितना बढ़ाया गया, और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) 1984-85 में जच्चा स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए आबंटन की राशि को बढ़ाकर 58,50,00,000 रुपये कर दिया गया है जबकि 1983-84 में यह राशि 55,80,00,000 रुपये थी । 1984-85 के आबंटन का विवरण इस प्रकार :

राशि रुपयों में ।

1		2
(1) उप-केन्द्रों का रख-रखाव		20,00,00,000
(2) अतिरिक्त उपकेन्द्रों की स्थापना ।	—	17,00,00,000
(3) सहायक नर्स मिडवाइफों तथा लेडी हैल्थ विजिटरों का प्रशिक्षण ।	—	7,00,00,000
(4) दाईयों का प्रशिक्षण ।	—	3,00,00,000
(5) डिफथीरिया, काली खाँसी, टेटनस, पोलियो, क्षय रोग, टाइफाइड से बचाव तथा पोषण की कमी से हो जाने वाली अरक्तता तथा विटामिन "ए" की कमी के कारण होने वाली दृष्टिहीनता से बचाने सम्बंधी योजनाएं ।	—	11,20,00,000
	योग	58,50,00,000

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के जयपुर-भोपाल खण्ड पर किया गया व्यय और बानास नदी पर पुल का निर्माण

8919 : **श्री बनवारी लालबेखा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के जयपुर-भोपाल खण्ड की मंजूरी कब दी गई थी और अब तक उस पर कितना कार्य किया गया है; और

(ख) टोंक के निकट बनास नदी पर नए पुल के निर्माण का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्ररहमान अंसारी) : (क) जयपुर से बियोरा (भोहाल के समीप) तक की सड़क को 17 फरवरी, 1981 को राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 12 के विस्तार के रूप में घोषित किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग के इस भाग पर अब तक 398.93 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

(ख) सर्वेक्षण और जांच कार्य चल रहा है।

संगीत नाटक अकादमी में हिन्दी का प्रयोग

8920. **श्री हरालाल आर० परमार** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संगीत नाटक अकादमी में राजभाषा नियमों के अनुसार हिन्दी का प्रयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या काण हैं;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान अकादमी द्वारा कितने ज्ञापन, आदेश, सूचनाएं, परिपत्र जारी किये गये;

(घ) उस अकादमी में हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों की प्रतिशता क्या है; और

(ड.) हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाजकल्याणमंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) संगीत नाटक अकादमी जो कि एक स्वायत्त निकाय है ने कहा है कि मार्च-अप्रैल, 1983 में एक हिन्दी टंकक और हिन्दी अनुवादक की नियुक्ति से अकादमी राजभाषा नियमों के अनुसार हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिये सरकार के निर्देशों को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के लिये अपना भरसक प्रयास कर रही है।

(ग) पिछले पांच वर्षों के लिये अलग से कोई आंकड़े रखे नहीं गए हैं। तथापि अपेक्षित आंकड़े रखने के लिये अलग रजिस्टर खोले गए हैं।

(घ) अकादमी के 90% कर्मचारी हिन्दी जानते हैं।

(ङ) हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिये समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन करने के लिये अकादमी अपने कर्मचारियों पर जोर देती है।

हज तीर्थ यात्रियों के लिए विमान समुद्री जहाज की टिकटों के आबंटन की प्रक्रिया

8921. **प्रो सैफुद्दीन सोज** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हज तीर्थ यात्रियों के लिए विमान/समुद्री जहाज की टिकटों के आबंटन की क्या प्रक्रिया है;

(ख) वर्ष 1983 में विभिन्न राज्यों को कितनी सीटें आबंटित की गई थीं, और

(ग) वर्ष1984 में विभिन्न राज्यों को कितनी सीटें आबंटित की गयी हैं ?

विदेश मंत्रालय राज्य में मंत्री : (श्री ए०ए० रहीम) : (क) सरकार प्रत्येक वर्ष हज यात्रा के आरंभ में भारतीय तीर्थयात्रियों का कुल कोटा निर्धारित करती है। संबंधित राज्यों की मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर बंबई स्थित हज समिति विभिन्न राज्यों का कोटा निर्धारित करती है। चूंकि महाराष्ट्र/गोआ/दमन/दीप, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ राज्यों में हज समितियां नहीं हैं, अतः सभी इच्छुक तीर्थयात्रियों को राज्य हज समिति को आवेदन देना आवश्यक है चाहे वे समुद्री मार्ग से यात्रा करना चाहें अथवा वायुयान द्वारा। जहां पर आवेदकों की संख्या प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित कोटे से अधिक होती है वहां वायुयान/समुद्री टिकटों का आबंटन कुराह के आधार पर किया जाता है।

(ख) और (ग) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

विवरण-1

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	समुन्द्र द्वारा (1983) प्रथम श्रेणी	शायिका श्रैणी	कुल	वायुयान द्वारा (1943) विदेशी मुद्रा के साथ	विदेशी मुद्रा के बिना	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	47	501	548	616	29	645
2.	आसाम/त्रिपुरा मणिपुर/नागालैंड/मेघालय/ अरुणाचल प्रदेश/सिक्किम ।	51	541	592	665	31	696
3.	बिहार	103	1080	1183	1329	62	1391
4.	गुजरात/दादरा नागर हवेली	30	320	350	394	18	412
5.	दिल्ली	3	38	41	46	2	48
6.	जम्मू और काश्मीर	41	432	473	534	25	559
7.	कर्नाटक	42	443	485	545	25	570
8.	कैरल/लक्षद्वीप	56	597	653	734	34	768
9.	मध्य प्रदेश	24	259	283	318	15	333

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	महाराष्ट्र/गोआ/दमन-द्विप	58	606	664	747	35	782
11.	उड़ीस	4	47	51	57	3	60
12.	राजस्थान	25	252	277	311	14	325
13.	तमिल नाडु/पांडिचेरी	29	303	332	373	17	390
14.	उत्तर प्रदेश	185	1945	2130	2394	111	2505
15.	पश्चिम बंगाल/अंडमान निकोबार द्वीप समूह	123	1291	1414	1587	74	1661
16.	हरियाणा/पंजाब/हिमाचल प्रदेश	8	81	89	100	5	105
17.	सरकार के लिए आरक्षित	50	300	350	330	--	330
		879	9036	9915	11080	500	11580

विवरण-2

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	समुद्र द्वारा (1984) प्रथम श्रेणी	शायिका श्रेणी	कुल	वायुयान द्वारा (1984) विदेशी मुद्रा के साथ	विदेश मुद्रा के बिना	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	12	245	257	916	58	974
2.	असम/त्रिपुरा/ मणिपुर/नागालैंड/मेघालय अरुणाचल/सिक्किम।	14	264	278	989	62	1050
3.	विहार	26	529	555	1976	124	2100
4.	गुजरात/दादरा/नागर हवेली	8	156	164	586	36	622
5.	दिल्ली	1	18	19	69	4	73
6.	जम्मू और काश्मीर	11	211	222	792	50	842
7.	कर्नाटक	11	217	228	811	50	861
8.	केरल/लक्षद्वीप	14	292	306	1091	68	1159
9.	मध्य प्रदेश	6	127	133	473	30	503

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	महाराष्ट्र/गोआ/दमन-द्वीप	15	297	312	1110	70	1180
11.	उड़ीसा	1	23	24	85	6	91
12.	राजस्थान	7	123	130	463	28	491
13.	तमिलनाडु/पांडिचेरी	7	149	156	555	34	589
14.	उत्तर प्रदेश	48	951	999	3559	222	3781
15.	वैस्ट बंगाल/अंडमान निकोबार द्वीप समूह	32	631	663	2362	148	2510
16.	हरियाणा/पंजाब हिमाचल प्रदेश	2	40	42	150	10	160
17.	सरकार के लिए आरक्षित	25	200	225	300	—	300
		240	4,473	4,713	16,287	1,000	17,237

नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित करना

8922. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में इस समय जोन-वार और श्रेणी-वार कितने नैमित्तिक कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) उन्हें नियमित करने के लिए क्या मानदंड अपनाये गये हैं;

(ग) नैमित्तिक कर्मचारियों को दिये जा रहे रेल पास, राशन आदि जैसे रेलवे लाभों का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, तो क्या सरकार उन्हें नैमित्तिक कर्मचारी के रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद ऐसी सुविधाएं देने पर विचार करेगी; और

(ङ) वर्ष 1983-84 के दौरान प्रत्येक जोन और प्रत्येक श्रेणी में कितने नैमित्तिक कर्मचारी नियमित किये गये हैं?

रेलमंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री सी०के० जाफर शरीफ**) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) मात्र समयावधि को दृष्टिगत रखते हुए नैमित्तिक श्रमिक नियमित नियोजन में स्वतः समाहित नहीं हो जाते हैं। नियमित सेवा में उनका समावेशन, समावेशन की सम्बद्ध यूनिट में रिक्त स्थानों की उपलब्धता, नियमित सेवा के लिए उपयुक्तता और नैमित्तिक श्रमिक के रूप में सेवा अवधि जैसे कारकों पर निर्भर करता है। बहरहाल, इस प्रकार के समावेशन द्वारा अधिक नैमित्तिक श्रमिकों को लाभान्वित करने की दृष्टि से चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पद (कारखानों और अनुकम्पा/खेल-कूद कोटे के आधार पर नियुक्तियों जैसे कुछेक अपवादों को छोड़कर) स्क्रीनिंग किये गये/पेनल में रखे गये नैमित्तिक श्रमिकों में से भरे जा रहे हैं।

(ग) और (घ) चालू लाइन पर कार्यरत नैमित्तिक श्रमिकों को 120 दिन की सतत सेवा पूरी कर लेने पर अस्थायी मान लिया जाता है, जिसके बाद वे नियमित अस्थायी कर्मचारियों को दिये जाने वाले रेलवे पासों/सुविधा टिकट आदेशों, छुट्टी और नियमित टाइम स्केल आदि जैसे अधिकांश लाभों के पात्र हो जाते हैं। परियोजनाओं पर कार्यरत कर्मचारी 180 दिन की सतत सेवा पूरी कर लेने पर मासिक समेकित मंजूरी तथा वर्ष में नौ छुट्टियां लेने के पात्र हैं। लेकिन, नैमित्तिक श्रमिकों को मुफ्त राशन की सुविधा नहीं दी जाती है।

(ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

लम्बी दूरी तक जाने वाली रेल गाड़ियों में पेंट्रीकार की व्यवस्था करना

8923. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लम्बी दूरी तक जाने वाली कुछ रेल गाड़ियों में पेंट्रीकारों की व्यवस्था नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी रेलगाड़ियों की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) यात्रियों की सुविधा के लिए वर्ष 1984-85 के दौरान इस प्रकार की रेलगाड़ियों में पेंट्रीकार जोड़ने के लिए क्या कदम उठाये जा रहें हैं; और

(घ) गाड़ियों में खान-पान सेवाओं में सुधार करने के लिए अन्य क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री सी०के० जाफर शरीफ)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) पेंट्रीकारों की व्यवस्था केवल लम्बी दूरी की कुछ चुनिंदा सुपर फास्ट/मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में तभी की जाती है जब मार्गवर्ती स्टेशनों पर स्थापित खान-पान इकाइयां के माध्यम से की गयी मौजूदा खान-पान व्यवस्था या तो व्यवहारिक न हो अथवा मांग पूरा करने के लिए अपर्याप्त हो, बशर्ते कि गाड़ी में पेंट्रीकार लगाने के लिए गुंजाइश हो और पेंट्रीकारें उपलब्ध हों । बहरहाल, उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार रेलों द्वारा अतिरिक्त पेंट्रीकार सेवाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ।

(घ) रेलें खान-पान सेवाओं में सुधार के लिए लगातार प्रयास करती रहती हैं इस बारे में किये जाने वाले उपायों में आधुनिक उपकरणों से सज्जित स्थैतिक रसोई घरों में वरिष्ठ खान-पान कर्मचारियों के कड़े पर्यवेक्षण के अधीन स्वास्थ्यकर वातावरण में भोजन तैयार करना, चलती-फिरती इकाइयों और आधार रसोईघरों की गहन जांच, खाद्य सामग्री की मानक स्रोतों से खरीद, और खान-पान कर्मचारियों का प्रशिक्षण आदि शामिल हैं ।

इसके अतिरिक्त, हाल ही में रेलों पर एक खान-पान निगम की स्थापना करने का विनिश्चय किया गया है । चूँकि इस प्रकार के निगम को कार्य शुरू करने में कुछ समय लगेगा, इसलिए, नयी दिल्ली से शुरू होने या वहां से होकर गुजरने वाली 14 जोड़ी गाड़ियों पर चलती-फिरती खान-पान इकाइयों और इन गाड़ियों को भोजन सप्लाई करने वाले 7 आधार रसोई घरों के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने के लिए एक केन्द्रीय खान-पान सेवा संगठन की स्थापना कर दी गई है ।

आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं में निरक्षरता

8924 : **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के आदिवासी क्षेत्रों में महिलाएं शत प्रतिशत निरक्षर हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय कर रही है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) :

(क) 1981 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जन जातियों से सम्बन्धित महिलाओं की साक्षरता दर 8.04% है।

(ख) राज्य/संघ शासित प्रशासनों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे जनजातीय और कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में महिलाओं के नामांकन को प्राथमिकता दें और जहां तक संभव हो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्थापित करें। उन स्वैच्छिक एजेन्सियों को भी प्राथमिकता दी जाती है जो लक्षित वर्ग अर्थात् महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में प्रौढ़ शिक्षा को प्रोन्नत कर रही हैं।

इंडियन काउन्सिल आफ सोशल साइंसिस रिसर्च की नई अनुसंधान परियोजनाएं

8925. **श्री नवीन रावण** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन काउन्सिल आफ सोशल साइंसिस रिसर्च ने वर्ष 1984-85 के दौरान देश में नई अनुसंधान परियोजनाएं खोलने का विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल)

(क) और (ख) अध्येताओं द्वारा प्रस्तावित चुनिंदा अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करने के अलावा भा०सां०वि०अनु० परिषद का 1984-85 वर्ष के दौरान निम्नलिखित अनुसंधान कार्यक्रमों से संबंधित कार्य प्रायोजित करने का प्रस्ताव है :-

(i) सभी के लिए शिक्षा।

(ii) महिलाओं के प्रति अपराध।

(iii) उत्तर-पूर्व भारत से संबंधित सामाजिक विज्ञान

अनुसंधान निम्नलिखित के विशेष संदर्भ में :

(क) विकास की उपयुक्त नीति।

(ख) उत्तर पूर्व भारत का देश के शेष भागों के साथ सम्पर्क और अन्तरनिर्भताएं।

(ग) उत्तर-पूर्व भारत में संसाधन उपयोग और विकास।

(v) उद्यमशीलता।

भारत सोवियत संघ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

8926. **श्री नवीन रावणी** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय चल रहे भारत सोवियत संघ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(क) क्या वर्ष 1984-85 के दौरान भारत-सोवियत संघ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम में कोई वृद्धि किये जाने का कार्यक्रम है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) से (ग) भारत और सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ के बीच फरवरी, 1960 के सांस्कृतिक करार के अन्तर्गत शिक्षा, कला, विज्ञान और जन-संचार साधनों आदि के क्षेत्रों में वार्षिक/द्विवर्षीय सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम तैयार किए गए हैं तथा दोनों पक्षों द्वारा कार्यान्वित किए गए हैं। वर्ष 1983-84 के लिए इस शृंखला में अंतिम कार्यक्रम पर 17 मई, 1983 में मास्को में हस्ताक्षर किए गए थे। इस कार्यक्रम में, अन्य बातों के साथ-साथ (I) विज्ञान और शिक्षा (II) संस्कृति और कला (III) सार्वजनिक स्वास्थ्य और समाज कल्याण (IV) रेडियो, सिनेमा और प्रैस तथा (V) खेल के क्षत्रों में सहयोग/सहकारिता की व्यवस्था है।

कार्यक्रम में, अनुभव के आदान-प्रदान, व्याख्यान देने, सहकारी अनुसंधान परियोजनाओं और सेमिनारों, संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों में भाग लेने के लिए एक देश के शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों का दूसरे देश में भ्रमणों, दोनों की उच्च शिक्षा की चुनिन्दा संस्थाओं के बीच वैज्ञानिक और शैक्षिक सम्बन्धों; एक देश के राष्ट्रिकों को दूसरे देश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियों आदि की व्यवस्था है। इसमें भारतीय विश्वविद्यालयों के भाषा प्रभागों को रूसी भाषा के शिक्षक और सोवियत विश्वविद्यालयों को भारतीय भाषा शिक्षक मुहैया करने, प्रदर्शनकारी तथा गैरप्रदर्शनकारी प्रतिनिधि-मंडलों, कलाकारों, लेखकों के आदान-प्रदान तथा दोनों देशों के बीच प्रदर्शनियों के आदान-प्रदान की भी व्यवस्था है। सोवियत रूस के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम एक सतत प्रक्रिया है। 1985-1986 के लिए अगले कार्यक्रम पारस्परिक विचार-विमर्श के माध्यम से दोनों देशों के बीच यथाशीघ्र तय किया जाएगा।

प्रौढ़, सतत और विस्तारण शिक्षा आदि के संबंध में ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजे गये प्रस्ताव

8927 **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पुनरीक्षित मार्गनिर्देश के अनुसार ब्रह्मपुर विश्व विद्यालय से प्रौढ़, मतत विस्तारण शिक्षा और सुदूर शिक्षा (डिस्टेन्ट लरनिंग) प्राप्ति के संबंध में प्रस्ताव भेजने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पुनरीक्षित मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है, विश्वविद्यालय द्वारा छठी पंचवर्शीय योजना अवधि के दौरान सहायता की स्वीकृति के लिये योजना-वार और कार्यक्रम-वार क्या प्रस्ताव भेजे गए हैं;

(ग) उस विश्वविद्यालय के अधीनस्थ कालेजों के नाम क्या हैं और इन योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यकरण के केन्द्र कौन से हैं; और

(घ) इनके क्रियान्वयन के लिये विश्वविद्यालय ने कौन से प्रमुख क्षेत्र चुने हैं और इस सम्बन्ध में कालेजों को क्या अनुदेश दिये गये हैं ?

शिक्षा और सांस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बरहमपुर विश्वविद्यालय सहित सभी विश्वविद्यालयों से आयोग की प्रौढ़ सतत तथा विस्तार शिक्षा की योजना में भाग लेने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तैयार की गई प्रौढ़ सतत और विस्तार शिक्षा के लिये संशोधित मार्गदर्शी रूपरेखाओं में आवश्यकता पर आधारित और संगत शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से विश्वविद्यालयों तथा समुदाय के बीच पारस्परिक लाभदायक संबंध स्थापित करने की परिकल्पना है। आयोजित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यक्रमों में जागरूकता को बढ़ावा देना तथा आम रुचि विकसित करना, कार्यत्मक साक्षरता प्रदान करना, व्यवसायिक कौशलों में सुधार करना, तथा क्षेत्र कार्य और कार्यवाई के बीच पाठ्यचर्या सम्बन्ध विकसित करना शामिल हैं।

ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय ने मार्च, 1984 में जनजातीय लोगों, महिलाओं, युवाओं तथा बच्चों सहित विधार्थियों के लिए व्यावसायिक कौशलों, नागरिकता, नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण आदि में शिक्षा के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सहायता का प्रस्ताव भेजा। प्रस्तावों पर कुलपति के साथ चर्चा की गई जिसने उन्हें मार्गदर्शी रूप रेखाओं के अनुकूल बनाने के लिए संशोधित करना तथा विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमा में रहने वाले कमजोर वर्गों के आर्थिक पुर्नवास के लिए कार्यक्रम तैयार करना तथा इस प्रयोजन के लिए कार्यवाई योजना तैयार करना स्वीकार कर लिया था। विश्वविद्यालय ने संशोधित अस्ताव तैयार करने के लिए एक सर्वेक्षण करने के लिए भी सहायता मांगी थी।

विश्वविद्यालय ने शिक्षा के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया।

(ग) और (घ) कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए चुने गए कालेजों तथा क्षेत्रों के नामों

सहित विश्वविद्यालय द्वारा कार्यन्वित किए जाने वाले प्रस्तावों के ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

रायगड़ा नगर पालिका के दावों का निपटान

8928. **श्री गिरिधर गोमांगी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे ने रायगड़ा नगर पालिका द्वारा किये गये करों की बकाया धनराशि के दावों को निपटा दिया है;

(ख) यदि हां, तो निपटान के बाद अब तक कितना कर चुकाया गया है;

(ग) यदि अभी तक नहीं निपटाया है तो दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उनके मंत्रालय ने रायगड़ा नगर पालिका के दावों को निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ) रेल सम्पत्ति पर कर की अदायगी के लिए रायगड़ा नगर पालिका का दावा दक्षिण पूर्व रेलवे और नगर पालिका के बीच विवादाधीन है। रायगडा, जो राज्यों के पुनसंगठन से पहले मद्रास प्रेजीडेंसी के अधीन तथा, उडीसा राज्य का भाग बन गया। 1957-58 से पहले रेल सम्पत्ति पर करों का आधान मद्रास लोकल बोर्ड एक्ट, 1920 के उपबन्धों के अन्तर्गत मूल्यांकित किया जाता था। 1957-58 से नगर पालिका ने उड़ीसा नगर पालिका अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत कर (टैक्स) के दावे शुरु कर दिये। उडीसा राज्य रायगड़ा नगर पालिका और दक्षिण पूर्व रेलवे के प्रतिनिधियों की त्रिपक्षीय समिति के बीच हुए करार के अनुसार 1-10-57 से 31-3-1966 तक नगर पालिका को प्रति वर्ष 5000 रुपये की तदर्थ अदायगी की जा रही थी।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वेल्लारी केस के निर्णय के अनुसरण में, रेलों पर केवल 'उस राज्य' में अपनी सम्पत्तियों के बारे में 'वह कर' अदा करने का दायित्व है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने 1-4-66 से 31-4-78 तक की अवधि के लिए 25-1-50 से पहले की दरों पर कर की अदायगी कर दी थी।

रायगड़ा नगर पालिका वर्ष 1978-79 और 1979-80 की अदायगी स्वीकार नहीं कर रही है। नगर परिषद 13601.14 रुपये की दर से कर का दावा कर रही है जबकि पुरानी दर 1963.87 रुपये थी।

वेल्लारी नगर पालिका के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को देखते हुए, स्थानीय निकायों, जो संविधान लागू करने के समय एक राज्य के क्षेत्र के अधीन थे और जो राज्यों के पुर्गठन करने के परिणामस्वरूप अन्य राज्य के भाग बन गये थे, की करों की अदायगी से सम्बन्धित मामलों की पुनरीक्षा वित्त और विधि मंत्रालयों के परामर्श से की जा रही है। रायगड़ा नगर पालिका इसी कोटि में आती है और सरकार द्वारा निर्णय होते ही, रायगड़ा नगर पालिका का दावा निपटा दिया जायेगा।

नैतिक शिक्षा सम्बन्धी संगोष्ठी की सिफारिशें

8929. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) नैतिक शिक्षा संबंधी संगोष्ठी ने सरकार से क्या सिफारिशें की हैं;

(ख) संगोष्ठी की सिफारिशों को मद्देनजर रखते हुए कार्यवाही योजना तैयार करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित कार्य-दल के कौन-कौन सदस्य हैं और उसके विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ग) इसका गठन कब किया गया था तथा यह कार्यदल अपनी अन्तिम रिपोर्ट किस तारीख तक भेज देगा ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) (क) शिमला में मई, 1981 में हुए नैतिक शिक्षा सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि शिक्षा में मूल्योन्मुखता पर विशेष बल दिया जाना चाहिएं। अध्ययन प्रक्रिया, पाठ्यचर्या का निर्माण अनुदेशात्मक तरीके और मूल्यांकन इस प्रकार के होने चाहिए कि वांछित मूल्यों का स्वत: विकास हो सके। माध्यमिक स्कूलों और विश्वविद्यालयों में आधारभूत पाठ्यक्रम छात्रों को भारत, इसके लोगों और सांस्कृतिक परम्पराओं के सम्बन्ध में बुनियादी जानकारी देने के लिए तैयार किए जाने चाहिएं। फिल्मों साहित मूल्योमुख शिक्षा सम्बन्धी साहित्य के लिए एक संसाधन केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए और एक प्रभावी प्रसार प्रणाली का विकास किया जाना चाहिए। मूल्योन्मुख शिक्षा के लिए विशेष स्कूल तैयार तथा स्थापित किए जाने चाहिएं और प्रत्येक राज्य में सभी स्तरों पर मूल्योन्मुख शिक्षा प्रदान करने के लिए ऐसी संस्था होनी चाहिए। छात्रों में मूल्यों को विकसित करने के प्रभावी तरीकों में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष सिक्षक अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिएं।

(ख) कार्य दल में ये शामिल होंगे :

1. प्रोफेसर एम० बी० माथुर,
   51, वेस्टर्न कोर्ट, जनपथ,
   नई दिल्ली।

2. डा० वी० एस० झा,
   868, झा मार्ग,
   राइट टाउन, जबलपुर
   (मध्य प्रदेश)

3. श्री किरीट जोशी,
   विशेष सचिव,
   शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय,
   शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

4. डा० वी० जी० कुलकर्णी,
टाटा मूल अनुसंधान संस्थान,
होमी भाभा रोड, बम्बई-400005।

5. प्रो० (श्रीमती) साजिदा जैदी,
शिक्षा विभाग,
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़।

6. प्रोफेसर जी० सी० पांडे,
इतिहास विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद-211002।

कार्य दल सिफारिशों को उस सीमा तक, जिस तक वे उच्चतर शिक्षा से सम्बन्धित है, कार्यान्वित करने की कार्यवाई योजना की सिफारिश करेगा।

(ग) कार्य दल का गठन जून, 1982 में किया गया था और इसकी रिपोर्ट को शीघ्र अंतिम रूप दिए जाने की सम्भावना है।

विदेशों में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को लोकप्रिय बनाने के लिए उठाए गए कदम

8930. **श्री मोहन लाल पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में डाक्टरों द्वारा आयुर्वेदिक और यूनानी जैसी भारतीय स्वदेशी दवाओं का प्रयोग किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार विदेशों में हमारी स्वदेशी दवाओं को लोकप्रिय बनाने के बारे में विचार कर रही है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियां कुछेक देशों को निर्यात की जाती हैं। लेकिन विदेशों में डाक्टरों द्वारा उनके वास्तविक उपयोग के बारे में विस्तृत ब्यौरा इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है।

(ख) स्वदेशी दवाइयों को विदेशों में लोकप्रिय बनाने की कोई विशेष योजना नहीं है।

सिगरेटों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध और धूम्रपान को निरुत्साहित करने के उपाय

8931. **श्री मोहन लाल पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यह विचार है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है;

(ख) यदि हां, तो धूम्रपान को निरुत्साहित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) क्या सरकार सिगरेटों के, विशेष रूप से बस स्टापों, खेल-स्टेडियों, कालेजों और स्कूलों में, विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्रीमती मोहिसीना किदवई**) : (क) हां ।

(ख) और (ग) सिगरेट (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 1965 के उपबंधों के अनुसार सिगरेट निर्माताओं को सिगरेट के प्रत्येक पैकेट/विज्ञापन/होर्डिंगों पर सांविधिक चेतावनी "धूम्रपान स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है" प्रदर्शित करनी होती है। यह भी निर्णय लिया गया है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन धूम्रपान को बढ़ावा देने वाले कोई विज्ञापन स्वीकार नहीं करेंगे। चूंकि सिगरेट के उत्पादन और व्यापार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, इसलिये सार्वजनिक स्थानों पर इसके विज्ञापनों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करना मुश्किल है । वैसे, ऐसे सभी मामलों में सांविधिक चेतावनी प्रदर्शित करना जरूरी है। खेल विभाग ने हाल ही में एशियाड स्टेडियमों में शराब और सिगरेट के बारे में होर्डिंगों के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये आदेश जारी किये हैं।

सातवीं योजना में नये राष्ट्रीय राजमार्ग के लिये अनुरोध

8932. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सातवीं योजना के दौरान नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (**श्री जियाउर्रहमान अंसारी**) : (क) सातवीं योजना के आवंटन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है अतः अभी प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नांगल-तलवाड़ा रेलवे लाइन के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश के युवकों की भर्ती

8933. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन रेलवे लाइनों के निर्माण कार्य पर भर्ती हेतु उस राज्य के युवकों को प्रोत्साहन देती है जिस राज्य से होकर वह रेलवे लाइन गुजरती है;

(ख) यदि हां, तो क्या नांगल-तलवाड़ा रेलवे लाइन पर निर्माण कार्य के लिए हिमाचल प्रदेश के युवकों की कोई भर्ती की गयी है;

(ग) यदि हां, तो इस संदर्भ में कितने युवकों को रोजगार दिया गया और क्या उन परिवारों के किसी सदस्य को कोई वरीयता दी गयी है जिनकी भूमि निर्माण के लिए अर्जित की गयी है, और वह किस रूप में दी गयी है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और हिमाचल प्रदेश से युवकों की भर्ती हेतु कब तक आदेश दे दिये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) अभी तक नंगल डैम-तलवाड़ा रेल लाइन के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य के 25 व्यक्तियों को नैमित्तिक श्रमिक के रूप में लगाया गया है। इनमें उन परिवारों का कोई सदस्य शामिल नहीं है जिनकी भूमि निर्माण के लिए अधिग्रहीत की गयी थी।

क्षेत्रीय इंजीनियरी और शैक्षिक कालेज खोलने के लिये अनुरोध

8934. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में क्षेत्रीय इंजीनियरी और क्षेत्रीय शैक्षिक कालेज खोलने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने कालेजों की मांग की है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) जी, हां।

हिमाचल प्रदेश और पजाब में क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज खोलने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) मामला सरकार के विचाराधीन है।

अकादमियों के कार्यकरण की पुनरीक्षा

8935. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी समिति द्वारा गत 5 वर्षों के दौरान साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी और संगीत नाटक अकादमी के कार्यकरण की पुनरीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और उसमें क्या सिफ़ारिशें की गई हैं और उनको कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा उनके संबंध में यह पुनरीक्षण कब किया जाएगा ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अकादमियों के कार्यकरण की ऐसी समीक्षा करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

बरौनी गरहरा और सोनपुर के नैमित्तिक मजदूरों को नियमित करना

8936. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी, गरहरा और सानपुर के सैकड़ों वैकल्पिक मजदूरों को, जो कि गत कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं और जिन्होंने 120 दिनों की निरन्तर सेवा अवधि पूरी कर ली है, अभी तक नियमित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) प्रश्न में उल्लिखित स्थानों पर पूर्व और पूर्वोत्तर रेलवे पर कार्यरत एवजियों की संख्या 200 से भी कम है।

(ख) एवजियों का समाहरण स्वतः ही नहीं होता, ऐसा करना रिक्तियों की उपलब्धता, एवजियों की सेवा काल की समयावधि और उनका नियमित रूप से नियोजन के लिए उपलब्धता जैसे तथ्यों पर निर्भर करता है।

राजस्थान में रेलों का विकास

8937. **श्री भीखा भाई** : क्या रेल मंत्री राजस्थान में रेलों के विकास के बारे में 29 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5492 के भाग (क) और (ख) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोन-वार और डिवीजन-बार हुए खर्च के आंकड़े क्या हैं; और

(ख) राजस्थान राज्य के अन्तर्गत आने वाले डिवीजनों में कुल कितने प्रतिशत खर्च किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पूर्वोत्तर रेलवे में रेल लाइनों का बदलना

8938. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे में सभी छोटी रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में कब तक बदले जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या गरहारा स्थित ट्रांसशिपमेंट रोड को पूर्णतः हटाये जाने का विचार है और यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि वहीं, तो क्या सही कार्य निष्पादन के लिए गरहरा में ट्रांसशिपमेंट श्रमिकों के कुछ और स्थाई पद बनाये जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) पूर्वोत्तर रेलवे की मीटर आमान की सभी लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। इस रेलवे के आमान परिवर्तन के वर्तमान स्वीकृत निर्माण-कार्यों का पूरा होना धनराशि की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

संभागीय रेल प्रबन्धक समस्तीपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) के सम्मुख रेल मजदूरों का धरना

8939. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मजदूरों ने 26 फरवरी, 1984 को संभागीय रेल प्रबन्धक समस्तीपुर के कार्यालय के सम्मुख धरना दिया तथा पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर यूनियन वे रेल मजदूरों की समस्याओं के बारे में एक मांग पत्र दिया;

(ख) यदि हां, तो मांग पत्र में क्या-क्या मांगें रखी गई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

महाप्रबन्धक गोरखपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) के कार्यालय के समस्त रेल कर्मचारियों का प्रदर्शन

8940. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न मजदूर संगठनों के तत्वावधान में रेल कर्मचारियों की संघर्ष समिति ने महाप्रबन्धक गोरखपुर के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया था और एक ज्ञापन पेश किया था; और

(ख) यदि हां, तो रेल कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गधारा (पूर्वोत्त रेलवे) के क्षेत्र प्रबन्धक के समय रेलवे कर्मचारियों का प्रदर्शन

8941. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे कर्मचारी ने पूर्वोत्तर रेलवे में गधारा के क्षेत्र प्रबन्धक के समक्ष प्रदर्शन किया था और उसको एक ज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे प्रशासन द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

वैली घाट और ढलकुनी स्टेशनों के बीच फ्लेग स्टेशन खोलना

8942. **श्री अजित बाग :**
श्री हन्नान मोल्लाह : } क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा वैली घाट और दनकुनी स्टेशन के बीच एक 'फ्लेग स्टेशन' खोलने का निर्णय किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे के रेलवे प्राधिकारियों ने वैली घाट और दनकुनी स्टेशन के बीच जैसा कि मूल रूप से निर्णय किया गया था 'फ्लेग स्टेशन' खोलने के बजाय एक 'हाल्ट स्टेशन' खोल दिया है; और

(ग) यदि हां, तो पहले निर्णय को बदलने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख), जी, हां।

(ग) धन की कमी के कारण, राजचन्द्रपुर में फ्लैग स्टेशन खोलना कठिन था, फिर भी स्थानीय लोगों की मांग को पूरा करने के लिए, 31-10-1973 से एक हाल्ट स्टेशन खोला गया था।

बम्बई, नई दिल्ली और अमृतसर के बीच चलने वाली 25 डाउन 26 अप रेल गाड़ियों के साथ नागदा में साबरमती एक्सप्रेस के सम्पर्क की व्यवस्था करने का प्रस्ताव

8983. **श्री सत्यनारायण जाटिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के नागदा जंक्शन पर, बम्बई, नई दिल्ली-अमृतसर के बीच चलने वाली 25 डाउन और 26 अप रेल गाड़ियों का साबरमती एक्सप्रेस से सम्पर्क जोड़ने की व्यवस्था के बारे में कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) 25 वाता०/पश्चिम एक्सप्रेस नागदा में 166 साबरमती एक्सप्रेस से मेल लेती है। लेकिन 26 वाता०/पश्चिम एक्सप्रेस 165 साबरमतो एक्सप्रेस से मेल नहीं लेती है। इन दोनों गाड़ियों के मेल लेने की व्यवस्था करना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

पारादीप पत्तन के लिए लौह अयस्क की ढुलाई के लिए रियायती माल भाड़ा

8944. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा और बिहार में उत्पादित लौह अयस्क को निर्यात के लिए पारादीप पत्तन तक 670 किलोमीटर दूरी के खड़कपुर होकर एक लम्बे मार्ग से लाना पड़ता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि लौह अयस्क के निर्यात मूल्य में उपरोक्त रेल भाड़े का अंश लगभग 60% होता है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लौह अयस्क को स्रोत से पारादीप पत्तन तक रेल की बजाय सड़क से ढुलाई सस्ती पड़ती है;

(घ) यदि हां, तो लौह अयस्क की पारादीप पत्तन तक ढुलाई के लिये रियायती माल भाड़ा लागू करने पर विचार करेगी ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) पारादीप पोर्ट के रास्ते बड़ा आम्मा क्षेत्र से निर्यात के लिए लौह अयस्क का संचलन करने के लिए मार्ग खड़गपुर होकर सबसे छोटा मार्ग है ।

(ख) जी हां।

(ग) यद्यपि सड़क द्वारा दूरी कम है, लेकिन थोक में लोह अयस्क की ढुलाई की समग्र लाभप्रदत्त विभिन्न प्रकार के साधनों द्वारा संचलन की मात्रा, अपेक्षित संसाधन और निवेश, अनुरक्षण, परिचालन और कर्मचारी लागत पर निर्भर करेगी । समग्र रूप से, थोक संचलन के लिए रेलें सबसे उपयुक्त हैं ।

(घ) और (ङ) रियायती माल भाड़ा दरों की कोटेशन केवल वाणिज्यिक दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं ।

उत्कल और कलिंग एक्सप्रेस गाड़ियों में पेंट्रीकारों की व्यवस्था करना

8945. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 143/144 कलिंग एक्सप्रेस और 77/78 उत्कल एक्सप्रेस में पेंट्रीकारों की व्यवस्था नहीं की गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि रेल प्रयोक्ताओं और संसद सदस्यों ने यात्रियों के लाभ के लिये इन रेलगाड़ियों में पेंट्रीकारों की व्यवस्था करने हेतु माननीय मंत्री जी को अभ्यावेदन दिये हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ; और

(घ) इन रेलगाड़ियों में पेंट्रीकारों की कब व्यवस्था की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जी, हां। पेंट्रीकार सेवाओं की व्यवस्था इस समय केवल कुछ चुनींदा लम्बी दूरी की सुपरफास्ट मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की बहुत सीमित रुकौनियों को ध्यान में रखते हुए की गयी हैं। अन्य एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए मार्ग के स्टेशनों पर स्थैतिक खान-पान के यूनिटों के माध्यम से खान पान के लिये वर्तमान व्यवस्थाएं विद्यमान हैं। पेंट्रीकारों की संख्या बहुत सीमित है और अन्य सवारी गाड़ियों में अधिकतम संख्या में सवारी डिब्बे लगाने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है।

बहरहाल, रेलवे उपयुक्त बातों को ध्यान में रखते हुए कलिंग/उत्कल एक्सप्रेस गाड़ियों में पेंट्रीकार लगाने के प्रस्ताव को विचारार्थ रखेगी।

इरानी-हिन्द संयुक्त उद्यम द्वारा भारवाहन विस्तार योजना

8946. **श्री के० प्रधानी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इरान सरकार और भारत सरकार के स्वामित्व वाली भारतीय नौवहन निगम ने संयुक्त उपक्रम के रूप में इरानी-हिन्द, एक विशाल भारवाहन विस्तार योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और इसे किस प्रकार से वित्त पोषित किया जायेगा;

(ग) यह किन-किन मार्गों पर चलेगी;

(घ) क्या पूर्वी समुद्री तट से, विशेष रूप से पारादीप पत्तन से, इसकी सेवाएं चलाई जायेंगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में अस्थायी योजना क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ङ) जी नहीं। इरानी-हिन्द नौवहन कम्पनी द्वारा अभी तत्काल अपनी जहाजी बेड़े वृद्धि का कोई नया प्रस्ताव नहीं है। तथापि वे दो रेफ्रीजेरेटर जलयानों की खरीद के सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं, जो ईरानी सरकार के अनुमोदन पर निर्भर है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के टूटे-फूटे भागों की मरम्मत

8947. **श्री ए० के० राय** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों के टूटे-फूटे भागों की कुल लम्बाई कितनी है जिनकी तत्काल मरम्मत किये जाने की आवश्यकता है और तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या यह सच है कि क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है,

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये गये हैं;

(घ) क्या क्षतिग्रस्त सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत करने के संबंध में कोई समयबद्ध कार्यक्रम है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ङ) चूंकि क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत का कार्य एक ऐसा कार्य है जो वर्षभर होता रहता है। अत: किसी खास अवधि में कितनी सड़कें क्षतिग्रस्त रही यह बताना सामान्यत: कठिन है। यातायात के अलावा मौसम सम्बन्धी कारणों जैसे वर्षा, आंधी से भी सड़कें टूटती-फूटती रहती हैं। इस प्रकार की क्षति पूरे वर्ष भर होती रहती है और सामान्य अनुरक्षण कार्य के अधीन नियमित रूप से इनकी मरम्मत की जाती है। इसके अलावा असंभावित और अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं, असाधारण बाढ़, भूकम्प, तूफान आदि के कारण भी सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। हालांकि इस प्रकार सामान्यत: सड़कें कही-कहीं ही क्षतिग्रस्त होती हैं लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से यह क्षति काफी अधिक और भयंकर होती है। यह क्षति किसी अवधि या स्थान विशेष पर न होकर भिन्न-भिन्न समय पर भिन्न-भिन्न स्थानों पर होती हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात के लायक बनाये रखने के लिए रुटिन मरम्मत कार्य पूरे वर्ष भर किया जाता है जबकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त मार्ग को विशेषकर यातायात को अवरुद्ध करने वाली क्षति को जैसे ही स्थिति सामान्य होती है मरम्मत कर दी जाती है। केन्द्रीय सरकार के सम्भावित संस्वीकृति के साथ राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग को बिना किसी देरी के मरम्मत कार्य को शुरू कर देने का अधिकार प्राप्त है जिससे कि इन मार्गों को यातायात के लायक बनाया जा सके। यातायात के शुरू किये जाने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग को पूर्ववत बनाने के लिए शेष कार्यों को शुरू किया जाता है और सामान्यत: इन कार्यों को भी तेजी के साथ किया जाता है।

सड़क दुर्घटनाओं के लिए विभिन्न कारण उत्तरदायी हैं जिनमें असावधानीपूर्वक गाड़ी चलाना, मशीनों का खराब हो जाना, निर्णय सम्बन्धी मानवीय गलतियां आदि शामिल हैं। सड़क की कमियां भी इन दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी है जबकि इन स्थानों पर निर्णय सम्बन्धी मानवीय गलतियां और असावधानिक पूर्वक गाड़ी चलाना भी इन दुर्घटनाओं के लिए अधिक उत्तरदायी है। उचित रोड साइन्स द्वारा क्षतिग्रस्त खण्डों दर्शाया जाता है।

लखनऊ और बनारस में स्थानापन्न व्यक्तियों की कथित बोगस नियुक्ति

8948. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ और बनारस के दोनों ही प्रशासनों को एवजियों की जाली नियुक्तियों के मामलों की जानकारी है जिसके परिणामस्वरूप रेलवे को प्रतिमाह एक लाख रुपये की हानि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कदाचारों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) उत्तर रेलवे के लखनऊ लोको शेड में एवजियों की कथित जाली नियुक्ति से संबंधित इस तरह का एक मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच के लिए भेजा गया था।

एवजियों की जाली नियुक्ति के बारे में रेल प्रशासन के पास दर्ज करायी गयी सभी प्रमाणिक शिकायतों की रेलवे सर्तकता द्वारा जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर निवारक जांच भी की जाती है।

बज बज-नमखाना रेल लाइन के लिये मंजूरी

8949. **श्री अमल दत्त** : क्या रेल मंत्री बज-बज नामखाना रेल लाइन के लिए मंजूरी के बारे में 15 मार्च, 1984 और 29 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2336 और 5463 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस लाइन पर पहले दो वर्ष के लिए व्यय का आकलन कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या यह परियोजना आयोग को भेजी गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां, 1981 में योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

गुजरात में छठी योजना में रेल लाइन का विद्युतीकरण

8950. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा छठी योजना के दौरान रेल लाइन के विद्युतीकरण के संबंध में जोन-वार किए गए कार्य का क्या ब्यौरा है ;

(ख) विभिन्न जोनों में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) इस कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(घ) गुजरात राज्य में वर्ष 1984-85 के दौरान रेल लाइनों के विद्युतीकरण कार्य शुरू करने की सरकार की क्या योजना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) उपलब्ध धन राशि को वितरित करने के लिए सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि अधिकतम संभावित कार्यों को समय-सीमा के भीतर पूरा किया जा सके जिसकी कि धन की उपलब्धता के अनुसार समय-समय पर समीक्षा की जानी होती है।

(घ) बडोदरा-गोधरा-रतलाम खंड पर विद्युतीकरण का कार्य पहले से ही प्रगति पर है जिसमें से लगभग 245 कि० मी० मार्ग गुजरात राज्य में पड़ने वाला विद्युतीकरण का कोई नया कार्य 1984-85 में शामिल नहीं किया गया है।

विवरण

रेलवे जोन	पिछले वर्ष से अग्रेणीत तथा नया प्रारम्भ किया गया विद्युतीकरण का कार्य		छठी योजना में 31-3-84 तक पूरा किया गया विद्युतीकरण का कार्य	
	खंड	मार्ग कि०मी०	खंड	मार्ग कि०मी०
मध्य	तुगलकाबाद-मथुरा	123	तुगलकाबाद-मथुरा	123
	मथुरा-झांसी	277	मथुरा-बाढ़	10
	झांसी-इटारसी	381	दिवा-वसई रोड	42डीसी
	इटारसी-भुसावल	301		
	इटारसी-नागपुर	298		
	नागपुर-भुसावल	393		
	वर्धा-वल्लारशाह	133		
	बीना-कटनी	263		
पूर्व	चन्द्रपुरा-कम्पलेक्स में कोयला-खान की लाइनें	64		
उत्तर	दिल्ली-क्षेत्र की लाइन	50	दिल्ली क्षेत्र की लाइनें	50
दक्षिण	अरकोपग-रेजिगुंटा	66	अरकोणम-तिरुपति	13
	अरकोणक-जोल्लारपेट्टै	144	अरकोणग-चित्तरी	36
	जोल्लारपैट्टै-बेंगलूरु	144	वल्लारशाह-रोड	
दक्षिण-मध्य	विजयवाड़ा-बल्लारशाह	454	एलावूर-गुडूर	86
	गुडूर-तिरुपति	94	तिरुवल्लूर-अरकोणम	28
	काजी पेट-सनत नगर	167	गुडूर-वेंकटगिरी	38
दक्षिण-पूर्व	चन्द्रपुरा कम्पलेक्स में कोयला		चिराला-बिट्रगुंटा-गुडूर	204
	खान की लाइनें	70	किरांदुल-जगदलपुर	471
	कटनी-विलासपुर	327	कोरापुट-वाल्तेरु	
	दुर्ग-नागपुर	265		
	खड़गपुर-मिदनापुर	13		
पश्चिम	मथुरा-गंगापुर सिटी	153	अनन्द-ठासरा, गोधरा	78
	गंगापुर सिटी-कोटा रतलाम	437	अहमदाबाद-साबरमती	8
	बड़ोदरा-गोधरा-आनन्द	150		
	गोधरा-रतलाम	185		

कंजूर मार्ग और बिखरोली के बीच फ्लाई ओवर पुल

8951. **श्री डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे ने बम्बई में कंजूर मार्ग और बिखरोली के बीच बिखरोली-जोगेश्वरी सम्पर्क सड़क को जोड़ते हुए एक फ्लाई ओवर पुल की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने रेल लाइन तक पहुंच सड़क बनाई है;

(ग) यदि हां, तो पुल का निर्माण कार्य कब शुरू होने की संभावना है और कब इसके पूरे होने की संभावना है; और

(घ) उसकी लागत तथा अन्य ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । राज्य सरकार ने पश्चिमी पहुंच मार्ग पर मिट्टी डालने का कार्य शुरू कर दिया है । पूर्वी पहुंच मार्ग के लिए अभी पूरी भूमि का अधिग्रहण करना है और इस तरफ के पहुंच मार्ग पर उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है ।

(ग) रेलवे द्वारा रेलपथों के ऊपर पुल बनाने का काम अक्तूबर, 1984 में प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है बशर्ते कि तब तक रास्ते में आने वाली झोंपड़ियों को हटा दिया जाये, और जून, 1986 तक पूरा होने की संभावना है ।

(घ) ऊपरी सड़क पुल की अनुमानित लागत 46.00 लाख रुपये है जिसमें रेलवे का हिस्सा 23.57 लाख रुपये है । ऊपरी सड़क पुल में पूर्व प्रबलित कंक्रीट डिजाइन के तीन स्पैन होंगे जिनकी कुल लम्बाई 68 मीटर है ।

बिखरौली रेल स्टेशन (बम्बई) के पूर्व में नया टिकटघर

8952. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के अंतर्गत बम्बई में बिखरोली रेलवे स्टेशन के पूर्व भाग में नया टिकट घर खोलने की बड़ी मांग है; और

(ख) यदि हां, तो इस टिकटघर की स्थापना करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां ।

(ख) बिखरोली स्टेशन के पूर्वी किनारे पर नये बुकिंग कार्यालय की व्यवस्था करने से संबंधित कार्य पहले ही स्वीकृत कर दिया गया है ।

पश्चिम जर्मनी में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना

8953. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोन स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय कलाकारों, नर्तकों, चित्रकारों और शिल्पकारों से कला प्रदर्शन के लिए पश्चिम जर्मनी में अपने किस्म के पहले भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का पूरा ब्यौरा क्या है और इस केन्द्र को चलाने के लिए क्या अग्रिम तैयारियां की गई हैं;

(ग) केन्द्र को चलाने और उसमें कला प्रदर्शनों पर कितनी मुद्रा खर्च होगी;

(घ) कला प्रदर्शन के लिये भवनों के निर्माण, आवंटन, किराये पर लेने आदि पर अनुमानित कितनी लागत आने का अनुमान है,

(ङ) क्या सरकार को इस केन्द्र से कोई आय होने की आशा है; और

(च) इस केन्द्र को किस विचार से स्थापित किया जा रहा है, उसका पूर्ण ब्यौरा क्या है और अन्य वार्षिक खर्चों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् ने बोन स्थित भारतीय दूतावास के परामर्श से बोन में एक सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है।

(ख) एक केन्द्रीय क्षेत्र में स्थित उसी इमारत में 250 वर्ग मीटर परिसर किराये पर लिया गया है, जहां राजदूतावास का शिक्षा, संस्कृति और सूचना स्कंध भी है। इस प्रस्तावित केन्द्र में कला प्रदर्शनियां तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। वहां एक प्रदर्शन कक्ष काउंटर की भी व्यवस्था की जाएगी जहां ललित कलायें और शिल्प, भारतीय संस्कृति संबंधी पुस्तकें, संगीत रिकार्ड आदि प्रदर्शित किये जाएंगे। इस केन्द्र के अध्यक्ष एक भारतीय आस्थानी निदेशक होंगे।

(ग) अनुमान है कि कर्मचारियों के वेतन व भत्तों पर होने वाला आवर्ती खर्च तथा परिसर के किराए की राशि 5.5 लाख रुपये होगी। फिलहाल कार्यक्रमों पर होने वाले खर्च का अनुमान प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, जो कि उनके स्वरूप और अन्य तत्वों पर आधारित होगा।

(घ) वार्षिक किराया 1.824 लाख रुपये है। परिसर की सज्जा और सजावट पर शुरू-शुरू में 2 लाख रुपये खर्च होने की सम्भावना है।

(ङ) प्रारम्भिक चरण में नहीं।

(च) विदेशों में सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने के प्रमुख उद्देश्यों में से एक यह भी है कि वहां भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जाए। भारी मांग के फलस्वरूप बोन में एक ऐसे केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव कुछ अर्से से विचाराधीन रहा है। 1983-85 वर्ष के लिए भारत—जर्मन

संघीय गणराज्य सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, जिसे अप्रैल, 1983 में अन्तिम रूप दिया गया था, में एक ऐसे सांस्कृतिक प्रदर्शन की स्थापना तय की गई थी।

रेल मंत्रालय में ग्रेड 'क' से 'ग' पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

8954. **श्री भीखाभाई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक विभाग (मंत्रालयों और गैर-मंत्रालयी कर्मचारी) में 1 जनवरी, 1982 की ग्रेड 'क' से 'ग' पदों (संवर्गवार) में सरकारी कर्मचारियों (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर) और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या कितनी है : और

(ख) वर्ष 1982 और 1983 के दौरान, उक्त पदों में कुल कितने सरकारी कर्मचारियों (अनुसूचित जातितों/अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर) और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति (संवर्गवार) की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) क्षेत्रीय रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की अनुभाग अधिकारी और अवर सचिव के पद पर पदोन्नति

8955. **श्री भीखा भाई** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव के ग्रेड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उचित प्रतिनिधित्व के बारे में 29 मार्च, 1948 के अतरांकित प्रश्न संख्या 5484 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग अनुभाग अधिकारी और अवर सचिव संवर्गों का नियंत्रण करता है ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने पिछले बकाया खाली स्थानों को भरने के लिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से खाली पदों के लिए मांग की है; और

(ग) आरक्षित खाली पदों के लिए कौन उत्तरदायी है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप-मंत्री कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी, (क) से (ग) केन्द्रीय सचिवालय सेवा (अनुभाग अधिकारी के ग्रेड तक) विकेन्द्रीकृत है। वैसे, अनुभाग अधिकारी ग्रेड और केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 पर पदोन्नति की चयन सूची कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा हर वर्ष भरी जाने वाली कुल रिक्तियों के अनुसार तैयार की जाती है और इस संबंध में जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को 15 प्रतिशत और $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत का आरक्षण दिया जाता है। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग भी इस विषय से संबंधित अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित

जाति/अनुसूचित जनजाति की आरक्षित रिक्तियों, जिनमें पहले से पड़े रिक्त पद भी शामिल हैं, को भरने के लिए आवश्यक कदम उठाता है।

अहमदाबाद-त्रिवेन्द्रम सेंट्रल एक्सप्रेस की बारम्बारता में वृद्धि

8956. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्रारम्भ की गई अहमदाबाद-त्रिवेन्द्रम सेंट्रल एक्सप्रेस की बारम्बारता में वृद्धि करने की कोई मांग की गई है : और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) 903/904 अहमदाबाद-तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाने के सम्बन्ध में मांगें प्राप्त हुई हैं और इनकी जाँच की गयी है लेकिन इसे सवारी डिब्बों, डीजल इंजनों और लाइन क्षमता जैसे संसाधनों की कमी के कारण फिलहाल व्यावहारिक नहीं पाया गया।

न्यू बोंगईगांव-त्रिवेन्द्रम सेन्ट्रल एक्सप्रेस की बारम्बारता वृद्धि का प्रस्ताव

8957. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सप्ताह में कितने दिन 'न्यू बोंगाईगांव-त्रिवेन्द्रम सेंट्रल एक्सप्रेस' चलती :

(ख) क्या इस रेलगाड़ी की बारम्बारता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है : और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) सप्ताह में एक बार।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नई दिल्ली नगर पालिका के डाक्टरों का रोगियों को देखने जाना

8958. **श्री निहालसिंह**
श्री रामसिंह शाक्य } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगर पालिका के डाक्टरों को रोगियों को देखने जाने की अनुमति नहीं दी गई है जबकि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों को यह अनुमति है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लेने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) नई दिल्ली नगरपालिका ने सूचित किया है कि नई दिल्ली नगर पालिका के गम्भीर रोगियों को उनके घरों पर देखने के लिए डाक्टरों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

नई दिल्ली नगर पालिका के डाक्टरों का आयुर्वेदिक औषधालयों तथा स्टोर में भी काम करना

8959. **श्री निहाल सिंह**
श्री राम सिंह शाक्य } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगर पालिका के प्राधिकारियों द्वारा आयुर्वेदिक औषधालयों के डाक्टरों से औषधालयों तथा स्टोर दोनों में काम कराया जा रहा है;

(ख) क्या होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक औषधालयों में छुट्टी रिजर्व डाक्टरों और कम्पाउण्डरों की कोई व्यवस्था नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री, (श्री मोहसिना किदवई) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका के आयुर्वेदिक औषधालयों को आयुर्वेदिक दवाइयां सप्लाई करने के लिए आयुर्वेदिक दवाओं का एक स्टोर मोती बाग स्थित उसके पशु चिकित्सालय कम्पलैक्स भवन में है। फिलहाल नई दिल्ली नगर पालिका के टाउनहाल आयुर्वेदिक औषधालय का वैद्य इस स्टोर का कार्य भी देखता है ।

(ख) और (ग) नई दिल्ली नगर पालिका के होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक औषधालयों में डाक्टरों और कम्पाउण्डरों के लिए कोई लीव-रिज़र्व नहीं होता है । जब भी इस वर्ग का कोई कर्मचारी छुट्टी पर होता है तो उसकी छुट्टी की अवधि के दौरान उसका कार्य नई दिल्ली नगर पालिका के अन्य उपलब्ध कर्मचारियों द्वारा किया जाता है ।

इलाहाबाद रेल सेवा आयोग द्वारा नियुक्तियों में अनियमितताएं

8960. **श्री मनोहर लाल सैनी**
श्री मोती भाई आर० चौधरी } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद रेल सेवा आयोग द्वारा उम्मीदवारों की नियुक्तियों में की जा रही अनियमितताओं के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इन आरोपों की विभागीय सतर्कता संगठन ने जांच की है;

(ग) यदि हां, तो क्या जांच के समय वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था : और

(घ) यदि हां, तो इन अधिकारियों का विवरण क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी, हां।

इलाहाबाद रेल सेवा आयोग द्वारा कुछ पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन में कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

इस समय विभागीय सतर्कता संगठन द्वारा इस प्रकार के एक मामले की जांच की जा रही है। चयन से सम्बन्धित एक अन्य मामला जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजा गया है क्योंकि इससे बाहरी व्यक्तियों के अन्तर्गस्ता होने का संदेह था।

(ग) और (घ) उपर्युक्त जांच-पड़तालों के सम्बन्ध में सतर्कता और केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच को अन्तिम रूप दिये जाने तक किसी भी अधिकारी को निलम्बित नहीं रखा गया है।

समदड़ी-पालमपुर रेलगाड़ी से जुड़े जोधपुर-पालनपुर डिब्बे का अहमदाबाद तक विस्तार

8961. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समदड़ी जंक्शन-पालनपुर रेलगाड़ी के साथ जुड़े जोधपुर-पालनपुर डिब्बे को अहमदाबाद तक बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जोधपुर-पालनपुर सवारी डिब्बों को अहमदाबाद तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि जोधपुर और अहमदाबाद के बीच पहले से ही सीधी सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा अपर्याप्त शटिंग-समय तथा मेल लेने वाली गाड़ियों में स्थान की कठिनाइयों के कारण, इन सवारी डिब्बों को अहमदाबाद तक बढ़ाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

समदड़ी-भिलडी रेल लाइन के रेल फाटकों पर स्थायी आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति

8962. **श्री विरदाराम फुलवारिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समदड़ी-भिलड्री छोटी रेल लाइन पर मारवाड़-बागड़ा और मारवाड़ कोरी रेलवे स्टेशनों के रेल फाटकों पर स्थायी रूप से कर्मचारी तैनात न होने के कारण वहां काफी समय तक (दो घंटों तक) सड़क यातायात अवरुद्ध रहता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन फाटकों पर स्थायी रूप से कर्मचारी तैनात करने का सरकार का विचार है और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं। मारवाड़ बागड़ा स्टेशन पर एक समपार संख्या 56-सी है जिस पर चौकीदार की व्यवस्था है। मारवाड़-कोरी स्टेशन पर दो समपार हैं—समदड़ी छोर पर समपार संख्या 100-सी है जिस पर चौकीदार की व्यवस्था है और भिलर्डी छोर पर समपार संख्या 101-सी है जिस पर चौकीदार की व्यवस्था नहीं है। चौकीदार वाले दोनों समपारों पर सामान्यत: फाटक खुले रखे जाते हैं और गाड़ियों के स्टेशन पर आगमन तथा प्रस्थान के समय और परिचालन शन्टिंग के दौरान पाइन्टमैनों को लगाकर बन्द करवाए जाते हैं। इन समपारों पर यातायात को रेल एवम् सड़क यातायात की सुरक्षा हेतु यथा अपेक्षित कम से कम रोका जाता है।

(ख) जी, नहीं। चूंकि रेल/सड़क यातायात अधिक नहीं है और गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान/शन्टिग के लिए ही फाटक बन्द किये जाते हैं, इसलिए अलग से फाटक वाले को तैनात करने का प्रस्ताव नहीं है।

खाद्य नमूना जांच प्रयोगशालाएं

8963. **श्री अमर सिंह राठवा**
श्री विजय कुमार यादव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी खाद्य-नमूना जांच प्रयोगशालाएँ कार्य कर रही हैं;

(ख) वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान कितने खाद्य-नमूनों की जांच की गई है और कितने नमूनों में मिलावट पाई गई है;

(ग) मिलावट करने के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) देश के प्रत्येक भाग में, गत तीन वर्षों के दौरान मिलावट करने वाले कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया है; और

(ङ) क्या इस प्रकार की और अधिक प्रयोगशालाएं खोलने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) देश में राज्यों/स्थानीय निकायों के नियंत्रण में 70 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं और 4 केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं।

(ख) वर्ष 1981 और वर्ष 1982 के दौरान कितने नमूनों की जांच की गई और जितने नमूनों में मिलावट पाई गई उनकी संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	जांच किए गए नमूनों की संख्या	मिलावटी पाये गये नमूनों की संख्या
1981	1,33,242	19,050
1982	1,29,595	16,765

(ग) अपराधियों को जुर्माने/कैद की सजा दी गई है।

(घ) वर्ष 1980, 1981 और 1982 के दौरान चलाए गए मुकदमों और दोषी ठहराये गए व्यक्तियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) निम्नलिखित राज्यों ने और प्रयोगशालाएं खोलने का प्रस्ताव किया है :

1. गुजरात 2. हरियाणा 3. हिमाचल प्रदेश 4. जम्मू और कश्मीर 5. कर्नाटक 6. महाराष्ट्र 7. उत्तर प्रदेश 8. पश्चिम बंगाल 9. मिजोरम।

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	चलाए गए मुकदमें			दोषी ठहराये गये व्यक्तियों की संख्या		
		1980	1981	1982	1980	1981	1982
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र-प्रदेश	438	351	625	131	86	56
2.	असम	93	159	143	—	1	—
3.	बिहार	×	×	×	×	×	×
4.	गुजरात	564	764	679	355	178	75
5.	हरियाणा	727	926	736	416	527	651
6.	हिमाचल प्रदेश	394	×	260	286	×	82
7.	जम्मू व काश्मीर	842	208	122+128	370	36	16+7
8.	कर्नाटक	863	279	693	71	14	17
9.	केरल	466	467	406	143	151	84
10.	मध्यप्रदेश	3026	3536	2464	910	745	509

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	महाराष्ट्र	594	605	572	183	155	125
12.	मणिपुर	—	×	5	—	—	—
13.	मेघालय	53	32	—	6	14	—
14.	नागालैण्ड	—	×	—	—	—	—
15.	उड़ीसा	×	187	165	×	32	32
16.	पंजाब	730	599	551	178	151	164
17.	राजस्थान	741	504	587	549	438	300
18.	सिक्किम	××	××	—	××	××	—
19.	त्रिपुरा	91	84	73	—	2	—
20.	तमिलनाडू	1850	1933	1502	725	681	521
21.	उत्तर प्रदेश	4941	4992	4670	821	1334	853
22.	पश्चिमी बंगाल	254	625	312	106	122	49

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	—	×	—	—	×	—
24.	अरुणाचल-प्रदेश	××	××	××	××	××	××
25.	चण्डीगढ़	172	22	53	84	45	80
26.	दादर व नागर हवेली	5	4	3	—	—	—
27	देहली	152	120	257	17	24	17
28.	गोवा, दमन व दीप	6	4	—	7	3	—
29.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	×
30.	पांडिचेरी	39	×	×	12	×	×
32.	मिजोरम	××	××	××	××	××	××

(—) से पता चलता है कि आंकड़े शून्य हैं।

(×) से पता चलता है कि आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(××) से पता चलता है कि वहां अधिनियम लागू नहीं है।

चीन-पाक सैनिक सहयोग

8964. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन और पाकिस्तान के बीच रक्षा के क्षेत्र में, या रक्षा से संबंधित उद्योग स्थापित करने अथवा सैनिक कर्मियों को प्रशिक्षित करने सम्बन्धी सहयोग इस हद तक पहुंच गया है कि यह सोवियत संघ और उसके मित्र देशों अमरीका के बीच सम्बन्धों का मुकाबला कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो चीन द्वारा पाकिस्तान को उसकी रक्षा व्यवस्था में सुधार का वचन देने से न केवल भारत बल्कि अमरीकी सरकार भी चिन्तित है ;

(ग) यदि हां, तो चीन-पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए सहयोग से भारत की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और चीन-पाकिस्तान सहयोग से उत्पन्न चुनौती का मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) से (घ) सरकार ने चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैनिक सहयोग की खबरों पर ध्यान दिया है। इस संबंध में कुछ अमरीकी अधिकारियों द्वारा दिए गए वक्तव्यों की भी सरकार को जानकारी है। सरकार इस क्षेत्र की उन सभी घटनाओं पर अत्यधिक सतर्कतापूर्वक निगाह रखती है जिनका भारत की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता हो।

हिन्द महासागर के बारे में भारतीय प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की समिति में व्यक्त विचार

8965. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने संतुष्ट राष्ट्र संघ की समिति को बताया है कि हिन्द महासागर क्षेत्र में तटवर्ती और तट से दूर राज्यों की असुरक्षा में एक और आयाम जुड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की समिति के समक्ष अन्य क्या मुकदमे उठाए गए;

(ग) तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत के भय को किस सीमा तक मारना है; और

(घ) इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कदम उठाने पर विचार कर रहा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) जी, हां। मार्च, 1984 में आयोजित हिन्द महासागर से सम्बद्ध तदर्थ समिति के प्रथम अधिवेशन में भारत के प्रतिनिधि ने दूसरी बातों के साथ-साथ यह भी कहा था कि "हिन्द महासागर के क्षेत्र में हाल ही की घटनाओं,

जिनके परिणामस्वरूप तटवर्ती और पश्च राज्यों की असुरक्षा बढ़ गई है, से हिन्दी महासागर क्षेत्र के गुट-निरपेक्ष देशों के लिए यह अत्यावश्यक हो गया है कि शान्ति क्षेत्र के सिद्धान्त का पहले से कहीं अधिक जोरदार ढंग से पालन किया जाय।" भारतीय प्रतिनिधि के वक्तव्य का पाठ संसद के पुस्तकालय में रखा गया है।

(ग) और (घ) यद्यपि अधिकांश गुट-निरपेक्ष देशों ने भारत की स्थिति को समझा है तथापि तदर्थ समिति में सर्वसम्मति से ही निर्णय लिये जाते हैं। आशा है कि समिति अपना तैयारी कार्य पूरा कर लेगी, ताकि संकल्प 38/185 में तय किये गए अनुसार 1985 में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा सके।

डिग्रियों को रोजगार से असम्बद्ध करना

8966. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने बल्क में रोजगारों से डिग्रियों को असम्बद्ध करने और अधिकांश रोजगारों के लिए पिछली डिग्रियों की अर्हताओं में छूट देने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार 12वीं परीक्षा के बाद बच्चों को रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो रोजगारों को डिग्रियों से असम्बद्ध करने के लिए किन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) उन प्रस्तावों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं। तथापि, विभिन्न व्यवसायों के लिये शैक्षणिक अपेक्षाओं के संदर्भ में देश में उच्च शिक्षा पद्धति में सुधार करने की आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रित करने की दृष्टि से विभिन्न वर्गों द्वारा इस सम्बन्ध में सुझाव दिए गए हैं।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कला, वाणिज्य और विज्ञान के प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों की पुन: संरचना करने के लिये कुछ मार्गदर्शी रूप-रेखाएं तैयार की हैं। पुन:संरचित पाठ्यक्रमों में संगत अनुप्रयोग उन्मुख पाठ्यक्रम शामिल होंगे जो स्नातकों को व्यावहारिक कार्य अनुभव उपलब्ध करेंगे और उनकी रोजगार योग्यता में सुधार करेंगे।

(ग) और (घ) नौकरियों को डिग्रियों से पृथक करने के प्रस्ताव में विभिन्न पहलुओं पर विचार करना होगा, जिसमें विभिन्न रोजगार एजेंसियों के साथ व्यापक विचार विमर्श शामिल हैं। प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिये किसी भी विशिष्ट उपाय पर अभी तक विचार नहीं किया गया है।

रेलवे की अधूरी परियोजनायें

8967. **श्री बी० बी० देसाई**
श्री के० मालन्ना
श्री सुशील भट्टाचार्य
श्री के० प्रधानी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री बाबूसाहिब परुलेकर
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी
श्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा

(क) क्या 6000 करोड़ रुपये मूल्य की रेलवे परियोजनाएं धनराशि की कमी के कारण अधूरी पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कुछ परियोजनाओं को 15 वर्ष पूर्व आरम्भ किया गया था और इसमें से कुछ को अन्ततः छोड़ दिया गया है ;

(ग) क्या इन अधूरी परियोजनाओं में अवरुद्ध धनराशि रेलवे की चालू योजना के इस परिव्यय 65594 करोड़ रुपये के करीब हैं ;

(घ) क्या योजना आयोग ने परियोजनाओं की बढ़ी हुई लागत के लिए धनराशि देने के लिए बार-बार मना किया है;

(ङ) यदि हां, तो इन सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए रेलवे मंत्रालय द्वारा किन-किन उपायों पर विचार किया जा रहा है :

(च) क्या सरकार ने भी पहले प्रारम्भ की गई कुछ परियोजनाओं को छोड़ने का निर्णय किया है; और

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ग) यह सच है कि संसाधनों की तंगी के कारण सभी रेल परियोजनाओं पर संतोषजनक गति से कार्य करना सम्भव नहीं हो पाया है। चालू परियोजनाओं को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए अत्याधिक धन अपेक्षित होता है। ऐसी चालू परियोजनाओं जिन पर आंशिक निवेश कर दिया गया है, के लिए अपेक्षित पूरी रकम, सातवीं पंचवर्षीय योजना पूरी तरह लागू होने पर ही उपलब्ध होगी।

(ख) ऐसी कुछ नयी लाइन और आमान परिवर्तन परियोजनाएं हैं जिन पर 12 वर्ष पहले 1972-73 और बाद में काम शुरू हो गया था लेकिन धन की कमी के कारण अधूरी रह गयी थी। अभी तक किसी भी परियोजना को छोड़ा नहीं गया है यद्यपि उनमें से कुछ पर काम रोक दिया गया है।

(घ) संसाधनों की समग्र तंगी के कारण आबंटन जरूरत से कम रहा है। लागतों के भुगतान से योजना आयोग का कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ङ) से (छ) परियोजनाओं की, संसाधनों की उपलब्धता के अन्तर्गत तथा समय-समय पर निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार विशेषकर उनके गुण-दोष के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। संसाधनों की उपलब्धता में सुधार होने पर ही सभी चालू परियोजनाओं पर संतोषजनक प्रगति हासिल की जा सकती है।

छुट्टी लेकर विदेश गये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर

8968. **श्री राम विलास पासवान** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के उन प्रोफेसरों का ब्यौरा क्या है जो अध्ययन के लिए छुट्टी/अन्य कोई छुट्टी लेकर विदेश गए थे और अभी तक अपनी ड्यूटी पर वापस नहीं आये हैं ;

(ख) प्रत्येक मामले में तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन प्रोफेसरों के विरुद्ध और क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार ऐसा केवल एक ही संकाय सदस्य है जो अध्ययन अवकाश पर विदेश गया था और अभी तक काम पर नहीं लौटा है। उन्हें समाजिक विज्ञान उच्च अध्ययन स्कूल, पैरिस में अपनी डाक्टोरल डिग्री पूरी करने के लिये छात्रवृत्ति स्वीकार करने हेतु 6 जनवरी, 1982 से दो वर्षों के लिये अध्ययन अवकाश स्वीकार किया गया था।

उन्होंने अध्ययन अवकाश एक वर्ष की और अवधि के लिये बढ़ाने के वास्ते आवेदन किया है जो नियमों के अन्तर्गत अनुमत्य है। अवकाश बढ़ाने के उनके आवेदन पत्र पर विश्व-विद्यालय ने अभी तक निर्णय नहीं लिया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय विद्यालयों में विज्ञान/गणित हिन्दी में पढ़ाया जाना

8969. **श्री राम विलास पासवान** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय विद्यालयों में विज्ञान और गणित की पढ़ाई हिन्दी माध्यम से और शिक्षा के उद्देश्यों के अनुसार कराने का है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय विद्यालयों की प्राथमिक कक्षाओं में हिन्दी माध्यम से विज्ञान और गणित की पढ़ाई के लिये योजना का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

देश में विकलांग अपंग व्यक्ति और उनको दी गई सहायता

8970. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार और वर्ष-वार शारीरिक रूप से विकलांग और अपंग व्यक्तियों की संख्या क्या थी ;

(ख) उपर्युक्त चार वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राज्य-वार और वर्ष-वार सहायता की कितनी राशि उपलब्ध कराई गई ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा दी गई सहायता अपर्याप्त थी ;

(घ) अपंग और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कितने आवेदन सरकार के पास सहायता के लिए लंबित पड़े हैं ; और

(ङ) लंबित पड़े आवेदनों को निपटाने में कितना समय लगेगा ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) देश में अपंग व्यक्तियों की संख्या का पता लगाने के लिये कोई वार्षिक सर्वेक्षण नहीं किया जाता है। देश में अपंग व्यक्तियों की संख्या पर, 1981 में किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण पर आधारित, नवीनतम उपलब्ध अनुमान विवरण-1 में दिये गये हैं।

(ख) विगत चार वर्षों के दौरान अपंग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा राज्यों और स्वयंसेवी संगठनों को दिये गए अनुदानों को विवरण-2 से 5 में दर्शाया गया है।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित योजनाएं, राज्य सरकारों और स्वयंसेवी संगठनों की योजनाओं के अतिरिक्त है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य अपंग व्यक्तियों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लोगों को सहायता करना है। इन सभी योजनाओं के अन्तर्गत लाभप्राप्त करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि भारत सरकार की योजनाएं देश में अपंग व्यक्तियों की सम्पूर्ण जनसंख्या के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर भी विगत चार वर्षों के दौरान किए गए वित्तीय प्रावधान लगातार बढ़ाए जाते रहे हैं, जैसा कि विवरण-6 में दर्शाया गया है।

(घ) विकलांग व्यक्तियों को केन्द्रीय सरकार सीधे कोई वित्तीय सहायता नहीं देती।

(ङ) प्रश्न नहीं होता।

विवरण-1

प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कम से कम एक यौन संबंधी शारीरिक विकलांग रखने वाले व्यक्तियों की (प्रति 1,00,000 पर) अनुमानित संख्या

राज्य	ग्रामीण	शहरी
1	2	3
आंध्र प्रदेश	2426	1776
असम	829	809
बिहार	1872	1329
गुजरात	1507	1115
हरियाणा	1928	2233
हिमाचल प्रदेश	1680	1077
जम्मू एवं कश्मीर	1764	934
कर्नाटक	1896	1329
केरल	1647	1650
मध्य प्रदेश	1393	1107
महाराष्ट्र	1663	1177
मणिपुर	712	480
मेघालय	1128	550
नागालैण्ड	सर्वेक्षण नहीं किया गया	367
उड़ीसा	2162	1467
पंजाब	2576	1638
राजस्थान	2051	1632
तमिलनाडु	2120	2108
त्रिपुरा	1896	1540
उत्तर प्रदेश	1903	1478
पश्चिमी बंगाल	1621	965
चण्डीगढ़	1115	1501
दादर एवं नागर हवेली	1084	सर्वेक्षण नहीं किया गया

1	2	3
देहली	1889	958
गोवा दमन एवं द्वीप	1549	1038
मिजोरम	1535	917
पांडिचेरी	3314	3225
पूर्ण भारत में	1844	1420

विवरण-2

अपंग व्यक्तियों के लिए छात्रवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को विमुक्त की गई धन राशि

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	विमुक्त की गई धनराशि (रुपये लाखों में)			
		1980-81	1981-82	1982-83	1983-14
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	7.95	9.92	8.00	20.00
2.	असम	0.09	0.12	0.71	2.40
3.	बिहार	1.50	1.43	0.43	1.15
4.	गुजरात	6.00	10.00	7.50	20.00
5.	हरियाणा	1.00	1.60	—	4.35
6.	हिमाचल प्रदेश	—	0.10	0.05	0.05
7.	जम्मू एवं कश्मीर	0.25	0.58	0.10	—
8.	कर्नाटक	0.88	5.00	4.00	6.00
9.	केरल	3.15	5.25	4.50	8.00
10.	मध्य प्रदेश	3.20	4.74	4.25	10.27

1	2	3	4	5	6
11.	महाराष्ट्र	13.11	8.50	3 86	20.00
12.	मणिपुर	—	—	0.02	0·10
13.	मेघालय	---	0.05	0.02	0·01
14.	नागालैण्ड	—	—	—	—
15.	उड़ीसा	1·00	2.50	5.75	7·20
16.	पंजाब	1·00	0·70	—	—
17.	राजस्थान	1·30	3·00	6.00	10·00
18.	सिक्किम	—	—	—	0.02
19.	तमिलनाडु	5·60	6.00	5·00	16.00
20.	उत्तर प्रदेश	8·00	8.00	7·30	15·00
21.	त्रिपुरा	0·15	0·21	0·81	0·30
22.	पश्चिमी बंगाल	1·50	2.00	1·75	2·00
23.	अंडमान एवं निकोबार	0.10	—	0·02	0·18
24.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—
25.	चण्डीगढ़	0·20	0·15	0·10	0.13
26.	दादर एवं नागर हवेली	—	0·15	0.02	—
27.	गोवा दमन एवं द्वीप	0.06	0·07	—	0.21
28.	लक्ष्यद्वीप	—	—	—	—
29.	मिजोरम	0.04	0·04	0·21	0·20
30.	पांडिचेरी	0·12	0·15	—	0·50
31.	देहली	4·00	5.00	4·10	6·68
32.	रा०अ०वि०स० कलकत्ता	—	—	—	0.10
33.	रो०प्र०म०नि० श्रम मंत्रालय	—	—	—	2.00
	योग	61.09	75·11	64·50	152·86

विवरण-3

क्रम संख्या	राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों के नाम	स्वीकृत की गई राशि	सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या	स्वीकृत की गई राशि	सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या	स्वीकृत की गई राशि	सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या	स्वीकृत की गई राशि	सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या
		(1980-81)		(1981-82)		(1982-83)		(1983-84)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	00.04	1	3.10	4	4.34	4
2.	असम	00.06	3	00.13	2	2.38	1	1.50	1
3.	बिहार	00.06	1	00.03	1	3.38	2	3.91	2
4.	गुजरात	17.10	16	26.02	18	20.18	17	17.30	13
5.	हरियाणा	05.03	5	06.08	3	3.02	3	0.61	1
6.	हिमाचल प्रदेश	01.04	1	02.15	1	3.24	2	3.39	1
7.	जम्मू एवं कश्मीर	01.52	2	01.03	2	2.57	3	2.10	2
8.	कर्नाटक	03.86	5	06.33	5	10.25	9	11.89	9
9.	केरल	12.10	11	09.57	10	14.36	13	15.07	17
10.	मध्य प्रदेश	01.77	3	03.06	4	2.76	3	5.50	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	महाराष्ट्र	25.62	20	54.28	22	35.70	22	35.77	20
12.	मणिपुर	—	—	00.67	1	1.99	2	0.37	1
13.	उड़ीसा	00.88	2	01.22	3	9.90	1	2.76	3
14.	पंजाब	02.32	2	01.73	2	1.87	2	1.82	1
15.	राजस्थान	02.30	2	03.51	5	2.89	5	2.87	4
16.	तमिलनाडु	04.80	8	02.36	9	8.80	12	7.82	14
17.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	0.29	1
18.	उत्तर प्रदेश	12.50	16	14.14	15	13.29	13	21.10	16
19.	पश्चिमी बंगाल	11.05	10	18.34	11	21.92	13	19.80	10
20.	देहली	09.45	7	10.81	10	13.14	10	16.40	12
21.	चण्डीगढ़	—	—	00.08	1	—	—	0.06	1
22.	पांडिचेरी	—	—	00.10	1	0.24	1	0.26	1
	योग	112.04	114	161.68	127	174.98	138	174.93	139

विवरण-4

सहायक यंत्र/उपकरण खरीदने/लगाने के लिए अपंग व्यक्तियों को सहायता की योजना के अन्तर्गत व्यय संबंधी विवरण

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र	स्वीकृत किया गया सहायक अनुदान (रुपये लाखों में)			
		1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	—	0.50	1.00	2.00
2.	असम	—	—	0.60	—
3.	बिहार	10.00	5.00	5.00	5.00
4.	गुजरात	—	1.95	2.70	1.80
5.	हरियाणा	—	4.00	2.00	2.00
6.	जम्मू एवं कश्मीर	—	—	0.50	—
7.	कर्नाटक	—	9.90	10.50	7.25
8.	केरल	—	—	1.65	2.00
9.	मध्य प्रदेश	—	3.00	1.00	1.25
10.	महाराष्ट्र	2.00	7.30	4.25	5.05
11.	मणिपुर	—	1.39	1.50	3.37
12.	उड़ीसा	—	—	—	4.86
13.	नागालैण्ड	—	—	0.30	—
14.	पंजाब	—	5.25	4.00	5.00
15.	राजस्थान	3.00	5.00	13.00	11.00
16.	सिक्किम	—	0.15	—	—
17.	तमिलनाडु	—	5.20	6.70	7 63
18.	उत्तर प्रदेश	—	—	3.07	—
19.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	2.00
20.	देहली	2.12	14.19	4.16	4.81
21.	मिजोराम	—	—	—	1.00

1	2	3	4	5	6
22.	जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय	—	2.12	1.92	0.78
23.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	—	—	8.52	—

विवरण-5

अपंग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को विमुक्त की गई धनराशि

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	बिमुक्त की गई राशि (रुपये लाखों में)			
		1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	—	0.10	1.00	—
2.	असम	—	—	—	0.25
3.	बिहार	—	10.00	—	—
4.	गुजरात	—	—	2.78	—
5.	हिमाचल प्रदेश	—	—	0.70	0.85
6.	हरियाणा	—	—	—	2.00
7.	केरल	—	11.41	—	—
8.	कर्नाटक	1.71	—	—	3.33
9.	मध्य प्रदेश	—	5.80	8.95	—
10.	महाराष्ट्र	—	10.45	9.64	—
11.	मणिपुर	0.20	—	—	—
12.	नागालैण्ड	—	—	5.73	3.74
13.	उड़ीसा	0.53	5.00	5.00	5.60
14.	राजस्थान	—	15.16	—	13.22
15.	सिक्किम	—	—	0.16	—
16.	तमिलनाडु	—	—	16.40	—

1	2	3	4	5	6
17.	त्रिपुरा	—	—	0.40	3.00
18.	उत्तर प्रदेश	18.00	12.70*	27.52*	38.55*
19.	पश्चिमी बंगाल	—	2.68	2.68	5.15
20.	चण्डीगढ़	—	—	0.05	0.05
21.	देहली	6.74	12.10	15.00	17.36
22.	गोवा दमन एवं द्वीप	1.00	—	—	—
	योग	40.74	76.12	100.00	119.32

*इसमें भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर को दी गई राशि सम्मिलित है।

टिप्पणी :—वर्ष 1983-84 के दौरान सहायक यंत्र और उपकरण की योजना की कार्यान्वयन ऐजेंसियों की बैठक में सम्मिलित हुए प्रतिनिधियों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के व्यय को पूरा करने के लिए 18,000 रुपये निकाले गये।

विवरण-6

पिछले चार वर्षों के दौरान विकलांगों के कल्याण हेतु किया गया वित्तीय प्रावधान (वास्तविक व्यय) (रुपये लाखों में)

वर्ष	धनराशि
1980-81	407.12
1981-82	619.02
1982-83	735.08
1983-84	870.35

1982 में कार्यशाला प्रायोजित करने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त धन

8971. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् दिल्ली ने मई-जून, 1982 में किसी समय कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वित्त प्रदान किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् को इस कार्यशाला के लिए 1.65 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई थी;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत व्यय की गई राशि का ब्योरा क्या है;

(घ) क्या चिकित्सा परिषद् ने अपने कोष से भी कुछ राशि व्यय की थी; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) हां। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से 26 से 29 मई, 1982 तक सामूहिक शैक्षिक कार्यों के लिए एक "चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यशाला" आयोजित की।

(ख) से (ङ) भारतीय अयुर्विज्ञान परिषद् ने सूचना दी है कि इस कार्य के लिए उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन से केवल 1.30 लाख रुपये की राशि मिली थी और उन्होंने खर्च का ब्योरा इस प्रकार दिया है :

भाग लेने वालों का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता	47,314.10
लेखन सामग्री	2,042.40
आकस्मिक खर्च	3,547.45
छपाई का खर्च	1,609.50
स्टाफ का परिश्रमिक	650.50
	55,163.45

उन्होंने यह भी सूचित किया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस अपेक्षा के अनुसार कि कुछ खर्च सम्बन्धित संस्थान के बजट में से भी किया जाना चाहिए, लेखन सामग्री और डाक खर्च का कुछ हिस्सा परिषद् के रूटीन बजट में से वहन किया गया।

तामलुक-डीघा बड़ी रेल लाइन का निर्माण

8972. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्वी रेलवे में तामलुक-डीघा बड़ी रेल लाइन के निर्माण के बारे में उनके मंत्रालय की योजना और कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ;

(ख) निर्माण-कार्य कब शुरू किया जायेगा।

(ग) तामलुक-डीघा बड़ी रेल लाइन की इस निर्माण परियोजना के पूरा होने और उसके चालू होने की निर्धारित तिथि क्या है :

(घ) उक्त रेल लाइन पर कितने स्टेशनों का निर्माण किया जायेगा ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) तामलुक-दीघा बड़े आमान की रेल सम्पर्क परियोजना (87.5 कि०मी०) को 43.72 करोड़ रुपये की प्रत्याशित लागत पर 1984-85 के बजट में शामिल कर लिया गया है और इसके लिए 1984-85 में एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। लेकिन, इस कार्य को शुरू करने के लिए योजना आयोग के औपचारिक अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है। इस परियोजना को पूरा करने तथा चालू करने की तारीख योजना आयोग की स्वीकृति और संसाधानों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

(घ) और (ङ) 6 ब्लाक स्टेशनों और 3 पैसेंजर हाल्टों के निर्माण की योजना है। इन स्टेशनों के नाम इस प्रकार हैं :

नन्दकुमार, नरघाट, बाजकुल, हरिया (हाल्ट), मर्चिदा (हाल्ट) कंथी, सीलमपुर (हाल्ट) रामनगर और दीघा।

खड़गपुर में तेलगू माध्यम का सेकेन्डरी स्कूल खोलना

8973. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खड़गपुर (दक्षिण-पूर्व रेलवे) में रेलवे द्वारा चलाये जा रहे तथा रेलवे द्वारा वित्त पोषित कुछ रेलवे सेकेंन्डरी/हायर सैकेन्डरी स्कूल हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि तेलगू भाषी लोगों के लिये खड़गपुर में कोई सेकेन्डरी/हायर सेकेन्डरी स्कूल नहीं है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या उनके मंत्रालय का विचार खड़गपुर में एक रेलवे के प्रशासनाधीन तेलगू माध्यम का सेकेन्डरी स्कूल खोलने का है ;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) 1. लड़कों का उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ।

2. लड़कियों का उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ।

3. मिश्रित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ।

4. मिश्रित हाई स्कूल ।

(ग) जी, हां ।

(घ) रेल कर्मचारियों के बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अतिरिक्त स्कूल खोलने में वित्तीय तथा नीति सम्बन्धी बाधाओं के कारण रेलों को अत्यधिक कठिनाई हो रही है। नये खोले गये स्कूलों में सामान्यतः केवल हिन्दी, अंग्रेजी तथा स्थानीय क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से पढ़ाई की जाती है ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) और (छ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

कर्नाटक के नष्ट हो रहे ऐतिहासिक धार्मिक स्मारकों की सुरक्षा

8974. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या शिक्षा और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक और अन्य राज्यों की वैभवशाली परम्पराओं वाले नष्ट ऐतिहासिक/धार्मिक स्मारकों की सुरक्षा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) और (ख) देश में राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों की संख्या 3,500 से भी अधिक है, जिनकी देखरेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की जाती है। प्रत्येक संस्मारक की अपेक्षा और अत्यावश्यकता के अनुसार समय-समय पर निधियों की उपलब्धता के आधार पर मरम्मतें की जाती हैं। कहीं-कहीं पर संस्मारक समूह को एक परिसर मानकर उनका संरक्षण किया जाता है और यदि इनकी संख्या को अलग-अलग संस्मारक के रूप में गिना जाए तो इनकी कुल संख्या 5,000 होगी। ऐसे प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारकों की देखरेख की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों की होती है, जो राष्ट्रीय महत्व के नहीं हैं ।

विदेश मंत्रालय में हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों की संख्या

8975. **श्री आर०एन० राकेश** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में हिन्दी जानने वाले अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ख) मंत्रालय में हिन्दी आशुलिपिकों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या हिन्दी जानने वाले अधिकारी हिन्दी आशुलिपिकों की सेवाओं का उपयोग करते हैं और यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) विदेशों में हमारे दूतावासों में हिन्दी आशुलिपिकों की नियुक्ति के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं और क्या वहां हिन्दी के लिए उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाता है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या विदेशों में भारतीय दूतावासों को सप्लाई किए गए हिन्दी के टाइपराइटरों का उपयोग किया जा रहा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०ए० रहीम) : (क) मुख्यालय में तथा विदेशों में भारतीय विदेश सेवा (क), भारतीय विदेश सेवा (ख) औरउनके समकक्ष लगभग 650 अधिकारी हिन्दी जानते हैं।

(ख) और (ग) मुख्यालय में 14 और विदेशस्थ मिशनों में 7। मुख्यालय में वे 9 हिन्दी जानने वाले अधिकारियों के साथ तैनात हैं तथा हिन्दी जानने वाले अन्य अधिकारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक हिन्दी स्टेनोग्राफर पूल बनाया गया है।

(घ) कई देशों में भारतीय मूल के व्यक्ति बड़ी संख्या में रहते हैं। इससे वहां हिन्दी में पत्राचार और हिन्दी स्टेनोग्राफरों की जरूरत पड़ती हैं जहां उनकी सेवाएं ली जाती हैं।

(ङ) 30 मिशनों में हिन्दी टाइपराइटर नियमित रूप से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अन्य जिन मिशनों में हिन्दी टाइपराइटर हैं वहां जब भी जरूरत होती है उनका इस्तेमाल किया जाता है।

रानीताल रेलवे स्टेशन(दक्षिण-पूर्व रेलवे) पर होल्डिंग लाइन और स्परों का निर्माण

8976. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य और पूर्ति मंत्रालय ने उनके मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह दक्षिण-पूर्व रेलवे (उड़ीसा) के रानीताल रेलवे स्टेशन पर, सभी रेकों पर माल उतारने-चढ़ाने के प्रयोजन के लिये खाद्य निगम के डिपो हेतु 'होल्डिंग लाइन' और 'स्पर' बनाने के लिये ब्यौरेवार प्राक्कलन तैयार करें :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है : और

(ग) साइडिंग को पूरा करने के लिए खाद्य और पूर्ति मंत्रालय द्वारा उनके मंत्रालय के पास कितनी धनराशि जमा की जानी चाहिए ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रेलवे ने दक्षिण-पूर्व रेलवे के खड़गपुर-भद्रक खंड पर रानीताल स्टेशन में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम हेतु निक्षेप आधार पर साइडिंग की व्यवस्था करने के लिए खाका तैयार कर लिया है। इस कार्य पर 61 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है और रकम जमा करने के लिए दक्षिण-पूर्व रेलवे द्वारा भारतीय खाद्य निगम को विस्तृत अनुमान भेजा जा रहा है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्र

8977. **डा० ए०यू० आजमी**
श्री हरिहर सोरन : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के बारे में 1 अप्रैल, 1983 और 8 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या क्रमशः 6317 और 2736 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच शेष सूचना प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह सभा-पटल पर कब रखी जाएगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से सूचना प्राप्त हो गई है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से भी सूचना प्राप्त हो गई है। प्राप्त हुई सूचनाओं की जांच की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के अंतर्गत इंजीनियरिंग कालिजों की संख्या

8979. **श्री नवीन रावणी** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के अंतर्गत कार्यरत इंजीनियरिंग कालिजों की संख्या क्या है और वे कहां-कहां पर स्थित हैं और इन कालिजों में कौन-कौन से विषय पढ़ाये जाते हैं ;

(ख) देश में कार्यरत क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालिजों की संख्या क्या है तथा वे कहां-कहां पर स्थित हैं ;

(ग) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा क्षेत्रीय कालिजों में प्रवेश के लिए क्या मान-दण्ड अपनाया गया है ;

(घ) क्या यह सच है कि देश में अभी भी इस प्रकार के कालिजों की कमी है; और

(ङ) यदि हां, तो छठी योजना अवधि के दौरान देश में अधिक इंजीनियरिंग कालिजों को खोलने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं, और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं, बम्बई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर और मद्रास में स्थित हैं। ये संस्थान सम्बद्ध स्वरूप के नहीं हैं अतः उनके अधीन कोई भी इंजीनियरी कालेज कार्य नहीं कर रहा है। इन संस्थानों में पढ़ाये जाने वाले विषय संलग्न विवरण में दर्शाये गए हैं।

(ख) 15 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज हैं, जो कालीकट, सूरत, श्रीनगर, इलाहाबाद, दुर्गापुर, जमशेदपुर, नागपुर, सूरतकल, वारंगल, जयपुर, राउड़केला, भोपाल, तिरूचिरापल्ली, कुरूक्षेत्र और सिल्चर में कार्य कर रहे हैं।

(ग) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले प्रति वर्ष समूचे देश में आयोजित सामान्य संयुक्त-प्रवेश-परीक्षा के जरीए किए जाते हैं। क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों में अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले या तो अर्हक परीक्षा अथवा यथा निर्धारित प्रवेश-परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों द्वारा निर्धारित योग्यता के आधार पर किए जाते हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले इंजीनियरी में स्नातक अभिरूचि परीक्षा के आधार पर किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय संस्थान होने के नाते इनका उद्देश्य समूचे देश की आवश्यकताओं को पूरा करना है। और अधिक क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज स्थापित करने के कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

विवरण

क्रम संख्या	पाठ्यक्रम अवधि और नाम
1	2
बी० टेक : 4 वर्ष	
1.	वैमानिक इंजीनियरी
2.	कृषि इंजीनियरी
3.	मृत्तिका इंजीनियरी
4.	रसायन इंजीनियरी
5.	सिविल इंजीनियरी
6.	संगणक विज्ञान
7.	विद्युत इंजीनियरी (पावर)
8.	विद्युत इंजीनियरी
9.	इलेक्ट्रानिकी और ई०सी० इंजीनियरी
10.	यान्त्रिकी इंजीनियरी
11.	धातुकर्मीय इंजीनियरी
12.	खनन इंजीनियरी
13.	नौ-सेना वास्तुकला
14.	वस्त्र प्रौद्योगिकी
15.	इंजीनियरी भौतिकी
16.	ऊर्जा इंजीनियरी
17.	इन्स्ट्रूमेन्टेशन इंजीनियर
18.	निर्माण विज्ञान और इंजीनियर

1	2
बी० वास्तुकला : 4 वर्ष	
19.	वास्तुकला
समेकित एम०एस०सी० : 5 वर्ष	
20.	रसायन-शास्त्र
21.	गणित
22.	भौतिकी
23.	प्रयुक्त भू-विज्ञान
24.	अनुसंधान-भू भौतिकी

विश्वविद्यालयों/केन्द्रीय विद्यालयों में खेलों को अनिवार्य वैकल्पिक विषय बनाना

8980. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु :** क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विश्वविद्यालयों और केन्द्रीय विद्यालयों में खेलों को अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय बनाने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या ब्यौरा है ?

शिक्षा और संस्कृति समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में "खेल" को एक अनिवार्य अथवा एक ऐच्छिक विषय बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, खेल शारीरिक शिक्षा का एक भाग है जो केन्द्रीय विद्यालयों में एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों को चौड़ा करना

8991. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राजमार्गों का ब्यौरा क्या है जिन पर बड़े पुलों को चौड़ा करने के लिए नई योजनाओं को सरकार द्वारा मंजूर किया गया है;

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के उन पुलों का ब्यौरा क्या है जिन पर पुलों को चौड़ा करने का कार्य चल रहा है; और

(ग) चौड़ा करने का कार्य किस तिथि से चल रहा है और उसके कब तक पूरा किये जाने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) संभवत: माननीय सदस्य का आशय बड़े पुलों के पुनर्निर्माण/चौड़ा करने के कार्य से है। छठी योजना के दौरान अब तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 1 क, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8ज, 13, 17, 24, 39, 42 और 43 पर बड़े पुलों के पुर्ननिर्माण/चौड़ा करने के लिए 18 नई योजनाएं मंजूर की जा चुकी हैं।

(ख) और (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्गों पर बड़े पुलों के पुनर्निर्माण/चौड़ा करने के कार्यों का विवरण :

क्रम सं०	रा०रा० सं०	राज्य	पुल का नाम	स्वीकृति/संशोधित स्वीकृति (आर०) की तारीख	कार्य पूरा होने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5	6
1.	1-क	जम्मू कश्मीर	पादशाही बाग नाला पुल	7-4-82 (आर०)	9/84
2.	3	मध्य प्रदेश	गोई पुल	6-1-82 (आर०)	3/85
3.	4	कर्नाटक	बराडा पुल	13-9-82	9/86
4.	5	आन्ध्र प्रदेश	ममीडी-काल्वा पुल	15-7-80	12/84
5.	5	यथोपरि	राइवेस नहर पुल	23-4-80	12/84
6.	5	यथोपरि	स्वर्णमुखी पुल	28-5-80	3/85
7.	5	यथोपरि	शारदा पुल	12-2-81	3/85
8.	5	यथोपरि	विजयवाड़ा के समीप कृष्णापुल	25-3-83 (आर०)	3/87

1	2		3	4	5	6
9.	6	मध्य प्रदेश	कुराड़ पुल	18-1-83 (आर०)		6/85
10.	7	यथोपरि	बैंगांगा पुल	11-2-82 (आर०)		3/85
11.	8	राजस्थान	उंडा नाला पुल	22-7-83		3/85
12.	8ख	गुजरात	वेणु पुल	1-2-83		3/86
13.	13	कर्नाटक	विचकल नाला पुल	22-2-82		3/86
14.	17	केरल	पानमपुजा पुल की रीडेकिंग	5-5-82		12/84
15.	24	उत्तर प्रदेश	राजेरा नाला पुल	25-6-83		3/88
16.	39	मणिपुर	थोबल पुल	30-3-83		3/85
17.	42	उड़ीसा	मल्टीजोर पुल			कार्य पूरा हो गया है।
18.	43	मध्य प्रदेश	अन्तरगांव नाला पुल	17-1-83 (आर०)		3/86

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् द्वारा दी गई फैलोशिप

8982. श्री एन०ई० होरो
श्री इन्द्रजीत गुप्त } : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 मार्च, 1984 के "स्टेट्समन" में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ने पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसे अनेक लोगों को कई लाख रुपए मूल्य की फैलोशिप दी है जिनका इतिहास से कोई वास्ता नहीं है ;

(ख) क्या यह उसके अपने इस नियम का उल्लंघन है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि ये फैलोशिप विश्वविद्यालयों, कालेजों और अन्य संस्थानों के उन इतिहासकारों को दी जाएगी जिन्होंने अनुसंधान के क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त की है अथवा जिनमें व्यावसायिक विकास की क्षमता है ;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच करायी गयी है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) योग्य उम्मीदवारों का चयन करने का क्या मानदंड है; और

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान चुने गए व्यक्तियों और उनके द्वारा किए गए कार्य का क्या ब्यौरा है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् द्वारा यह बताया गया है कि इतिहास में अनुसंधान करने के लिए शिक्षावृत्ति प्रदान करने में नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, जैसा कि समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार में बताया गया है। शिक्षावृत्तियां, विशेषज्ञों की सिफारिशों पर तथा सक्षम अधिकारियों के अनुमोदन से बिल्कुल नियमों के अनुसार प्रदान की गई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(ग) इतिहासकारों/अध्येताओं से प्राप्त अनुसंधान प्रस्तावों की परिषद् द्वारा जांच की जाती है और पदिषद् द्वारा अनुमोदित विशेषज्ञों के एक पेनल द्वारा नामजंद विशेषज्ञों को उनके अपने-अपने अध्ययन क्षेत्रों के अनुसार प्रस्ताव की व्यवहार्यता के बारे में अपनी राय देने के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद विशेषज्ञ की राय और इतिहासकार/अध्येता के जीवन-वृत्त सहित प्रस्ताव निर्णय के लिए अनुसंधान परियोजना समिति के समक्ष रखा जाता है।

समिति अंतिम रूप से प्रस्ताव/अध्येता के सभी शैक्षिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले पर इसकी योग्यता के आधार पर निर्णय करती है।

(ङ)	(i)	डाक्टोरल कार्य को पूरा करने के लिए शिक्षावृत्तियां	—135
	(ii)	पोस्ट डाक्टोरल कार्य के लिए शिक्षावृत्तियां	— 16
	(iii)	डाक्टोरल/पोस्ट डाक्टोरल कार्य को पूरा करने के लिए वेतन सुरक्षा शिक्षावृत्तियां	— 26
	(iv)	वरिष्ठ अध्येताओं को दी गई शिक्षावृत्तियां	— 56
	(v)	विदेश में सामग्री देखने के लिए अध्येताओं को दिया गया हवाई भाड़ा/अनुरक्षण	— 7
	(vi)	सामग्री देखने के लिए भारत का भ्रमण करने हेतु विदेशी अध्येताओं को दिया गया हवाई भाड़ा/अनुरक्षण	— 1
	(vii)	दी गई शिक्षावृत्तियों की संख्या	— 49
		योग :	—290

एस०के० 265/270 और एस० 227/232 पूर्वी रेल का ओ०एच०ई० रखरखाव

8983. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग की नीति दैनिक यात्रियों की असुविधाओं को कम से कम करना है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक रविवार को एस०के० 265/270 और हर दूसरे रविवर को एस० 227/232 को राणाघाट में, ओ०एच०ई० रखरखाव के नाम पर जो कभी-कभार ही की जाती है; रेल गाड़ियों को रद्द करके यात्रियों के लिए भारी कठिनाई पैदा करने के बजाय पूर्व रेलवे के सियालदह कृष्ण नगर के और सियालदह-शान्तिपुर सेक्शनों पर काली-नारायणपुर में रात अथवा उपयुक्त समय पर ओ०एच०ई० रखरखाव न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) यातायात का स्वरूप अभी तक ऐसा रहा है कि प्रत्येक रविवार को एस०के०-265-270 और हर दूसरे रविवार को एस०-227-232 गाड़ियों को राणाघाट में टर्मिनेट किये

बिना सिरोपरि उपस्करों का रख-रखाव नहीं किया जा सकता। पूर्व रेलवे को अनुदेश दिये गये हैं कि समय सारणी के अगले संशोधन के समय, संसद सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव को ध्यान में रखा जाय।

दवाइयों पर प्रयोग करने की अंतिम तारीख (एक्सपाइरी डेट) छापना

8984. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि औषध निर्माता गोलियों/कैपसूलों के पत्तों और दवाई की बोतलों पर निर्माण की तारीख तो छापते हैं परन्तु उनके प्रयोग की अंतिम तिथी (एक्सपाइरी डेट) का कोई उल्लेख नहीं करते ?

(ख) क्या प्रयोग किये जाने की अंतिम तिथि (एक्सपाइरी डेट) न लिखने के कारण भ्रम पैदा होता है तथा कई बार उपभोक्ता पुरानी औषधियां खरीद लेता है जो लाभ की बजाय हानि पहुंचाती हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं कि दवाइयों की बोतलों/पत्तों पर प्रयोग करने की अंतिम तिथि अनिवार्य रूप से लिखी जाए ताकि खरीदने वालों को इनका पता रहे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) से (ग) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के अन्तर्गत यह जरूरी नहीं है कि सभी दवाइयों के लेबल पर दवाई उपयोग की अंतिम तारीख लिखी जाए। औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों के अनुसार केवल उन्हीं तीन निम्नलिखित वर्गों की दवाइयों के लेबल पर निर्माण तथा उपयोग करने की अंतिम तारीख छापी जाएगी जिनके रखे रहने पर खराब हो जाने की सम्भावना होती है :

1. वे सभी दवाईयां जो औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों की अनुसूची "पी" में शामिल हैं। [नियम 96 (1) (vii)]
2. अनुसूची "सी" (1) की सभी औषधियों (जैविक और विशेष उत्पाद जिन्हें टीके के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता) [नियम 96 (1) (viii)]
3. अनुसूची "सी" की सभी दवाईयां (सीरम और वैक्सीन, एण्टी बायटिक्स, कारटीकोस्टरायड्स, विटामिन आदि जैसी दवाईयां जो इन्जेक्शन के जरिये दी जाती हैं) [नियम 109 (1) (सी)]

ऐसी बहुत सी संश्लिष्ट दवाईयां हैं, जो खराब नहीं होती और इन दवाईयों वाले योगों पर उपयोग की अंतिम तारीख लिखनी जरूरी नहीं होती।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का अधिक नगरों में विस्तार

8985. **श्री छीतू भाई गामित :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना का कुछ और नगरों में विस्तार करने की योजना को त्याग दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) वित्तीय मजबूरियों के कारण छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान किसी नये शहर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का विस्तार करने के प्रस्ताव को आस्थगित रखा गया है।

महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए आयोग की नियुक्ति

8986. **श्री छीतू भाई गामित :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं विशेषकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के हितों की रक्षा तथा देश के विभिन्न भागों में समय-समय पर पैदा होने वाली उनकी समस्याओं को हल करने हेतु एक आयाग की नियुक्ति करने के लिए, महिलाओं की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में की गई मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) जी, हां। तथापि ज्ञापन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(ख) ज्ञापन में उल्लिखित मुख्य मांगें इस प्राकर थी :

रोजगार अवसर पैदा करने के लिए बनाई सभी योजनाओं और कार्यक्रमों में महिलायों को अधिकाधिक रोजगार मिले, स्टाफ सहायता और धन का नियतन करना, महिलाओं को प्रशिक्षण के अवसरों में पर्याप्त विस्तार करना, होस्टल और बच्चों की देखभाल की सहायक सेवाओं का प्रावधान करना, महिलाओं के संरक्षण के लिए मौजूदा कानूनों के प्रवर्तन में सुधार

करना, विवाह के दौरान प्राप्त कुल सम्पत्ति में पति और पत्नी को समान अधिकार प्रदान करना और वैधानिक शक्तियों से युक्त एक राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना करना।

(ग) इन मांगों को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। श्रमजीवी महिला होस्टलों, शिशु-केन्द्रों, अल्प आवास गृहों जैसी सामाजिक सहायता हेतु स्वयंसेवी संगठनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। संकटग्रस्त और निराश्रित महिलाओं के पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जा रही है। वयस्क महिलाओं के लिए संक्षिप्त शिक्षा पाठ्यक्रम चालए जा रहे हैं। वैधानिक शक्तियों से युक्त राष्ट्रीय आयोग की स्थापना के सम्बन्ध में सरकार का विचार है कि महिलाओं के विकास कार्यक्रमों के आयोजन, प्रबोधन पुनरीक्षण हेतु चूंकी पहले से ही एक राष्ट्रीय मशीनरी विद्यमान है, इसलिए राष्ट्रीय वैधानिक आयोग की स्थापना किए जाने से कोई लाभ नहीं होगा।

गैंगमैन को बकाया मजदूरी का भुगतान

8987. **श्री ए०के० राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे के महाप्रबन्धक को कलूबथन, आसनसोल डिवीजन, पूर्व रेलवे के गैगमैन से वर्ष 1973 से 1979 तक का न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अनुसार उनकी बकाया मजदूरी का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 2 नवम्बर, 1983 का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, पूर्वी रेलवे के सभी डिवीजनल रेलवे मैनेजरों को भेजे गये सी०पी०ओ०/पूर्वी रेलवे कलकत्ता के दिनांक 21 दिसम्बर, 1981 के परिपत्र में उल्लिखित रेलवे बोर्ड के आदेश की अपेक्षा करते हुये इन गरीब मजदूरों की बकाया मजदूरी का भुगतान करने में इतना अधिक विलम्ब करने वाले सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

"मोस्ट आयुर्वेदिक कालिजिज इग्नोरिंग स्टेण्डर्डस" शीर्षक से समाचार

8988 **श्री मूल चन्द डागा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 मार्च, 1984 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "मोस्ट आयुर्वेदिक कालिजिज इग्नोरिंग स्टेण्डर्डस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है और यदि हां, तो देश में इसके कार्य को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केवल अनुभव के आधार पर ही प्रैक्टिस करने के लिए कितने व्यक्तियों को पंजीकृत किया गया तथा वर्ष-वार और राज्य-वार उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार उपरोक्त भाग (ख) के अनुसार पंजीकरण की इस व्यवस्था से संतुष्ट है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) हां। भारत सरकार ने राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों को लिखा है जिसमें भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों को बनाए रखने की जरूरत पर बल दिया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 की धारा 17 को पहली अक्तूबर, 1976 से सारे भारत में लागू कर दिया गया है। अतः जिन व्यक्तियों के पास उक्त अधिनियम की दूसरी, तीसरी अथवा चौथी अनुसूची में शामिल की गयीं अर्हताएं हैं, उन्हें छोड़ कर अन्य किसी भी व्यक्ति को भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय अथवा किसी राज्य के रजिस्टर में पंजीकृत नहीं किया जा सकता।

मध्य रेलवे में थाणे रेलवे स्टेशन पर प्रमुख गाड़िया को रोकने की व्यवस्था करना

8989. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे में थाणा रेलवे स्टेशन (महाराष्ट्र) में सभी प्रमुख गाड़ियों को रोकने की व्यवस्था करने के लिए जनता और उसके प्रतिनिधियों से काफी समय से मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उन गाड़ियों के नाम क्या हैं जिनके उक्त स्टेशन पर रूकने की व्यवस्था की गई है और उन गाड़ियों के नाम क्या हैं जो उस स्टेशन पर नही रूकती हैं ; और

(ग) इन गाड़ियों के उक्त स्टेशन पर न रूकने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) कुछ लम्बी दूरी की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों को थाणे में रोकने की मांग की गयी थी।

(ख) उन मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के नाम, जिनको 1-4-1984 से थाणे में रोकने की व्यवस्था की गयी है और उन गाड़ियों के नाम जो थाणे में नहीं रूकती हैं, संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) थाणे में सभी गाड़ियों को ठहराना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

विवरण

उन मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के नाम जिनको थाणे में रोकने की व्यवस्था की गयी है	उन मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के नाम जो थाणे में नहीं रूकती
1	2
27 डा०/28 अप दादर-वाराणसी एक्सप्रेस (1-4-84 से)	59 डा०/60 अप बम्बई-हवड़ा गीतांजलि एक्सप्रेस
193 डा०/194 अप महानगरी एक्सप्रेस (वही)	
308 अप मिरज-बम्बई कोयना एक्सप्रेस (वही)	115 डा० बम्बई-गोरखपुर एक्सप्रेस
10 अप मद्रास-बम्बई मेल (वही)	31 डा०/32 अप बम्बई-हैदराबाद एक्सप्रेस
82 अप त्रिवेन्द्रम-बम्बई जयन्ती जनता एक्सप्रेस (वही)	11 डा०/12 अप दादर-मद्रस एक्सप्रेस
13 डा० बम्बई-मद्रस जनता एक्सप्रेस (वही)	309 डा०/310 अप बम्बई-पुणे सिंहगढ़ एक्सप्रेस
29 डा०/30 अप बम्बई-हावड़ा एक्सप्रेस	
39 डा०/40 अप दादर-नागपुर विद्रभ एक्सप्रेस	81 डा० बम्बई-त्रिवेन्द्रम जयन्ती जनता एक्सप्रेस
42 अप हवड़ा-भागलपुर-बम्बई जनता एक्सप्रेस	35 डा०/6 अप बम्बई फिरोजपुर-पंजाब मेल
57 डा०/58 अप अमृतसर-दादर एक्सप्रेस	
307 डा० बम्बई मिराज-कोयना एक्सप्रेस	301 डा०/302 अप बम्बई पुणे दक्खन क्वीन
116 अप गोरखपुर-बम्बई एक्सप्रेस	

1	2
306 अप पुणे-बम्बई दक्खन एक्सप्रेस	311 डा० बम्बई-कोल्हापुर सहयाद्री एक्सप्रेस
323 डा० बम्बई-शोलापुर सिद्धेश्वर एक्सप्रेस	201 डा०/202 अप बम्बई-मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस
324 अप शोलापुर-बम्बई सिद्धेश्वर एक्सप्रेस	
312 अप कोल्हापुर-बम्बई सहयाद्री एक्सप्रेस	1 डा०/2 अप बम्बई-हाबड़ा मेल बरास्ता नागपुर
	129 डा०/130 अप दादर-बंगलौर उद्यन एक्सप्रेस
	41 डा० बम्बई-हावड़ा जनता एक्सप्रेस
	303 डा०/304 अप महालक्ष्मी एक्सप्रेस
	4 डा०/3 अप बम्बई-हावड़ा मेल बरास्ता इलाहाबाद
	101 डा०/102 अप बम्बई-सिकन्दराबाद मीनार एक्सप्रेस
	9 डा० बम्बई मद्रास मेल
	14 अप मद्रास बम्बई जनता एक्सप्रेस
	305 डा० पुणे-बम्बई दक्खन एक्सप्रेस

अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड की विदेश यात्राएं

8990. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड वर्ष 1983-84 के दौरान अनेक बार विदेश यात्रा पर गये थे ;

(ख) यदि हां, तो अध्यक्ष, रलवे बोर्ड के साथ गये अधिकारियों के नाम क्या हैं और उनके विदेश यात्रा पर जाने का क्या प्रयोजन था ; और

(ग) सरकार द्वारा इन यात्राओं पर कितना व्यय किया और इन यात्राओं की उपलब्धियां क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां, दो बार।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड जनवरी, 1984 में इंटरनेशनल रेलवे कांग्रेस एसोशिएसन की तकनीकी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए तीन दिन के लिए ब्रुसेल्स (बैलजियम) गये थे। इस बैठक के बाद अध्यक्ष, रेयवे बोर्ड आपसी हित के अनेक विषयों तथा डार्मस्टेडट वैगन रिपेअर शाप के सम्बन्ध में पश्चिम जर्मन रेलवे के अध्यक्ष के साथ विचार-विमर्श करने के लिए एक दिन के लिए फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी गये थे। वे, रेलवे सलाहकार के कार्यालय का निरीक्षण करने तथा ट्रांसमार्क के साथ राइट्स और इरकान के सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए ब्रिटेन भी गये और उन्होंने ब्रिटिश रेल के अध्यक्ष के साथ विचार-विमर्श किया। दिल्ली से उसके साथ कोई अधिकारी नहीं गया था किन्तु सहयोग के मामले पर उपस्कर निर्माताओं और ट्रांसमार्क के साथ विचार-विमर्श करने के लिए ब्रुसेल्स और लंदन में उनके साथ राइट्स और इरकान के प्रबन्ध निदेशक मिले।

अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड रेलों के वित्त आयुक्त के साथ 29-3-84 से 6 कार्य दिवसों के लिए वाशिंगटन (अमेरिका) गये थे ताकि कारखाना आधुनिकीकरण और रेल विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण के सम्बन्ध में भारत की ओर से बातचीत करने वाले दल का मार्ग दर्शन करने और उन्हें सलाह देने के निमित्त विश्व बैंक दल के साथ भारतीय वार्ता-दल की बातचीत के दौरान वहां उपस्थित रह सकें।

वाशिंगटन से वापस आते समय, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड एक दिन के लिए हनोवर मेले में भारतीय रेल मंडप की व्यवस्था और उसकी उपयोगिता की जांच करने के लिए हनोवर (पश्चिम जर्मनी) गए जहां भारत, साझेदार देश के रूप में भाग ले रहा था और पैरिस मेट्रो तथा उसके परिचालन का अध्ययन करने, आर० ए० टी० पी० के अध्यक्षों तथा यू० आई० सी० के सेक्रेटरी जनरल से साथ विचार-विमर्श करने तथा डीजल रेल इंजनों के लिए क्रेंक शाफ्ट्स के निर्माण, टी० जी० वी० गाड़ियों आदि के संचालन का निरीक्षण करने के साथ-साथ पेरिस में उप रेलवे सलाहकार के कार्यालय का निरीक्षण करने के लिए दो दिन के लिए फ्रांस गए थे।

ये यात्राएं उपयोगी रहीं। इन दो यात्राओं का कुल अनुमानित खर्च 76,680.00 रुपये है।

उत्तर प्रदेश सरकार का राज्य में और मेडिकल कालेज खोलने हेतु अनुरोध

8991. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में लगभग सात मेडिकल कालेज खोलने के लिये मंजूरी और आर्थिक सहायता देने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विश्वविद्यालयों की पाठ्य विवरणों/पाठ्यक्रमों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्ग निर्देश और अनुदान

8992. **श्री हरीश रावत** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचार देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों के लिये कुछ मार्गनिर्देश तैयार करने का है, जिसके आधार पर उन विश्वविद्यालयों में किसी स्थान विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप विषयों पाठ्यविवरणों/पाठ्यक्रमों में शामिल किया जा सकेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को दिये जाने वाले प्रस्तावित विशेष अनुदानों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कला, विज्ञान और वाणिज्य विषयों में प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों की पुन: संरचना के लिए कुछ मार्गदर्शी रूप-रेखाएं तैयार की हैं। मार्गदर्शी रूप-रेखाओं में मौजूदा पाठ्यक्रमों का क्षेत्र/समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार पुन: अनुकूलन करने और पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले मूल विषयों से सम्बन्धित कुछ संगत प्रयुक्त विषयों को शुरू करने की परिकल्पना की गई है । शुरू किए जाने वाले प्रयुक्त विषयों से समुचित दक्षता और क्षमता का विकास होना चाहिए ताकि छात्र क्षेत्र कार्य, परियोजना कार्य, विस्तार इत्यादि के माध्यम से क्षेत्र की समस्याओं पर सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग कर सकें। विश्वविद्यालयों द्वारा प्रयुक्त स्वरूप के पाठ्यक्रमों का चयन स्थानीय अथवा क्षेत्रीय आवश्यकताओं और क्षेत्र के उद्योगों को ध्यान में रख कर करना होगा । मार्गदर्शी रूप-रेखाओं में ऐसे पाठ्यक्रमों की एक निदर्शी सूची भी दी गई है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रमों की पुनः संरचना के लिए प्रारम्भिक राशि के रूप में तथा शिक्षकों के अनुस्थापन, पाठ्यक्रम सामग्री, शिक्षण साधन तैयार करने आदि के लिए 5 वर्ष की अवधि के वास्ते 5.00 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है। आयोग कालेजों को कोर स्टाफ की नियुक्ति, अंश कालिक शिक्षकों की नियुक्ति और 5 वर्ष की अवधि के लिए अनावर्ती खर्च वहन करने के लिए 1.00 लाख रुपए तक की सहायता करने के लिए भी सहमत हो गया है।

काठगोदाम/रामनगर और कनकपुरा रेलवे स्टेशनों पर
सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा

8993. **श्री हरीश रावत :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में काठगोदाम रामनगर और टनकपुर रेलवे स्टेशनों पर आक यात्रियों के लिये सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में इन स्टेशनों पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी ;

(ग) यदि हां, तो कब तक ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) काठगोदाम, रामनगर और टनकपुर स्टेशनों पर टेलीफोन की मांग न होने के कारण सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था नहीं की गयी है। जब कभी औचित्य होगा, इन स्टेशनों पर ऐसे टेलीफोनों की व्यवस्था करने के लिए डाक एवं तार विभाग के समन्वय से विचार किया जायेगा।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा घटिया स्तर की दवाओं का उत्पादन

8994 **श्री हरीश रावत :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों के दौरान बहुराष्ट्रीक कम्पनियों द्वारा तैयार की गई बहुत सी दवाइयों को घटिया स्तर का पाया गया ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा में रलवे कोच फैक्ट्री

8995. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित करने के लिए किन-किन स्थानों का पता किया गया है;

(ख) क्या रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना के लिए एक आदर्श स्थल के रूप में उड़ीसा के मंचेश्वर स्थान का चयन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा में मंचेश्वर में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित करने के लिये सरकार ने कितनी धनराशि स्वीकृत की है : और

(घ) मंचेश्वर में रेलवे कोच फैक्ट्री के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) रेलवे सवारी डिब्बा कारखाना स्थापित करने के लिए अभी तक किसी स्थान का चयन नहीं किया गया है। स्थान सर्वेक्षण सहित एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम रेल इंडिया टैक्नीकल एण्ड इकोनोमिक सर्विसेज लिमिटेड को सौंपा गया है और इसके कार्य क्षेत्र, स्थान आदि से सम्बन्धित निर्णय उक्त रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात् ही किया जायेगा।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए अभी ये प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा में निर्माणाधीन रेल मार्ग

8996. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय कौन-कौन से नये रेल मार्ग निर्माणाधीन हैं ;

(ख) इनमें से प्रत्येक रेल मार्ग की अनुमानित लागत और कुल लम्बाई कितनी है;

(ग) इनमें से प्रत्येक रेल मार्ग का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए क्या-क्या तारीखें निर्धारित की गई हैं;

(घ) इनमें से प्रत्येक रेल मार्ग के निर्माण के लिये कितनी धनराशि की केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई है; और

(ड.) इनमें से प्रत्येक रेल मार्ग को पूरा करने में क्या प्रगति हुई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ड.) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (ङ.) उड़ीसा में निर्माणाधीन नयी रेलवे लाइनों का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्रम सं०	रेलवे लाइन का नाम	अनुमानित लागत	कुल लम्बाई (कि०मी० में)	पूरा होने की लक्ष्य तिथि	31-3-84 तक प्रत्याशित खर्च	1984-85 के लिए परिव्यय	की गयी प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जखापुर-बासपानी	39 करोड़ रु०	176	जखापुर से दैतारी तक के चरण-1 को 22-3-81 को खोल दिया गया। चरण-2 और इससे आगे के लिए कोई तारीख निर्धारित नहीं की गयी है।	678 लाख रुपये	—	जखापुर से दैतारी तक चरण-1 को खोल दिया गया।
2.	कोरापुट-रायगडा	112.10 करोड़ रुपये 200 करोड़ रुपये	174	कोरापूट से मछलीगुडा तक चरण-1 के लिए 30-6-1985	1970 लाख रुपये	1270 लाख रुपये	कोरापुट और मछलीगुडा के बीच के खंड में पुल और मिट्टी संबंधी कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6	7	8
							मछलीगुडा और लक्ष्मी-पुर के बीच अगले चरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है।
	3. ताचेर-सम्बलपुर	46.39 करोड़ रुपये	171	अभी निर्णय नहीं किया गया है	—	100 लाख रुपये	कोई नहीं। 1984-85 के बजट में कोई कार्य शामिल नहीं किया गया।

नोट—उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए संपूर्ण परिव्यय पूंजी के अन्तर्गत आता है जो केन्द्रीय सरकार दी गयी बजटीय सहायता पर निर्भर करता है।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर ऊपरी पुलों का निर्माण

8997. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर कितने उपरि-पुल निर्मित किये गये हैं, कितने निर्माणधीन हैं और कितने निर्मित किये जाने का प्रस्ताव हैं;

(ख) उपर्युक्त योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में इन उपरिपुलों के निर्माण पर कितनी धनराशि खर्च की गई है, रेलवे के निर्माणधीन उपरिपुलों के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है और रेलवे के अन्य उपरिपुलों के निर्माण पर कितनी लागत का अनुमान लगाया गया है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) सम्भवतः प्रश्न का आशय ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण से सम्बन्धित है। यदि ऐसा है, तो उड़ीसा राज्य में बालासौर में ऊपरी सड़क पुल पूरा हो गया है और 13-4-84 को यातायात के लिए खोल दिया गया है और निरगुण्डि में निचले सड़क पुल और कटक में ऊपरी सड़क पुल को 1984-85 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। छठी योजना के दौरान या पहले से उड़ीसा राज्य के लिए स्वीकृत निम्नलिखित ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण किया जा रहा है जिनमें उपरोक्त निर्माण कार्य भी शामिल हैं। रेलवे के हिस्से की अनुमानित लागत, 31-3-84 तक हुआ अनुमानित खर्च और 1984-85 के लिए परिव्यय नीचे दिखाया गया है :

क्रमांक	स्थान	लागत में रेलवे का हिस्सा (लाख रुपयों में)	1983-84 तक खर्च	1984-85 के लिए परिव्यय	कार्य पूरा करने के लिए शेष राशि
1	2	3	4	5	6
1.	बोलनगिर में कि०मी० 6/8-74 पर समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल	13.68	12.69	0.99	—
2.	बरगढ़ में कि०मी० 603-09 पर समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल	16.68	7.06	9.86	—

1	2	3	4	5	6
3.	बालासौर में रेमुना समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	43.15	38.11	5.94	यातायात के लिए खोल दिया गया है।
4.	कि०मी० 400/7-8 पर निरगुण्डी और केंद्रपाड़ा के बीच निचला सड़क पुल	26.73	14.99	7.00	5.74
5.	कटक रेलवे स्टेशन के दक्षिणी छोर पर समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल	130.68	88.99	20.00	21.69
	जोड़	231.16	161.84	42.89	26.43

सम्बलपुर रेलवे स्टेशन के लिए निर्धारित राशि

8998. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में सम्बलपुर रेलवे स्टेशन को यात्री टर्मिनल के रूप में इस्तेमाल करने का निर्णय किया है और इसके लिए राशि निर्धारित कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी राशि आबंटित की गई है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) सम्बलपुर में पहले से ही गाड़ियां समाप्त होती हैं। बहरहाल, कोई भी धन इसके लिए अलग से नहीं रखा गया है क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई अनुमोदित कार्य नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पारादीप में शिपयार्ड की स्थापना

8999. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापानी सलाहकारों ने गुजरात में हाजिरा और उड़ीसा में पारादीप में दो शिपयार्डों की स्थापना की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या पारादीप में एक शिपयार्ड की स्थापना के लिये कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है और क्या इसके लिए कोई विदेशी सहायता मांगी गई है; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां

(ख) से (ङ.) योजना आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए अलग-अलग क्षेत्र के लिए कार्य दल बनाए हैं। जहाज निर्माण से संबंधित कार्य दल जहाज निर्माण उद्योग के लिए उपलब्ध संसाधनों और आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने और सातवीं योजना के लिए तत्संबंधी प्रस्तावों के निर्माण करने में कार्यरत हैं। योजना आयोग इस कार्य दल के प्रस्तावों पर, उनको सातवीं योजना में विधिवत शामिल करने के पहले, विचार करेगा।

सरकार ने इन दोनों शिपयार्डों की अर्थात्—एक हजीरा (गुजरात) में और दूसरा परादीप (उड़ीसा) में, स्थापना के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

चित्तौड़गढ़ में बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटक

9000. **श्री निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटकों की संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि जब इन रेलवे फाटकों के फाटक बन्द रहते हैं, तब सम्बद्ध गांवों को अत्यधिक कठिनाई और असुविधा का सामना करना पड़ता है;

(ग) वहां पर चौकीदारों को कब तक तैनात किये जाने की सम्भावना है ; और

(घ) चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) में बिना चौकीदार वाले फाटकों की संख्या क्या है, जहां पर चालू वर्ष के दौरान चौकीदारों को तैनात किये जाने की सम्भावना है और यदि उन्हें इस वर्ष तनात न करने का प्रस्ताव है, तो उनको किस समय तक तैनात करने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) 31 मार्च, 1983 को भारतीय रेलों पर बिना चौकदार वाले कुल 22,531 समपार थे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि बिना चौकीदार वाले समपारों पर फाटकों की व्यवस्था नहीं है। गाड़ियों को गुजारने के समय चौकीदार वाले समपारों के फाटक बन्द किये जाने पर सड़क यातायात कुछ समय के लिए अपरिहार्य रूप से रुक जाता है।

(ग) बिना चौकीदार वाले सभी समपारों पर चौकीदारों की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बिना चौकीदार वाले केवल ऐसे समपारों पर निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर चौकीदारों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है जहां यातायात की संख्या का औचित्य हो अथवा जिनसे बसें नियमित रूप से गुजरती हों और जो दुर्घटना प्रवृत्त स्थान समझे जाते हों।

(घ) चित्तौडगड़ जिले में बिना चौकीदार वाले समपारों की संख्या 54 है। फिलहाल इन समपारों में से किसी पर भी चौकीदार की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कमीशन बियरर्स और कमीशन वेंडर्स को खपाया जाना

9001. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी कमीशन बियरर्स और कमीशन बंडर्स को नियमित नौकरी में खपाने के लिए वर्ष 1978 में निर्णय लिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो अब तक जोनवार तथा डिवीजनवार कितने कमीशन बियरर्स और कमीशन वेंडर्स को खपाया गया है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) वर्ष 1978 में उन कमीशन वेयरों, जो उस समय रेलों पर कार्य कर रहे थे, को नियमित वेतनमान में चरणबद्ध रूप से समाहित करने के सम्बन्ध में एक निर्णय लिया गया था। उसी वर्ष (1978) में यह विनिश्चय किया गया था कि कमीशन वेयरों को समाहित करने के बाद उत्पन्न होने वाली वेयरों की रिक्तियों के लिए कमीशन वेंडरों के सम्बन्ध में विचार किया जाये।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का उत्पादन लक्ष्य

9002. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स विद्युत और डीजल इंजन और अपनी स्टील फाउंड्री में कास्टिंग का 1983-84 का लक्ष्य पूरा नहीं कर सका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसका वर्तमान उत्पादन लक्ष्य क्या है ?

(क) 1983-84 के लिए चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने का विद्युत एवं डीजल रेल इंजनों और इस्पात की ढलाई का उत्पादन लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन इस प्रकार है :

	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन
विद्युत रेल इंजन	67	47
डीजल रेल इंजन	26	25
जोड़	93	72
इस्पात ढलाई	5000 (टन)	4159 (टन)

(ख) विद्युत रेल इंजनों के उत्पादन में कमी का मुख्य कारण यह है कि सप्लायरों ने टैप-चेंजर, सर्किट ब्रेकर और फील्ड शार्टिंग रेजिसटेंस जैसे महत्वपूर्ण पुर्जों की सप्लाई में असाधारण देर की।

इस्पात ढलाई उत्पादन में गिरावट इंडियन आयल लि० से तरल आक्सीजन की असंतोष-जनक सप्लाई और संयंत्र की मरम्मत के कारण आई।

(ग) 1984-85 में उत्पादन का लक्ष्य इस प्रकार है :

विद्युत रेल इंजन	--	60
डीजल रेल इंजन	—	33
इस्पात ढलाई	—	5000 (टन)

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जजनातियों के कर्मचारी

9093. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में श्रेणी चार श्रेणी तीन के कितने पद अभी भरे जाने हैं;

(ख) क्या सनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की भर्ती के त्वरित कार्यक्रम के लिए कोई चयन किया गया है और यदि हाँ, तो चयन की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ग) क्या चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में जनशक्ति के अभाव और भर्ती न किये जाने के कारण काम का बहुत नुकसान हो रहा है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में भर्ती पर प्रतिबन्ध लागू है जिसके कारण कतिपय पदोन्नति आदेश जारी नहीं किये जा रहे हैं।

रेल मन्त्रालय मेंराज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली अहमदाबाद रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के एक-एक और डिब्बे को सामान्य डिब्बों में तबदील करना

9004. **श्री विदाराम फुलवारिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-अहमदाबाद सुपर फास्ट गाड़ी से बिना आरक्षण यात्रा करने वाले प्रथम

और द्विवतीय श्रेणी के यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि इस गाड़ी के साथ प्रथम और द्विवतीय श्रेणी का केवल एक-एक सामान्य डिब्बा जोड़ा जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यात्रियों की सुविधा के लिये प्रथम और द्विवतीय श्रेणी के एक-एक और डिब्बे को सामान्य डिब्बों के रूप में तबदील करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी०के जाफर शरीफ) : (क) से(ग) दिल्ली-अहमदाबाद सुपर फास्ट एक्सप्रेस में पहले दर्जे के किसी अनारक्षित डिब्बे की व्यवस्था नहीं की गयी है। जहां तक दूसरे दर्जे का सम्बन्ध है, दिल्ली से अहमदाबाद तक केवल अप दिशा में दो ब्रेकयान एवम् दूसरे दर्जे के सवारी डिब्लों में फिलहाल अनारक्षित स्थान की व्यवस्था की गयी है। अहमदाबाद से दिल्ली तक डाउन दिशा में दूसरे दर्जे में इसी प्रकार के अनारक्षित स्थान की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।

गर्भवती महिलाओं/बच्चो के लिये पोषाहार और दवाओं की निर्धारित मात्रा

9005. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री पौष्टिक आहार के अभाव के कारण खून की कमी से पीड़ित महिलाओं के बारे में 15 मार्च, 1984 के तारांकित प्रश्न संख्या 264 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों में प्रति गर्भवती महिला और प्रति बच्चा पौष्टिक आहार और दवाओं की मात्रा निर्धारित है;

(ख) क्या तत्संबंधी योजना की पुनरीक्षा करने और गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिये साप्ताहिक आधार पर कम से कम ग्राम पंचायत स्तर पर चलती-फिरती स्वास्थ्य सहायता और सेवाओं की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उसका क्या विकल्प सोचा गया है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) महिलाओं और बच्चों का अपोषणज अरक्तता से बचाव सम्बंधी योजना के अन्तर्गत महिलाओं को लगभग 100 दिन तक हर रोज एलीमेंटल आयरन की 60 मिली ग्राम वाली (180 मिली ग्राम फोरस सल्फेट) तथा फालिक एसिड की 0.5 मिली ग्राम वाली गोलियां दी जाती हैं। बच्चों (1-12 वर्ष) को लगभग 100 दिन तक हर रोज एलीमेंटल आयरन की 20 मिली ग्राम की (60 मिली ग्राम फारस सल्फट) तथा फालिक एसिड की 0.1 मिली ग्राम की खुराकें दी जाती हैं।

समाज कल्याण मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं स्तनपान करवाने वाली महिलाओं तथा छह वर्ष से छोटे बच्चों को पूरक पोषण उपलब्ध किया

जाता है । महिलाओं को एक वर्ष में 300 दिन तक हर रोज 22-25 ग्राम प्रोटीन वाली लगभग 500 कैलोरी दी जाती है। बच्चों को हर रोज 10-12 ग्राम प्रोटीन वाली 300 कैलोरी दी जाती है।

(ख) और (ग) मचल दलों के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, बल्कि ये सेवाएँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप-केन्द्रों आदि तथा एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत आगंनवाडी के जरिए प्रदान की जाती हैं। आधारभूत ढाँचों का और विस्तार किया जा रहा है।

शाहजहांपुर में मलेरिया की महामारी

9006. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में देश में मलेरिया से भारी संख्या में मौतें हुई हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश के केवल शाहजहांपुर जिले में ही 600 लोगों की मृत्यु हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब एक के बाद एक लोग मर रहे थे, उस समय किसी भी औषधालय में एक भी डाक्टर उपलब्ध नहीं था और मलेरिया की महामारी के ऐसे संकेत मौजूद थे, जिसकी दृष्टि उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान जैसी केन्द्रीय सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित जांच से हो गई थी; और

(ग) क्या सरकार ने इस महामारी के सभी मामलों का पता लगा लिया है और सरकार का ध्यान विभिन्न जाँच दलों द्वारा उन निष्कर्षों की ओर दिलाया गया है जो दिनांक 15 अप्रैल, 1984 के "इंडिया टूडे" में "इनबेस्टीमेशन-मलेरिया-फैटल-नेगलैक्ट शीर्षक संबंधी लेख के अंतर्गत प्रकाशित हुए थे और यदि हां, तो सरकार ने मलेरिया की महामारी की रोकथाम करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) 15 अप्रैल, 1984 के "इंडिया टूडे" में छपे लेख को सरकार ने देखा है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से मिली सूचना के अनुसार मलेरिया के कारण सारे देश में 191 मौतें हुईं। शाहजहांपुर से कुछ मौतों की सूचना मिली थी जिनमें मलेरिया बुखार के क्लीनिकल लक्षण और संकेत पाये गए थे। इस संबंध में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, दोनों की एजेन्सियों द्वारा जाँच-पडताल की गई। स्थिति पर बराबर निगरानी रखी जा रही है और लोगों को औषधियां देने, निगरानी संबंधी उपायों में तेजी लाने, और वितरण केन्द्र खोलने और प्रभावित क्षेत्रों में शीघ्र कीटनाशक छिड़काव करने की कार्यनीति अपनाई गई है। राज्य सरकार को मलेरिया-रोधी और कीटनाशक औषधियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध की गई हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने मलेथियन की सप्लाई शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से करने का निर्णय किया है।

कन्डक्टरों और टी० टी० आई० की संयुक्त वरीयता सूची

9007. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के मालीगांव में कन्टक्टर के गैर-चयन पद तथा टी० टी० आई० के चयन पद की संयुक्त वरीयता सूची है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा संयुक्त वरीयता सूची बनाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि कन्डक्टर के गैर चयन पद की टी० टी० आई० के साथ संयुक्तवरीयता सूची के विरोध में कर्मचारियों की ओर से अभ्यावेदन भेजे गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और यदि नहीं, तो अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि 425—640 रुपये के वेतनमान वाले प्रधान चल टिकट परीक्षक और कन्डक्टर, दोनों को ही 550—750 रुपये के वेतनमान में चल टिकट निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के अवसर मिलते हैं इसलिए इन दोनों कोटियों की एक संयुक्त वरिष्ठता बनायी जाती है।

(ग) और (घ) पूर्वोत्तर सीमा रेल प्रशासन को 425—640 रुपये के वेतनमान वाले प्रधान चल टिकट परीक्षकों की ओर से कंडक्टरों के साथ उनकी संयुक्त वरिष्ठता बनाने के विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। रेल प्रशासन मामले की जाँच कर रहा है।

संकरी सड़कों वाली कालोनियों में मेटाडोर बस सेवा शुरू करना

9008. **श्री सज्जन कुमार** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में ऐसी अनेक कालोनियां हैं, जहाँ संकरी सड़कें होने के कारण बसें नहीं जा सकती तथा उन कालोनियों के निवासियों को दिल्ली परिवहन निगम की बसें पकड़ने के लिये लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वहां के निवासियों की सुविधा के लिये इन कालोनियों से मेटाडोर बस सेवा शुरू करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) और (ख) दिल्ली के कुछ ऐसे क्षेत्रों में, दिल्ली परिवहन निगम की बस सुविधा उपलब्ध नहीं है जहां सड़कें तंग हैं और बसें चलाना कठिन है। यह भी देखा गया है कि ऐसी तंग सड़कों पर

मेटाडोर सेवाओं का परिचालन भी उचित नहीं है। दिल्ली पनिवहन निगम इस बात का भरसक प्रयत्न कर रहा है कि जनता को बस लेने के लिए ज्यादा दूर नहीं चलना पड़े और नगर में यात्रियों के लिए बसों की पूरी सुविधा हो जाए।

दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम के अंतर्गत मेटाडोर गाड़ियां चलाना

9009. **श्री सज्जन कुमार** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम के अंतर्गत मेटाडोर गाड़ियां चलाने के संबंध में सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या सरकार का दिल्ली में अत्यधिक भीड़-भाड़ को कम करने और बेरोजगारी को समाप्त करने की दृष्टिकोण से दिल्ली परिवहन निगम के अंतर्गत नये मेटाडोर रूटों को प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) वर्ष 1982 के दौरान एशियाई खेलों की अवधि में दिल्ली प्रशासन ने शहर में 43 रूटों पर 226 माइक्रो मिनी बसों (मेटाडोर) के परिचालन के लिए परमिट जारी किये। चूंकि दिल्ली परिवहन निगम दिल्ली में यात्रियों के लिए पर्याप्त और कम खर्चीली परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने में सक्षम है अतः निजी मेटाडोर के परिचालन सम्बन्धी किसी प्रकार की स्कीम पर विचार नहीं किया जा रहा है। इस समय मुख्यतः ध्यान मेटाडोर बसों के बजाय जिनमें कम यात्री आ-जा सकते हैं स्टैंडर्ड साइज की और अधिक बसें चलाने पर दिया जा रहा है जो चाहे दिल्ली परिवहन निगम स्वयं खरीद कर चलाये या अपने अधीन प्राइवेट आपरेटरों से चलवाये।

दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालयों की कमी

9010. **श्री सज्जन कुमार** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की जनसंख्या तथा शहर में सरकारी कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालयों की बहुत कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि जिने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के पद स्थानान्तरणीय हैं उनके बच्चों को इन विद्यालयों में प्रवेश नहीं मिल पाता है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पडता है; और

(ग) दिल्ली में और अधिक केन्द्रीय विद्यालय न खोलने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थूंगन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) केन्द्रीय द्यिालयों में प्रवेश के लिए निरन्तर बढ़ती हुई मांग को यथासंभव पूरा करने के लिए दिल्ली में लगभग प्रतिवर्ष नए केन्द्रीय विद्यालय खोले जाते हैं।

मध्य प्रदेश में शिक्षा का व्यवसायीकरण

9011. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1984-85 और सात्रवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के व्यवसायीकरण की योजना को प्रारम्भ करने के लिए कोई विशेष सहायता/अनुदान की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि की मांग की गई है; और

(ग) मध्य प्रदेश राज्य में पिछड़े जिलों के ग्रामीड़ क्षेत्रों में शिक्षा के व्यवसायीकरण, व्यावसायोन्मुखी योजना के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) 10+2 पद्धति तथा व्यावसायीकरण के कार्यान्वियन के लिये 1984-85 की वार्षिक योजना के भाग के रूप में 20 लाख रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया था। परन्तु इस सम्बन्ध में विशेष सहायता/अनुदान के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। सातवीं योजना अभी तैयार की जा रही है।

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह बताया गया है कि माध्यमिक स्तर पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत है। तथापि, स्कूल शिक्षा मुख्य रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है और इसका प्रबन्ध अधिकांशत: उनके द्वारा ही किया जाता है। जबकि भारत सरकार ने स्कूल स्तर पर व्यावसायीकरण के साथ 10+2 की पद्धति लागू करने की आवश्यकता पर राज्य सरकार पर लगातार जोर डाला है, परन्तु राज्य ने इस पद्धति को अभी तक नहीं अपनाया है।

फलोदी से कोलायत तक रेल लाइन

9012 **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा**
श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार
श्री टी० एस० नेगी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरतगढ़-बीकानेर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य प्रारम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सूरतगढ़-बीकानेर रेल लाइन को बदलने से उपलब्ध सामग्री का फलौदी से कोलायत तक रेल लाइन बिछाने के लिए उपयोग किया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो यह कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सीमावर्ती जिले जैसलमेर और दिल्ली के बीच सीधे रेल सम्पर्क सैनिक और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि में उपयोगी सिद्ध होगा; और

(ङ) यदि हां, तो फलौदी से कोलायत तक एक छोटी रेल लाइन न बिछाने के क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। बदलाव के बाद निर्मुक्त रेल पथ सामग्री पूर्णतया रेल पथ पर पुनः उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं होती है क्योंकि इसमें से कुछ केवल स्क्रेप के लिए उपयुक्त होती है और जो मात्रा पुनः उपयोग के योग्य होती है उसे सामान्यतः मौजूदा मीटर लाइन रेल पथों को अच्छी हालत में रखने हेतु गौण नवीकरण के लिए अलग रखा जाता है।

(घ) और (ङ) रक्षा विभाग सामरिक लाइनों की अपनी आवश्यकताओं की सूचना उस समय देता है जब वह यह समझता है कि इन पर रेलों द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है लेकिन कार्य निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर तथा धनराशि की उपलब्धता के अनुसार शुरू किया जाता है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आवेदकों को नेशनल परमिट जारी करना

9013. **श्री भीखाभाई** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेशनल परमिट की नीति को अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) इस नीति के आरम्भ किए जाने से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को कितने परमिट जारी किए गए ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) जी, हां। 1975 से।

(ग) राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को ट्रकों और बसों के लिए क्रमशः 347 और 133 राष्ट्रीय परमिट दिए गए।

भारतीय दूतावासों के कर्मचारियों की सुरक्षा

9014. **श्री सज्जन कुमार** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों में हमारे मिशनों के कर्मचारियों को वाहन और टेलीफोन संबंधी सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मिशन स्टाफ के प्रत्येक कर्मचारी को उसके

ओहदे पर विचार किए बिना कार अग्रिम देने का है ताकि वे अपने वाहन से आ-जा सके, जिससे उनकी बेहतर सुरक्षा हो सके; और

(ग) सरकार द्वारा हमारे राजनयिकों की रक्षा के लिए किन अन्य उपायों पर किया जा रहा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) सरकार विदेशों में स्थित मिशनों में काम करने वाले हमारे कर्मचारियों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रबन्ध कर रही है। इनमें, यह देखते हुए कि जगह कितनी असुरक्षित है और खतरा कितना अधिक है, कर्मचारियों को परिवहन की सुविधा प्रदान करना और टेलीफोन की अधिक सुविधाएं देना शामिल होगा।

(ख) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) सरकार अपने राजनयिकों की सुरक्षा के लिए अन्य कई उपयुक्त उपायों पर विचार कर रही है। तथापि, सुरक्षा की दृष्टि से इसका पूरा ब्यौरा देना उचित नहीं होगा।

इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग क्षेत्र चाय/पान/फल की दुकानों के लिए लाइसेंस

9015. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशनों पर सर्कुलेटिंग क्षेत्र में चाय, पान, फल की दुकान स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने की कोई व्यवस्था है; यदि हां, तो उसके मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग क्षेत्र में चाय, पान, फल की ऐसी दुकान चल रही है यदि हां, तो इन दुकानों के मालिक कौन हैं तथा उन्हें किस आधार पर लाइसेंस प्रदान किए गए हैं; और

(ग) क्या स्वतंत्रता सैनानियों स्वर्गवासी की स्वतन्त्रता आन्दोलन में की गई सेवाओं के बदले में उन बेरेजगार आश्रितों के सम्बन्धियों को जो शर्तें पूरी कर सकते हैं, रेलवे स्टेशनों के सर्कुलेटिंग क्षेत्र में चाय, पान, फल की दुकान के लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं और यदि हां तो तत्सम्बन्धी प्रक्रिया क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां। इन सुविधाओं की व्यवस्था, यात्रियों की मांग, प्रस्तावित इकाइयों की अर्थ-क्षमता और स्थान की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए की जाती है।

(ख) जी, हां। इलाहाबाद स्टेशन के परिचालन क्षेत्र में वेंडिंग ठेके सर्वश्री इकबाल अहमद खां, अनन्तराम चौरसिया, श्रीमती निर्मला देवी और श्रीमती कमलादेवी को दिये गये हैं। इन स्टालों/दुकानों के आबंटन, रेल मंत्रालय के आदेशों के अन्तर्गत प्रत्येक मामले में गुण-दोष का विचार करके और अनुकम्पा के आधार पर किए गए हैं।

(ग) वर्तमान नीति के अनुसार प्रति ½ यूनिट तक के सभी खान-पान/वेंडिग ठेके मात्र अनुसूचित

जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहते हैं। बड़े ठेके के लिए आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं और ठेकों का आबंटन निम्नलिखित तरजीही क्रम में किया जाता है :

(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति;

(2) वास्तविक कार्यकर्ताओं/वेंडरों की सहकारी समितियां;

(3) महिला समितियां;

(4) अशक्त भूतपूर्व सैनिक/युद्ध में वीर गति प्राप्त सैनिकों की विधवाएं;

(5) बेरोजगार स्नातक;

(6) स्वतंत्रता सेनानी; और

(7) अन्य।

अण्डमान निकोबार में बर्मानाला में औषधालय

9016. **श्री अजित बाग:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मानाला, अण्डमान निकोबार में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य उप-केन्द्र है, जिसमें अंतरंग रोगियों के लिये कुछ बिस्तरे हैं, लेकिन उस क्षेत्र के स्थानीय लोगों के अनुरोध के बावजूद भी वहां किसी डाक्टर को तैनात नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) वहां पर किसी डाक्टर को तैनात करने के लिये अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्रीमती मोहसिना किदवई) :** (क) से (ग) बर्मानाला, अण्डमान निकोबार में एक उप-केन्द्र है जिसका काम एक सहायक नर्स छात्री और एक कम्पाउंडर द्वारा चलाया जाता है। मौजूदा स्वीकृत पैटर्न के अनुसार उप-केन्द्र में डाक्टर को तैनात करने की व्यवस्था नहीं है फिर भी अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित गोबिन्द बल्लभ पंत अस्पताल का एक डाक्टर सप्ताह में एक बार इस उप-केन्द्र में जाता है।

मानसिक स्वास्थ्य तथा उसकी समस्या के निपटने के उपायों के बारे में पेनल डिस्कशन

9017. **श्री सुशील भट्टाचार्य :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 मार्च, 1948 के इण्डियन एक्सप्रैस (दिल्ली) में विशेषज्ञ और अनुभवी व्यक्तियों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य पर पेनल डिस्कशन के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो मानसिक स्वास्थ्य समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है, जबकि भारत में मानसिक रोग व्यापक और गम्भीर रूप से फैला है, तथा चिकित्सा योग्य है तथा इस महत्वपूर्ण विषय को केवल मनश्चिकित्सकों पर नहीं छोड़ा जा सकता है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) हां।

(ख) प्राथमिक परिचर्या स्तर के सभी सरकारी डाक्टरों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ प्रशिक्षण के इन सरलीकृत कार्यक्रमों के मॉडल विकसित करने के प्रयास कर रहे हैं।

कर्नाटक और गुजरात में विषाणु पीलिया (वायरल जांडिस) और मंकी-फीवर का फैलना

9018. **श्री राम बिलास पासवान**
श्री सतीश अग्रवाल } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि विषाणु पीलिया (वायरल जांडिस) और मंकी-फीवर फैल गया है, जिसने कर्नाटक और गुजरात राज्यों में महामारी का रूप धारण कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान इन बीमारियों से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस महामारी के देश के अन्य भागों में भी फैलने की आशंका है; और

(घ) यदि हां, तो कर्नाटक और गुजरात में इन महामारियों के इलाज के लिए दवाएं भेजने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ये रोग देश के अन्य राज्यों में न फैलें ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिन किदवई) : (क) से (घ) सरकार को गुजरात के कुछ जिलों में विषाणुज पीलिया तथा कर्नाटक के कुछ जिलों में मंकी-फीवर की घटनाओं की जानकारी है। गुजरात राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार जामनगर, जूना-गढ़, मेहसाना, अहमदाबाद और बड़ौदा जिलों में 21.3.1984 तक विषाणुज पीलिया से लगभग 1719 व्यक्ति पीड़ित हुए और इस रोग से 165 मौतें हुई। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा इसकी जांच की गई और उन्होंने आवश्यक उपचारी/निवारक उपाय सुझाए हैं। फलतः राज्य सरकार द्वारा

पर्याप्त उपचारी उपाय किए गए हैं। विषाणुज पीलिया की घटनाओं की रोकथाम करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा के कार्य को तेज कर दिया गया है। स्थानीय निकायों को सार्वजनिक जल-पूर्ति व्यवस्था को प्रदूषण से बचाने और पेय जल की क्वालिटी पर नजर रखने की सलाह दी गई है। गुजरात राज्य से किसी व्यक्ति के मंकी-फीवर से पीड़ित होने की सूचना नहीं मिली है।

कर्नाटक से शिमोगा जिले में मंकी-फीवर की घटनाएं होने की सूचना काफी समय से मिल रही हैं। दक्षिणी कन्नड़ और उत्तरी कन्नड़ से भी हाल ही में मंकी-फीवर की घटनाओं की सूचना मिली है। प्राप्त सूचना के अनुसार 15 मार्च, 1984 तक इन तीन जिलों से 645 लोगों को मंकी-फीवर होने तथा इसके 120 रोगियों की मृत्यु हो जाने की सूचना मिली है। किसी कारगर दवाई के उपलब्ध न होने के कारण ऐसे सभी रोगियों का लाक्षणिक इलाज किया जा रहा है। इस रोग की रोकथाम करने के लिए लिंडेन का छिड़काव और "टिक-वाइट्स" की रोकथाम के लिए "रिपेलेन्ट्स" के इस्तेमाल जैसे "एन्टी-टिक" उपाय किए जा रहे हैं। टिक-रिपेलेन्ट्स प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य एककों/ग्राम पंचायतों में निःशुल्क उपलब्ध हैं। लोगों को रोकथाम के उपायों की जानकारी देने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा को तेज कर दिया गया है।

इस रोग के नियंत्रण के लिए वैक्सीन ही एक दीर्घकालिक उपाय है, इसलिए राज्य सरकार भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय वाइरस-विज्ञान संस्थान, पुणे की सलाह से शिमोगा में एक वैक्सीन उत्पादन प्रयोगशाला की स्थापना कर रही है। निकट भविष्य में इस वैक्सीन के उपलब्ध हो जाने की सम्भावना है।

मेडिकल कालेजों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्र और उनके तुलनात्मक परिणाम

9019. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और आयुर्विज्ञान संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में पिछले तीन वर्षों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने पुरुष व महिला छात्र स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययन कर रहे हैं; और

(ख) इन छात्रों के पिछले तीन वर्षों के तुलनात्मक परीक्षा परिणाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बारे में अपेक्षित सूचना से लग्न विवरण में दी गई है। आयुर्विज्ञान संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (पुरुष और महिला दोनों) के छात्रों की संख्या

पाठ्यक्रम का नाम	अध्ययन कर रहे छात्रों की संख्या						परीक्षा बैठे तथा उत्तीर्ण हुये छात्रों की संख्या											
	पुरुष 1981-82	महिला 1981-82	पुरुष 1982-83	महिला 1982-83	पुरुष 1983-84	महिला 1983-84	पुरुष 1981-82		महिला 1981-82		पुरुष 1982-83		महिला 1982-83		पुरुष 1983-84		महिला 1983-84	
							बै०	उ०	बै०	उ०	बै०	उ०	बै०	उ०	बै०	उ०	बै०	उ०
स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम	9	1	9	1	8	2	8	4	1	1	9	3	1	1	18	11	—	—
स्नानकोत्तर पाठ्यक्रम	19	2	18	3	18	4	7	3	—	—	13	6	4	2	19	10	2	1

नोट :—बै०—परीक्षा में बैठे। उ०—उत्तीर्ण हुए।

वर्तमान नियमों के अनुसार स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दोनों पाठ्यक्रमों में उपलब्ध कुल सीटों में से 20 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों (अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जन-जातियों के लिए 5 प्रतिशत) आरक्षित होती हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि अगले वर्ष से अनुसूचित जन-जातियों के छात्रों के लिए आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाकर साढ़े सात प्रतिशत कर दिया जाये।

वैक्सीन, सेरा और एंटीजेंस का उत्पादन करने वाली अनुसंधान संस्थाओं को सक्रिय बनाने के लिए कदम

9020. **श्री सज्जन कुमार :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई औषधि नीति के पैरा 12 (नौ) के अनुसार सरकार का विचार वैक्सीन, सेरा और एंटीजेंस का उत्पादन करने वाली संस्थाओं को सक्रिय बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने क्या कारगर कदम उठाए हैं; और

(ग) नई औषध नीति की घोषणा से पहले और बाद में इन संस्थाओं की स्थिति क्या है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) नई औषध नीति घोषित होने के बाद वैक्सीन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में विस्तृत रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत वैक्सीन उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रशासनिक कदम उठाये गए हैं और इसके विस्तार के बारे में सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग द्वारा गठित संचारी रोग दल द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ग) नई औषध नीति घोषित होने से पहले (1977-78) और उसके बाद (1982-83) से केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, हॉफकिन वायोफाभा कॉर्पोरेशन, बम्बई, और बी० सी० जी० वैक्सीन लैबोरेटरी, गिन्डी मद्रास की वैक्सीन की स्थापित क्षमता और उत्पाद संबंधी ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

उत्पाद	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली		हफकिन वायो फार्मेस्युटिकल कार्पोरेशन बम्बई		बी. सी. जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी मद्रास	
लाख खुराके	1977-78	1982-83	1977-78	1982-83	1977-78	1972-83
डी०पी०टी०	88.88	174.65	22.95	41.08	—	—
डी०टी०	131.33	169.56	16.28	46.21	—	—
टी०टी०	134.68	239.22	53.90	76.37	—	—
लाख एम०एल०						
टाइफाइड	16.84	86.64	2.09	2.57	—	—
ए०आर०वी०	46.37	60.15	52.0	59.52	—	—
हैजा	143.72	94.37	136.17	13.98	—	—
लाख खुराकें						
पोलियो	—	—	37.65	114.96	—	—
बी०सी०जी०	—	—	—	—	प्रत्येक 50 खुराकों के लाख एम्पपूल	प्रत्येक 20 खुराक के लाख एम्पपूल

12.00 म०प०

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्रीमती गीता मुकर्जी से शुरू करूंगा ।

श्रीमती गीता मुकर्जी (पंसकुरा) : मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद । मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं कि पश्चिमी बंगाल में आंत्र की बीमारी का भारी प्रकोप देखते हुए हमारी सरकार ने केन्द्रीय सरकार से 1 करोड़ हालोजन की गोलियां तथा 1 लाख ऑरल सॉरिन गोलियां देने का अनुरोध किया है । मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से यह अनुरोध करती हूं कि वे तुरन्त हस्तक्षेप करें और दवाइयां भिजवाएं तथा इस बीमारी और दुःख को रोकें ।

अध्यक्ष महोदय : आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा ? इतने जोर से क्यों बोल रही हैं ?

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : हमारे यहाँ लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है तथा हमारे लोकतांत्रिक प्रणालियों और राजनीतिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत विभिन्न मत रखने वाले लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में अपने विचार व्यक्त करने और उसमें भाग लेने की स्वतत्रंता है ।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, यह ठीक है ।

प्रो० के० के० तिवारी : जम्मू और कश्मीर में क्या हो रहा है... (व्यवधान)

प्रसिद्ध स्वतत्रंता सेनानी और राष्ट्रवादी नेता, शेख अब्दुल्ला की पुत्री पर कातिलाना हमला हुआ है । यह शर्म की बात है । महिलाओं पर इस प्रकार का सुनियोजित हमला कभी नहीं हुआ । इसे दृष्टि में रखते हुए हम उग्रवादियों की बढ़ती हुई गतिविधियों पर चर्चा करना चाहते हैं । कल आपने कहा था कि यह राज्य का विषय है । पंजाब के आंतकवादियों की गतिविधियों के बारे में सदन में कई बार चर्चा हुई है ।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो० सैफुद्दीन सोज, आप कृपया चिल्लाइए मत । आप क्या कर रहे हैं ?

मैं इस बारे में गौर करूंगा तथा इसके गुणावगुणों के आधार पर निर्णय करूंगा, प्रो० तिवारी जी, मेरी बात आप सुन लीजिए अगर इसमें सैंट्रल गवर्नमेंट का या किसी तरीके से टेररिज्म की बात आती है, और मैंने पहले भी कहा है, तो मैं फिर देख लूंगा ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : कृपया मेरी बात सुनिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप कोई सरकार नहीं हैं जो उत्तर दें । कृपया बैठ जाइए ।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोज़ाबाद) : अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी के एक सीनियर लीडर, श्री मनीराम बागड़ी को कल एक पत्र प्राप्त हुआ है···

अध्यक्ष महोदय : मेरे को मिला है ।

श्री राजेश कुमार सिंह : उसमें खालसा रेजीमेंट द्वारा उन्हें जान से मार देने की धमकी दी गई है, और वह लोग दिल्ली आ रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं खालसा रेजीमेंट, बब्बर खालसा, दशवेश रेजीमेंट, पता नहीं कितने रेजीमेंट हैं···

अध्यक्ष महोदय : मैंने होम मिनिस्टर को दे दिया है ।

श्री राजेश कुमार सिंह : अगर ऐसे धमकी भरे खत आते रहेंगे तो माननीय सदस्य अपना काम कैसे कर सकेंगे ? उनकी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : हम पहले ही कदम उठा चुके हैं ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैं जो कहने जा रहा हूं उसका आपसे भी सम्बन्ध है । आज के समाचार पत्रों में एक समाचार छपा है कि आपने विधान सभाओं के पीठासीन अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की है तथा·· की शक्तियों के बारे में संविधान में संशोधन करने पर विचार कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, उसमें ऐसा नहीं है । इस पर सभा में चर्चा नहीं की जानी है । इस पर हमें निजी तौर पर चर्चा की है तथा उसमें इस प्रकार की कोई बात नहीं है । यह कुछ नहीं है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह समाचार पत्रों में छप चुका है ।

अध्यक्ष महोदय : आपने इसे ठीक तरह से नहीं पढ़ा है । उस पर यहाँ चर्चा नहीं होनी है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप किस पर विचार कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने सदस्यों और संसद में दलों के नेताओं से पहले ही चर्चा कर ली है । हम कोई हंगामा नहीं करेंगे ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मुझे यह पता है ।

अध्यक्ष महोदय : हमें विधानमंडल और न्यायपालिका, दोनों ही पहियों पर समानांतर रूप से निर्विघ्न चलना है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : हम संविधान में किसी प्रकार के संशोधन के पक्ष में नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : किस ने कहा है साहब ? क्या कह रहे हैं आप ? बिलकुल उसका जिक्र नहीं है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : समाचार-पत्रों में इस प्रकार के समाचार प्रकाशित हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रैस रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी तो सामने आएगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों की ओर से आधिकारिक वक्तव्य क्यों नहीं देते ?

अध्यक्ष महोदय : सारे का सारा उसमें है। उसमें सब कुछ है। आप उसे ठीक तरह से पढ़िए। ... (**व्यवधान**)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : इस पर चर्चा हो जाये, इसमें कोई हानि नहीं है···

अध्यक्ष महोदय : जब आयेगा तो करेंगे। हम पुल के पास पहुंचने पर उसे पार करेंगे। अभी तक हम उस तक नहीं पहुंचे।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं जो कह रहा हूं उसमें कोई हानि नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु उसमें चर्चा करने वाली कोई बात नहीं है। यादव जी, जब वक्त आता है तो डिस्कशन होता है ? मैं यही कहता हूं कि बगैर डिस्कशन के न अमैंडमेंट हो सकती है और न कुछ और हो सकता है। ··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसमें कुछ नहीं है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : इसमें गोपनीय क्या है ? यदि आप कुछ संशोधनों का प्रस्ताव करते हैं, तो फिर आपको···

अध्यक्ष महोदय : जब इसकी आवश्यकता होगी तो हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी नहीं।

श्री ई० बालानन्दन (मुकुन्द पुरम) : महोदय मैंने कोचिन तेल शोधक कारखाने में आग लगने की घटनाओं के बारे में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

श्री ई० बालानन्दन : कोचीन तेल शोधक कारखाने में सदा दुर्घटनाएं होती हैं···

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर गौर करेंगे। आप कुछ और दीजिए, स्थगन प्रस्ताव नहीं। यहां स्थगन प्रस्ताव का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री ई० बालानन्दन : प्रबंधक उन्हें रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठा रहे हैं। कुछ लोग पहले ही मर गए हैं···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत सुसंस्कृत व्यक्ति हैं। आप जानते ही हैं कि यह स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं लाया जा सकता।

श्री ई० बालानन्दन : मंत्री महोदय को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप कुछ और दीजिए, यह नहीं।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : आपने समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा और हमने संसद में भी सुना है कि सरकार, सुरक्षा के वातावरण और पाकिस्तान द्वारा की जा रही युद्ध की तैयारियों के बारे में चिंता व्यक्त कर रही है आपने समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा कि पाकिस्तान को यूरेनियम की तस्करी की जा रही है... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह रिपोर्ट मिल गई है ; इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री सतीश अग्रवाल : मैंने स्थगन प्रस्ताव के अतिरिक्त एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया है···

अध्यक्ष महोदय : हम समय की उपलब्धता और प्राथमिकता के अनुसार चर्चा करेंगे।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): मैंने भी नोटिस दिया है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : महोदय ,पंजाब के बारे में जो कोई भी वक्तव्य दे रहा है उसे भी धमकी दी जा रही है जैसे की श्री मनीराम बागड़ी को दी गई है। यदि सभी सदस्यों को इस प्रकार धमकी दी जाती रही तो फिर कोई भी सदस्य···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : थ्रैटन करने में दो आने का पर्चा लगता है, उसमें कोई भी लिख सकता है। आप क्यों चिंता करते हैं ? बैठिए।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : महोदय, पश्चिम बंगाल से दस्तों की बीमारी पड़ौसी राज्यों को फैलने से रोकने के लिए निरोधात्मक उपायों के बारे में···

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले की बता दिया है।

श्री बृजमोहन महन्ती : आपने वायदा किया था कि आप इस पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : विचार ही नहीं, बल्कि मैं इस पर चर्चा करवाऊँगा।

श्री भुवनेश्वर भूमन (गौहाटी) : एम० ई० एस० के रक्षा कर्मियों की कुशक रोड़ पर 16 अप्रैल से भूख हड़ताल चल रही है।

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : कल आपने वायदा किया था कि जम्मू और कश्मीर में उग्रवादियों की गतिविधियों पर चर्चा करने का कोई रास्ता खोजा जाएगा। क्या आप मेरा ध्यानाकर्षण स्ताव स्वीकार कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कह दिया है कि यह मेरे विचाराधीन है।

श्री कृष्ण चन्द हाल्दर (दुर्गापुर) : कांग्रेस (आई) उग्रवादियों की गतिविधियों को उकसा रही है।

अध्यक्ष महोदय : यदि उग्रवादियों की कोई गतिविधियां होंगी तो उन्हें हम संभालेंगे।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : वे वहां सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप सरकार की ओर से नहीं बोल सकते हैं। आपको कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय कृपया मेरी बात सुनिए····

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। कृपया बैठ जाइये।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है···

अध्यक्ष महोदय : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आसमान नहीं टूट पड़ेगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यदि प्रो० तिवारी चर्चा करवाना चाहते हैं, तो हम भी चर्चा करवाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं दोनों को अनुमति दूंगा।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, आज के अखबारों में यह समाचार छपा है कि हिन्द महासागर में अमरीकी विमान वाहक जहाजों पर रखे जाने वाले क्रूज मिसाइल्स से भारत की सुरक्षा पर गंभीर संकट पैदा हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप दे दीजिये, यह भी ठीक है।

श्री रामावतार शास्त्री : इसके बारे में मंत्री जी बयान दें।

श्री धर्मदास शास्त्री : (करोलबाग) : अध्यक्ष महोदय, जब पंजाब के इश्यू पर पांच बार सदन में चर्चा हो सकती है तो कश्मीर के बारे में क्यों नहीं हो सकती ? इस बारे में भेदभाव क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : हो गई बात।

12.10 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

अध्यक्ष महोदय : कुमारी कुमुदबेन जोशी

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे तथा समीक्षा और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधार संस्थान, चण्डीगढ़ का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखे और समीक्षा

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) कुमारी कुमुदबेन जोशी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अधिनियम, 1956 की धारा 19 के अन्तर्गत, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 19›2-83 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण तथा लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। देखियेसंख्या एल०टी०—8225/84]

(3) (एक) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़, अधिनियम, 1966 की धारा 19 के अन्तर्गत स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़, अधिनियम, 1966 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के वर्ष 1982-83 के वार्षिक

लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेख परीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण तथा लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी०—8226/84]

12.10½ म०प०

राज्य-सभा से सन्देश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1984 को, जिसे लोक-सभा द्वारा अपनी 18 अप्रैल, 1984 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिये भेजा गया था, वापिस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं ।"

12.11 म० प०

लोक लेखा समिति

सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर 195वां और 198वां प्रतिवेदन

श्री भीकू राम जैन (चांदनी चौक) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(एक) सीमा शुल्क प्राप्तियां-टैरिफ मूल्यों का संशोधन करने में विलम्ब और सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत जारी किये गये छूट सम्बन्धी आदेशों के सम्बन्ध में समिति के 105वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 195वां प्रतिवेदन ।

(दो) उच्च क्षमता वाले खाली कारतूस खोलों के निपटाने में विलम्ब के सम्बन्ध में समिति के 145वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 198वां प्रतिवेदन

12.1¼ म० प०

प्राक्कलन समिति

83वां प्रतिवेदन और कार्यवाही

श्री बंसी लाल (भिवानी) : मैं उद्योग मंत्रालय—मोटर कारों के बारे में प्राक्कथन समिति का 83वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

94वां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश

श्री मधुसूधन वैराले (अकोला) : मैं हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड (ट्रैक्टर डिवीजन को छोड़कर) के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 94वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

12.11½ म० प०

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

51वां और 54 वां प्रतिवेदन

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(एक) गृह मंत्रालय—दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की सामाजिक और आर्थिक दशा के बारे में 51वां प्रतिवेदन।

(दो) रक्षा मंत्रालय—रक्षा सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन के बारे में 54वां प्रतिवेदन।

नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्ष महोदय : श्री हरीश रावत अनुपस्थित ।

श्री विष्णु प्रसाद ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(एक) **वायुदूत सेवा के लिए काजीरंगा (असम) के निकट मिसा स्थित हवाई पट्टी का विकास करने की आवश्यकता**

श्री विष्णु प्रसाद (कालिया बोर) : असम में काजीरंगा स्थित राष्ट्रीय उद्यान एक सींघ वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है । इस की दुर्लभ जाति है और ये संसार के किसी अन्य स्थान पर नहीं पाये जाते ।

इस समय इस राष्ट्रीय उद्यान को जाने वाले विदेशी और भारतीय पर्यटकों को गोहाटी में उतरना पड़ता है तथा वहां से 137 मील दूरी को मोटर से तय करना पड़ता है, जो अपने आप में एक थकाने वाली यात्रा है

मिसा में एक हवाइ पट्टी है जिसका निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। यह काजीरंगा उद्यान क्षेत्र से लगभग 20 कि० मी० की दूरी पर है। यदि इस हवाई पट्टी की मरम्मत कर दी जाती है और उसे वायुदूत सेवा के लिए चालू कर दिया जाता है तो इससे पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा जिससे आस-पास में रहने वाले लोगों की आर्थिक दशा सुधरने में काफी सहायता मिलेगी ।

मिसा में और उसके चारों ओर चाय के कई बागान तथा सेना का एक स्थायी शिविर है । शायद यही कारण था कि छठी पंचवर्षीय योजना में सर्वेक्षण के लिए मिसा को शामिल किया गया था । और नागरिक विमानन विभाग में भी वहां पर एक हवाई पट्टी बनवाने के लिए मिसा को कार्यवाही कार्यक्रम में शामिल किया था ।

इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मैं पर्यटन और नागर विमानन मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे मिसा में वायुदूत सेवा के लिए एक हवाई पट्टी मुहैया कराने के बारे में गम्भीरता से विचार करें जो मेरे विचार में काजीरंगा में राष्ट्रीय उद्यान तथा वहां चायबागान और स्थायी मिलीटरी कैम्प होने से यातायात बढ़ने के कारण एक लाभकारी कृत्य होगा ।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटासिंह) : आज हम मद 8 और 9 पर विचार करेंगे, जो इसी विषय से सम्बन्धित हैं. मैं यह अनुरोध करता हूं कि दोनों पर एक साथ विचार कर लिया जाए तथा हम सभा की बैठक मध्याह्न भोजन के अवकाश

दौरान भी चलती रहे और लंच के लिए सभा स्थगित न करें क्योंकि पहले ही हम कार्यक्रम को देखते हुए पीछे हैं।

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं इस सम्बन्ध में अपने साथी का पूर्ण समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : पिछली बार इस पर विचार किया जा चुका है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : पिछली बार मद 8 पर विचार करना शुरू किया गया था, जो उपदान संदाय अधिनियम के संशोधन से सम्बन्धित था मद 9 भी उपदान संदाय अधिनियम में और संशोधनों के बारे में है। सुझाव यह है कि मुझे इस विधेयक को प्रस्तुत करने की और कुछ टिप्पणी करने की अनुमति दी जाए। उसके बाद दोनों विधेयकों पर साथ-साथ विचार कर लिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : जब इस पर विचार किया जाएगा, उस समय आप यह कह सकते हैं। अब श्रीमती जयन्ती पटनायक— अनुपस्थित।

श्री मनमोहन टुडु—वे भी अनुपस्थित।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामवतार शास्त्री।

श्री रामवतार शास्त्री : खड़े हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, कभी आप खड़े होकर अपनी बात कहते हैं और कभी आप बैठे-बैठे ही बोलते हैं।

(दो) दवाइयों पर शुल्क समाप्त करने तथा भेषजों का आयात बन्द करने तथा सरकारी क्षेत्र के औषध निर्माण उद्योगों को गतिशील बनाने की आवश्यकता

श्री रामवतार शास्त्री (पटना) : मैं खड़ा हो जाता हूं और यदि आप अनुमति दें, तो मैं बोलूं।

दवाइयों पर इस समय भारी कर लगे हुए हैं। पीड़ित उपभोक्ता जो दवाई खरीदता है उसके लिए उसे हरेक रुपये पर 48 पैसे कर के रूप में देने पड़ते हैं। आयातित कच्चे माल पर 100 से 125% तक सीमा शुल्क, भेषजीय कच्चे माल पर 13% उत्पादन शुल्क, 10% बिक्रीकर तथा 1 से 2% तक चुंगी देनी पड़ती है।

इसके अतिरिक्त बोतलों के ढक्कन, अल्युमीनियम फायल्स, पैकिंग सामग्री आदि पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर लगे हुए हैं।

अब नए बजट के अनुसार अतिरिक्त शुल्क (जमा लागू सी०बी०डी) में फिर 5% की वृद्धि कर दी गई है। उक्त शुल्क से लगभग 8 अत्यावश्यक दवाइयों को मुक्त रखा गया है, जिनका

[श्री रामावतार शास्त्री]
आयात मूल्य केवल 10-15 करोड़ रुपये है, और इस अतिरिक्त शुल्क का भार पीड़ित उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा। एन्टीबायोटिक्स और गन्धक से निर्मित दवाइयों, जो उतनी ही जरूरी हैं, सहित अब अन्य दवाइयों पर अतिरिक्त सहायक शुल्क लगाया जा रहा है।

यहां यह प्रश्न पैदा होता है कि ग्रामीण क्षेत्रोंमें दवाइयां क्यों नहीं उपलब्ध है, क्यों दवाइयां इस हद तक मंहगी क्यों हैं कि वे आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं तथा दवाइयों पर अब भी भारी कर क्यों लगे हुए हैं।

हमारे देश की करीबन आधी जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है इतनी मंहगी दवाइयां खरीदना उनके वश की बात नहीं है।

इस गम्भीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि जनता की भलाई हेतु दवाइयों का आयात बन्द करने के लिए इन पर सभी कर समाप्त कर दें तथा सरकारी क्षेत्र के औषध उद्योगों को गतिशील बनाएं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस संबंध में उचित कदम उठाएगी।

(तीन) मध्यप्रदेश प्रशासन को डाकुओं के आत्मसमर्पण की प्रथा को बन्द करने के लिए गृह मंत्री द्वारा निदेश दिए जाने की मांग

श्री बाबूराम परांजपे (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश अनेक वर्षों से डाकुओं का चरागाह बना है। डाकू गिरोह राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश आदि में डाके, खून जैसे जघन्य-अपराध कर, शान के साथ मध्य प्रदेश में रहते हैं। जब अन्य प्रदेशों में पुलिस से खतरा पैदा हो जाता है तब समर्पण का नाटक, मध्य प्रदेश में होता है।

पिछले वर्ष में दो महत्वपूर्ण आत्मसमर्पण दस्यु सरदार मलखान सिंह तथा दस्युरानी फूलन के गिरोह के हैं।

आजकल मध्य प्रदेश के जेलों में इन डाकुओं को, अच्छे से अच्छा खाना तथा आराम एवं ऐश की सभी सभी सुविधाएं प्राप्त हैं। इनका जीवन राजनैतिक बंदियों से कहीं अधिक अच्छा है।

दस्यु सरदार रमेश शिकरवार का गिरोह अनेक वर्षों से, अनेक प्रदेशों में जघन्य अपराध कर रहा है सिर्फ मध्य प्रदेश में अभी तक 25 हत्याएं, 31 अपहरण के प्रकरण पुलिस में दर्ज हैं। प्रत्येक अपहरण में लाखों रुपये की फिरौती वसूली जाती है। फिरौती न मिली तो अपहृतों को मार डाला जाता है। शासन प्रतिदिन एक लाख रुपया इस गिरोह पर खर्च करता है। पन्द्रह सौ पुलिस जवान इस कार्य में लगे हैं। ऐसा शासन का दावा है। परन्तु वास्तविकता कुछ और है।

इस अन्तप्रदेशीय डाकू गिरोहों के, इस प्रकार के आत्मसमर्पण के नाटक मध्य प्रदेश के अन्दर बन्द होने चाहिएं। अतएव गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश शासन को आदेश देकर आत्म समर्पणों को रोकें, डाकुओं का मनोबल तोड़ें तथा आम जनता को राहत दें।

(चार) सियालदह डिवीजन में बाथना में एक रेल स्टेशन बनाने की आवश्यकता

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी (नवद्वीप) : महोदय, पूर्व रेलवे, सियालदह डिवीजन के राना घाट शान्तीपुर सैक्शन पर फुलिया और शान्तीपुर के बीच बाथना में एक रेलवे स्टेशन बनाने की मांग वास्तविक है। बाथना और इसके आस-पास के 16 गांव के लोग वर्ष 1979 से इस सम्बन्ध में मांग करते आ रहे हैं। लगभग 30 हजार लोगों को, जिनमें से अधिकतर दैनिक यात्री हैं, और जिन्हें सभी प्रकार के मौसमों में गाड़ी पकड़ने के लिए 4-5 किलोमीटर चलना पड़ता है, इस स्टेशन से लाभ पहुंचेगा। सियालदह शान्तीपुर लाइन पर फुलिया और शान्तीपुर के बीच की दूरी सम्भवत: सबसे अधिक है और इसको देखते हुए जनता की मांग पूर्णत: न्यायोचित है। इस आवश्यकता के सम्बन्ध में आवाज उठाने के लिए विधान सभा, जिला परिषद पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के सदस्य वर्षों से जन सभाओं, साइकिल जलूसों और जनसम्मेलनों में भाग ले रहे हैं। गांव के लोग रेलवे-स्टेशन स्टाफ क्वार्टरों आदि के निर्माण के लिए अपेक्षित भूमि दान करने के लिए सहमत हैं। दिनाँक 22 मई, 1981 को सियालदह के डी० आर० एम० ने शान्तीपुर शाखा रेलवे पार्क समिति के एक प्रतिनिधिमंडल को यह आश्वासन दिया था कि बाथना पर एक "फ्लैग-स्टेशन" बना दिया जाएगा। लेकिन अनेक निरीक्षणों, स्थल सर्वेक्षणों और कथित रूप-रेखा तैयार करने के बावजूद इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जन उपयोगी सेवा के रूप में रेलवे को लम्बे समय से चली आ रही इस माँग पर ध्यान देना चाहिए तथा बिना किसी और बिलम्ब के बाथना पर एक स्टेशन बनवा देना चाहिए।

श्री चित्त बसु (बारसाद) : यह बहुत महत्वपूर्ण योग है। इस सम्बन्ध में, मैं इनका समर्थन करता हूं।

(पाँच) धनबाद में एक सेवा-निवृत इंजीनियर द्वारा लोक प्रौद्योगिकी में किए गए एक नये आविष्कार के लिए आविष्कारक को धन तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता

श्री ए० के० राय (धनबाद) : महोदय, नियम 377 के अधीन मैं आवश्यक जन महत्व का निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं।

यद्यपि भारत में नॉन-कोकिंग कोल के निक्षेप इतनी पर्याप्त मात्रा में हैं, जो हमारी लगातार बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के बाद भी सौ वर्ष से अधिक समय तक चलते रहेंगे, तथापि विशेष रूप से धातुकर्मी सम्बन्धी किस्म के कोकिंग कोल के निक्षेप कुल निक्षेप के 20 प्रतिशत भी नहीं है और ये मुश्किल से 40 वर्ष तक के लिये ही काफी हैं। कोयला उद्योग तथा कोकिंग-कोल पर आधारित उद्योग, विशेष रूप से इस्पात उद्योग के लिये यह भारी चिन्ता का विषय है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि देश में उपलब्ध कोकिंग कोल में राख का तत्व बहुत अधिक है,

[श्री ए०के० राय]

जिसकी वजह से विदेशों से कोकिंग-कोल के आयात की जरूरत पड़ती है और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है।

देश की विभिन्न अनुसंधान प्रयोगशालाओं में, विशेषरूप से सी० एफ० आर० आई०, धनवाद में ऐसे प्रयास किये गये कि मूल कोकिंग-कोल को नॉन कोकिंग-कोल तथा सेमी कोकिंग-कोल के साथ विभिन्न अनुपातों में मिश्रित करके नॉन कोकिंग-कोल से धातु कर्मी सम्बन्धी कोयला तैयार किया जाए। लेकिन इसमें सीमित सफलता ही मिली।

इसी पृष्ठ भूमि में एक ताजा शुभ समाचार यह आया कि राख के अधिक तत्व वाले नॉन-कोकिंग-कोल से राख के कम तत्व वाले उच्च दर्जे के धातु कर्मी सम्बन्धी कोल को तैयार करने में सफलता प्राप्त कर ली गई है। इस प्रक्रिया का आविष्कार कोल इन्डिया लिमिटेड के एक सेवा निवृत्त माईनिंग इन्जीनियर द्वारा किया गया है और धनवाद में छोटे पैमाने पर इसका उत्पादन किया जा रहा है। इस नई प्रक्रिया में मूल कोक को अन्य कोक के साथ मिश्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि नॉन कोकिंग-कोल में कुछ रसायन अंतः क्षेपण करके इसे कोकिंग-कोल में परिवर्तित कर दिया जाता है। प्रमुख समाचार-पत्रों में इस प्रक्रिया को महत्वपूर्ण समाचार के रूप में प्रकाशित किया गया है। इस सफलता के प्रति कोल इण्डिया लिमिटेड में भी जिज्ञासा बनी हुई है। इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि ऐसे महान आविष्कार की अवहेलना अथवा उपेक्षा करके, कहीं इसे समाप्त न कर दिया जाए।

विशेष रूप से भारत के लिए भारी सम्भावनाओं वाली इस कोल प्रौद्योगिकी सम्बन्धी नई सफलता की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं सरकार को यह सुझाव देता हूं कि इस उपलब्धि को वाणिज्यिक रूप से सफल बनाने के लिए वित्तीय तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिएं।

(अह) तमिलनाडू में कागज की कमी, जिसके परिणामस्वरूप परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी हैं, तथा छोटे कागज मिलों द्वारा कागज का उत्पादन बढ़ाने के उपाय करने की आवश्यकता

श्री के० टी० कोसलराम (तिरुचेंदूर) : मैं नियम 377 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व का निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं—

तमिलनाडु में पत्राचार संस्थान शिक्षा से पत्राचार पाठ्यक्रमों के 20,600 से अधिक छात्र कागज की कमी के कारण अवरस्नातक की परीक्षाएं स्थगित होने से दुविधा में हैं। तीन महीने पहले तैयार किए गए पाठ अभी तक छपे नहीं हैं। पत्राचार के जरिए शिक्षा कागज की नियमित सप्लाई से ही जारी रखी जाती है। जब कागज की कमी होती है, तो यह शिक्षा बन्द हो जाती है।

ऐसा समझा जाता है कि पूर्ति तथा निबटान महानिदेशालय ने एक लाख टन कागज खरीदने के लिए टेंडर स्वीकार किए हैं परन्तु खरीद अभी तक नहीं की गई हैं। पूर्ति तथा निबटान महानिदेशालय को चाहिए कि वह एक लाख टन कागज खरीद कर उन विश्वविद्यालयों को दें, जिन्होंने इसकी मांग की है।

बड़े कागज मिलों को अपरम्परागत कच्चे माल के प्रयोग की अनुमति दिए जाने के बाद छोटी कागज मिलों के लिए अपरम्परागत कच्चा माल कम हो गया है। बड़ी कागज मिलों द्वारा रद्दी कागज और अपरम्परागत कच्चे माल के प्रयोग पर रोक लगाई जानी चाहिए। ऐसा करने से ही छोटी कागज मिलों में उत्पादन बढ़ सकता है, जिससे कागज की कमी दूर होगी।

छोटी कागज मिलों द्वारा आयात की जा रही लकड़ी की लुगदी पर सीमा शुल्क में छूट दी जानी चाहिए जैसा कि बड़ी कागज मिलों द्वारा आयात किए जा रहे 'वुड-चिप्स' के मामले में किया जाता है। इससे भी कागज का उत्पादन बढ़ेगा।

(सात) सड़कें बनाने हेतु जिन लोगों की जमीन/मकानों का प्राधिग्रहण किया गया था, उन्हें मुग्रावजा देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सहायता दिये जाने की श्रावश्यकता

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल के अन्दर राज्य सरकार द्वारा निर्मित की हुई बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जिन को बने हुए कई वर्ष हो गए हैं। अभी तक काफी सड़कें ऐसी भूमि से निकाल ली गई जिसकी अधिसूचना सरकारी राजपत्र से नहीं की गई और सड़कें हिमाचल के निर्धन लोगों के बगीचों, मकानों, खेतों को बरबाद करके बनाई गई जिसका करोड़ों रुपया इन किसानों का मुआवजा बनता है। परन्तु राज्य सरकार इसे देने के लिए समर्थ नहीं है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि राज्य सरकार से भारत सरकार इस बारे में ब्यौरा लेकर मुआवजे के रकम अदा करने हेतु राज्य सरकार को अनुदान देकर मदद करें ताकि लोगों को न्याय मिल सके।

(श्राठ) मिर्जापुर, वाराणसी तथा पहाड़ी क्षेत्रों के छोटे गांवों में पेय जल की व्यवस्था करने की श्रावश्यकता

श्री उमाकान्त मिश्र (मिर्जापुर) : पेयजल जीवन की बुनियादी आवश्यकता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बीस सूत्री कार्यक्रमों में इसे स्थान दिया है। उत्तर प्रदेश में 1971-72 में पेयजल की समस्या वाले गांव की एक सूची बनी थी। उक्त गांवों में पेयजल की आपूर्ति के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। किन्तु बहुत से ऐसे गांव और कस्बे हैं जो अभावग्रस्त गांव की सूची में नहीं आ पाये हैं। कुछ गांव तथा कस्बों में नये कारणों से बाद में समस्या उत्पन्न हो गई है। अतः जो गांव तथा कस्बे पेयजल की समस्या से ग्रस्त हैं उन्हें तत्काल सूची में शामिल करने का निर्देश दिया जाए तथा उन गाँवों और कस्बों में पेयजल की आपूर्ति के लिए योजना कार्यान्वित की जाये। जिला मिर्जापुर, वाराणसी के ज्ञानपुर तथा नौगढ़ क्षेत्र एवं बुन्देलखंड में गर्मियों में अधिकतर क्षेत्रों में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस वर्ष भी ऐसा हो रहा है।

मेरा सरकार से निवेदन है कि पहाड़ी क्षेत्रों के छोटे-छोटे गांवों में एक या आवश्यकतानुसार अधिक हैंडपम्प और कुओं की व्यवस्था हो। किन्तु घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पाइपलाइन द्वारा पेयजल की व्यवस्था की जाये।

12.29 म० प०

उपदान सदाय संशोधन विधेयक, 1982

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधायी कार्यों पर विचार करेंगे। सदन में अब श्री धर्मवीर द्वारा 24 फरवरी, 1984 को रखे गए प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायेगा अर्थात् :

"कि उपदान अधिनियम, 1972 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : महोदय, आपके विचारार्थ में कुछ अनुरोध करना चाहता हूं।

मद संख्या 8 उपदान संदाय अधिनियम में संशोधन से सम्बन्धित है। मद संख्या 9 भी इसमें इस सम्बन्ध में और संशोधन करने के बारे में है। अतः मेरा अनुरोध है कि मुझे उपादान संदाय अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने के लिए मद संख्या 9 प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये। दोनों विधेयकों, मद संख्या 8 और 9, पर एक साथ विचार किया जा सकता है जिससे पुनरावृत्ति भी नहीं होगी और काफी समय भी बच जायेगा। आपसे अनुरोध है कि दोनों विधेयकों पर एक साथ विचार करने की अनुमति दी जाये।

अगला विधेयक भी इसी प्रकार का है। पहले मैं यह विधेयक प्रस्तुत करता हूं और उसके बाद इस पर विचार किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम एक काम कर सकते हैं। आप इसे विचार के लिये अलग से प्रस्तुत करें परन्तु दोनों विधेयकों पर चर्चा एक साथ की जा सकती है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : पहले विधेयक पर आंशिक रूप से चर्चा हुई है और दूसरे विधेयक पर विचार करने से पहले हमें चर्चा में व्यवधान करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस विधेयक पर चर्चा पूरी करेंगे और इसे पारित करने के तुरन्त बाद दूसरे विधेयक पर विचार करेंगे। इस विधेयक पर दोबारा चर्चा न की जाये, इस विधेयक पर भी पहले विधेयक के साथ चर्चा हो सकती है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप सदस्यों से अनुरोध करें कि अपने भाषण में वे दोनों विधेयकों पर बोलें।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जब तक दूसरा विधेयक सदन में प्रस्तुत नहीं होता, वे उस पर कैसे बोलेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : चर्चा हो सकती है परन्तु आप इसे औपचारिक रूप से बाद में प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यदि यह बात है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस तकनीकी मसले को हल करने के लिए ऐसा किया गया है।

जैसा कि मैंने कहा है, कि अब सदन में उपादान संदाय (संशोधन) विधेयक, 1982 पर आगे चर्चा होगी।

अब इस विधेयक पर चर्चा जारी की जा रही है। अगला विधेयक भी इसी अधिनियम में संशोधन करने के सम्बन्ध में है। पहले विधेयक के लिए तीन घंटे और दूसरे विधेयक के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है। पहले वाला विधेयक पहले पारित किया जाएगा, इसके बाद मंत्री महोदय दूसरे विधेयक को औपचारिक रूप से प्रस्तुत करेंगे और इसे भी पारित किया जाएगा।

श्री लारेंस अपना वक्तव्य जारी रखें। वे उपस्थित नहीं हैं अतः उनके वक्तव्य को समाप्त समझा जाता है।—श्री के० रामामूर्ति !

श्री के० राममूर्ति (कृष्णगिरि) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष विचारार्थ दो विधेयक हैं, एक है, उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 1982 और दूसरा है उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 1984। पहले विधेयक में वेतन सीमा 1000 रुपए से बढ़ाकर 1600 रुपए करने के लिये इस सदन की स्वीकृति मांगी गई है। मैं समझता हूं पहले विधेयक में ज्यादा विवाद नहीं है।

दूसरा विधेयक माननीय मंत्री महोदय द्वारा इस सदन में पुरः स्थापित किए जाने वाला है और समझा जाता है कि इस पर भी चर्चा कर सकते हैं। यह विधेयक फरवरी, 1982 में लालप्पा लिंगफा **बनाम** लक्ष्मी विष्णु टेक्सटायल मिल्स के मामले में उसकी अनवरत सेवा के प्रश्न के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के कारण आवश्यक बन गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया एक मिनट ठहरिये। कुछ समय पहले श्री बूटासिंह ने अनुरोध किया था जिसका कि हम आज मध्याह्न भोजन काल नहीं रखेंगे लेकिन आप जाकर मध्याह्न भोजन कर सकते हैं। मुझे आशा है सदन इस बात से सहमत है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

श्री के० राममूर्ति : सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि प्रत्येक मजदूर को उपदान (ग्रेच्युटी) का हकदार बनने के लिये प्रतिवर्ष 240 दिन तक बिना व्यवधान के कार्य करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में, इस देश के अनेक औद्योगिक गृहों ने मजदूरों को विधि सम्मत उपदान का संदाय करने से इंकार कर दिया है। इस मामले की ओर भी सरकार द्वारा ध्यान दिया जा रहा था और सभी मजदूर युनियनें भी इस मुद्दे को उठा रही थीं और उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 में समुचित संशोधन हेतु श्रम मंत्री को और प्रधानमंत्री को भी अभ्यावेदन किये गये। मेरे विचार से दूसरे विधेयक में श्रम मंत्रालय ने केवल दो सुधार किए हैं।

उनमें से एक धारा 2 (सी) के अन्तर्गत अनवरत सेवा के सम्बन्ध में है, जिसमें सरकार ने बिना अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के बारे में अब तक एक और वाक्य जोड़ा है। उन्होंने

[श्री के० राममूर्ति]

यह कह कर इसका अर्थ स्पष्ट कर दिया है कि यदि बिना अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के लिए मजदूर को स्थायी आदेशों के अतिरिक्त दण्ड दिया जाता है तो उनकी अनवरत सेवा के प्रयोजन के लिए इस पर भी विचार किया जायेगा उसमें यह एक संशोधन किया गया है।

एक दूसरा संशोधन यह है कि उस संस्थान में जो एक सप्ताह में 6 दिन से कम कार्य करता है उसमें अनवरत सेवा के लिए मजदूर से भी 180 दिनों तक उपस्थित रहने की अपेक्षा की गई है।

दूसरे विधेयक में श्रम मंत्रालय ने केवल ये दो संशोधन किये हैं। इससे श्रमिक वर्ग में भारी शंकाएं और सन्देह पैदा हुआ है। हम संसद सदस्य संसद में अपने दल के साथ-साथ मजदूरों का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह विधेयक हमें पहले ही प्राप्त हो गया था और हमने अपने संदायों के बीच इसे परिचालित कर दिया था और इस पर उनकी राय प्राप्त की है उन्होंने दो आधारों पर उचित सन्देह व्यक्त किए हैं। पहला है कि उपदान का हकदार बनने के लिए प्रति-वर्ष 240 दिनों के कार्य की आवश्यकता को साफ तौर पर परिभाषित नहीं किया गया है। मान लीजिये, कोई मजदूर वास्तव में 240 दिनों तक कार्य करने हेतु उपस्थित नहीं हो सकता लेकिन उसने वर्ष में केवल 220 दिन कार्य किया है। क्या वह उपदान का हकदार होगा अथवा नहीं ? मान लीजिए उसने बीमारी की छुट्टी अथवा किसी अन्य प्रकार की छुट्टी ली है, अथवा संस्थान में तालाबन्दी चल रही थी अथवा उसकी जबरी छुट्टी कर दी गई थी, क्या 240 दिनों की गणना करते समय इन सब बातों को ध्यान में रखा जाएगा ? यह स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं दिया है।

इसी उपदान अधिनियम में उन्होंने अनेक मुद्दों पर अनेक स्पष्टीकरण दिए हैं। मान लीजिए ऐसा कोई मजदूर है जिसका वेतन 1000 रुपये से अधिक हो गया है तो वहां उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। इस मामले में भी सरकार को उसी प्रकार का स्पष्टीकरण देना चाहिए ?

एक दूसरे प्रकार का संदेह यह है कि उपदान अधिनियम, 1972 के अनुसार प्रतिष्ठान अथवा प्रबंधकों द्वारा उपदान देने से मना किया जा सकता है। मान लीजिये, किसी मजदूर ने कोई गलत कार्य किया है अथवा उसे नैतिक भ्रष्टता के लिए दंडित किया जाता है अथवा किसी मजदूर ने 30 वर्षों तक प्रतिष्ठान में कार्य किया है और 31वें वर्ष में उसे सेवा निवृत्त होना था— यदि कोई प्रतिष्ठान जान बूझकर उसे नोटिस देना चाहता है अथवा यदि उसकी कोई त्रुटि निकाली जाती है और अथवा उसे नैतिक भ्रष्टता के आधार पर 31वें वर्ष में कुछ दण्ड दिया जाता है तो क्या वह अपने सारे उपदान से हाथ धो बैठेगा ? इस पहलू का भी उसमें स्पष्टीकरण नहीं किया गया है।

इसके परिप्रेक्ष्य में, श्रम मंत्रालय द्वारा इन दोनों उचित सन्देहों को दूर किया जाना चाहिये। यदि यह स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है तो इस विधेयक का कोई लाभ नहीं होगा। 1982 में लालप्पा के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गये निर्णय से पैदा होने वाली परिस्थितियों के कारण इससे मजदूरों के साथ न्याय नहीं होगा।

इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से ये दो स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहूंगा । यदि इसकी आवश्यकता है, तो ठीक है मेरे विचार से इसकी आवश्यकता है, उन्हें इस संशोधन विधेयक में ही स्पष्टीकरण देना चाहिए ।

इन टिप्पणियों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । लेकिन मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि स्पष्टीकरण इसके साथ जोड़ा जाना चाहिए । अन्यथा इस विधेयक से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा ।

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : मैं उपदान (संशोधन) विधेयक पर हो रही चर्चा में भाग लेना चाहूंगा आपने इस पर बोलने के लिये मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

इस बात का उल्लेख किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त, 1981 में एक निर्णय दिया था कि यदि किसी ने 240 दिनों तक कार्य किया हो तभी वह उपदान का हकदार हो सकता है । भले ही उसने 30 वर्षों तक कार्य किया हो अथवा 25 वर्षों तक, यदि उसने 240 दिनों तक कार्य किया हो तो वह उपदान पाने का हकदार नहीं हो सकता । यद्यपि आपने यह घोषणा की है कि कोई भी कर्मचारी चिकित्सा अवकाश, अस्वस्थता अवकाश, आकस्मिक अवकाश और त्यौहार अवकाश आदि सहित 196 दिनों का अवकाश लेने का हकदार है यदि आप 196 दिनों को कम कर दें तो शेष 169 दिन बाकी रह जाएंगे । इसलिए यह कहना असंगत है कि उपदान प्राप्त करने के लिए किसी को 240 दिनों तक कार्य करना है । इस लिए मैं समझता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कर्मचारियों की अपेक्षा नियोक्ताओं के पक्ष में है । इसमें इस प्रकार से संशोधन किया जाना चाहिए कि भले ही कोई व्यक्ति निर्धारित अवधि से कम अवधि तक काम करे उसे इस प्रकार के उपदान का हकदार बने ।

कुछ समय पूर्व, 1981 में, एक सांसद श्री ईरा मोहन यह बात सरकार की जानकारी में लाए थे । मंत्री महोदय ने यह उत्तर दिया कि यथासंभव शीघ्रता से इस पर विचार किया जाएगा और एक उपयुक्त संशोधन लाया जाएगा । तीन वर्षों के पश्चात आप संशोधन लेकर आए हैं । यदि इस प्रकार की किसी छोटी बात में आप तीन वर्ष लगा सकते हैं तो मैं समझता हूं किसी बड़ी समस्या के लिए, किसी बड़ी परियोजना के लिए उसको हल करने के लिए आपको 10-15 वर्ष लगेंगे । इसलिए मंत्री महोदय को इस पर ध्यान देना चाहिए और नियोक्ताओं की अपेक्षा मजदूरों के लाभ के लिए कोई व्यापक फार्मूला तैयार करना चाहिए।

आप जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने कुछ भिन्न मत दिया है । उन्होंने यह कर्मचारियों के पक्ष में नहीं दिया है । इसलिए, मैं नहीं जानता कि 1981 में निर्णय दिए जाने के बाद भी आपने इसमें इतनी अधिक देरी क्यों लगाई । मैं केवल यही समझता हूं कि यह शासक दल द्वारा अनुसरण की जा रही विलम्ब की नीति है; वस्तुतः मजदूरों के हित में आपकी रुचि नहीं है । आप मजदूर-विरोधी नीति अपना रहे हैं । सरकार केवल मजदूर-विरोधी ढर्रे पर चल रही है ।

[डा० ए० कलानिधि]

आप कर्मचारियों की तुलना में नियोजकों को अधिक फायदा पहुंचाना चाहते हैं।

इसका दिनांक 14 जुलाई, 1981 के टाइम्स ऑफ इण्डिया में व्यापक प्रकाशन हुआ है और मंत्री जी ने यह अश्वाशन दिया है कि एक उक्त संशोधन लाया जाएगा जो नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों के लिए ठीक होगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि वर्तमान संशोधन से कर्मचारियों को किसी प्रकार का कोई फायदा होने जा रहा है।

फैसले के सम्बन्ध में न्यायाधिकरण करने का फैसला मांगों की प्रस्तुत करने की तारीख से जिसके कारण मामला औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास भेजा गया अथवा कम से कप उस तारीख से जब उन्हें औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास भेजा गया था, भूतलक्षी प्रभाव से लागू होना चाहिए।

आपने एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की है। मैं नहीं जानता कि ऐसा करने की क्या आवश्यकता है। यह केवल देरी करने का दावपेंच है। आप मामले को लटकाना चाहते हैं आप स्थिति की गम्भीरता को तथा कर्मचारियों की समस्याओं को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपने यह समिति काफी समय पहले नियुक्त की थी। लेकिन आप संशोधन अब लाए है। मैं इसके लिए सरकार पर दुलभुल नीति और जानबूझकर ऐसा करने का आरोप लगाता हूं। मेरा मुख्य उद्देश्य जिसके लिए मैं भूतलक्षी प्रभाव के लिए कह रहा हूं वह यह है कि पिछले 3-4 वर्षों में बहुत से सेवा-निवृत कर्मचारियों पर इसका प्रभाव पड़ा है।

कुछ समय पहले, हमने एक बैठक बुलाई भी जिसमें हमने कुछ माँगें रखी थीं। मैं उन मांगों को पढ़ना चाहूंगा जिससे हमारे माननीय मंत्री जी उनके बारे में विचार कर सकें। क्योंकि डी० एम० के० लेबर प्रोग्रेसिव फैडरेशन ने जिसका कि मैं भी एक उपप्रधान हूं भारत सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं। वे सुझाव निम्न प्रकार से हैं:

(1) उपदान के लिए पात्रता की सभी प्रकार की सीमाओं को समाप्त किया जाना चाहिए।

(2) चीनी जैसे कुछ उद्योगों में जिन्हें मौसमी माना जाता है, कर्मकारों को उपदान के रूप में केवल 7 दिन का वेतन देने की व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए और विना भेद-भाव के सभी को पूरा उपदान दिया जाना चाहिए।

(3) यदि किसी प्रतिष्ठान में एक व्यक्ति काम करता है तो उसे भी उपदान दिया जाना चाहिए।

(4) अन्य मुद्दा जिसका कि मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह इस उपबन्ध के बारे में है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही के कारण नौकरी से हटा दिये जाने पर कर्मकार को उसका उपदान नहीं मिलता। इस उपबन्ध को हटाया जाना चाहिए क्योंकि इससे उसको दोहरी सजा मिलती है और यह उसे प्राकृतिक न्याय से भी वांचित किया जाना है।

(5) एक और सुझाव जो कि मैं मंत्री जी के सामने रखना चाहूंगा वह यह है कि सेवा के प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए एक महीने की मजदूरी उपदान के रूप में दी जानी चाहिए। नियमित आधार पर किसी भी रूप में मिलने वाली कोई भी राशि उपदान के निर्धारण का आधार बनाई जानी चाहिए।

(6) मैं अन्त में माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि 26 दिनों की मजदूरी को एक महीने की सेवा के लिए आधार माना जाना चाहिए, जो कि उच्च न्यायालय के निर्णय के समान होगा।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि व्यापक फार्मूला बनाया जाए जिसमें मेरे द्वारा रखे गए सभी मुद्दों को शामिल किया जाए जिससे कर्मकारों के हितों और उनके कल्याण की सुरक्षा की जा सके और सरकार की श्रमिक विरोधी सरकार के रूप में आलोचना न हो। सरकार को ऐसी कार्यविधि नहीं अपनानी चाहिए जिसे श्रमिक विरोधी कार्यविधि अथवा श्रमिक विरोधी नीति कहा जाए। यदि आप वास्तव में कर्मकारों का कल्याण चाहते हैं तो 20-सूत्री कार्यक्रम के बारे में प्रचार और कमजोर वर्गों के लिए ऋण उसके लिए सहायक नहीं होने वाले। सार्थक यह होगा कि आपको अधिनियम में इस प्रकार संशोधन करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे कि मेरे द्वारा रखे गए सभी मुद्दों को शामिल करने के लिए एक व्यापक फार्मूला तैयार हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मजदूरों के हित की बातें हमारी सरकार बहुत गंभीरता से सोचती है। इसी सिलसिले में यह ग्रेच्युटी बिल पेश किया किया गया और यह घोषणा की गई कि एक हजार से 1600 तक तनख्वाह लेने वालों को भी ग्रेच्युटी मिलेगी। दूसरी बात आपने 240 दिन की कह दी। उसने 240 दिन तक फिजीकली वर्क किया हो। मान लीजिए कोई बीमार हो जाता है या मारल टरपीट्यूड उसका कमजोर हो जाता है तो उसका क्या होगा। आप चाहते हैं कि उसने जो कुछ काम किया है उसके बेनिफिट से वह वंचित न हो जाए। आपने इसमें लिखा है—

"किसी अन्य मामले में 240 दिन।"

इसलिए, इस खण्ड में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। 240 दिन का मतलब आप क्या लेना चाहते हैं क्योंकि ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां वह शारीरिक रूप से अयोग्य हो जाता है। मान लो वह बीमार हो जाता है।

तो उसके लिए आपका एक्सप्लनेशन नहीं होगा कि आपने इंस्पेक्टर को ये पावर्स नहीं दी हैं। आपने इंस्पेक्टर को जो पावर्स दी हैं कि उनको ग्रेच्युटी दिलवा दी जाए। मगर इस बात का वह फैसला नहीं कर सकता। इस तरह से एक मजदूर के लिए यह मुसीबत हो जाएगी। इसके

[श्री मूलचन्द डागा]

लिए उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उस जजमेंट के बाद जो भी उसके अन्दर बताया है।

'उच्चतम न्यायालय ने लालघा लिंगप्पा **बनाम** लक्ष्मी विष्णु टैक्सटाइल मिल्स के मामले में अपना यह निर्णय दिया कि अधिनियम की धारा 2(ग) में 'निरन्तर सेवा' की प्रचलित परिभाषा की शर्तों के अनुसार, स्थायी कर्मचारी उन वर्षों के लिए उपदान की अदायगी के पात्र नहीं होंगे जिन वर्षों में वे बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहे हैं और एक वर्ष में वास्तव में 240 दिनों से कम काम किया है।"

कोई आदमी ऐसी जगह पर बीमार पड़ गया जहां से उसके लिए दरखास्त करना भी पासीबल नहीं था लेकिन आप कहते हैं कि :

"ऐसा अभ्यावेदन किया गया है कि इस निर्णय को लागू करने से बहुत से ऐसे कर्मचारियों को उपदान देने से मना किया गया है जिनकी थोड़े समय की अनुपस्थित उनके उपदान की पात्रता का हिसाब लगाते समय उसके महत्व को समझे बिना विनियमित रह गई—यह भी प्रस्ताव किया गया है कि निरन्तर सेवा की परिभाषा को विस्तृत किया जाए जिससे यह व्यवस्था हो कि—

"(क) कि एक कर्मचारी को जो किसी प्रतिष्ठान में कार्य कर रहा है जो एक सप्ताह में 6 दिन से कम दिनों के लिए काम करता है और उसकी एक वर्ष की सेवा में व्यवधान नहीं आता है एक वर्ष की अवधि के लिए निरन्तर सेवा में माना जाएगा यदि उसने पिछले वर्ष में वास्तव में 190 दिनों के लिए कार्य किया हो।"

मेरे कहने का मतलब यह था कि आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वह स्पष्ट नहीं है बिल में कहा गया है कि :

"कि उपदान की अदायगी के लिए छः महीनों की निरन्तर अवधि का हिसाब लगाने के लिए, कि एक कर्मचारी को वास्तविक कार्य दिवसों में से आधे दिन कार्य करना चाहिये जो एक पूर्ण वर्ष के लिये उसकी 'निरन्तर सेवा' मानी जाएगी।"

श्रम मंत्री जी जब उत्तर दें तो मेहरबानी करके यह बतलाएं कि क्या एक आदमी जो 240 दिन काम नहीं कर सकता है और 190 दिन ही करता है जबकि उसका पीरियड सप्ताह में छह दिन है तो उस हालत में वह ग्रेच्युटी पाने का अधिकारी होगा या नहीं ? बीमार होने पर जो उसका बोनाफाइड क्लेम बनता है, उसके लिए वह दिन माने जाएंगे या नहीं ? फैक्टरी में चाहे बहुत कम लोग काम करते हों लेकिन ग्रेच्युटी का एक्ट हरेक के लिए लागू होना चाहिए।

स्माल स्केल इंडस्ट्री में मशीनें इतनी डवलप कर गई हैं कि जानबूझकर फैक्टरी के मालिक लेबर की संख्या कम ही रखते हैं। कहा जाता है कि फैक्टरी एक्ट के अनुसार लेबर की संख्या कम है, इसलिए आप एन्टाइटल्ड नहीं हैं। मैं तो यह कहूंगा कि घरों में जो सर्वेन्ट काम करते हैं, उनको भी ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए। इनके साथ बड़ी क्रूरता से व्यवहार किया जाता है। इस ओर

आपका ध्यान ही नहीं गया है। जब आप 1984 में कानून लाना चाहते हैं तो क्या आप उन लोगों को अधिकार देंगे या नहीं ? आपने लेबर-लॉज के लिए अमेन्डमेंट. नहीं किया बल्कि वही कानून लागू होगा जो इन्डस्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए होना है। आपके बिल में यह स्पष्ट होना चाहिए कि 240 दिन न होते हुए भी अगर उसका हक बनता है तो वह ग्रेच्युटी पाने का हकदार है।

यह क्लैरिफिकेशन आपके बिल में नहीं है और इस पर बाद में आपत्ति उठ सकती है दूसरे मैं चाहता हूं कि कानून जो बना हुआ है, वह कुछ लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि जहां कम संख्या में लोग काम करते हों, मजदूरी करते हों, कहीं मुनीम हों या दूसरे सभी के लिए भी लागू होना चाहिए और घरेलू नौकर के लिए भी यह कानून लागू होना चाहिए।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार अपने आप को श्रमिक हितैषी कहती है, मैं तो एक किसान का बेटा हूं। लेकिन जब मैंने इस बिल को पढ़ा और लोगों के विचार इस के बारे में सुने, उससे मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहां खेत में भी मजदूर काम करते हैं, लेकिन उस बेचारे को मजदूरों में नहीं गिना जाता। मान्यवर, इन दोनों बिलों को देखने के बाद मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, वैसे तो इन्होंने भी कहा है कि अन्य स्रोतों के साथ-साथ राज्य सरकारों और नियोजकों तथा कर्मकारों के संगठनों से इस बाबत सुझाव प्राप्त हुए हैं। जुलाई, 1980 में हुए श्रम मंत्री सम्मेलन में इस विषय पर चर्चा हुई थी तथा सम्मेलन ने कुछ सिफारिशें भी की हैं। निर्वाह व्यय में हुई वृद्धि के कारण मजदूरी स्तरों में जो बढ़ोत्तरी हुई है उसको दृष्टि में रखते हुए अधिनियम की व्याप्ति का विस्तार उन व्यक्तियों पर किए जाने का प्रस्ताव है जो सोलह सौ रुपये प्रति मास तक मजदूरी ले रहे हैं। इसके बाद उपदान की बात भी आई है। लेकिन ग्रेच्युटी की बात आपने तब की जब विभिन्न संगठनों की ओर से आपको सिफारिशें प्राप्त हुई। पता नहीं किस आधार पर आप अपने को श्रमिक हितैषी सरकार कहते हैं। आप तीन साल तक कैसे सोते रहे, तीन साल तक आपने इस दिशा में कुछ नहीं सोचा। अब लगता है कि अगली बार आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए ही आप यह कदम उठाने जा रहे हैं ताकि मजदूरों को भी थोड़ा संतुष्ट कर सकें।

दूसरे बिल को लाने की प्रेरणा भी आपको उच्चतम न्यायालय के 1981 के निर्णय से मिली है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने वास्तव में एक वर्ष में दो सौ चालीस दिनों से कम कार्य किया था। वे उपदान के संदाय के लिए हकदार नहीं थे। आपने भी उसी बात को रिपीट भर कर दिया है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। सिर्फ 240 दिन की बात कही है। लेकिन जैसा श्री मूलचन्द डागा जी ने तथा कुछ दूसरे साथियों ने इशारा किया, इससे निरंतर सेवा वाली बात स्पष्ट नहीं हो पाई है। आपके बिल को पढ़ने से ऐसा लगता है, जब आप कहते हैं कि विनिर्दिष्ट रूप से यह उपबन्धित किया जाए कि अनुपस्थिति की वह अवधि, जिसके संबंध में कोई दण्ड या शास्ति अधिरोपित नहीं की गई है, मान्यवर यह बड़ी विचित्र बात हो जाएगी। क्योंकि यदि हमारे उद्योगपति न चाहें कि उन्हें ग्रेच्युटी दी जाए तो वे मजदूरों को दण्ड देने वाली साजिश कर सकते हैं। ऐसी साजिशें अक्सर हुआ करती हैं, जहां श्रमिकों ने कोई मांग उठाई तो उद्योगपतियों

[श्री राजेश कुमार सिंह]

ने कोई षडयंत्र रचकर उन्हें बाहर कर दिया अथवा कोई दण्ड दे दिया। जैसा की माननीय सदस्यों ने भी कहा मान लीजिए किसी ने 20-25 साल तक काम किया, उसके बावजूद यदि वह इस षड्यंत्र में फंस जाता है तो सरकार को उसके लिए भी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। वैसे मैं इस बिल का समर्थन करता हूं क्योंकि इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं। यदि कोई संस्थान अपने कर्मचारियों की संख्या बचने के लिए 10 से घटाकर 9 कर दें तो उस पर भी यह लागू होगा। सरकार ने यह अच्छा कदम उठाया है। लेकिन मेरा जो संशय है, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उस संदर्भ में भी विचार करके कोई संशोधन लायें जिससे श्रमिकों का हित बना रहे नहीं तो उद्योगपतियों में दण्ड देने वाली प्रवृति को नहीं रोका जा सकता। यह कहते हुए, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने दो विधेयक हैं—1982 का विधेयक संख्या 133 और 1984 का विधेयक संख्या 30। मूल अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। जहाँ तक अधिनियम के क्षेत्र का सम्बन्ध है; मैं एक मुद्दे पर जोर देना चाहूंगा। जब हम व्यापक विधान की बात कर रहे हैं तो हमें गैर संगठित कृषि सम्बन्धी क्षेत्र में बड़ी संख्या में काम करने वाले श्रमिकों को ध्यान में रखना होगा। यद्यपि इस सदन के सदस्य चाहे वे किसी भी पार्टी से सम्बन्धित हैं, कृषि मजदूरों को उसके अन्तर्गत लाने के लिए केरल विधान के नमूने के अनुसार एक व्यापक विधान लाने की मांग करते रहे हैं, दुर्भाग्यवश श्रम मंत्री ने किन्हीं आधारों पर जो केवल उनको ही मालूम है किन्हीं पक्षों द्वारा कुछ आपत्तियों के कारण इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। यदि वे इस सदन की सर्वसम्मत मांग से सहमत हैं, वे उन श्रमिकों को अधिनियम की परिधि के अंन्तर्गत क्यों नहीं ला सकते जिससे वे उपदान का लाभ प्राप्त कर सकें ? उस मामले में श्रमिकों के गैर-संगठित क्षेत्र का बहुत बड़ा वर्ग, जिसे वास्तव में संरक्षण की आवश्यकता है, उस लाभ को प्राप्त कर सकेगा। इसलिए, आपको कृषि श्रमिकों की बहुत बड़ी संख्या को इस अधिनियम के अन्तर्गत लाना होगा जैसा कि आपने अन्य प्रतिष्ठानों के मामले में किया है जिनका यहां उल्लेख किया गया है। यह एक मुद्दा है जिस पर मैं विधेयक के विस्तार पर जाने से पहले जोर देना चाहूंगा।

जहाँ तक प्रथम विधेयक, 1982 का विधेयक संख्या 133 का सम्बन्ध है, इसमें प्रशासकीय और प्रबन्धकीय कर्मियों को इसके अन्तर्गत लाने तथा मौसमी प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों को गैर-मौसमी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के समान मानने की व्यवस्था है। ये सभी स्वागत योग्य कदम हैं, जिनकी अधिकतर मजदूर संगठन मांग कर रहे थे। वर्ष 1982 में मंत्रालय ने विभिन्न केन्द्रीय मजदूर संगठनों की एक बैठक बुलाई थी जिसमें विधेयक के बारे में उनसे विचार-विमर्श किया था और उन्होंने विभिन्न सुझाव रखे थे। उनमें से कुछ सुझावों को विधेयक में शामिल किया गया था।

जहां तक अधिक से अधिक कर्मचारियों को इसके अन्तर्गत लाने का सम्बन्ध है, मैं एक जानकारी चाहता हूं। जब 1982 में विधेयक लाया गया था, केवल 1,000 रुपए तक वेतन पाने वालों को इसके अन्तर्गत लाया गया था। अब इसे 1600 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। यह ठीक

है कि यह एक सुधार हुआ है। लेकिन मैं 1600 रुपए का औचित्य अथवा पवित्रता की बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने देखा है कि मजदूरी संदाय अधिनियम और कर्मकार प्रतिकार अधिनियम दोनों में अब यह सीमा 1600 रुपए है। क्या वर्तमान मजदूरी स्तरों के बराबर लाने के लिए यह सीमा बढ़ाई जा रही है ? यदि आप अधिकतर सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबन्धकों और मजदूर संघों के बीच हाल ही में किए गए समझौतों को देखें तो आप पायेंगे कि अधिकतर मामलों में न्यूनतम मजदूरी 1,000 रुपये है। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और अन्य प्रतिष्ठानों में यह अधिक है। इस कारण शायद इसे 1600 रुपये तक बढ़ाया जा रहा है, लेकिन यदि हम वर्तमान मजदूरी स्तर को देखें और यहां तक कि इसे 1,600 रुपये तक बढ़ाने के बाद भी आप देखेंगे कि विभिन्न प्रतिष्ठानों के काफी प्रतिशत कर्मकार इसकी परिधि से बाहर रह जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे ख्याल में ऐसा 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर किया गया है।

1.00 म० प०

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : महोदय ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन ने इस प्रकार की सिफारिश की। आप सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र की किसी फैक्ट्री अथवा प्रतिष्ठान को ले लीजिए आप देखेंगे कि लगभग 60 प्रतिशत कामगारों को 1,600 रुपये से ज्यादा मिल रहा है। इसलिए संगटित क्षेत्र में भी इस प्रयास से केवल बहुत कम कामगार ही प्रभावित होंगे, इसलिए मैं मंत्री जी से यथार्थवादी होने और रुपये के मूल्य में आ रही गिरावट पर विचार करने, तथा इस सीमा निर्धारण से बहुसंख्यक कामगारों को लाभ न मिलने के तथ्य पर भी विचार करने का अनुरोध करता हूं। इसलिए उन्हें यह देखना चाहिए कि सीमा को ऊपर बढ़ाया जाये वास्तव में मैं आपकी इस बात का स्वागत करता हूं कि अब आप मौसमी प्रतिष्ठानों के के कर्मचारियों को गैर मौसमी प्रतिष्ठानों के बराबर मान रहे हैं। यह भी एक सराहनीय प्रयास है कि प्रशासनिक और प्रबन्धकीय कर्मचारियों को भी 1,600.00 रुपये की सीमा के अन्तर्गत रखा गया है, लेकिन यहाँ पर मैं कहूंगा कि एक बार 1,600.00 रुपयों की इस राशि सीमा को बढ़ाये जाने पर यह प्रशासनिक और प्रबन्धकीय कर्मचारियों पर यह अपने आप लागू हो जायेगा।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को पर्याप्त यथार्थवादी होना चाहिए और उसे यह देखना चाहिए कि एक साल के बाद फिर से कोई नया संशोधन करने की आवश्यकता न पड़े। आवश्यक उपायों के तौर पर सरकार को पर्याप्त संशोधन करने चाहिए। यह एक सामाजिक कानून है और आपको यह देखना होगा कि इससे कामगारों को वाँछित ढंग से लाभ मिले। इस-लए संगठित उद्योगों में संगठित मजदूरों के एक बहुत बड़े भाग के धन मजदूरी स्तर को ध्यान में रखते हुए कुछ औचित्य होना चाहिए।

[श्री के०ए० राजन]

इसके बाद मैं 1984 के विधेयक 30 पर आता हूं। इस विधेयक को वास्तव में उपदान अधिनियम की धारा 2 (ग) की व्याख्या के बारे में उच्चतम न्यायालय के फैसले के प्रिप्रेक्ष में लाया गया है मैं इसका स्वागत करता हूं। उच्चतम न्यायालय के दुर्भाग्यपूर्ण फैसले के कारण लाखों मजदूर उपदान के लाभ से वंचित रह गए थे इसीलिए यह कदम उठाना जरूरी हो गया था, यदि मेरी जानकारी सही है तो यह फैसला 1981 के आखिर में आया था। मेरी समझ में यह नहीं आया हैं कि सरकार ने इस बात में संशोधन करने के लिए दो वर्ष का समय क्यों लगाया है। सरकार को यह अवश्य पता होना चाहिए कि निर्णय के क्या परिणाम निकले इसके परिणाम-स्वरूप अनेक औद्योगिक प्रतिष्ठानों के मजदूरों को उपदान का लाभ नहीं मिल सका और अनेक मुकद्मे दायर हुए। यहां तक कि सरकारी क्षेत्र के नियोजन भी उच्चतम न्यायालय के फैसले को मानने को मजबूर थे क्योंकि वे उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विपरीत नहीं चल सकते। जैसा भी हो इसे अब लाया गया है, और यह स्वागत योग्य कदम है, लेकिन मैं इस बात पर जोर दूंगा कि इस कार्यवाही में कोई अस्पष्टता नहीं छोड़ी जानी चाहिए ताकि यह लोग फिर से न्यायालय में जायें और ऐसी स्थिति पैदा हो सके जिसके कारण मजदूरों को उपदान के लाभ से वंचित होना पड़े।

महोदय, फैसले में कहा गया है कि किसी वर्ष के लिए उपदान की पात्रता के लिए कर्मचारी को वास्तव में 240 दिन अवश्य काम करना होगा। अधिनियम की इस त्रुटि के कारण कोई भी कर्मचारी उपदान का हकदार नहीं रहा। इसी त्रुटि के कारण उच्चतम न्यायालय को यह फैसला देना पड़ा। यदि निर्धारित अवधि नियत करते समय साप्ताहिक छुट्टियों आकस्मिक अवकाश, वार्षिक अवकाश बीमारी और दूसरे लाभों को विचार में रखा गया होता तो मजदूरों को इस लाभ से वंचित नहीं रखा जा सकता था। जिसमें उनकी अपनी कोई गलती नहीं है इसलिए मैं इस बात पर जोर दूंगा कि अधिनियम में पर्याप्त संशोधन किए जाने चाहिए ताकि इसमें कोई अस्पष्टता बाकी न रहे। श्री मूल चन्द डागा भी इस मद्दे पर बहुत जोर दे रहे थे कि यार्ड निरन्तर सेवा की इस विशेष धारा पर फिर कोई अस्पष्टता रहेगी तो फिर उसी बात की पुनरावृत्ति होगी। नियोजक उच्चतम न्यालय में जायेंगे और वे ऐसा करने के लिए सक्षम हैं, फिर गत्यावरोध पैदा होगा और लाखों मजदूर इसके लाभ से वंचित किये जायेंगे। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि सेवा के वास्तविक सेवा काल में प्रतिवर्ष के लिए उपदान का भुगतान होना चाहिए केवल काम करने के दिनों के आधार पर नहीं होना चाहिए। यही मेरा मुद्दा है।

महोदय, अधिनियम में इस बात की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि किसी प्रतिष्ठान या संस्थान के बन्द होने और पाली के कारण उसके पुनः खोले जाने के साथ ही नियंत्रण में लिए जाने, राष्ट्रीयकारण और यहां तक कि हड़ताल की अवधि को सेवा में व्यवधान नहीं माना जायेगा। यह एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, अधिनियम की धारा (ग) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण 1 और 2 में वास्तव में 'नियोजित' अथवा 'वास्तव में काम किया है।' इन "शब्दों के स्थान पर " काम पर हैं" शब्द रखे जाने चाहिए यदि इसके स्थान पर काम पर हैं, रख दिया जाए तो फिर किसी बात पर कोई सन्देह नहीं होगा और मजदूर लोग लाभ से

वंचित नहीं होंगे । मुझे केवल यही चिन्ता है कि किसी प्रकार की अस्पष्टता न रहे ताकि लोग अलग ढंग से इसकी व्याख्या न कर सकें और लोग फिर से न्यायालय का मुंह ताकें और फिर लाखों मजदूरों को इस लाभ से वंचित किया जाये इसलिए मैं पुन: इस बात पर जोर दे रहा हूं कि लगातार सेवा के बारे में अस्पष्टता को दूर किया जाना चाहिए और 'वास्तव में काम किया है ।' के स्थान पर 'काम पर हैं' शब्दों को रखा जाना चाहिए ।

महोदय मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहता हूं । इस समय किसी कर्मचारी को उपदान मिलने के लिए पांच वर्ष का सेवा काल जरूरी है । यदि किसी कामगार को उपदान का लाभ लेना है तो उसका कम से कम 5 वर्ष का सेवा काल होना चाहिए । यह पात्रता सम्बन्धी अपेक्षा है मेरे विचार से इस समय को कम किया जाना चाहिए । उपदान की पात्रता के लिए इसे कम करके कम से कम 3 वर्ष किया जाना चाहिए ।

मैं बदली मजदूरों का भी उल्लेख करना चाहता हूं । अनेक बदली मजदूर भी हैं, खासकर कपड़ा, पटसन और दूसरे उद्योगों में अनेक बदली मजदूर हैं । यह अधिनियम उन पर भी लागू होना चाहिए ताकि बदली मजदूरों को भी इसका लाभ मिल सके किसी बदली मजदूर को रोजगार नहीं मिलता है तो इसमें उसकी अपनी कोई गलती नहीं है । कुछ खास किस्म के उद्योगों से अनेक बदली मजदूर सम्बद्ध हैं । उपदान अधिनियम के अन्तर्गत उनको सुरक्षा प्रदान करके उनके अधिकारों की सुरक्षा की जानी चाहिए ।

ये कुछ सुझाव हैं जिन्हें देने का मैंने प्रयास किया है । दुर्भाग्यवश, भले यह विधेयक विलम्ब से लाया गया है, मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि यह विधेयक उस तिथि से लागू होगा जिस तिथि को फैसला हुआ था । इस प्रकार मज़दूरों की प्रात्रता को संरक्षण दिया गया है । यदि वे फिर भी न्यायालय में जाते हैं तो यह बात भिन्न होगी । जो भी हो इसमें पर्याप्त सुरक्षा का प्रावधान रखा गया है । मैं इस प्रावधान का स्वागत करता हूं । इस विशेष विधेयक पर मैंने जो भी विनम्र सुझाव दिए हैं उनके लिये मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री बी० के० नायर (क्विलोन) : महोदय मैं इन दो विधानों का पहला, 1,500 रुपये की सीमा बढ़ाने के बारे में और दूसरा लगातार नियोजन की पुन: परिभाषा करने के बारे में है, दिल से स्वागत करता हूं, सरकार और दूसरे हित वालों द्वारा हम मजदूर संगठन आन्दोलन के लोगों की हमेशा यह कहते हुए आलोचना की गयी है. कि हमारा ध्यान मुख्य रूप से ऊंचे वेतनभोगी लोगों पर ही केन्द्रित रहता है वास्तव में यह सही शिकायत है अधिकांश मजदूर संगठम और लोगों के संगठित वर्ग उच्च वेतनभोगी समूहों को लाभ पहुंचाने में रुचि लेते हैं और कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है । मेरे विचार से इस मामले में भी सरकार के विरुद्ध यही आरोप लगाया जा सकता है । 1000 रु० से 1600 रु० तक के वेतन वर्ग को बढ़ाये जाने के बारे में अपनी चिन्ता प्रकट करने के स्थान पर मेरे विचार से यह अधिक उचित होता कि उन अनेक लोगों की ओर ध्यान दिया जाता जो उपदान योजना की परिधि से बाहर रह जाते

[श्री वी०के० नायर]

हैं; वेतन वर्ग को 1000 रु० से बढ़ाकर 1600 रु० तक करने से बहुत कम कर्मचारियों को ही उपदान का लाभ मिलेगा लेकिन मेरे विचार से विभिन्न उद्योगों के लाखों कर्मचारियों को अभी उपदान के लाभ की परिधि से बाहर रखे गए हैं कभी-कभी मुझे 'उपदान' । शब्द से वितृष्णा महसूस होती है क्योंकि यह उदारतापूर्वक अदायगी नहीं है । यह रोजगार दाता की कृपा से दिया जाने वाला दान नहीं है बल्कि यह कर्मचारियों के हक का मामला है । इसके अलावा यह उन लाभों में से एक है जो किसी भी उद्योग अथवा संस्थान में न्यूनतम मजदूरी की तरह रोजगार के फलस्वरूप दिये जाते हैं । इस देश में हम छोटे-छोटे एककों की स्थापना कर रहे हैं कुछ दिन पूर्व हमें उद्योगों के लघु एककों के आंकड़े दिये गए थे ।

वर्ष 1973-74 में लघु एककों की संख्या केवल 1.64 लाख थी और 1982-83 में यह संख्या बढ़कर 5.96 लाख हो गई, जबकि इसी अवधि में लघु एककों में कर्मचारियों की संख्या 3.97 लाख से बढ़कर 79 लाख हो गई है । लघु एकक से हमारा आशय इस एकक से है जिसमें 20 लाख रुपये से कम की पूंजी लगी है । इस समय जो परिभाषा है उसके अनुसार इनमें से किसी भी एकक को उपदान के अन्तर्गत आने वाले एककों की परिभाषा के क्षेत्र में नहीं रखा जा सकता है । लघु एककों से काफी बड़े एकक ही इस परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं । नौ वर्षों में लघु एककों का उत्पादन 7,200 करोड़ रुपयों से बढ़कर 35,000 करोड़ रुपयों का हो गया है । यहाँ तक कि हम बडे एककों की कीमत पर लघु एककों को सभी प्रकार की सहायता, प्रोत्साहन और लाभ दे रहे हैं, परन्तु कर्मचारियों की स्थिति क्या है ? लघु एककों के कर्मचारियों को उपदान के लाभ से क्यों वंचित रखा जाए । जिस प्रकार उन्हें न्यूनतम मजूरी का लाभ मिल रहा है उसी प्रकार उन्हें उपदान का लाभ भी मिलना चाहिए । कर्मचारियों की संख्या के आधार पर कानून की सीमा को कुछ एककों तक सीमित करके इस संशोधन से लाभ पाने वाले लोगों की संख्या को सीमित कर दिया गया है । उद्योग में कुल कर्मचारियों की संख्या का 40% उपदान के क्षेत्र से स्थायी तौर पर बाहर है । मैं महसूस करता हूं कि सारे अधिनियम में व्यापक पुनर्विचार करने का समय आ गया है और व्यापक संशोधन किए जाने चाहिएं ।

दूसरा कार्यक्षेत्र बागानों का विशाल क्षेत्र है । हमारे पास रबर बागानों के हजारों एकक हैं जिनमें एक लाख व्यक्ति कार्य करते हैं । इनमें से बागान श्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत 500 से अधिक एकक नहीं आयेंगे । इसलिए उपदान विधान कुल एककों में से 20% से अधिक पर लागू नहीं होगा । रबर बागान उद्योग में लगे हुए लगभग 40% कर्मचारियों को उपदान लाभ से वंचित रखा गया है ।

बागान उद्योग की दूसरी विशेषता यह है कि बागान का क्षेत्र और आकार बागान मालिक की इच्छा के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है । वह 100 हेक्टेयर के क्षेत्र को विभाजित करके 5 या 10 छोटे एकक बना सकता है । लेकिन कामगार के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वह उपदान के अपने उस अधिकार के लिए लड़ सके, जो अधिकार एकक को छोटे एककों में बांटने के कारण संकट में पड़ गया है । यहां तक कि जो एकक दो वर्ष पूर्व इस लाभ को दे रहे थे उनमें भी एकक

का विभाजन करके श्रमिकों के इस अधिकार को वंचित किया जा सकता है। सम्पत्ति का विभाजन मालिक का बहुत न्याय संगत हक है।

इलायची और काफी बागान उद्योगों में भी यही हाल है।

रबर बागान उद्योग देश में अत्यधिक समृद्ध उद्योगों में से एक है। बागान मालिकों की इतनी क्षमता है कि वे सभी कर्मचारियों को यह लाभ दे सकते हैं।

जब कोई व्यक्ति लगातार कुछ वर्षों तक काम करता रहा है तो जिस प्रकार उसे न्यूनतम मजूरी का लाभ दिया जाता है उसी प्रकार उसे उपदान का लाभ भी दिया जाना चाहिए। उपदान का उद्देश्य क्या है ? यह कामगारों के लिए सेवा निवृति के पश्चात के जीवन के लिए सुरक्षा साधन है। जीवन की अवधि बढ़ रही है। इसका औसत 32 वर्ष से बढ़कर 54 वर्ष से अधिक हो गया है। सेवा निवृति के बाद का समय अब काफी लम्बा हो गया है। सेवा-निवृत्ति के बाद जीवन की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। अब सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन काफी लम्बा होता है और सेवानिवृत्ति के बाद दायित्व भी बढ़ गया है। लाभकारी और कार्य कुशल लघु एककों में बहुत समय तक काम करने वाले किसी कर्मचारी को उपदान से क्यों वंचित रखा जाए ? वह सेवा निवृत्ति के बाद अपना निर्वाह किस प्रकार होगा ? क्या वह भीख मांगेगा ? किसी लाभकारी एकक में 30 वर्ष से अधिक की सेवा करने के बाद उसे क्या करना चाहिए ? क्या उसे भीख मांगनी चाहिए ? आप अन्य लाभ नहीं दे सकते हैं, भविष्यनिधि इसके क्षेत्र से बाहर है। उसे अपने परिवार के लिए क्या करना चाहिए। वह अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था किस प्रकार करेगा ? हम जिस प्रकार लघु एककों के बारे में चिंतित हैं उसी प्रकार लघु एककों में काम कर रहे लोगों के बारे में भी हमें चिंतित होना चाहिये। सरकार को अधिनियम में संशोधन करने के लिए व्यापक रूप से आगे आना चाहिए ताकि अधिनियम के क्षेत्र को, सभी उद्योगों में, चाहे वे बागान हों अथवा कृषि का क्षेत्र हो या अन्य कोई उद्योग हो, नियुक्त सभी व्यक्तियों को अधिनियम की परिधि के अन्तर्गत लाया जा सके। मेरे माननीय मित्र ने इसका उल्लेख किया है, केरल में हमने एक योजना बनाई है और उस योजना को क्रियान्वित किया है जिसके अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में कार्यरत कामगारों को भी उपदान का भुगतान होता है। मेरे कहने का मुख्य तात्पर्य यह है कि अधिनियम की क्रियान्विति को किसी एकक के आशय के आधार पर उसमें कार्यरत कर्मचारी तक ही सीमित न रखा जाए। सभी व्यवसायों, सभी उद्योगों और सभी कार्यस्थलों में कार्यरत लोगों को इसके अन्तर्गत शामिल किया जाये ताकि प्रत्येक कामगार को उपदान का लाभ मिल सके। कामगार से मेरा आशय उससे है जो न्यूनतम मजूरी की परिभाषा के अन्तर्गत आता है। इसे सांविधिक रोजगार तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले कामगारों को भी इसके अन्तर्गत लिया जाना चाहिए। केवल अधिनियम को कायम और उदार बनाने में इन उद्योगों में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी के साथ हम कुछ न्याय कर सकते हैं।

दूसरा मुद्दा 'निरन्तर सेवा' का है। मेरे मित्र ने इसकी खामी का उल्लेख किया है। उन्होंने यह बात बताई है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान उच्चतम न्यायालय के फैसले के कारण बहुत लम्बी अवधि तक काम करने वाले लोगों को नुकसान हुआ है। मुझे खुशी है कि भूतलक्षी प्रभाव से

[श्री वी०के० नायर]

इसे बहाल किया गया है। अब तक जो नुकसान हुआ है उसे पूरा करवाना बहुत कठिन है, कम से कम भविष्य के संशोधित योजना के लागू किए जाने से कामगारों को कुछ लाभ पहुंचेगा। कुछ ऐसे भी उद्योग हैं जिनमें कामगारों को मौसमी उद्योग होने के कारण लगातार काम नहीं मिलता है इनमें व्यवधान पड़ना स्वाभाविक है। मेरा आशय यह है कि किसी भी व्यवसाय अथवा किसी भी उद्योग अथवा किसी भी सेवा में कार्यरत सभी व्यक्तियों तक इस का लाभ पहुंचाने के लिए उद्योगों की परिभाषा और अधिनियम की क्रियान्वित के क्षेत्र को उदारतापूर्वक व्यापक बनाया जाना चाहिए।

धन्यवाद।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने इस सदन में जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है उसका मैं स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं इसको तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। 1982 का यह ऐक्ट है और 1984 में ये संशोधन ला रहे हैं जबकि लेबर मिनिस्ट्री में इस सम्बन्ध में 1980 में ही बैठक हो गई थी लेकिन चार साल के बाद इसको यहां पर प्रस्तुत किया गया है। मैं इस सम्बन्ध में दो-तीन बातें उठाना चाहता हूं।

आज से कुछ दिन पहले रेलवे मिनिस्टर ने इसी सदन में कहा था कि अकेले रेलवे मिनिस्ट्री में दो लाख कैजुअल लेबर हैं। तो एक समस्या है प्राइवेट इण्डस्ट्री की, दूसरी समस्या है कान्ट्रैक्ट लेबर की और तीसरी समस्या उस लेबर की है जो कि गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज की तहत काम करता है। रेलवे कंसल्टेटिव कमेटी में मैं भी था और मैं समझता हूं सभी लोग इस बात को जानते हैं कि रेलवे में जो मजदूर काम करते हैं उनको ग्रैच्युटी एलाउन्स न मिल सके सिर्फ इसीलिए एक सर्टन पीरियड—90 दिन या तीन महीने। काम कराने के बाद उनके नाम बदल दिए जाते है हालांकि काम उन्हीं से लिया जाता रहता है। अगर कंटिनुअसली उनका नाम रहे तो वे ग्रैच्युटी के हकदार हो जायेंगे इसलिए ऐसा कियां जाता है। इसी तरह से एफ० सी० आई० में भी होता है। एफ० सी० आई० में 1977 से ही आन्दोलन चल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : रेल विभाग में मियांभाई रिपोर्ट के अनुसार यदि वे लगातार 240 दिन तक निरन्तर सेवा पूरी कर लें तो उन्हें विभाक में निश्चित रूप से खपाया जाना होता है। मेरे विचार से से श्रम मंत्री यह बात जानते हैं।

श्री राम विलास पासवान : मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि प्रशासन उसे लगातार 240 दिन तक काम नहीं करने देता है। 90 दिन में ही नाम चेंज कर दिया जाता है। एफ०सी०आई० का मामला हम 1977 से लगातार उठा रहे हैं। सरकार वेतन के लिए पैसा देती है, लेकिन ग्रेचुटी के डर के कारण कान्ट्रैक्टर कभी एलाउ नहीं करेगा कि कोई फायदा मजदूरों को मिले। आपके बिल में अच्छी मंशा है कि इसके लिए आपने इंस्पैक्टर बहाल किया है और वह सारी चीजों को देखेगा। आप श्रम मंत्री हैं, आपका जो विभाग है क्या आप ऐसी कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो मजदूर काम कर रहा है, उसको 240 दिन तक कोई बाधा पैदा नहीं की जाएगी। उसके मार्ग में कोई स्थानीय प्रशासन द्वारा बाधा नहीं उठाई जाएगी। इसके लिए क्या आसके पास कोई

योजना है ? प्रत्येक मिनिस्ट्री में मिनिस्टर को मालूम रहता है, अधिकारी को छोड़िए, कि किस विभाग में 90 दिन के बाद नाम चेंज कर दिया जाता है। आप सी०पी०डब्ल्यू०डी० में जाकर देख लिजिए। होर्टिकल्चर विभाग में जाकर देख लीजिए। एक ही मजदूर काम करता है, लेकिन तीन महीने के बाद सर्विस में उसका नाम बदल दिया जाता है। जब कि काम वही व्यक्ति करता है। यह बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, मजदूरों के हित में, आपने संशोधन कर दिया है। 240 की परिभाषा तय कर दी है और अब उसको 190 दिन पर ले आए हैं। इसके लिए सबसे बड़ी चीज यह है कि जो प्राइवेट सैक्टर है या कान्ट्रैक्ट लेबर्रस है, इनको जब तक इस परिधि में नहीं लाया जाएगा, तब तक कोई फायदा इनको पहुंचने वाला नहीं है। लाखों मजदूर फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, खानों में काम कर रहे हैं, ईंट-भट्टों के रूप में काम कर रहे हैं। आप कहेंगे कि इसके लिए फैक्ट्रीज एक्ट बना हुआ है, लेकिन मेरी दृष्टि में वह सफिशियेंट नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर यह सुविधा मजदूरों को मिलनी शुरू हो जाए तो बहुत बड़ा कल्याण होगा। इस पर सरकार को कोई न कोई अंकुश रखना चाहिए और जो मजदूर काम करते हैं, उनके नाम को बदल कर उनकी सर्विस को डिसकन्टीन्यू न किया जाए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में बहुत बड़ी संख्या ऐसे मजदूरों की भी हैं, जो गांवों में काम करते हैं, जिनको खेतिहर मजदूर के नाम से जाना जाता है। जिनका कोई संगठन नहीं है। जिनके लिए आप न्यूनतम मजदूरी लागू करते हैं, लेकिन वह भी उनको नहीं मिलती है। उन गांवों के खेतिहर मजदूरों को जमीदारों की इच्छा पर काम करना पड़ता है। गाँवों में तीन महीने काम रहता है और नौ महीने कोई काम नहीं रहता है। हम लोगों ने अपने समय में फूड-फार वर्क की योजना चलाई थी। इसमें कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। हम चार किलो अनाज दिया करते थे, तो जमीदारों को भी झक मार कर चार किलो अनाज देना पड़ता था। क्योंकि यदि उनको कम दिया गया तो मजदूर सरकार द्वारा चलाई गई योजना के अन्तर्गत काम करना शुरू कर देगा। सरकार के पास इस तरह की कोई योजना है कि खेतिहर मजदूरों का भी संगठन हो या वे भी भलिभांति आगे बढ़ सकें ?

उनके परिवार को भी कुछ बेनिफिट मिले, इस आजाद मुल्क में उनके लिए भी कोई सुनहला अवसर आये—क्या इसके लिए कोई योजना सरकार के पास है ? यदि नहीं है तो क्या सरकार कुछ विचार कर रही है कि जो भूमिहीन मजदूर हैं, खेतिहर मजदूर हैं, उनको कुछ सालाना या मासिक दिया जाय, जो मजदूरी उनको अपने मालिक से या जमींदार से या किसान से मिलती है, उसके अलावा 200 रुपए प्रति माह प्रत्येक मजदूर परिवार को दें जिससे वे अपने लड़के का भरण-पोषण कर सकें, उसको एकजूट कर सकें, अच्छी तालीम दिला कर उसको भी आदमी बना सकें। यह ठीक है कि आपकी इस योजना से कलकारखानों में जो लोग काम करते हैं उनका भविष्य सुहला हो सकता है, लेकिन जो हमारे करोड़ों भाई गाँवों में रहते हैं, खेतिहर मजदूर हैं, जो नौकरी के लोभ में अपने गांवों को छोड़कर दिल्ली का चक्कर लगाते हैं—उनको जब तक कोई इंसेन्टिव नहीं मिलेगा तो निराश हो जायेंगे, उनका कोई भविष्य नहीं रहेगा।

इसलिए जहां मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, आपने जो कदम उठाए हैं उनका स्वागत करता हूं, साथ ही आपसे यह आग्रह करता हूं कि जो प्राईवेट फैक्टरीज में काम करते हैं, जो कान्ट्रैक्ट लेबर हैं, जो आपकी रेलवे और अन्य मिनिस्ट्रीज के अन्दर काम करते हैं—उनकी सेवाओं को 90 दिन के बाद डिसकन्टीन्यू न किया जाय और उनको भी इसके बैनिफिट मिलें तथा गांवों के खेतिहर मजदूरों के लिए आप कोई विधेयक लायें जिसके अन्तर्गत प्रत्येक परिवार को 200 प्रति माह सरकार अपनी तरफ से दें—जिससे उनका भविष्य सुधर सके।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं, क्योंकि इस में मजदूरों के हितों के लिये विचार किया गया है। हालांकि यह विधेयक 1972 में आया था। उस समय से आज तक देश, काल और परिस्थिति के अनुसार जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्य जिस तरह से बढ़े हैं उस को दृष्टि में रखते हुए इस को लाना चाहिये था, लेकिन यह परिस्थिति तब पैदा हुई जब शोलापुर की लक्ष्मी-विष्णु टैक्सटाइल मिल्स और लालप्पा-रंगप्पा तथा अन्य लोगों के मामलों को ले कर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। कुछ जजों ने जो आब्जर्वेशन्ज पास किये उस के अनुसार इस को लाना पड़ा। फिर भी यह स्वागत योग्य है।

लेकिन जहां तक 1972 से अब तक किया है, जब कि प्राइस-लाइन और मूल्य स्तर को देखा जाय तो इन्होंने जो बढ़ाया है, उस में 1000 से बढ़ा कर 1600 रुपये तक किया है; जब कि प्राइस लाइन के अनुसार यह 2775 रुपये तक होना चाहिये। माननीय मंत्री जी यदि इस को बढ़ा कर 2500 रुपये तक वेतन पाने वालों को इस में शामिल कर दें—तो वह सोशलिज्म के सिद्धान्तों के अनुसार होगा। लेकिन इस मसले पर इन्होंने अभी भी यह रख दिया है कि श्रमिक वर्ग फिर से आन्दोलन करे, उन के आन्दोलन करने के बाद ये फिर से कम्प्रीहेन्सिव बिल लायेंगे। लेकिन जरूरत यह थी कि जब एक बार संशोधन हो रहा है तो उस के अनुसार 2500 रुपये तक रखते जिससे सभी मजदूरों को, सभी नियमित कर्मचारियों को इसका लाभ प्राप्त होता।

यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत से खान-कोलियरी और बाग-बगीचों में काम करने वाले जो नियमित और अनियमित कर्मचारी हैं उन लोगों के बारे में कोई खास विचार नहीं किया जाता या उन पर कोई नियन्त्रण नहीं है। मैं विशेष रूप से निजी सैक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये कहना चाहता हूं इसके अन्दर जो नियमित काम करने वाले मजदूर हैं उन को तो किसी तरह से यह उपदान मिल जाता है, लेकिन इस के मिलने की कोई निश्चित अवधि नहीं होती है।

गवर्नमेंट में भी इस तरह के कई उद्यम हैं, जिन को न्याय सही ढंग से नहीं मिलता है। अलीगढ़ गवर्नमेंट प्रेस, जो भारत सरकार का उपक्रम है, वहां पर भी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी या दूसरे नामों से जो यह दी जाती है, डेढ़-डेढ़ वर्ष तक नहीं मिलती है। कई कर्मचारियों की मेरे पास दरख्वास्तें आई हैं और वे घूमते-घूमते हैरान हो जाते हैं और उनको ग्रेच्युटी समय से नहीं मिलती है। इसलिए मेरा कहना यह है कि पेमेंन्ट आफ ग्रेच्युटी के लिए सरकार को एक टाइम फिक्स करना चाहिए। जो आदमी रिटायर हो जाता है या सेवा से मुक्त हो जाता है, तो कितने दिनों के बाद उस को ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए, इस के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है और इस के पेमेंन्ट में डेढ़, दो और ढाई वर्ष तक लग जाते हैं और कर्मचारी दौड़ते-दौड़ते परेशान हो जाते हैं। मेरे पास छः अधिकारी प्रोवीडेंट फंड को मिले और उन्होंने बताया कि दो-ढाई वर्ष से उन की ग्रेच्युटी का मामला किलयर नहीं हुआ है। इस प्रकार की शिकायतें धनबाद से भी मिली हैं जोकि श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र है और जहां पर प्रोवीडेंट फंड कमिश्नर रहता है। यहां तक होता है कि जब कमिश्नर रिटायर होता है, तो उसकी भी वही हालत होती है। अब आप सोचिये कि जब उस के साथ ऐसा हो सकता है, तो अन्य मजदूरों की क्या हालत होगी इसलिए मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि पेमेंन्ट आफ ग्रेच्युटी के लिए या जो अन्य उपादान हैं, उन के भुगतान के लिए एक

निश्चित अवधि होनी चाहिए। रिटायर होने के बाद दो महीने, तीन महीने में पेमेंन्ट हो जना चाहिए और मैं यह समझता हूं कि 3 महीने की मैक्सीमम लिमिट इस के लिए रखनी चाहिए। आप यह सोचिये कि जब सरकार के अन्दर ऐसी अन्धेरगर्दी चलेगी, तो प्राइवेट लोगों के साथ क्या होता होगा। इसलिए मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसके पेमेंन्ट के लिए कोई टाइम फैक्टर होना चाहिए क्योंकि इस बिल में इस के बारे में कोई प्राविजन नहीं है। भुगतान का समय निश्चित होना चाहिए ताकि संबंधित अधिकारी को भ्रष्टाचार करने का अवसर न मिले क्योंकि बार-बार जब लोग घूमते हैं, तो वे उन से कहते हैं कि आप हमें इतना परसैन्ट दो, तब ग्रेच्युटी का पेमेंन्ट होगा। जब तीन महीने का समय निश्चित हो जाएगा, तो कम्पलसरीली उन को इतनी अवधि के अन्दर पेमेन्ट करना पड़ेगा। मंत्री जी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि कर्मचारियों को इस मामले में राहत मिले।

मैं आप का अधिक समय न लेते हुए यही कहना चाहता था कि टाइम लिमिट फिक्स होना चाहिए और निश्चित अवधि के अन्दर पेमेन्ट होना चाहिए।

दूसरी बात जैसा कि रामविलास पासवान जी ने कहा है कि प्राइवेट कम्पनियों में जो लोग काम करते हैं, उन की बहुत सी शिकायतें मेरे पास भी आई हैं कि उनके नाम चेन्ज करते रहते हैं और इस कारण से नियमित नहीं होते और मौसमी मजदूरों यानी सीजनल लेबर की तरह से वे काम करते हैं। इस के लिए मेरा सुझाव यह है कि जब भी प्राइवेट सैक्टर में कोई आदमी काम पर लगे, जिस तो दिन से वह उस उद्योग में लगा है, उस को एक आइडेंटीफिकेशन कार्ड इशू होना चाहिए और यह कार्ड लेबर सुपरिन्टेन्डेंट या ऐसे ही किसी अधिकारी द्वारा इशू किया जा सकता है ताकि उसके जो अधिकार हैं, उनका हनन न हो सके। नाम बदल दिया जाता है हालांकि वही आदमी काम करता है और इस तरह से उसका जो ग्रेच्युटी का पैसा होता है, उस को वे हजम कर जाते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम लाल राही (मिसरिख): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो उपादान संदाय (संशोधन) विधेयक है, इस के दो खंड हैं और यह ग्रेच्युटी के सम्बन्ध में है।

माननीय मंत्री जी को लगभग सभी सदस्यों ने धन्यवाद दिया है कि वे ऐसा बिल लाए हालांकि वे देर से यह बिल लाए पर देर आयद दुरूस्त आयद। मैं भी इन को इस के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन मंत्री जी जब जवाब देगें तो खुद खेद व्यक्त करेंगे अपनी सरकार की नीति के प्रति क्योंकि सन् 1980 में जब ग्रेच्युटी इत्यादि के सम्बन्ध में इस की बैठकें हुई, श्रम मंत्रियों की। यह निर्णय लिया गया कि ग्रेच्युटी के संबंध में कोई विधेयक लाया जाए। तो चार साल के बाद यह विधेयक लाना, इससे पता लगता है कि सरकार की नीति मजदूरों के प्रति कैसी है?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश के जितने संगठित मजदूर हैं कल-कारखानों में उनकी बात तो सरकार को सुननी ही पड़ती हे। तालाबन्दी हो जाती है, इन्कलाब जिंदाबाद हो

(श्री राम लाल राही)

जाता है। लेकिन जब तक गोली-लाठी न चले तब तक सरकार किसी की बात सुनती नहीं है। लेकिन इस देश में 80 फीसदी किसान हैं और उसमें कम से कम 20 फीसदी खेतिहार मजदूर हैं। आपने मिनिमम वेजेज का कानून बनाया है। 13 अप्रैल, 1984 को एक प्रश्न के उत्तर में आपने बताया है, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, बहुत समय लग जाएगा, इसमें आपने राज्यवार ब्यौरा दिया है कि राज्यों में हम यह निम्तम मजदूरी दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जब आप जवाब दें तो सीने पर हाथ रखकर इस बात का भी जवाब दें कि क्या आपने यह जवाब ईमानदारी से दिया है। या फिर यह कह देना कि जैसे सरकार चलती है वैसा ही जवाब दे दिया है। मैं बताना चाहता हूं कि राय-बरेलो जहां से प्रधान मंत्री जी आती हैं वहां पर खेतिहर मजदूर को दो-तीन रुपए से ज्यादा मजदूरी नहीं ही जाती।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मेडक में।

श्री रामलाल राही : मेडक का तो मैं नहीं कह सकता। मैं उत्तर प्रदेश की बात बता सकता हूं। मेरे क्षेत्र में महमूदाबाद, मिसरिख तहसीलों में दो—तीन रुपए से ज्यादा मजजूरी नहीं दी जाती। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे दो मंत्रियों के हैं। **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : यह गलत है।

(व्यवधान)

श्री रामलाल राही : जिस सरकार ने 8 रुपए मजदूरी निर्धारित की है उसी सरकार के प्रधानमन्त्री के क्षेत्र में दो रुपए से तीन रुपए मजदूरी प्रतिदिन लेकर मजदूर काम कर रहे हैं। यह अत्यन्त दुखद है।

यह बिल जो मंत्री महोदय ने पेश किया है, इसके लिए सब ने प्रसन्नता व्यक्त की है। सब ने कहा कि मजदूरों के हित में यह बिल लाया गया है। मैं भी कहता हूं, लेकिन सन 1972 में कानून बना था मजदूरों के हित में ग्रेच्युटी का लेकिन क्या उस पर अमल ईमानदारी से हुआ है? क्या अमल नहीं होने पर न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है? जब लोग न्यायालय में गए, तब आप संशोधन ला रहे हैं। आप, अच्छे-अच्छे कानून बनाइए लेकिन इन कानूनों पर अमल कैसे होगा, क्या इस पर आपने कभी विचार किया है। जो कानून बनते हैं, ऐसा लगता है कि रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं। कानून वह जो बड़े-बड़े उद्योगपतियों के रक्षक हैं जहां उनको टैक्स की चोरी करने का अवसर मिलता है। जहां पर मुनाफा कमाने के अधिक अवसर मिल जाते हैं, तब ऐसे कानूनों पर अच्छी तरह से अमल होता है। मुझे याद है, 1980 में जब सरकार बनी थी और यहां पर वित्त मन्त्री जी ने बजट पेश किया था तो उस ससय यह कहा था कि अमुक-अमुक चीजों पर इतनी एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है। इसके मायने यह थे कि जो चीजें उसी मूल्य में बिक रही थीं, उनके दाम कम होने चाहिए थे। लेकिन क्या प्रधान मन्त्री जी, वित्त मन्त्री जी और श्रम मन्त्री जी ने इस बात का जायजा लिया कि मूल्य घटे या बढ़े? कल भी इसीलिए मैंने 377 के अन्तर्गत स्टेटमेंट दिया था। आज फिर कहना चाहता हूं कि इस देश में गरीब की मजदूरी व ग्रेच्युटी देने के लिए कानून तो अच्छा बना रहे हैं लेकिन आपकी नीयत साफ नहीं है। इसीलिए अमल नहीं हो पा रहा

है। आपका जो प्रशासन इसको लागू करने का काम करता है, उस पर कड़ाई से निगरानी कीजिए ताकि गरीब का हित अन्यथा उसका हित है होना संभव नहीं है। हमारे यहां सीतापुर में लक्ष्मी शुगर मिल है जिसको सरकार चला रही है। टेकओवर कर लिया है। मजदूरी आपने आठ रुपए निर्धारित किए हैं परन्तु मजदूर को सात रुपए दिए जाते हैं। रामविलास जी ने भी कहा और मैं भी कहना चाहता हूं कि सी० पी० डब्लयू० डी० हार्टिकल्चर, और सूचना मन्त्रालय के अन्तर्गत टी०वी०, रेडियो में हजारों की तादाद में लेबर व केजुअल आर्टिस्ट काम करते हैं। इन सबको निर्धारित मजदूरी नहीं मिलती है। एक-दो महीना काम करने के बाद चार-पांच दिन के लिए बैठा दिया जाता है। आपने कहा है कि 240 दिन जिनके हो जायेंगे, उनको इसका लाभ मिलेगा। जो अधिकारी 240 दिन पूरे नहीं होने देते और दो महीने या 45 दिन काम करने के बाद ही बैठा देते हैं और दो महीने के बाद पुनः लगाते हैं या मजदूर का नाम बदल देते हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कोई एक्शन, शिकायत मिलने पर लिया जाता है? नहीं लिया जाता, यह मुझे मालूम है। सरकारी विभागों में यह हाल है और सरकार की नीयत खराब है। इसलिए तो इंदिरा गांधी के क्षेत्र में रहने वाले किसान या गरीब मजदूर को दो-तीन रुपए दिए जाते हैं तो कोई पाप नहीं है। हमारे क्षेत्र में भी ऐसी हालत है। बड़े मन्त्री जी इस समय चले गए हैं लेकिन छोटे मन्त्री जी बैठे हुए हैं। जिस वर्ग से छोटे मन्त्री जी आते हैं, मैं भी उसी वर्ग से आता हूं। इनकी और हमारे वर्ग के 80 फीसदी मजदूर किसी संगठित असंगठित प्रतिष्ठान या किसी खेत में काम करते हैं, लेकिन हम तो यहां पर बैठे हुए हैं। हम यहां पर बैठे हैं, वाहवाही जरूर लूट रहे होंगे कि हम संसद-सदस्य बन गए, हम मन्त्री हो गए, लेकिन हम इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस सरकार में आप बैठे हैं, सरकार भी कुछ नहीं कर पर रही है। आप उनके लिए कुछ करिए। जितने आप ने उनके लिए कानून बनाये हैं, उर पर अमल हो और ऐसी स्थिति पैदा की जाए कि उनके हित की बात हो। यदि आप ऐसी स्थिति पैदा नहीं कर सकते तो सरकार छोड़ दीजिए, आपको वाहवाही मिलेगी नहीं तो लोग कहेंगे कि सरकार में भी बैठे और काम भी कुछ नहीं किया। मैं फिर से मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप जो बिल लाये हैं, वह मजदूरों के हित में हैं, लेकिन 1972 से आज तक कोई अमल नहीं हुआ। आप आज यह प्रतिज्ञा कीजिए कि जो संशोधन आप लाये हैं, उन पर सच्चे मानों में अमल होगा और उससे किसी भी तरह से मजदूरों का अहित नहीं हो पाएगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, पेयमैंट आफ ग्रेच्युटी (अमेंडमेंट) बिल, 1982 तथा पेयमैंट आफ ग्रेच्युटी (अमेंडमेंट) बिल, 1984, दो बिल सरकार ने इस सदन में प्रस्तुत किए हैं। दोनों ही स्वागतयोग्य हैं। पहले 1982 वाले बिल में 1600 रुपये तनख्वाह तक पाने वाले मजदूरों को कवर किया गया है, जब कि यह लिमिट पहले कम थी। इसको बढ़ाने से अब ज्यादा तादाद में मजदूर इसकी परिधि में आ जाएंगे तथा पहले से ज्यादा लोगों को ग्रेच्युटी मिल सकेगी जो निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। दूसरे बिल में जो मैनेजीरियल कैपेसिटी में रहने वाले व्यक्ति उसके प्रावधानों में शामिल नहीं होते थे, अब इस बिल के द्वारा जिनको 1600 रुपये माहवार तक तनख्वाह मिलती है, चाहे वे मैनेजीरियल कैपेसिटी में ही क्यों न हों, इसके प्रावधानों में

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

सम्मिलित कर लिए गए हैं, जब कि वे पहले भी मजदूरों की श्रेणी में ही आते थे। इस कदम की भी मैं सराहना करता हूं। तीसरे, ग्रेच्युटी की पेयमेंट के सम्बन्ध में बड़े लोग अक्सर बाधाएं और विपदाएं डाला करते थे कि कैसे उसको गिना जाए, साल में 14 या 15 दिन कैसे बनाए जाएं अथवा कैसे मजदूर को फायदा न हो सके। अब वर्तमान प्रावधान के अनुसार एक साल में 15 दिनों की पेयमेंट सुनिश्चित हो जाने से यह मसला हल हो जाता है। अब मंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि पूंजीपति लोग अनुचित लाभ नहीं उठा सकेंगे और यह भी स्वागत-योग्य कदम है। इससे सारी व्यवस्था सुचारू रूप से हो चल सकेगी। लेकिन जैसा हमने पहले भी कई दफा कहा है, हमारे वर्मा जी ने भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया, उसमें यह कहा गया है कि लगातार 5 साल तक काम करने पर ग्रेच्युटी दी जाएगी जबकि पहले व्यवस्था के अनुसार एक साल में यदि वह 240 दिन पूरे कर लेता है तो उसके बाद लगातार उसको ग्रेच्युटी मिलती रहेगी। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण अव्यवस्था पैदा हो गई थी और 1984 वाले बिल में जिस तरह से प्रावधान किया गया है, उससे निश्चय ही लाखों मजदूरों को लाभ होगा। क्योंकि जैसा आप जानते हैं, मैं बड़े शहरों की बात तो नहीं करता, वहां लोगों को बराबर काम मिलता रहता है और वे उसी में लगे रहते हैं, मगर छोटे-छोटे टाउन्स में तथा एग्रीकल्चर क्षेत्र के नजदीक पड़ने वाले स्थानों पर ऐसे मजदूर ज्यादा हैं जो खेती का काम तो करते ही हैं, साथ में मजदूरी भी करते हैं। इस कारण बहुत सारे लोग 240 दिन साल में लगातार काम नहीं कर पाते थे और ग्रेच्युटी से वंचित रह जाते थे। अब किए गए प्रावधान के अनुसार, पहले साल 240 दिन, उससे अगले साल 190 दिन और जिन अस्थाई कामों पर, जहां 6 महीने काम चलता हो, यदि उनमें भी 75 परसैंट उसको अटैंड़ैंस रही हो तो वह ग्रेच्युटी का हकदार बन जाता है। इससे निश्चय ही लाखों मजदूरों को लाभ होगा। यह व्यवस्था सरकार को पहले ही करनी चाहिए थी, क्यों कि इससे मजदूरों को काफी नुकसान हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि यह लेबर से सम्बन्धित बिल है, हम उनको आज भी प्राथमिकता नहीं देते, पार्लियामेंट भी प्राथमिकता नहीं देती और लेबर विभाग भी उसमें विशेष दिलचस्पी नहीं लेता क्यों कि हमारे यहां लेबर सबसे पिछड़ा वर्ग माना जाता है। और उसके बारे में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता जिसके कारण सारी व्यवस्था में गड़बड़ पैदा हो जाती है।

1982 में प्रस्तुत किया हुआ बिल आज यहां सदन में आया है इसी से मालूम होता है कि लेबर से संबंधित कानूनों को क्या प्रायरिटी दी जाती है। लाखों मजदूर जो सुपरऐन्यूएशन में आ गये हैं उनको ग्रेच्युटी नही मिल रही है। बहुत से पूंजीपति ग्रेच्युटी देना ही नहीं चाहते। क्या आपने इसके लिए कोई पीनल प्रौवीजन लगाया है जिससे ऐसे डीफाल्टर पूंजीपतियों को सजा मिल सके। ? हमारे यहां मेवाड़ टैक्सटाइल में 25, 30 आदमी ऐसे हैं जो साल भर से ग्रैचुटी के लिए परेशान हैं, उसका पेमेन्ट नहीं किया गया है। हमने भी इस बारे में लिखा, राजस्थान के श्रम विभाग को लिखा, मन्त्री जी, आपको भी लिखा कि ग्रैचुटी का पेमेन्ट नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ कार्यवाही नहीं हुई। जो आदमी रिटायर हो गया उसको पेंशन न मिले और समय पर ग्रेचुटी भी न मिले तो उसका कैसे काम चलेगा ? लोगों को प्रोवीडेंट फंड की रसीदें नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से वह अपने फंड से पैसा नहीं ले सकते। खानों के अन्दर मजदूरों द्वारा प्रौवीडेंट फंड में 10-10 साल से जमा की हुई राशि की आज तक रसीदें नहीं मिली हैं इही तरह से मेवाड़ टैक्सटाइल

मिल में पैसा जमा नहीं होता, और अगर जमा होता है तो रसीद नहीं मिलतीं। मिल मालिक मजदूरों के प्रौवीडेंट फंड का 30,40 लाख रु० खा गया। उसके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। उल्टे उसको आपने 3-4 करोड़ रु० और दे दिया। आप मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले हैं इसलिए ऐसे मालिकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें ताकि मजदूरों का प्रौवीडेंट फंड का पैसा न खा सकें। ई० एस० आई० में 20 रु० मजदूर देता है और 30 रु० मालिक का कंट्रीब्यूशन होता है। इसका भी 5, 10 लाख रु० मिल मालिक खा गया, सरकार के पास जमा नहीं किया जिसकी वजह से मजदूरों को दवाई नहीं मिल रही है। डिस्पेंसरी में दवाई नहीं है, अगर बाजार से खरीदें तो उसका कोई पेमेन्ट करने वाला नहीं है। कोई भी सुविधा मजदूरों को नही मिल पा रही है। आपका श्रम विभाग क्या काम करता है केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा। कानून में जो सुविधायें मजदूरों को दी हैं वह उनको मिल सकें तो अच्छा रहेगा। इस तरह जो मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है हमें आशा है कि श्रम मंत्री होने के नाते आप उस अन्याय को दूर करेंगे।

मन्त्री जी आपको इसलिए मैं फिर दोहरा दूं कि मेवाड़ टैक्सटाइल मिल का मालिक प्रौवीडेंट फंड का लाखों रु० खा गया, ई०एस० आई० का पैसा खा गया, मजदूरों को दवायें नहीं मिलती हैं। मजदूरों को ग्रैचुटी साल, साल भर में नहीं मिलती है। उसके बाद भी उनको पेमेंट नहीं होता है। वहां इस प्रकार के हालात है, उनको कोई देखने वाला नहीं है।

प्रोवीडेंट फंड की रसीद नहीं मिलती है, कर्जा नहीं मिलता है जिसकी वजह से सारी समस्याएं हैं जो कि हल होनी चाहियें। मजदूरों को जो सहूलियतें मिलती हैं, ग्रैच्यूटी भी एक सहूलियत है। इसके अलावा मजदूरों का पैसा काटकर जो सहूलियतें मिलती हैं, उन्हें वह भी उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए यह भी मजदूरों को समय पर दिलाने की आप कोशिश करें।

लेबर डिपार्टमेंट का काम लेबर के हित में काम करना है न कि पूंजीपतियों के हित में करना है। डिपार्टमेंट को पूंजीपतियों से पैसा वसूल करना चाहिए और अगर नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाहीं करनी चाहिए और मजदूरों को मिलने वाली सहूलियतें दिलवानी चाहियें। जिससे वह आपकी जय बोलें और इंदिरा गांधी जी की जय बोलें, वरना आज लोगबाग आपको भी गालियां देते हैं, हमको भी गालियां देते हैं। इस सारी व्यवस्था को आप ठीक कीजिए।

आप बिल अच्छा लाये हैं, इससे मजदूरों को फायदा मिलेगा। मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन मजदूरों की कठिनाइयों को निश्चित तरीके से दूर करने की कोशिश कीजिये।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, सभा इस बारे में भ्रमित है कि संयुक्त रूप से दोनों विधेयक श्रमिकों के लिए काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। इसके विपरीत जिस प्रकार से ये विधेयक लाए गए हैं, उससे श्रमिकों के प्रति सरकार के अत्यन्त दुःखद और दुर्भाग्यशाली रवैये का पता चलता है।

2.01 म०प०

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

सभा के लिए श्रमिकों को लाभ दिया जाना एक गैर-मुद्दा बन गया है और इसलिए अब श्रम संबंधी कानूनों को सबसे कम तरजीह दी जा रही है। यह पहला अवसर है, जब मुझे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है कि हम दो संशोधन विधेयकों पर एक साथ चर्चा करेंगे, जिनमें से एक विधेयक वर्ष 1982 का है और दूसरा वर्ष 1984 का। वर्ष 1982 के विधेयक का आधार 1980 का श्रम सम्मेलन है और वर्ष 1984 का विधेयक वर्ष 1981 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण अस्तित्व में आया। श्रमिकों के हितों के बारे में वर्तमान सरकार के यह शीघ्रता दिखाई है कि उसने इन दो छोटे विधेयकों का अब यहां पेश किया है।

उपदान श्रमिकों को खैरात में दी जाने वाली कोई वस्तु नहीं है। यह श्रमिकों का ही बकाया होता है, यह नियोक्ता द्वारा अपने उन कर्मचारियों का आभार प्रकट करना है। जिन्होंने उसकी सेवा की है। यदि हम इस सभा में हुए वर्ष 1972 में मूल विधेयक के वाद-विवाद की ओर ध्यान दें, तो हमें पता चलेगा कि सदस्यों ने मूल विधेयक की कुछ सीमाओं की ओर संकेत किया था। उस विधेयक पर कार्रवाई करने वाली प्रवर समिति ने भी इसकी कुछ सीमाओं की ओर इशारा किया था। हमें यह आशा थी कि नये विधेयक में, जो एक व्यापक विधेयक के रूप में होगा, उन सीमाओं की ओर ध्यान जाएगा कम से कम कुछ प्रमुख सीमाओं को तो दुरुस्त किया ही जायेगा। मूल विधेयक की प्रमुख सीमाएं क्या हैं? पहली बात तो यह है कि इसका विस्तार और बढ़ाया जाना चाहिए था। भारतीय श्रमिक वर्ग कोई संगठित श्रमिक वर्ग नहीं है। सदस्य मंत्री महोदय की प्रशंसा कर रहे हैं। उन्हें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि मंत्री जी ने सीमा क्षेत्र को 1000/- रु० से बढ़ाकर 1600/- रुपये तक करके एक बहुत बडा कार्य किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस वर्ग के अन्तर्गत भारतीय श्रमिक वर्ग का कितने प्रतिशत भाग आता है? कितने प्रतिशत? क्या सभी कानून केवल उनके लिए बने हैं? महोदय, राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को छोड़कर सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में संगठित श्रमिक वर्ग, में 50 से 60 लाख से अधिक श्रमिक नहीं होंगे। यह मेरी अपनी गणना है। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों तथा कर्मचारियों की कुल संख्या 220 लाख या 230 लाख होगी। तथा संगठित क्षेत्र के उन श्रमिकों की संख्या, जिनके लिए ये उपदान विधेयक आदि लागू हैं, 55 से 60 लाख से अधिक नहीं होंगी, अर्थात् एक करोड़ से कम ही होंगे। लेकिन वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार भारत में श्रमिकों की संख्या लगभग 20-25 करोड़ है। अतः महोदय, संगठित क्षेत्र में कुल कर्मचारियों और श्रमिकों की संख्या देश के कुल श्रमिक बल का दसवां भाग है। इसलिए, मुद्दा यह नहीं है। मंत्री महोदय ने सीमा क्षेत्र को 1000/- रुपये से बढ़ाकर 1600/- रुपये कर दिया है। मैं इसका,विरोध नहीं कर रहा हूं। इसका कोई खास महत्व नहीं है। मुद्दा तो यह है कि उपदान अधिनियम का लाभ उन लोगों तक कैसे पहुंचाया जाये जिनका वेतन 300/- रुपये से कम है, 1000/- रुपये की बात छोड़िए। हमारे देश में औसत श्रमिक मजदूरी 300/- रुपये से कम है अर्थात् प्रतिदिन 10/- रुपये। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन लोगों के लाभ के लिए, जो खेतों में काम काम करते हैं जो सड़कें बनाते हैं, मकान बनाते हैं, जो आकस्मिक श्रमिक हैं, मिस्त्री आदि हैं, आप इस उपदान अधिनियम में क्या

व्यवस्था कर रहे हैं ? आप उन लोगों को कैसे लाभ पहुंचा रहे हैं। क्या आपके पूरे विधेयक में इस प्रकार की कोई व्यवस्था है ? महोदय, आपने एक मामूली सी रियायत दी है। दुकानों और संस्थापनों आदि, जिनमें दस से कम लोग काम करते हैं, पर भी उपदान अधिनियम लागू होगा। लेकिन स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया है कि क्या उन लोगों पर भी लागू हो सकता है, जो ग्रामीण पुर्न-निर्माण के काम में लगे हुए हैं, जो कृषि मजदूर हैं, जो सड़क बनाने वाले हैं तथा जो निर्माण कार्य आदि में लगे हुए श्रमिक हैं। आपने उनके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी प्रमुख सीमाएं क्या हैं, जिनके बारे में अनेक सदस्यों ने वर्ष 1972 के वाद-विवाद में भी संकेत दिया था ?

उपदान के लिए श्रमिक को पात्र बनाने संबंधी 5 वर्ष की निरन्तर सेवा वाली आपकी शर्त असंगठित क्षेत्र को इसकी सीमा से बाहर रखेगी। आपको कुछ नियम बनाने चाहिए। यह बात मैं सपाट रूप से नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहना बहुत सरल है, लेकिन इस दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि 5 वर्ष की निरन्तर सेवा वाली वह विशेष सीमा, जो लोगों को उपदान का पात्र बनाती है, कहीं कठोर शर्त न बन जाए।

दूसरी बात यह है कि आप इस निरन्तर सेवा की परिभाषा किस प्रकार से की जायेगी। इस सम्बन्ध में आपके विधेयक में कुछ नहीं कहा गया है। इस बारे में आप एकदम अस्पष्ट हैं। श्री डागा ने यह सही कहा है कि आपके कानून में आपके उद्देश्य के दर्शन नहीं होते हैं। विधेयक के पाठ में आप कहते हैं कि आपने यह रियायत दी है। मान लीजिए, कोई बीमार है, बीमारी की छुट्टी तथा अन्य बातें सेवा की निरन्तरता मिलने में हिसाब में नहीं ली जानी चाहिए। या उन्हें आपके वास्तविक कार्य-दिवसों की गणना करते हुए उनको शामिल कर लिया जायेगा। यही रियायत है केवल। लेकिन आपने हडतालों, तालाबन्दी तथा अन्य बातों के बारे में भी कहा है, जिनके लिए कर्मचारी जिम्मेदार नहीं होते। इस बात का कौन निर्णय करेगा कि क्या हड़ताल और तालाबन्दी उचित थी ? वहां आपने कहा है कि इसे शामिल नहीं किया जाएगा। हडतालों, तालाबन्दी, बन्द किए जाने आदि के कारण यदि वे 240 दिन की सेवा पूरी नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें उपदान से वंचित कर दिया जाएगा। आपका अधिनियम यह कहता है। इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपको स्मरण कराता हूं कि वर्ष 1972 में उपदान अधिनियम के बारे में आपने वाद-विवाद का श्री-गणेश किया था। आपने उस समय ठीक ही न्यायमूर्ति गजेन्द्र गडकर के उस निर्णय का हवाला दिया था। जो श्रमिकों को ऐसी हालत में उपदान के अयोग्य ठहराने संबंधी था, जब कथित दुर्व्यवहार के कारण श्रमिक की सेवा समाप्त कर दी गई हो। इस बात का कौन निर्णय करेगा कि कर्मचारी की सेवा उचित आधार पर अथवा अनुचित आधार पर समाप्त की गई हैं ? यह पूर्णतः प्रबन्धकों के ऊपर निर्भर करता है। इसके लिए, क्या उसे उपदान के रूप में उसके द्वारा अर्जित आय से वंचित रखा जाना चाहिए ? इसका अर्थ तो यह हुआ कि उसे दोहरा नुकसान होगा; अर्थात् एक तरफ तो रोजगार का नुकसान और दूसरे उपदान का नुकसान। यदि हम यह स्वीकार भी कर लें कि किसी कर्मचारी ने कोई गलती की है, तो क्या उसके द्वारा आज की गई गलती के कारण, उसे पहले की गई सेवा के लिए उपदान के अधिकार से वंचित रखा जाना चाहिए ?

(श्री ए० के० राय)

वर्ष 1961 में न्यायमूर्ति गजेन्द्रगडकर द्वारा दिया गया निर्णय हमारे सामने है। कर्मचारी द्वारा लम्बी और बढ़िया सेवा के बदले में उपदान अर्जित किया जाता है। यह समझना मुश्किल है कि लम्बी और बढ़िया सेवा के लिए अर्जित यह लाभ उस कर्मचारी को क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, जो ऐसी सेवा के अन्त के अपने दुर्व्यवहार के दोष के कारण बर्खास्त हुआ हो।

कर्मचारियों को उपदान खैरात के रूप में या वरदान के रूप में नहीं दिया जाता है। उसके द्वारा नियोक्ता की सेवा के लिए उसको इसका भुगतान किया जाता है। यह समझना मुश्किल है जब वह एक बार इसका अर्जन कर लेता है तो उसे इससे वंचित क्यों किया जाए भले ही उसका दुर्व्यव्हार जिससे उसकी बर्खास्ती हो, किसी भी प्रकार का हो।

लेकिन आपके संशोधन में केवल यह बात कही गई है कि "आंशिक तौर पर और पूर्णत:"। उस खंड विशेष को हटाया जाना चाहिए। उसका वास्तव में तात्पर्य है, स्वाभाविक न्याय से वंचित किया जाना। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है। आपने इसमें नाममात्री का संशोधन किया है और कहा है कि यह पूर्ण अथवा आंशिक है।

इसमें अन्य महत्वपूर्ण बातें भी हैं। उनमें से एक उसके क्षेत्राधिकार के बारे में है। दूसरी उपदान से वंचित करने के बारे में है। इसमें उपदान के भुगतान में विलम्ब के संबंध में विचार किया जाना जाहिए। जो नियम आपने बनाए हैं उनमें इसकी प्रावधान होना चाहिए। नियम हैं और उन नियमों में बातों के उलझाये जाने की बहुत अधिक संभावना है। मुश्किल से ही, ऐसा कोई कर्मचारी होगा, चाहे वह गैर-सरकारों क्षेत्र में कार्य कर रहा हो अथवा सरकारी क्षेत्र में, जिसे समय से उपदान मिलता है। नियमों में इस बात का प्रावधान होना चाहिए कि एक निर्धारित समय विशेष के भीतर इसका भुगतान किया जाना चाहिए। यदि उस निर्धारित समय विशेष में उपदान का भुगतान नहीं किया जाता है तो कुछ जुर्माने की व्यवस्था की जानी चाहिए। उस पर ब्याज की दाण्डिक दर लगायी जानी चाहिए और कर्मचारियों को उसका भुगतान किया जाना चाहिए। जब तक इस प्रकार का प्रावधान नहीं किया जाता तब तक आप कर्मचारियों को समय पर उपदान के भुगतान को सुनिश्चित नहीं कर लकते। भुगतान में विलम्ब के लिए उनसे 9 प्रतिशत अथवा 10 प्रतिशत अथवा जो भी दर हो, ब्याज का भुगतान करने के लिए कहा जाए ताकि उपदान के भुगतान में विलम्ब करने से वे भयभीत हों। क्योंकि लोगों को वृद्धावस्था में उपदान मिलता है, अत: उस अवस्था में वे जल्दी से भुगतान प्राप्त करने के लिए आप पर दबाव डालने की स्थिति में नहीं होते। इसलिए, वृद्ध लोगों, अशक्त लोगों के प्रति आपको अत्यन्त उदार होना चाहिए और इसमें विलम्ब को क्षमा नहीं किया जाना चाहिए।

आपने मजदूरों के दुर्व्यव्हार के बारे में उल्लेख किया है जिसके कारण उन्हें उपदान से वंचित किया जा सकता है। नियोक्ताओं के दुर्व्यवहार के बारे में आपने क्या किया है? उसके लिए आपने क्या प्रावधान किया है? उनके लिए केवल तीन महीने की सजा अथवा 1000 रुपए का जुर्माना है। क्या इसे नियोक्ताओं के विरुद्ध कोई कठोर उपाय कहा जा सकता है? इसे 3 महीने

की सजा और 1000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसमें 'अथवा' के स्थान पर 'और' शब्द होना चाहिए।

इस प्रकार इन बातों को ठीक किया जाना चाहिए। यद्यपि मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं करता, इन विधेयक को एक चयन समिति के पास भेजा जाना चाहिए था और उससे दो या तीन महीनों में अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा जाना चाहिए था ताकि वे कुछ अत्यन्त व्यापक सकें और जो बातें लोगों के मस्तिष्क को उद्वेलित कर रही है उन्हें ठीक से इस विधेयक में शामिल सुझाव दे किया गया होता, और वास्तव में एक लाभकारी विधेयक पेश किया जा सकता।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : आनरेबल चेयरमैन साहब, यह बिल जो इस वक्त हाउस के सामने लाया गया है, बल्कि दो बिल हैं—पेमेन्ट आफ ग्रैच्युटी (अमेंडमेन्ट) बिल, 1982 और पेमेन्ट आफ ग्रैच्युटी (अमेन्डमेन्ट) बिल, 1984—इनमें जो भी कन्सेशन्स दिए गए हैं उनका तो मैं स्वागत करूंगा। जहां पहले 1000 रुपए की आमदनी की हद मुकर्रर थी पर मंथ उसको बढ़ाकर 1600 कर दिया गया है और साथ ही साथ पहले के ऐक्ट में जो कमियां रह गई थीं उनकी भी वजाहत की गई है; पेमेन्ट आफ ग्रैच्युटी ऐक्ट, 1972 की कमियों को दूर करने के लिए कदम भी उठाए गए हैं। इसमें वाजय किया गया है कि कटिनुअस सर्विस में जो माइन्स में काम करने वाले लोग हैं या इसी किस्म के जो दूसरे इस्टैनलिशमेन्ट हैं जहां वर्किंग डेज 6 दिन हैं उनके लिए 190 दिन मुकर्रर किए गए हैं। बाकी केसेज में 240 डेज मुकर्रर किए गए हैं और इसी से बाकी इस्टैबलिशमेन्ट्स में 120 डेज मुकर्रर किए गए हैं जोकि एक बहुत अच्छी बात है और इसका स्वागत होना चाहिए।

लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। जो पेमेन्ट आफ ग्रैच्युटी ऐक्ट, 1972 है उसके आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में यह बात कही गई है कि यह फैक्टरीज, माईन्स, आयल फील्ड्स, प्लांटेशन्स, पोर्ट्स, रेलवे, दूसरे किस्म के कारखानों और शाप्स के सिलसिले में बनाया गया और फिर यह भी कहा गया है।

> "यह मामला जुलाई, 1980 में आयोजित किए गए श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा के लिए आया और सम्मेलन ने भी कुछ सिफारिशें की थीं।"

सवाल यह पैदा होता है कि दस साल तक सरकार कहां थी। 1972 में जो ग्रैच्युटी ऐक्ट बना उसकी हर रेशमेंडेशन के लिए मजदूरों ने आवाजें उठाईं, हर तरफ से इस सिलसिले में सरकार की तवज्जह दिलाई गई फिर ऐसा क्यों हुआ कि दस साल तक सरकार ने कोई हरकत नहीं दिखाई?

हालांकि सरकार का दावा है कि सरकार मजदूरों के लिए काम कर रही है। जुलाई, 1980 में लेबर मिनिस्टर कान्फ्रेंस हुई, जिनमें कुछ रिकमेंडेशन्स पास हुईं, 1980 से 1984 तक चार साल और गुजर गए, अब 1984 में इस एक्ट को पास कर रहे हैं। मैं इस बात को कहे बिना नहीं रह सकता कि सरकार ने खास तौर से श्रम- मंत्रालय ने कोताही का सबूत दिया है। इससे जाहिर होता है कि मजदूरों के साथ जो हमदर्दी करनी चाहिए थी और पसमांदा लोगों के लिए

(श्री अब्दुल रसीद काबुली)

सरकार को जो कदम उठाने चाहिए थे, उसमें सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिया है। इसके लिए मुझे बड़ा दुख हो रहा है। इस के साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि मजदूरों के लिए सिर्फ लिखा-पढ़ी या बिल बनाने से मसायल हल नहीं होंगे। मेरे ख्याल से करीब एक करोड़ मजदूर इस कानून की गिरफ्त में आयेंगे। फाइनेंशियल मैमोरेंडम में बताया गया है सैन्ट्रल इन्डस्ट्रियल रिलेशन्स मशीनरी का फायदा उठा कर कानून को इम्पलीमेंट करने के लिए इन्स्पैक्टर्स नियुक्त किए जायेंगे। जिन पर रिकरिंग एक्सपैंडिचर 18 लाख के करीब होगा और नान-रिकरिंग एक्सपैंडिएर दो लाख रुपए के करीब होगा। इस रकम से तकरीबन एक करोड़ मजदूरों के लिए काम किया जा रहा है। जिनको इस कानून की गिरफत में लाया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं इतनी थोड़ी सी रकम से किस हद तक इन्स्पैक्टर्स अपनी ड्यूटी को अन्जाम दे पाएगा। यह इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम है। सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि पब्लिक सैक्टर में सबसे ज्यादा धांधली है, सबसे ज्यादा नाइंसाफी हो रही है। मजदूरों के हक तलफ हो रहे हैं, उनके हकूकों पर डाका जा रहा है। मैं खुद अपनी रियासत में देख रहा हूं कि हजारों लाखों की तादाद में दस्तकार प्राइवेट सैक्टर में काम करते हैं, जो किसी भी हाल में लेबर ला के तहत नहीं आते हैं। जब ग्रैचुटी का प्रश्न आता है तो सारी की सारी लिस्टें बदल दी जाती हैं। न सिर्फ इसी को दुरुस्त करना पड़ेगा, बल्कि ग्रैचुटी के मामले में सैकड़ों केसेस हैं, न सरकार के पास कोई ताकत है और न अमली तौर पर कुछ काम ही हो रहा है। इसके अलावा प्रोविडेंट फण्ड और मैडिकल ऐड इत्यादि बातें हैं, जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह जो बिल आप लाए हैं, इसके इम्पलीमेंटेशन के सिलसिले में आप क्या करने जा रहे हैं ? दस बरस तक आप कुछ नहीं कर पाए हैं, 1972 से 1982 तक, 1982 में नया कानून लाए और 1984 में अब यह कानून ला रहे हैं, देखना है कि किस हद तक आप प्राइवेट सैक्टर को फेस करेंगे। किस हद तक आप करेजियस हैं। मजदूरों के प्रोविडेंट फण्ड और बाकी जो उनके हकूक हैं, उनको आप किस तरह से दिलायेंगे।

मैं एक बात यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि इम्पलीमेंटेशन मशीनरी में भी काफी घपला होता है। इन्स्पैक्टर्स को आपने इस काम को करने की जिम्मेदारी दी है, अगर वह अमली तौर पर कानून को इम्पलीमेंट नहीं करता है, तो उसके खिलाफ किस कानून के तहत कौन सा सिलसिला शुरू करेंगे ? कौन से एक्शन्ज उनके खिलाफ लेंगे—इस बिल में इसके बारे में वजाहत नहीं की गई है। मेरी नजर में यह बहुत जरूरी है कि जिन इंस्पैक्टर्स को इस कानून को अमलीजामा पहनाना है—वे अगर अपने फराएज को सही तरीके से सरअन्जाम न दें, तो उन के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी। आम तौर पर इस तरह की शिकायतें आती हैं—प्राइवेट सैक्टर के साथ उनकी अण्डरस्टैण्डिग हो जाती है, मजदूरों के हित में काम न कर के वे मालिकान की मदद करने लगते हैं। इस बिल के लागू होने से जाहिर बात है प्राइवेट सैक्टर के लोगों को भी बड़ी रकमें देनी होंगी, उस रकम को कम करने के लिए इंस्पैक्टर्स को करप्ट करने की कोशिश की जाएगी और वे उन से पैसा लेकर मजदूरों के मुफाद के खिलाफ काम कर सकते हैं। जिन इंस्पैक्टर्स को आप यह जिम्मेदारी दे रहे हैं कि वे रजिस्टरों की जांच करें, जो कानून-शिकनी हो उसके खिलाफ सरकार को बतलायें ताकि उन मालिकों के खिलाफ कार्यवाही की जा सके—अगर वे अपने फराएज सही तरीके से सरअन्जाम नहीं देते हैं तो उन के खिलाफ आप क्या एक्शन लेंगे ?

जहां तक आप इस कानून में तबदीली लाये हैं और जो कन्सेशन्ज आपने दिये हैं—यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन 10 साल का अर्सा गुजर जाना सरकार की बहुत बड़ी कोताही को जाहिर करता है। यह कानून बहुत पहले आना चाहिए था और इम्प्लीमेन्ट होना चाहिए था।

श्री सुबोध सेन (जलपईगुड़ी) : इस विधेयक पर बोलने से पहले मैं यह कहूंगा कि गत दस वर्षों के दौरान हुए अनुभवों को ध्यान में रखते हुए सरकार को एक अपेक्षाकृत अधिक व्यापक विधेयक लाना चाहिए।

उपदाय संदाय अधिनियम के प्रावधानों पर बातचीत नहीं दी जा सकती है। नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों द्वारा उसका पालन किया जाना चाहिए। लेकिन कमजोर वर्गों के मामले में हम आज क्या देखते हैं बागानों का उदाहरण लीजिए। जब हम वहां जाते हैं तो यह पाते हैं कि कुछ 100 अथवा 200 व्यक्तियों को, जो पहले ही सेवानिवृत्त हो गए हैं, कोई उपदान नहीं मिला है। इसके बहुत से पिछले मामले बकाया हैं। मजदूर संघों अथवा सरकारी अधिकारियों ने इस पर वार्ता करना उचित नहीं समझा। हमें किश्तों में उपदान के भुगतान के बारे में समझौता वार्ता करनी पड़ी। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए था। सरकार इस संबंध में कोई व्यापक विधेयक क्यों नहीं लाती ? उद्योग द्वारा भविष्य निधि की तरह उपदान निधि बनायी जानी होगी। जीवन बीमा व्यापार में जीवन निधि का निर्धारण किया जाता है और जीवन-निधि अलग रखी जाती है। यदि तुलन पत्र की गणना करते समय नियोक्ता मूल्य ह्रास के लिए राशि अलग से निश्चित कर सकता है तो सरकार इस रूप से कुछ निर्धारित क्यों नहीं कर सकती कि उपदान के संबंध में देयताओं के लिए प्रतिवर्ष मूल्यांकन किया जाना चाहिए और भविष्य निधि और अन्य निधियों की तरह उपदान निधि बनानी चाहिए और उस निधि में से उपदान का तत्काल भुगतान किया जाना चाहिए और इसका समझौता वार्ता नहीं होनी चाहिए तथा इसका भुगतान किश्तों में नहीं होना चाहिए।

एक अन्य बात जो हमारी जानकारी में आयी है यह है कि आजकल मंदी के समय में बड़ी संख्या में उद्योगों का प्रबन्ध बदलकर दूसरे हाथों में चला जाता है। तब क्या होता है ? नया नियोक्ता मजदूरों से कहता है कि वह पिछले वर्षों के लिए उपदान अथवा मजदूरी किसी बकाया राशि के भुगतान के लिए वह कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। अब इस अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है, तो मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए कुछ प्रावधान किए जाने चाहिए। नए नियोक्ता को उपदान और मजदूरों की अन्य बकाया धनराशियों के भुगतान के लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : क्या इस समय ऐसा नहीं है।

श्री सुबोध सेन : मान लीजिए किसी कम्पनी के पास दस चाय के बागान हैं और वह एक बागान को उस किसी नई कम्पनी को बेच देती है, जो एक अलग कम्पनी है। तब कम्पनी की निरन्तरता का कोई प्रश्न नहीं है। मैं समझता हूं इसको नियन्त्रित करने के लिए कोई निश्चित कानून नहीं है।

(श्री सुबोध सेन)

एक महीने में 26 कार्य दिवसों की बात लीजिए। कुछ कम्पनियों और प्रतिष्पठानों ने यह कहना आरंभ कर दिया है कि वे सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 13 दिनों की मजूरी देने पर विचार करेंगे, 15 दिन की मजूरी नहीं। गत दो वर्षों के दौरान यह नई स्थिति पैदा हुई है जिसे नए संशोधन लाते समय ध्यान में रखना चाहिए था।

आपने सेवानिवृत्ति से सम्बद्ध खण्ड को दूर करना चाहा है। मूल अधिनियम के अनुसार किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में "सेवा निवृत्ति" का अर्थ है। (एक) कर्मचारी द्वारा वह आयु प्राप्त कर लेना जो आयु सेवा संविदा अथवा शर्तों के अनुसार ऐसी निर्धारित आयु है जिसकी प्राप्ति पर कर्मचारी को रोजगार को छोड़ना होगा; और (दो) किसी अन्य मामले में कर्मचारी का 55 वर्ष की आयु को प्राप्त करना

अब आप 55 वर्ष संवन्धी उपबन्ध को हटाना चाहते हैं। आपने ये साधारण तौर पर बताया है :

> "किसी कर्मचारी के सम्बंद्ध में "सेवानिवृत्ति का तात्पर्य है कर्मचारी द्वारा वह आयु प्राप्त कर लेना जो कि सेवा संविदा अथवा शर्तों में ऐसी निर्धारित आयु है जिसकी प्राप्ति पर कर्मचारी रोजगार को छोड़ देगा।"

दुर्भाग्य से, हमारे देश में ऐसे संस्थान भी हैं जहां सेवा की शर्त निर्धारित नहीं की जाती। जहां नियुक्ति पत्र देने की कोई भी प्रणाली नहीं है। इस लिए, यदि आप उस खण्ड को हटा देते हैं। तो मालिक अपनी इच्छानुसार उस स्थिति का उपयोग करेंगे। इस लिए, मैं समझता हूं कि इस खण्ड को बनाए रखना चाहिए था।

उपदान के अधिकारी के समाप्त हो जाने में मूल अधिनियम में यह कहा गया है :

> "कर्मचारी को भुगतान की जाने वाली उपदान की राशि पूरी की पूरी जब्त कर ली जाएगी—(एक) यदि ऐसे कर्मचारी की सेवायें उसके उपद्रवी अथवा उत्पाती व्यवहार के कारण अथवा उसके किसी अन्य हिंसक कार्य के कारण समाप्त कर दी गयी हैं।"

आपने मुख्य बाधा को दूर करने पर विचार नहीं किया है। आपने इसमें केवल परिवर्तन किया है। आप "पूरी तरह जब्त कर ली जायेगी" शब्दों के स्थान पर "पूरी तरह अथवा आंशिक तौर पर जब्त कर ली जायेगी" प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। लेकिन 'उपद्रवी अथवा उत्पाती आचरण' का क्या अर्थ है? इसका निर्धारण कौन करेगा।

महोदय, मैं एक पिछड़े क्षेत्र का रहने वाला हूं। मुझे सूचना मिली है कि कुछ बागानों में श्रमिकों को तीन महीने से पूरी मजदूरी नहीं दी गई है। अतः तीसरे महीने लगभग 400 श्रमिकों ने प्रबन्धक के कमरे में जाकर मजदूरी देने की मांग की क्योंकि वे भूखे मर रहे हैं और उन्हें अपने परिवार के सदस्यों का पेट भरना है प्रबन्धक अव्यवस्था फैलाने और दंगे-फसाद का आरोप-पत्र जारी कर सकता है और इस प्रकार 5, 6, या 10 नेताओं को बर्खास्त कर दिया जाता है। इस प्रकार उनके उपदान अदायगी के अधिकार को छीन लिया जाता है। मुझे विश्वास है कि वे कर्मचारियों पर अव्यवस्था फैलाने और दंगा-फसाद करने का आरोप पत्र जारी करेंगे। हमारे पास स्थायी आदेशों के लिए कुछ मानक नियम हैं। परन्तु इस संबन्ध में स्थायी आदेशों के मानक नियमों में

संशोधन कीं आवश्यकता है। मंदी के दौरान अवश्य ही आपको सूचना मिलेगी कि श्रमिकों को दिहाड़ी नहीं दी जाएगी और वे एकत्रित होकर दिहाड़ी की माँग करने आएंगे? इस वजह से उनको बर्खास्त कर दिया जायेगा और उन्हें काम पर नहीं लिया जाएगा। अतः सवाल यह उठता है। कि क्या उनके उपदान की अदायगी के उनके अधिकारी को भी छीन लिया जाएगा? यह सब कुछ 1982 के संशोधन विधेयक संख्या 133 के बारे में है। इस संबंध में विशेषकर मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि खंड 58 वर्ष को रखा जाए और इसे निकाला न जाए।

1984 के नए विधेयक के बारे में मेरा कहना है कि—जैसा कि श्री मूलचन्द डागा और मेरे अन्य मित्रों ने कहा है—इस अधिनियम के लिए 2 (क) के अन्तर्गत खण्ड में इसकी व्याख्या करने वाला खण्ड—वास्तव में छंटनी, हड़ताल, तालाबन्दी या कर्मचारी के किसी दोष के बिना कामबन्दी की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि इससे श्रमिकों के अधिकारों पर कुठाराघात होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि हड़ताल होती है तो क्या वह न्यायसंगत है कि नहीं है, यदि छंटनी होती है तो क्या वह न्यायसंगत है कि नहीं है? यदि हड़ताल न्यायसंगत है, तो दोष मालिक का होता है और यदि न्याय संगत नहीं है, तो दोष कर्मचारियों का होता है। इसका निर्णय कौन करेगा? इसके बाद भी क्या आप यह कहना चाहते हैं कि इस तथ्य के बावजूद कि यदि यूनियन या नियोजकों में समझौता हो जाता है, तो भी वे इस साधारण से मुद्दे के लिए न्यायधिकरण के पास जाएं कि वह निर्णय करे कि क्या यह न्यायसंगत थी और दोष किसका है? अत: "कर्मचारी के बिना किसी दोष के" खण्ड को निकाल दिया जाए। छंटनी, हड़ताल, तालाबन्दी, तालाबंदी आदि के सभी मामलों पर निरन्तर सेवा अवधि को ध्यान में रखकर विचार किया जाना चाहिए। यह मेरा सुझाव है।

अब प्रश्न यह उठता है कि कामबन्दी से आपका क्या मतलब है? मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि धन के कथित अभाव में नियोजक प्रति सप्ताह काम के दिन कम करके तीन या चार दिन कर देता है ऐसा करने की एक योजना है। तीन या चार महीने तक ऐसे ही चलती है। आप इसे काम की अवधि के बीच "कामबन्दी या "कामबन्दी की अवधि के बीच काम" कह सकते हैं। अतः यहां सुझाव क्या है? कई बार नियोजक स्वयं तीन दिन के लिए या एक दिन छोड़कर अगले दिन काम बन्द कर देता है। अत: इन बातों को अधिक से अधिक स्पष्ट किया जाना चाहिए। अन्यथा उद्देश्यपूर्ति नहीं होगी। इसका प्रयोजन तो अच्छा है, परन्तु इससे कोई लाभ नहीं होगा और इससे मनमुटाव ही होगा।

अत: इस विधेयक का समर्थन करते हुए मंत्री महोदय से मेरा अनुराध है कि सभी कमियों को दूर करने के लिए इस उपदान संदाय अधिनियम के 10 या 12 वर्ष के कार्यकरण के दौरान प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखकर एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाए ताकि जिस उद्देश्य से यह विधेयक लाया जा रहा है उसकी पूर्ति हो सके?

महोदय, इन षब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री ईरा मोहन** (कोयम्बटूर) : सभापति महोदय मैं अपने दल द्रविड मुनेत्र कडगम की ओर से उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 1982 और उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 1984 जिन पर यहां चर्चा हो रही, कुछ सुझाव रखना चाहता हूं।

मेरे से पहले के वक्ताओं ने इन दो विधेयकों के उपबन्धों के बारे में तथा इनके उपबन्धों के सख्ती से लागू करने के लिए कदम उठाने के बारे मैं विस्तृत तथा व्यापक रूप से बहुत कुछ कहा है। अतः मैं अपने विचार संक्षेप में ही रखूंगा।

मूल अधिनियम, 1972 में पारित किया गया था। और इस 12 वर्ष की अवधि में अनेक त्रुटियां और कमियां देखने में आई हैं। जिन्हें अब 1984 में इन दो विधेयक द्वारा दूर करने का प्रस्ताव है यद्यपि ये विधेयक प्रस्तुत करने में विलंब हुआ है फिर भी में इनका स्वागत करता हूं क्योंकि श्रमिकों को अपने वैद्य दावों के लिए कानूनी संरक्षण दिया जा रहा है और श्रमिकों को इनसे लाभ पहुंचेगा। मैं अपने देश में श्रमिकों के लाभ के लिए कुछ सुझाव रखना चाहता हूं ?

वर्ष 1980 में राज्यों के श्रम मंत्रियों का नई दिल्ली में सम्मेलन हुआ था। जिसमें श्रमिकों के सामने आने वाली अनेक समस्याओं पर प्रकाश डाला गया था और इस सम्मेलन में अनेक सुझाव रखे गये थे। वर्ष 1980 में उपदान पाने की अधिकतम सीमा 1200 रुपये थी। 1980 में श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में यह बात सामने आई कि रुपये के मूल्य को देखते हुए यह सीमा बहुत कम है और इसे बढ़ाकर 1600 रुपये करने का सुझाव रखा गया। चार वर्ष के बाद इस विधेयक के माध्यम से यह सीमा बढ़ाकर 1600 रुपये की जा रही है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि आज रुपये का मूल्य कितना है। जो 1980 में संभव था वह आज संभव नहीं है। क्योंकि रुपये के मूल्य में बहुत अधिक गिरावट आई है। सरकार को स्वयं ही यह सीमा बढ़ाकर 2200 रुपये कर देनी चाहिए ताकि अधिक श्रमिकों को उपदान मिल सके। 5, 6 वर्ष के बाद इस 2200 रुपये की सीमा को भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि तब तक रुपये का मूल्य और कम हो जाएगा, चूंकि सरकार ने स्वयं ऐसा नहीं किया है, इस लिए मैं इस सीमा को बढ़ाकर 2200 रुपये करने की मांग करता हूं। जो निर्णय 1980 में किया गया था, सरकार द्वारा उसके क्रियान्वयन में विलम्ब का नुकसान श्रमिकों को नहीं होना चाहिए। रुपये के वर्तमान मूल्य को देखते हुए उपदान पाने की सीमा 1600 रुपये से बढ़ाकर 2200 रुपये की जानी चाहिए।

महोदय, इन दो विधेयकों के उपबन्धों का लाभ उन लाखों श्रमिकों को नहीं मिलेगा, जो वैयक्तिक व्यय हैं या ठेका प्रणाली के अधीन काम करते हैं। जो सरकार श्रमिकों के कल्याण का दावा करती है, उसे ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जिसका अनुकरण सरकारी सेज भी करें। रेलवे में लगभग 2 लाख नैमित्रिक मजदूर हैं। रेलवे की प्रबन्ध व्यवस्था केन्द्र सरकार करती है। रेलवे में नैमिन्तिक मजदूरों के लिए राज्य सरकारों को दोष नहीं दिया जा सकता। इन 2 लाख मजदूरों को उपदान सुविधा का लाभ नहीं मिलता। माननीय रेल मन्त्री ने इस सदन में नैमित्तिक मजदूर प्रणाली का विरोध किया था। परन्तु इसके साथ इससे छुटकारा पाने में अपनी असमर्थता जाहिर की थी। यदि रेलवे के केबिनेट मंत्री स्तर के प्रभारी मंत्री अपनी मजबूरी जाहिर करते हैं, तो इस

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

नैमित्तिक मजदूर प्रणाली से कौन छुटकारा दिलवाएगा क्या कोई न्यायालय में जाए और इस बाधा को दूर करवाए। रेलवे में श्रमिकों के हित के लिए यह जरूरी है कि इस प्रकार की नीति को तुरन्त बंद कर दिया जाना चाहिए। रेलवे में नैमित्रिकमजदूर प्रणाली तुरन्त बन्द की जानी चाहिए।

केवल रेलवे को ही दोष नहीं दिया जा सकता। सरकारी क्षेत्र के अनेक ऊपक्रयों में नैयतिक मजदूर प्रणाली है। गैर-सरकारी क्षेत्र में टेका मजदूर प्रणाली है। हमारे श्रम मंत्री श्री वीरेन्द्र पाटिल श्रमिकों के कल्याण के लिए बचनबद्ध है। उन्हें देश में नैमित्रिक मजदूर प्रणाली और मजदूर ठेका प्रणाली का उन्मूलन करना चाहिए। ये श्रमिक का उपदान के हकदार होने चाहिए।

एक और महत्वपूर्ण मामला, निंजी क्षेत्र की धनराशि के दुरूपयोग का है। सही खाते नहीं रखे जाते हैं। उद्योगपतियों द्वारा उपदान की धनराशि का उपयोग निजी धनराशि के उन्यन के लिए किया जाता है। इस समय इस पर कोई रोक नहीं है। मैं मांग करता हूं कि केवल उपदान के लिए अलग से एक विशेष निधि बनाई जाए। मेरा सुझाव है कि सरकार अन्य उदेश्यों के लिए उपदान की धनराशि के उपयोग की नियमित जांच करे। यदि आवश्यक हों तो सरकार को अन्य उदेश्यों के लिए उपदान की धनराशि के उपयोग पर रोक लगाने के उदेश्य से अलग से एक कानून बनाने में हिचकना नहीं चाहिए।

उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 1984 के माध्यम से सरकार ने उच्चतम न्यायालय के इस अनुचित निर्णय को रद्द घोषित कर दिया है जिसमें 240 दिन की निरन्तर सेवा से कम सेवा वाले कर्मचारियों को उपदान से वंचित रखा गया था। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि मैं कोयम्बतूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां बड़ी संख्या में श्रमिक हैं। वहां लाखों लोग कपड़ा मिलों में काम करते हैं। 1980 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात पिछले 4 वर्षों के दौरान हजारों मजदूर 30 से 40 वर्ष की सेवा के पश्चात सेवा निवृत्त हो गए हैं। कपड़ा मिल-मालिकों ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सहारा लेकर उन सभी को उपदान की राशि से वंचित कर दिया है। उन्हें केवल 5 अथवा 6 वर्ष की सेवा के लिए ही उपदान की राशि मिली है। सेवानिवृत्ति के पश्चात सुखी जीवन व्यतीत करने की उनकी सभी आशाएं धूमिल हो गई हैं। 1981 में मेरे एक प्रश्न पर श्रम मंत्री ने उत्तर दिया था कि सरकार शीघ्र ही इस अधिनियम में एक संशोधन लाएगी। यह संशोधन विधेयक, 1984 में आया है। यह श्रमिक कल्याण के संबंध में सरकार के दुलमुल कार्यकरण का उत्कृष्ट नमूना है। मैं श्रम मंत्री से आग्रह करता हूं कि इस विधेयक के प्रावधानों को भूतलक्षी और प्रभाव वाला बनाया जाए जिससे उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात सेवानिवृत्त हुए हजारों मजदूरों को भी अपनी पूर्ण उपादान राशि प्रांप्त हो सके। मैं नहीं जानता कि क्या इसमें इस उदेश्य के लिए कोई उपाय और तरीके अंतर्विष्ट हैं। यदि वे नहीं है तो उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। मजदूरों की परेशानियां दूर की जानी चाहिएं यदि आवश्यक हो तो कमियों को दूर करने के लिए श्रमिक कानूनों में संशोधन किए जाए। मैं इन दो विधेयकों का स्वागत करता हूं। अपना भाषण समाप्त करते हुए, मैं नौमित्तिक श्रमिक और ठेका श्रम प्रणाली को जिसके कारण श्रमिकों को श्रमिक कानूनों द्वारा उपदान और अन्य लाभों से वंचित रहना पड़ता है, समाप्त करने की मांग करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : मेरे पास 4 माननीय सदस्यों के नाम हैं। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि प्रत्येक सदस्स 5 से 7 मिनट का समय ले।

श्री सत्यनारायण जटिया

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : सभापति महोदय, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 का संशोधन के रूप में पेमेन्ट आफ ग्रैच्युटी ऐक्ट, 1972 के संशोधन में और संशोधन इस प्रकार है, इस विधेयक की धारा 2 की उपाधारा (1) में जो वर्णन किया है उसको मैं पढ़ देना चाहता हूं। उसमें कहा गया है कि 1,000 रुप शब्दों के स्थान पर उन चारों स्थान पर जहां वे आते हैं 1,600 रु० शब्द रखे जायें। यह संशोधन इस विधेयक के माध्यम से लाना चाहते हैं, और इसके लिये जो उद्देश्य और कारण बताया गया है उसमें कहा गया है कि निर्वाह व्यय में हुई वृद्धि के कारण मजदूरी स्तरों में जो बढ़ोत्तरी हुई है उसको दृष्टि में रखते हुए निर्वाह व्यय में वृद्धि के कारण अधिनियम की व्यापता का विस्तार उन व्यक्तियों पर किये जाने का प्रस्ताव है जो 1,600 रु० प्रतिमास तक मजदूरी ले रहे हैं।

मतलब यह कि निर्वाह व्यय बढ़ा है, इस आधार पर 1,000 रु० के बजाय 1,600 रु० रखना उपयुक्त होगा 1,600 रु० का आधार क्या है? कोई बेसिस तो होना चाहिये? 1,700 रु० या 2,000 रु० क्यों नहीं? उसका आधार क्या होगा? यदि मूल्य सूचकांक ही लें तो उसकी तुलना कर लीजिये 1971 के प्राइस इंडैक्स के आधार पर। उस साल यदि बेस 100 मान लें तो इस वर्ष 1984 मार्च में वह बढ़ कर 323.3 है। आज तक जो महंगाई बढ़ी है सरकारी आंकड़ों के अनुसार वह तिगुनी बढ़ी है।

उपभोक्ता वस्तुओं के भाव 3 गुना बढ़ गये हैं। अगर आपने मंहगाई को आधार बनाया है तो यह 1 हजार के बजाय 3 हजार होना चाहिये। लेकिन मुझे इसका कोई आधार दिखाई नहीं देता।

अगर 60-61 को आधार वर्ष मान लें तो फरवरी, 1984 का प्राइस इन्डैक्स मिला है उसमें 519 है तो उससे तो यह 5 गुना बढ़ गया। 70-71 को आधार मान लें तो 3 गुना बढ़ गया। अब आप बतायें कि इसका आधार क्या है? यह 1000 की जगह 1600 कैसे रखा गया है? इसे 1600 की बजाय 1700, 1800 भी रखा जा सकता था। जब आप उत्तर दें तो यह बात समझा दें। मैंने मूल्य सूचकांक के आंकड़े इसलिये दिये हैं कि आपने उद्देश्य में कहा है कि निर्वाह करने के लिये बड़ी मंहगाई बढ़ गई है इसलिये यह सारा परिवर्तन किया है। मैं समझता हूं कि यह सांइन्टिफिक नहीं है। इसमें आपने सारे वेजेज भी मिलाये हैं और मंहगाई भत्ता भी शामिल है। कार्य जो कर रहे हैं, उनके प्रति कृतज्ञता यह ग्रैयुच्टी उपदान है। यह उसकी सेवाओं के बदले मिलना चाहिए और यह विलम्बनीय वेतन है जो कि उनको मिलना चाहिये था। यह हम उसको दे

रहे हैं सेवा निवृति के बाद जिससे वह परिवार को व्यवस्पित किया जा सके। यह ठीक है, लेकिन मूल विधेयक का जो आधार है, उसमें सुधार की आवश्यकता है।

आप यह विधेयक टुकड़े-टुकड़े में ला रहे हैं। अगर आपको परोसना है, कुछ देना है तो पूरी थाली परोसिये, टुकड़े-टुकड़े में मत दीजिये। आप श्रमिकों का भला चाहते हैं तो चाहे दाल-रोटी दीजिये, ठीक दीजिये, लेकिन इतना दाल में पानी मत मिलाइये। इस तरह से दाल का काम पता नहीं लगता है।

जो विधेयक आप लाये हैं, यह शुरूआत है। कुछ न मिलने से जो कुछ मिले अच्छा है लेकिन यह नहीं कि कुछ तो भी देना है इसलिये आप यह करें।

सभापति महोदय, आप मजदूरों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं कि उनके बारे में कोई कार्यवाही हो नहीं पाती। भविष्य निधि के बारे में 24 अप्रैल को मैंने एक प्रश्न पूछा था सं० 8537। उसके जवाब में बताया गया है कि जो भविष्य निधि का भुगतान नहीं किया गया है उसकी राशि 49 करोड़ 7 लाख है। जो जमा नहीं कराया गया है प्रबन्धकों के द्वारा और जिन एस्टेबलिशमैंट्स को छूट दे दी गई है, वह राशि है 43.37 करोड़। इस बारे में कोई कारगर कार्यवाही नहीं हुई है। उसका कोई परिणाम नहीं है। इस तरह के लुंज-पुंज नियमों के आधार पर, जिनका कोई प्रभावी परिणाम नहीं हो सकता, कोई लाभ नहीं है। आप इन श्रम कानूनों को टुकडों में न कर के एक बार पूरी श्रम नीति बनायें और सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन आर्गेनाइजेशन्ज को आमंत्रित कीजिये और फिर निर्णय कीजिये। आप करते तो जरूर हैं, लेकिन बहुत देर से करते हैं, पता नहीं क्या रुकावट आती है। श्रम मंत्रालय को शर्म की स्थिति में नहीं आना चाहिये। "श्रमेव जयते" का एक नारा दिया गया था जिसका अर्थ था श्रम की ही विजय है। किन्तु आज तो श्रम की जगह बन्धुआ की स्थिति हो गई है।

सारे मजदूरों के बारे में पूरा विचार कीजिये। आज खेतिहर मजदूरों को कोई देखने वाला नहीं है। इन्सपैक्टरस बढ़ाकर आप सारा करने वाले हैं, मैं कहना चाहता हूं कि जो आप करना चाहते हैं वह करना चाहिये, परन्तु जिस प्रकार की मशीनरी और कानून आपके पास हैं, वह बिल्कुल अपर्याप्त हैं, अक्षम है और इससे मजदूरों क हित होने वाला नहीं है। इसलिये मजदूरों के कानून को, इम्पलीमैन्ट करने की दृष्टि से पुख्ता कानून लाइये। जितना बढ़ाया है, उसके बारे में जितना मजदूर को मिलता है वह तो लेना चाहिये लेकिन आगे के लिये संघर्ष करना चाहिए। जितना आपने दिया है, वह साइंटिफिक नहीं है। आप इसे साइंटिफिकब नायें, इसका आधार बनायें। इससे मुझे प्रसन्नता होगी। आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

3.00 म०प०

(श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए)

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के धैर्य की परीक्षा नहीं लेना चाहता हूं। अतः, मैं संक्षिप्त भाषण दूंगा। मैं केवल तीन अथवा चार मिनट बोलूंगा।

(श्री हरिकेश बहादुर)

मैंने इस विषय पर पहले ही कुछ बोल लिया है। जहां तक इस कानून का संबंध है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। इसे सदन में पहले ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। माननीय मंत्री जी कम से कम इस समय यह कानून ले आए हैं। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं।

कामगरों को उपदान की अदायगी प्राप्त करने का मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। चाहे कामगार निजी क्षेत्र के हों अथवा सरकारी क्षेत्र के। वे नैमित्तिक हो अथवा स्वामी परन्तु उन्हें यह लाभ अवश्य मिलना चाहिए।

कृषि मजदूरों, निर्माण कार्य में लगे मजदूरों और निजी क्षेत्र के विभिन्न संगठनों और फैक्ट्रियों आदि में अस्थायी अथवा नैमित्तिक रूप में लगे हुए मजदूरों को उपादन की अदायगी होनी चाहिए क्योंकि इस समय वे ही सबसे अधिक भुक्तभोगी हैं। यदि सरकार वास्तव में इन गरीबों और मजदूरों के कल्याण और भलाई की इच्छुक है तो उसे इन मजदूरों को उपदान की अदायगी के लिए एक विस्तृत कानून बनाना चाहिएँ। कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसे कानून की मांग की है और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस मांग पर विचार करेंगे।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 25,000 रेलवे कर्मचारी काम करते हैं। अतः, मैं विधेयक में इस संशोधन पर बोलने को मजबूर हूं। में सेवा निवृत्ति के पश्चात उनकी बेचारगी और समस्याओं से परिचित हूं। उन्हें समय पर उपदान की अदायगी नहीं होती है। यह सबसे भारी समस्या है। उपदान से कर्मचारियों को बड़ी सहायता मिलती है। सेवानिवृत्त होने पर उन्हें शीघ्र ही इस राशि की आवश्यकता होती है। लेकिन हम देखते हैं कि उनमें से कुछ को बड़ा परेशान किया जाता है। उन्हें समय पर उपदान की अदायगी नहीं की जाती है। इसी कारण वे हमेशा हतोत्साहित रहते हैं और हमारे पास आते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे ध्यान दें कि सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मचारियों को उनके उपदान की धनराशि शीघ्र और अवश्य प्राप्त हो जिससे वे परेशानी महसूस न करें।

भारतीय रेलवे में लाखों नैमित्तिक मजदूर कार्य करते हैं और उन्हें उपदान से वंचित रखा जाता है। वे मजदूर इस रूप में दुर्भाग्यशाली हैं कि उन्हें उपदान प्राप्त करने के हकदार नहीं रहने दिया जाता। अतः, मैंने मांग की है कि नैमित्तिक मजदूरों को भी उपदान का हकदार बनाया जाए और उन्हें भी उपदान की अदायगी की जाए। कुछ नैमित्तिक मजदूर पिछले दस से बारह वर्षों से काम कर रहे हैं। परन्तु दुर्भाग्य से उन्हें सेवा में अभी भी स्थायी घोषित नहीं किया गया है। यह भी एक गंभीर मामला है।

हमने यह मामला इस सदन में पहले भी कई बार उठाया है और रेल मन्त्री और श्रम मन्त्री से निवेदन किया है कि हमारी यह मांग मानी जाए। परन्तु अभी तक इस मामले में कुछ नहीं किया गया है।

सदस्यों को एक आम आश्वासन दिया गया है कि नैमित्तिक मजदूरों को स्थायी किया जाएगा, उनकी सभी समस्याएं हल की जाएंगी और उन्हें स्थायी कर्मचारियों की ही तरह सभी लाभ प्राप्त होंगे। इस संबंध में शीघ्र प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिएं।

मैं यह मांग करना चाहूंगा कि चाहे कर्मचारियों को स्थायी बनाया जाए या नहीं, उन्हें उपदान की अदायगी की जानी चाहिए। कर्मचारी, चाहे स्थायी हों अथवा अस्थायी, कठिन परिश्रम करते हैं जिसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ रहा है। मजदूरों के कठिन परिश्रम से ही अर्थव्यवस्था में सुधार होता है और यदि कठिन परिश्रम करने वाले उन मजदूरों को उपदान जैसी सेवा-सुविधाओं से वंचित रखा जाता है तो वे हतोत्साहित हो जाते हैं और उत्पादन बढ़ाने और जिस संगठन में वे नियुक्त हैं उसके कार्यकरण में उनकी को कोई रूचि नहीं रह जाती है।

अतः, मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि इस मामले की ओर ध्यान दें और अपने साथी रेल मन्त्री जी से विशेष रूप से कहें कि रेलवे में काम करने वाले नैमित्तिक और स्थायी कर्मचारियों को उपदान की अदायगी कराएं जिससे वे हतोत्साहित न हों और सभी सेवा-लाभों को प्राप्त करने का संतोष महसूस करें। इससे उत्पादन बढ़ाने में काफी सहायता मिलेगी।

श्री बृज मोहन महन्ती (पुरी) : सभापति महोदय; मैंने पृष्ठ 3, पंक्ति 6 पर "प्राधिकारी" शब्द के पश्चात "तीन मास के भीतर" अन्तः स्थापित करने के लिए विधेयक के खंड 4 के संशोधन के लिए एक सूचना दी थी। विधेयक का खंड 4 जैसा कि इस समय है, इस प्रकार है :

> "नियन्त्रक प्राधिकारी, सम्यक जांच के पश्चात् तथा विवाद के पक्षकारों की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, विवाद के मामले अथवा मामलों की अवधारण करेगा और यदि, ऐसी जांच के परिणामस्वरूप, कर्मचारी को कोई राशि देय पायी जाती है तो नियन्त्रक प्राधिकारी, नियोजक को ऐसी राशि अथवा, ऐसी रकम जो नियोजक द्वारा जमा कराई गई राशि से पहले ही घटायी गई है, जैसा भी मामला हो संदाय करने का निदेश देगा"

यद्यपि मैंने संशोधन के लिए सूचना दी थी किन्तु इस बारे में दबाव नहीं डाला। किन्तु इसके साथ ही मैं माननीय श्रम मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि इस पर जल्द विचार करें। वास्तव में श्रमिक विवाद वर्षों से लटक रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप असंतोष फैल रहा है जिससे कई प्रकार की हिंसा उत्पन्न हो रही है जोकि अवांछवीय है। यदि हमने भारत में कामगर वर्ग के प्रजातन्त्र को सफल बनाना है, तो मेरा यह निवेदन है कि सभी विवादों और झगड़ों का जल्द से जल्द निपटारा करना होगा। इसलिए, मन्त्री महोदय से मेरा यह निनेदन है कि इस मामले पर विचार करें और सभी विवादों के निपटान के लिए समय सीमा निर्धारित करें ताकि विवादों का तेजी से निपटारा हो सके और स्वस्थ वातावरण तैयार किया जा सके।

दो विधेयक हैं, एक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के कारण उत्पन्न हुआ है और दूसरा इस बात से कि धन का मूल्य कम हो गया है और इसलिए, उच्च आय समूह को इसमें शामिल किया

(श्री ब्रज मोहन महन्ती)

गया है। यह सब ठीक है और स्वागत योग्य है इसके लिए मैं मन्त्री महोदय को अपना पूरा समर्थन देता हूं। किन्तु समस्या यह है कि मुझे जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के रजत जयन्ती समारोह में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री चन्द्रचूड़ की एक टिप्पणी याद आ रही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह टिप्पणी कि थी कि कुछ न्यायाधीश जो वैभवशाली वातावरण में पले हैं और यदि श्रमिक के दुर्घटना के कारण अपंग होने के कारण मुआवजे का मामला आता है तो वे उसे महत्व नहीं देते क्योंकि वह एक अलग वातावरण में पले हैं; किन्तु जब तक आय-कर में छूट देने से संबंधित कोई मामला आता है तो वह आयकर दाताओं की कठिनाईयों को भली-भान्ति समझ जाते हैं। यह समस्या, समाज में व्याप्त सामाजिक मूल्यों के कारण अथवा जिस वातावरण में वह पले हैं उसके कारण है। यह रवैया उनके दिमाग में व्याप्त है और इसके परिणामस्वरूप न्याय नहीं हो पाता। यह मेरे विचार नहीं है। यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विचार हैं। जब भी किसी श्रम कानून की व्याख्या करनी होती है यही स्थिति होती है। मेरा अभिप्राय किसी विशेष कानून या किसी विशेष न्यायालय से नहीं है। किन्तु, वास्तव में न्यायाधीशों से एक वर्ग की श्रमिक वर्ग के साथ सहानुभूति नहीं है।

इसके पश्चात् मैं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र पर आता हूं। जहां तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का संबंध है निजी क्षेत्र भी भान्ति शोषण का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि इनका स्वामित्व समुदाय के हाथों में है। किन्तु उस परिप्रेक्ष्य में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मजदूर वर्ग की कठिनाईयों को कम नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रमिकों के प्रति प्रबन्धक अथवा निदेशक का रवैया असहानुभूतिपूर्ण होता है क्योंकि वे एक अलग वातावरण में पले हैं और मजदूरों की व्यथा, उनके दुखों, मेहनतकश लोगों के प्रयत्नों से परिचित नहीं है। यद्यपि सिद्धान्त रूप में, कानूनों के अनुसार, मजदूर नियमों के आधार पर मजदूर कुछ सुविधाएं पाने के हकदार हैं। परन्तु प्रबन्धकों अथवा निदेशकों की चालबाजियों के कारण उन्हें वह सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इसी के कारण संकट उत्पन्न हो रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि श्रम मन्त्री को चाहिए कि वह इन दो पहलुओं पर विचार करें। ऐसी बात नहीं कि मुझे आपको बताना पड़ेगा। आप एक ऐसा कानून बना सकते हैं जो पूरी तरह से दोष रहित हो और कोई भी अदालत खिलवाड़ न कर सके। किन्तु आप ऐसा नहीं कर सकते। यह नितान्त असंभव है। सावधानी पूर्वक तैयार किए गए सभी कानून न्यायालय के समक्ष आते हैं और यह उन पर अलग दृष्टिकोण अपना सकता है और एक अलग व्याख्या दे सकता है। या न्यायाधीशों का रवैया है जो श्रमिकों के भाग्य का फैसला करता है। मेरा निवेदन है कि यह विश्व में कहीं भी नहीं होता। समस्या रवैये की है।

इसी प्रकार, सरकारी उपक्रमों के मामले में, कई मामलों में प्रबन्धकों और निदेशकों का रवैया सहानुभूति पूर्वक नहीं है। इसका मैं कोई उदाहरण विशेष नहीं देना चाहता। किन्तु मुझे इसका अनुभव है। मैं केवल उदाहरण नहीं देना चाहता। वह बहुत कष्टकर होगा। मैं किसी विशेष निदेशक या प्रबन्धक का नाम नहीं लेना चाहता। किन्तु वास्तविकता यह है कि उनका रवैया मजदूर वर्ग के हितों के प्रति सहानुभूति पूर्ण नहीं है। और समस्या यही है।

भारतीय मजदूर संघ आन्दोलन का एक अन्य पहलू यह है कि राजनीतिक नेताओं के कुछ

वर्ग मजदूर संघों को अपने राजनीतिक फायदों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वह राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं—न कि मजदूर वर्ग के वास्तविक हितों के लिए।

एक बात यह है कि मजदूर संघ आन्दोलन एक नकारात्मक आन्दोलन ही नहीं है, यह केवल कारगरों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान से प्रेरित आन्दोलन ही नहीं है। जहां तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का संबंध है, यह मजदूर संघों का दायित्व है कि यह देखें कि कार्य-निष्पादन में सुधार हो, भ्रष्टाचार न हो, भ्रष्टाचार कम हो और बर्वादी रोकी जा सके। मुझे याद आ रहा है कि सोवियत संघ के वर्तमान नेता इस पर किस प्रकार काबू कर रहे हैं। सत्ता में आने के 2 से 3 दिन के भीतर ही उन्होंने सभी साहित्यकारों और पत्रकारों को एक निदेश दिया। किस लिए ? उन्हें एक नयी विषय वस्तु तैयार करनी होगी ताकि कामगरों की बर्वादी रोकने, भ्रष्टाचार रोकने और कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए प्रेरित हों। यह था निदेश। बेशक इस देश में कोई भी सरकार कोई निदेश जारी नहीं कर सकती। हमें यहां पर इतनी स्वतन्त्रता नहीं है। वहां पर समाज पूरी तरह से अनुशासित है। व ऐसा कर सकते हैं। मेरा निवेदन यह है कि जहां तक मजदूर संघों का संबंध है, उनके मामले में एक राष्ट्रीय सहमति होनी चाहिए। मैं निजी क्षेत्र के उपक्रमों की बात नहीं कर रहा। वहां पर शोषण है और उनके श्रम के फालतू मूल्य का कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। किन्तु सरकारी क्षेत्र में ऐसी कोई बात नहीं है। वहां पर कार्य-निष्पानन में सुधार के लिए, औद्योगिक प्रबन्ध में विद्यमान सभी कमजोरियों को दूर करने के लिए, भ्रष्टाचार दूर करने के लिए और बर्वादी को कम करने के लिए साकारात्मक दृष्टिकोण क्यों नहीं होना चाहिए। यह सभी साकारात्मक बातें हैं। इस लिए, जहां तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का संबंध है, इस देश में मजदूर संघ आन्दोलन को सकारात्मक उत्तरदायित्व के विभिन्न पहलुओं को अपने हाथ में लेना चाहिए। जब तक हम अपने दृष्टिकोण में प्रखण्ड और आमूल चूत परिवर्तन नहीं लाते, हमें सफलता नहीं मिलने वाली।

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने अब एक बात स्वीकार की है। उन्होंने एक अवधारणा तैयार की है—कार्य संबंधी नीति शास्त्र की अवधारणा। अब उन्होंने सबक सीखा है। मैं जानता हूं कि वामपंथी मोर्चे के कुछ मित्र इसके विरुद्ध हैं। मैं नहीं जानता कि श्री चित्त बसु इसका समर्थन कर रहे हैं या वे इसके विरुद्ध हैं। सच बात यह है कि यह अत्यन्त रचनात्मक रवैया है। मजदूर को कुछ नियमों के अनुसार चलना चाहिए और वह नियम क्या हैं—कार्य-निष्पादन में सुधार [करना और भ्रष्टाचार और बर्वादी को कम करना और प्रवन्ध में सुधार करना। इसलिए जब तक हम इन बातों को शामिल नहीं करते और जब तक हम देश में मजदूरों के बीच उनके रचनात्मक उत्तर-दायित्व के प्रति कर्त्तव्यनिष्ठा पैदा नहीं करते तो मुझे खेद है कि हम अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते।

बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं श्रम मन्त्री से एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि वह मेरी बात पर विचार करें और श्रमिक विवादों की जांच और अन्तिम निपटान के लिए समय सीमा निर्धारित करें।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति जी, इस विधेयक का साधारणतः समर्थन ही किया जाना चाहिये और मैं भी इस का समर्थन करता हूं। यद्यपि मुझे यह देख कर आश्चर्य होता है कि जिन विधेयकों पर हम इस समय विचार कर रहे हैं इन में से एक 1982 में पेश किया गया था और दूसरा 1984 में पेश किया गया था, ऐसी कौन सी बाधा आ गई थी जिस के कारण आप इन विधेयकों को अभी तक पारित नहीं कर सके। 1982 से 1984 तक आप क्यों सो रहे थे ? इससे यह सिद्ध होता है कि ·······

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या संसद सो रही थी ?

सभापति महोदय : रंगा जी, संसद सो नहीं रही थी

प्रो० एन० जी० रंगा : संसद दो साल से सो रही थी, अन्यथा, यह विधेयक पारित हो चुका होता। इसे 1982 में क्यों पुरस्थापित किया गया था, और कारण क्या है कि हम इस पर अब चर्चा करते रहे हैं।

प्रो० अजित कुमार मेहता : यह तो मैं कह रहा था। सरकार दो साल पहले इस विधेयक को संसद में विचार के लिये आई थी। इसी से मैं समझ रहा हूं कि आप इन सशोधनों को कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं। फिर भी "देर-आयद-दुरुस्त-आयद," यदि अभी भी पारित हो जाय तो मुझे प्रसन्नता ही होगी।

सभापति जी, संगठित मजदूरों की तरफ तो सब का ध्यान है, उन का वेलफेअर कैसे हो, किस प्रकार से उनका कल्याण किया जाय, लेकिन आप उन मजदूरों की भी कल्पना कीजिए जिन के बारे में अभी श्री राय ने बतलाया था। 20 करोड़ के लगभग इन असंगठित मजदूरों की संख्या है और खास कर देहातों में जहां से मैं आता हूं-"भादों के कांधों में पानी से भीगते हुए, जेठ की दोपहरी में लू से तपते हुए और माघ की शीत लहर में आधा तन ढक कर सर्दी में काम करते हुए" खेतों में काम करते हैं। आप जरा कल्पना कीजिये-इन हालत में काम करते हुए जब उनका बुढ़ापा आता है, तो उन की क्या दशा होती होगी। आप ने इस विधेयक में सुपरेनुएशन का प्रावधान रखा है, लेकिन उनका रिटायरमेंन्ट, उनका सुपरेनुएशन तब होता है जब वे अशक्त हो जाते हैं और अशक्त होने के बाद एक बूढ़े कुत्ते की तरह से मरने के लिए उन को घर से भगा दिया जाता है, भीख मांगने के लिए विवश कर दिया जाता है। उन के लिए आपके यहां क्या प्रावधान है ? क्या कभी-किसी ने उन के बारे में सोचा है ? जनता राज के समय में वृद्धावस्था पेन्शन की व्यवस्था हुई थी और पिछले दिनों में वृद्धा-अवस्था पेंशन बहुत जगहों पर दी भी गई है, हालांकि उसकी भी इस सदन में और सदन से बाहर कटु आलोचना हुई है, मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि वृद्धावस्था पेन्शन उपयुक्त और उचित लोगों को दी ही नहीं गई है। जिन उपयुक्त और उचित लोगों को दी भी गई है, वह उन के लिए बहुत अपर्याप्त है। इस लिये मेरा कहना है कि जब आप संगठित मजदूरों के बारे में सोचते हैं तो इन लोगों के बारे में भी सोचना हमारा और आपका कर्तव्य है। हम से ज्यादा आप इस बारे में सोचने की स्थिति में हैं, क्योंकि आप शासन

में हैं, सत्ता में हैं। इस लिये इस पर आप को विशेष ध्यान देना चाहिये। जब संगठित मजदूर की बात आती है, तो जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है 1600 रुपये वेतन की सीलिंग आपने रखी है और वहां तक इस सुविधा को बढ़ाने की बात आप ने की है मगर मैं समझता हूं कि जिस तरह से कीमतें बढ़ी हैं उन को देखते हुए यह कम है। जिन लोगों को 1972 में यह सुविधा उपलब्ध थी और 1972 के 1000 रुपये के वेतन की तुलना में कम से कम 2250 और 2500 रुपये वह वेतन होता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि 1972 को अगर आप आदर्श मान लें, तो 1600 रुपये की सीलिंग को बढ़ा कर आप को 2500 रुपये कर देना चाहिए।

सभापति जी, 1972 में जिस समय यह विधेयक यहां पर आया था और इस विधेयक पर इस सदन में चर्चा हो रही थी, तो उस समय के वाद-विवाद को मैंने पढ़ा और उस समय श्री सोमनाथ चटर्जी ने दो मुद्दे उठाए थे और मैं समझता हूं कि वे बहुत प्रासंगिक है। एक तो यह है कि 15 दिन जो रखा गया है वह कम है, इस को 30 दिन किया जाना चाहिए और दूसरे 5 वर्ष का बंधन क्यों लगाया गया है। पांच वर्ष का मतलब यह है कि जिस मजदूर ने 4 वर्ष और 364 दिन काम किया है, वह इस सुविधा को नहीं ले सकेगा। इसलिए मैं यह समझता हूं कि यह सही नहीं है। पांच वर्ष पूरे न हों, इस के लिए किस प्रकार से उपाय किये जाते हैं, यह आप जानते ही हैं। पांच वर्ष पूरा होने से पहले किसी न किसी कारणवश कोई भी कार्यवाही करके या तो उसे सेवा से हटा दिया जाता है या सजा दे दी जाती है जिससे लगातार 5 वर्ष काम करने में व्यवधान आ जाए। बड़े उद्योगों में ऐसा न होता हो लेकिन जो छोटे उद्योग हैं, जहां 10-15 मजदूर काम करते हैं और जो इस कानून के घेरे में आते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उन मजदूरों को कोई हानि न होने पाए।

एक बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह जो 10 मजदूरों के काम करने का बंधन है और जिस उद्योग में 10 मजदूर या इससे ज्यादा मजदूर काम करते हैं, उस उद्योग उन मजदूरों को सुविधा मिल जाएगी, इस से बचने की किस तरह से कोशिश की जाती है, यह मैं आप को बतलाना चाहता हूं। मान लीजिए किसी छोटे उद्योग में 10 या 10 से ज्यादा मजदूरों का काम है। इस कानून के बन्धन से बचने के लिए वे केवल 9 मजदूरों को ही काम पर लगाते हैं लेकिन उन से ओवरटाइम करा कर काम को पूरा कराते हैं। अगर एक मजदूर को 8 घंटे काम करना है, तो उस से 12 घंटे प्रति दिन काम लिया जाता है और उस का उसको ओवर-टाइम दिया जाता है। इस तरह से जहां पर 12 मजदूर काम करने चाहिए, वहां पर 9 से ही काम लिया जाता है। अब ऐसे उद्योगों के लिए आप क्या करेंगे। वह उद्योगपति छोटा है लेकिन इस तरह से बेईमानी कर के वह इस कानून के बन्धन से मुक्त होना चाहता है जिससे मजदूरों को लाभ न मिल सके। उन को आप किस तरह से इस कानून के घेरे में लाएगें, इस पर आप को विचार करना चाहिए। छोटे उद्योग तो क्या, आज रेलवे का जो सबसे बड़ा भारतवर्ष का सरकारी उपक्रम है, वहां पर लाखों मजदूर काम करते हैं और वहां पर मजदूरों को नैमत्तिक मजदूर, केजुअल लेबर के रूप में रखा जाता है। साल भर में उन से बीच बीच में काम ले कर उन को कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दी जाती है और इस तरह से वह नैमत्तिक मजदूर की तरह ही काम करता है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि उस पीरियड में, जिस पीरियड में केजुअल मजदूर को छुट्टी दे दी गई होती है रेलवे में कोई दूसरा नैमत्तिक मजदूर काम नहीं करता है। किसी विभाग में, किसी भी मंडल को आप लीजिए, इस तरह के नैमत्तिक मजदूर काम करते हैं। तीन महीने तक 50 मजदूरों को वहां रखा और तीन महीने बाद उनको छुट्टी देकर दूसरे 50 मजदूरों को रख लिया। इस तरह से रेलवे दो तरह की बेईमानी करती है। एक तो उनके ग्रेच्युटी के हक को समाप्त करती है दूसरा उनको रेगुलर करने से कतराती है। तो इस तरह की बेईमानी जो सरकार के उपक्रम में हो रही है, उसके लिए आप क्या उपाय करने जा रहे हैं।

मेरे इन सुझावों पर आशा है आप ध्यान देंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : सभापति महोदय, आज की चर्चा में 18 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। चर्चा में भाग लेने वाले प्रायः सभी सदस्यों ने ग्रेचुएटी की अदायगी सम्बन्धी अधिनियम से सम्बन्धित दोनों विधेयकों के दोनों संशोधनों का समर्थन किया है। उन्होंने समर्थन करने के साथ-साथ कुछ सुझाव भी दिये हैं प्रारम्भ में मैंने माननीय सदस्यों से अपील की कि यद्यपि हम विधेयक का दूसरा संशोधन औपचारिक रूप से प्रस्तावित नहीं किया गया, तथापि वह भी सभा के समक्ष हैं और वाद-विवाद में भाग लेने वाले सभी सदस्यों को विधेयक के दूसरे संशोधन के बारे में विचार व्यक्त करने चाहिये।

मैं बहुत खुश हूं और निश्चय ही माननीय सदस्यों के प्रति आभारी हूं कि उन्होंने मेरे अनुरोध का आदर किया है। उन्होंने विधेयक के दूसरे संशोधन के संबंध में भी विचार व्यक्त किये हैं कई माननीय सदस्यों ने दोनों विधेयकों को पेश करने में हुये विलंब के लिए आपत्ति की है। मैं मानता हूं कि इसमें कुछ विलम्ब हुआ है। मैं यह नहीं कहता हूं कि विलम्ब हुआ ही नहीं है। प्रो० रंगा ने बताया है कि इसे वर्ष 1982 में पुरस्थापित किया गया था और हम केवल आज के दिन ही इसे पारित करने की स्थिति में आये हैं। मैं नहीं जानता कि इस के लिये किसकी निंदा की जानी चाहिए। मैं किसी की निन्दा नहीं करता हूं क्योंकि काम की अधिकता केवल संसद में ही नहीं, है। अनेक सदस्यों ने यह नहीं खोला कि मुझे किसी विधेयक को संसद में पुरस्थापित करने और उसे पारित कराने से पहले यह नहीं समझा कि मुझे किन-किन अनुपातों में काम करना होता है, किन-किन औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है औपचारिकताओं विधेयकों का प्रारूप विधि मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। उनके पास भी बहुत काम है उनके पास बहुत अधिक है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी की निंदा करने और मैं इस की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता हूं तथा मानता हूं कि इसमें कुछ विलम्ब हुआ है।

सभापति महोदय : शायद मुद्दा यह है उक्त विधेयक पुरस्थापित होने के बाद इतना समय क्यों लगें ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : पुस्थापित किये जाने के बाद, कार्य मंत्रणा समिति उस पर विचार करने के लिए समय और तारीख निश्चित करती है परंतु कार्य मंत्रणा समिति के पास भी बहुत

सारे अन्य जरूरी कार्य हैं। कई अन्य विधान भी हैं। इसलिए, मैं यहां किसी को दोषी ठहराने की नहीं सोचता परंन्तु जो भी हो, कुछ विलम्ब हुआ ही है।

इस मामूली से कारण के लिए कि इस विधेयक को पुरस्थापित करने, उस पर विचार करने तथा उसे पारित करने में कुछ विलम्ब हुआ है यह कहना उचित हैं कि सरकार श्रमिक-विरोधी है, अथवा सरकार ऐसे विधानों में विलम्ब करने में रुचि रखती है तथा सरकार नियोजकों की मदद करना चाहती है।

जहां तक दूसरे संशोधन का संबध है, हमने बहुत ही स्पष्ट कर दिया है कि यह पिछली तारीख से लागू होगा। इस संशोधन को 11 फरवरी, 1981 से प्रभावी बनाने का प्रस्ताव है, जो उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की तारीख है। इसमें कुछ विलम्ब हुआ है। परन्तु हम नहीं चाहते हैं कि उसके कारण मजदूरों को नुकसान उठाना पड़े। इसलिये, हमने विधेयक को पिछली तारीख से लागू करने के लिए इसमें पर्याप्त व्यवस्था की है।

कुछ माननीय सदस्यों, श्री जटिया और अन्य लोगों ने जानना चाहा है कि 1600 रुपए निश्चित करने का आधार क्या है। मौजूदा अधिनियम उन कर्मचारियों पर लागू है जिनका वेतन एक हजार रुपये या उससे कम है। उससे अधिक नहीं है। जब कभी वे एक हजार रुपये से अधिक पाने लगते हैं, तो वे इस अधिनियम के प्रभाव क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं। अब हम 1600 रुपये तक पाने वाले कर्मचारियों को इस विधेयक के प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए इसमें संशोधन कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में निर्वाह की लागत और अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए, 1600 रुपये भी कम हो सकते हैं। इसका आधार यह है कि अन्य श्रम कानूनों में वेतन की सीमा 1600 रुपये है। उदाहरण के तौर पर, भविष्य निधि अधिनियम और मजदूरी संदाय अधिनियम में भी वेतन की सीमा 1600 रुपये है।

श्री सत्यनारायण जटिया : बोनस का आधार साढ़े सात सौ ही है······(**व्यवधान**)

श्री वीरेन्द्र पाटिल : आपको मालूम होगा, बोनस में भी सोलह सौ है, लेकिन, बोनस जो दिया जाता है, वह साढ़े सात सौ के बेसिस पर केलकुलेट किया जाता है। सोलह सौ जो वेजेस पाता है, वह बोनस के लिए एन्टाइटल्ड है। वह बोनस पाने का हकदार है। अन्य श्रमिक कानूनों में वेतन की सीमा 1600 रुपये है; कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में वेतन की सीमा 1000 रुपये हैं हम उसे भी 1600 रुपये तक लाने पर विचार कर रहे हैं इसका उद्देश्य इसे अन्य श्रमिक कानून के बराबर लाने का है।

मैं मानता हूं कि वेतन की यह 1600 रुपये की सीमा बहुत दिन तक नहीं टिक सकती, क्योंकि वेतन का स्तर बढ़ रहा है। उस स्थिति में, हमें इसमें वृद्धि करनी पड़ेगी, कुछ समय के बाद यह 2000 रुपये या 2500 रुपये हो सकता है।

जब कभी हम अन्य श्रमिक कानूनों में वेतन की सीमा में वृद्धि करने की स्थिति में होंगे, हम यह भी देखेंगे कि यहां निश्चित किये गये वेतन की सीमा में भी तदनुसार वृद्धि होती है ?

परन्तु ऐसा करने से पहले, मुझे राज्य सरकारों से विचार विमर्श करना पड़ेगा और उसके बाद ही मेरे लिये कोई निर्णय लेना संभव होगा ।

प्रो० एन० जी० रंगा : मेरा सुझाव यह होगा कि यदि यह अब संभव है, सरकार के पास नियम बनाने वाले उपबन्धों के अन्तर्गत, न केवल इसके लिये, अपितु इस तरह की वेतन सीमा की व्यवस्था के संबंध में अन्य श्रमिक विधान के लिये भी शक्ति होनी चाहिये । मूल्यों के स्तर में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुये इस में वृद्धि करने हेतु वे प्रति पांच वर्षों में एक बार उक्त सीमा की पुनरीक्षा कर सकेंगे । अवश्य इसे कभी भी तदनुसार स्तर से कम नहीं किया जा सकता ।

सभापति महोदय : प्रोफेसर साहब, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं किया जा सकता । वे उसके लिये बाद में विशेष प्रस्ताव करेंगे ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : प्रो० रंगा ने जो प्रस्ताव किये हैं, वे इतने आसान नहीं हैं, क्योंकि यही एकमात्र विधान नहीं है जिसमें हमने वेतन की सीमा निर्धारित की थी । ऐसे कई विधान हैं, जिसमें हमने वेतन की सीमा निर्धारित की है और जब कभी हम वेतन की सीमा निर्धारित करना चाहेंगे, हमें संसद के समक्ष आना पड़ेगा और संसद सदस्यों को विश्वास में लेना पड़ेगा । मान लीजिये कि हम अधिक शक्तियां लेना चाहते हैं, तो अन्य पक्ष के सदस्य शिकायत करेंगे कि सरकार अधिक शक्तियों का प्रयोग करना चाहती है और संसद की उपेक्षा करती है ।

सभापति महोदय : इसे विधान के माध्यम से ही करना पड़ेगा ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : इसीलिये मैं कहता हूं कि 1600 रुपये भी अंतिम नहीं है । वह समय भी जल्दी ही आ सकता है कि मैं या जो भी इस मंत्रालय का प्रभारी रहेगा । वह यह कहते हुये दूसरा विधान लेकर आयेगा कि वर्तमान परिस्थितियों में 1600 रुपये पर्याप्त नहीं हैं और हमें 2000 रुपये तक जाना पड़ेगा तथा और कुछ समय के बाद, वह 2500 रुपये हो सकता है ।

श्री ए० के० राय : इसको 1600/- रुपए अथवा 2000/- रुपए करने की बजाए आप इसे 1972 के मूल्य स्तर पर 1000/- रुपए नहीं कर सकते ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मुझे अन्य श्रम कानूनों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था करनी है और यही मेरी समस्या है ।

माननीय सदस्यों ने कई सुझाव दिए हैं । मैं शुरू में केवल इतना ही कह सकता हूं कि यह एक व्यापक विधेयक नहीं है । ये दोनों विधेयक व्यापक नहीं है । ये दोनों विधेयक केवल कुछ विशेष कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए लाए गए हैं जोकि अधिनियम की व्यवस्थाओं को लागू करने में के आगे आई है, न कि अधिनियम की सम्पूर्ण योजना में परिवर्तन करने के लिये इसलिए, इन दो विधानों को लाने का सीमित उद्देश्य है । हम इन विधानों द्वारा योजना में पूर्ण परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं कर रहे हैं । उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के कारण इसमें कुछ कठिनाइयां

थी और उन कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए मुझे एक संशोधन लाना पड़ा है। इसी प्रकार हमें अन्य संशोधन लाने हैं क्योंकि बार-बार हम विभिन्न राज्यों के श्रम मंत्रियों से परामर्श करते रहे है और श्रम संघों से भी सुझाव प्राप्त हुए है और हमें कुछ हद तक उन्हें शामिल करना है।

मैं एक बार फिर बताना चाहता हूं कि यह एक व्यापक विधेयक नहीं हैं और एक समय आएगा जब हम एक व्यापक विधेयक के बारे में विचार करेंगे और जितना जल्दी संभव होगा हम उस विधेयक को लाएंगे।

महोदय, कुछ सदस्य यह महसूस करते है कि ग्रेच्युटी का लाभ नैमितिक मजदूरों, ठेके के मजदूरों आदि को नहीं दिया जा रहा है। कुछ सदस्यों ने रेलवे और अन्य संगठनों में नैमितिक मजदूरों और ठेके के मजदूरों का उल्लेख किया है। मैं यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि जहां तक इस उपदान अधिनियम का सम्बन्ध है, ग्रेच्युटी की अदायगी के मामले में स्थायी, अस्थाई अथवा नैमित्तिक कर्मचारियों के बीच कोई भेदभाव नहीं है। ये सभी श्रेणियों के कर्मचारी ग्रेच्युटी के पात्र हैं। केवल शर्त यह है कि उन्हें अधिनियम में निर्धारित कम से कम 5 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी करनी चाहिए। महोदय, इस 5 वर्षों के बारे में भी, कुछ सदस्य यह जानना चाहते थे कि यह 5 वर्ष क्यों निर्धारित की गई है। उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा की थी कि ग्रेच्युटी योजना में सेवा की कम से कम उचित सेवा अवधि की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके बाद कोई कर्मचारी ग्रेच्युटी के लिए पात्र बने। उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 1971-72 म इस विधान को पारित करते समय यह 5 वर्ष की अवधि निश्चित की गई थी।

सभापति महोदय : मुद्दा यह है कुछ नियोजक कुछ न कुछ कारण ढूंढ लेंगे जिसके कारण वे किसी कर्मचारी को 5 वर्षों तक सेवा जारी नहीं रखने देंगे। मैं फिर कहता हूं, यहां यही कठिनाई है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : अधिनियम उनके लिए है जिन्होंने 5 वर्षों की स्पष्ट सेवा पूरी कर ली है। यदि कोई नियोजक इसकी गलत व्याख्या कर रहा है अथवा इसका दुरुपयोग कर रहा है, तो उसके लिये कई सुरक्षा-उपाय है। कर्मचारी श्रम न्यायालय में जा सकता है और अपने मामले के लिए लड़ सकता है। वह समझौता अधिकारी के पास अभ्यावेदन दे सकता है और न्याय की मांग कर सकता है। विधान के होते हुए भी यदि कोई उसे लागू करते समय अधिनियम की व्यवस्थाओं से बचना चाहता है, तो उसका क्या उपचार है? इसके कार्यान्वयन के मामले में यदि कोई अधिनियम के शिकंजे से बचना चाहता है तो उसका क्या उपचार है? क्या स्वयं अधिनियम में आप प्रत्येक समस्या राहत ढूंढ सकते है? यह संभव नहीं है।

इसमें इस 240 दिनों की लगातार सेवा के बारे में काफी भ्रांति है। इसलिए, माननीय सदस्यों की जानकारी हेतु, मैं 1972 में पारित मूल अधिनियम में लगातार सेवा की परिभाषा पढ़ना चाहता हूं। इस अधिनियम में दो श्रेणियों की सेवाओं पर विचार किया गया है। एक है अविच्छिन्न सेवा और दूसरी है विच्छिन्न सेवा जहां तक अविच्छिन्न सेवा का सम्बन्ध है, उसमें

240 दिनों तक निरन्तर सेवा करने जैसी अथवा इस तरह की अन्य कोई शर्त नहीं है। इसलिए मैं निरन्तर सेवा की परिभाषा पढ़ रहा हूं। अधिनियम की धारा 2(ग) के अन्तर्गत निरन्तर सेवा की परिभाषा दी गई है। उसमें कहा गया है :

> "निरन्तर सेवा" से अभिप्रेत है अविच्छिन्न सेवा और इसके अन्तर्गत वह सेवा भी है जो किसी बीमारी दुर्घटना, छुट्टी, कामबन्दी, हड़ताल अथवा तालाबन्दी से अविच्छिन्न हुई है…"

इसलिए, यदि हड़ताल के कारण कोई सेवा विच्छिन्न हुई है तो यह निरन्तर सेवा है। एक माननीय सदस्य पूछ रहे थे : "यदि हड़ताल हो जाती है, तो यह निरन्तर सेवा कैसे हो सकती है ?" जान-बूझकर परिभाषा इस प्रकार बनाई गई है। सरकार कर्मचारियों की सहायता करना चाहती है। इसलिए, हमने इसको त्रुटिहीन बनाया है। मैं पूरी परिभाषा पढ़ता हूं। इसमें कहा गया है :

> "निरन्तर सेवा से अभिप्रेत है अविच्छिन्न सेवा और इसके अन्तर्गत वह सेवा भी है जो बीमारी, दुर्घटना, छुट्टी, कामबन्दी, हड़ताल अथवा तालाबन्दी अथवा कार्यविरोध, जो सम्बन्धित कर्मचारी की किसी त्रुटि के कारण न हो, से विच्छिन्न हुई हो…"
>
> 'कार्यविरोध जो सम्बन्धित कर्मचारी की किसी त्रुटि के कारण न हो'—इसलिए यह हड़ताल अथवा तालाबन्दी से सम्बन्धित नहीं है। यह केवल 'विरोध' शब्द से सम्बन्धित है—चाहे ऐसी अविच्छिन सेवा इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व की गई हो या पश्चात्।

और इसके बाद स्पष्टीकरण में यह बताया गया है। यह विच्छिन्न सेवा की दूसरी श्रेणी है। इसमें कहा गया है :

> "किसी ऐसे कर्मचारी की दशा में जो अविच्छिन्न सेवा में नहीं है…."

इससे अभिप्रेत है एक व्यक्ति जो विच्छिन्न सेवा में है :

> "….एक वर्ष से, तब यह समझा जाएगा कि वह निरन्तर सेवा में है जब वह उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान किसी नियोजक द्वारा…"
>
> (i) यदि किसी खान में भूमि के नीचे नियोजित हो तो कम से कम 190 दिनों के लिए, और
>
> (ii) किसी अन्य दशा में, तब के सिवाय जबकि वह किसी मौसमी स्थापन में नियोजित हो, कम से कम 240 दिन के लिए, वास्तव में नियोजित किया गया हो।"

इसलिए, कोई कर्मचारी विच्छिन्न सेवा में कब होगा ? कोई कर्मचारी विच्छिन्न सेवा में केवल तभी होगा जब वह अनधिकृत छुट्टी पर होगा। यदि कोई कर्मचारी अनधिकृत छुट्टी पर जाता है, तो उसको विच्छिन्न सेवा में माना जाएगा। यदि कोई कर्मचारी विच्छिन्न सेवा के होते हुए भी यदि वह 240 दिन कार्य करता है तो वह कर्मचारी ग्रेच्युटी पाने का पात्र है।

यह उच्चतम न्यायालय का फैसला था। इसलिए, इस कठिनाई पर काबू पाने के लिए, अब हमने जिस संशोधन पर विचार किया है इस विधेयक की धारा 4 में यह कहा गया है :

"कोई कर्मचारी किसी कालावधि के लिए निरन्तर सेवा में कहा जाएगा यदि वह उस कालावधि के लिए अविच्छिन्न सेवा में रहा है जिसके अन्तर्गत वह सेवा भी है जो बीमारी, दुर्घटना, छुट्टी, छुट्टी के दिन कार्य से अनुपस्थिति शामिल है "

और यह सब हमने जारी रखा है, और उसमें यह भी कहा गया है :

"जो ऐसी अनुपस्थिति नहीं है जिसके सम्बन्ध में स्थापन के कर्मचारी को शासित करने वाले स्थायी आदेशों, नियमों या विनियमों के अनुसार दण्ड या शस्ति अधिरोपित करने वाला या अनुपस्थिति को सेवा मे भाग के रूप में मानने वाला कोई आदेश पारित किया गया है।"

जब नियोजक दण्ड देने का आदेश जारी करता है अथवा उसकी सेवा में भंग होने की घोषणा करता है, क्या ऐसा कर्मचारी विच्छिन्न सेवा की श्रेणी में आएगा अथवा वह कर्मचारी उसके अधीन नहीं आएगा। मान लीजिए कि वह अनधिकृत छुट्टी पर है, यदि प्रबन्धक ने कोर्ट कार्यवाही नहीं की, यदि उन्होंने कर्मचारी को दण्ड नहीं दिया तो उस कर्मचारी को दण्डित करना पड़ेगा और उस कर्मचारी को दण्ड देने के लिए उसकी सेवा में भंग होने की घोषणा करने के लिए प्रबन्धकों को निश्चित प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। इसलिए हमने कहा है कि "ये आदेश संस्थान के कर्मचारियों को नियंत्रित करने वाले स्थायी आदेशों, नियमों के अनुसार प्रबंधकों द्वारा जारी किए जाने होते हैं।" केवल तभी वह व्यवधान युक्त सेवा की श्रेणी में आता है। अन्यथा वह व्यवधान रहित सेवा में बना रहेगा तो जब तक वह व्यवधान रहित सेवा की श्रेणी में बना रहता है तो 240 दिन अथवा जो भी हो, का प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। अब हमने यह सुरक्षा-उपाय किया है। मैं समझता हूं मजदूरों और मजदूर संघों को इन प्रावधानों से पूर्णतः संतुष्ट होना चाहिए।

अब, मूल अधिनियम में यह बतलाया गया है कि जो मजदूर भूमिगत कार्य कर रहे हैं उनके लिए इस प्रयोजन में 119 दिनों की व्यवस्था है। उसमें हमने इसके बारे में बताया है क्योंकि हमें इस बात की जानकारी है कि कुछ प्रतिष्ठान ऐसे हैं जहां सप्ताह में केवल 5 दिन कार्य होता है. वे प्रतिष्ठान जो 6 दिन से कम काम करते हैं— क्योंकि भले ही वे अर्जित, अवकाश तथा अन्य अवकाश, सभी को जोड़े तो वह 95 दिनों के लगभग होता है, इसलिए जो सप्ताह में केवल 5 दिन कार्य करते हैं वे 240 दिन तक की अनवरत सेवा की बात नहीं कर सकते। इसलिए, उस मामले में, हमने भी यह कहा है कि जो मजदूर उन प्रतिष्ठानों में कार्य करते हैं जहां सप्ताह में 6 दिन से कम काम होता है, उनके लिए 240 दिनों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस प्रयोजन के लिए 119 दिन पर्याप्त हैं। इसलिए, हमने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि ऐसे प्रतिष्ठानों में भी मजदूरों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय हों।

कई माननीय सदस्यों ने कृषि मजदूरों और असंगठित श्रमिकों के बारे में उल्लेख किया है। मैं माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई इन भावनाओं से सहमत हूं कि हमारे देश के कुल श्रमिक बल में से केवल 10 प्रतिशत श्रमिक बल संगठित क्षेत्र में है। बाकी 90 प्रतिशत श्रमिक बल असंगठित क्षेत्र में हैं ? और मैं माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की दशा अत्यंत खराब और दयनीय है और श्रम कानूनों के लाभ तथा सामाजिक सुरक्षा कानून और उपायों के लाभ मुख्य रूप से संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिलते हैं और कृषि क्षेत्र के कर्मचारियों अथवा असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को बिल्कुल नहीं मिलते।

अब प्रश्न यह है कि क्या इस उपदान अधिनियम को अन्य कृषि मजदूरों पर भी लागू किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में कई कानून हैं। मैं असंगठित क्षेत्र के लाभ के लिए कानून बनाने के बारे में किसी विवाद अथवा विस्तार में नहीं जाना चाहता, यह एक अलग मामला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमें असंगठित क्षेत्र खासतौर पर कृषि क्षेत्र में भी उपदान अधिनियम लागू करना चाहिए। इसलिए, हमें इस बात पर विचार करना है कि क्या कृषि क्षेत्र में कोई किसान उपदान अथवा अन्य लाभों का भुगतान करने की स्थिति में है, हमें कृषि क्षेत्र के नियोक्ताओं की स्थितियों पर भी विचार करना होगा क्योंकि मैं जानता हूं कि बारानी खेती में, यदि मौसम खराब है तो 50 एकड़ भूमि रखने वाला किसान भी उस भूमि को छोड़ देगा और रोजगार की तलाश में निकल जाएगा। लेकिन सरकारी फार्मों के सम्बन्ध में, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है यदि वह कृषि क्षेत्र हो चाहे वह नैमित्तिक श्रमिक हो, चाहे वह ठेकेदार कार्य करने वाला हो जो भी उसे 5 वर्ष सेवा में रहता है, वह उपदान का हकदार बन जाता है। यदि सरकारी फार्मों में में भी किसी मजदूर को 5 वर्षों तक सेवा में रखा जाता है तो वह उपदान का हकदार बन जाता है और सरकार के स्वामित्व वाले कृषि फार्मों में न्यूनतम मजूरी निश्चित है, यदि फार्म भारत सरकार के स्वामित्व में है तो न्यूनतम मजूरी निश्चित की जाती हैं, लेकिन फार्म राज्य सरकारों के स्वामित्व में है तो राज्य सरकारें न्नयूतम मजूरी निर्धारित कर रही है और राज्य सरकारों से न केवल न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने अपितु उसमें वृद्धि करने के लिए भी कह रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि उपदान के भुगतान के लिए कुछ समय सीमा होनी चाहिए। और एक माननीय सदस्य श्री महन्ती ने यहां तक सुझाव दिया कि उपदान के भुगतान के लिए तथा और विवादों का निपटारा करने के लिए और तीन महीनों का समय निश्चित किया जाना चाहिए। विवादों का निपटारा करने के लिए नियंत्रणकर्ता अधिकारी को रिकार्ड प्राप्त करने होंगे और उनकी छानबीन करनी होगी। उसे नियोक्ताओं से और कर्मचारियों से भी रिकार्ड प्राप्त करने होंगे और जब तक नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही इस मामले में सहयोग नहीं करते तब तक नियंत्रणकर्ता अधिकारी के लिए निर्धारित समय सीमा के अन्दर किसी मामले को निपटाना संभव नहीं है। इसलिए, कानून में समय सीमा रखने के बजाय—जबकि मैं जिस भावना से उन्होंने ये संशोधन पेश किया है, उससे मैं सहमत हूं—मैं चाहूंगा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रणाली अनुदेश अथवा आदेश जारी करना संभव हो कि मामले एक समय

सीमा के अन्दर निपटा दिए जाएं। लेकिन इसे कानून का एक अंग बनाना संभव नहीं है।

जहां तक उपदान संदाय भुगतान (केन्द्रीय) नियमों के अंतर्गत उपदान के भुगतान का भी सम्बन्ध है, इस बात की व्यवस्था पहले ही कर दी गई है कि कोई कर्मचारी उपदान देय होने की तारीख से तीस दिन के अन्दर अपनी देय उपदान राशि के भुगतान के लिए आवेदन करेगा और नियोक्ता उपदान के भुगतान के लिए प्रार्थना पत्र मिलने की तारीख से तीस दिन के अन्दर उपदान का भुगतान करेगा। इसलिए, यदि वह ऐसा नहीं करता है तो स्वयं अधिनियम में इस बात के लिए कई प्रावधान हैं कि उसे जेल जाना पड़े तथा इसी तरह की और बातें हैं। ये सब प्रावधान अधिनियम में हैं। यदि इस प्रकार के कोई मामले सामने आते हैं तो सम्बद्ध अधिकारी कार्यवाही करेंगे।

एक या दो माननीय सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया है कि उपदान की गणना 26 दिनों के आधार पर करने के बजाय 30 दिनों के आधार पर की जाती है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें एक वर्ष की सेवा में केवल 13 दिन मिलते हैं। बात ऐसी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, मासिक मजूरी को 26 से भाग दिया जाता है और उसे 15 से गुणा कर दिया जाता है सेवा के प्रत्येक वर्ष की 17 दिनों की मजूरी के समकक्ष उपदान बनता है। किसी भी मजदूर को 15 दिन के बजाय 13 दिनों का उपदान का भुगतान किए जाने की कोई संभावना नहीं है। दूसरी ओर उन्हें 17 दिनों की मजूरी का भुगतान किया जाता है।

ये कुछ मुद्दे हैं, क्योंकि समय थोड़ा है, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं एक मुद्दा स्पष्ट करना चाहता हूं। इस समय कृषि फार्मों को इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं लाया गया है। लेकिन प्रतिष्ठानों और कृषि फार्मों को इस अधिनियम के अंतर्गत लाने की शक्ति हमारे पास है और हमारे यहां बहुत से अन्य प्रतिष्ठान हैं यदि ऐसा समय आता है और यह संभव लगे तो हम इनको भी इस विधेयक के अंतर्गत लाने पर विचार करेंगे। लेकिन इस समय ये इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं हैं। मैंने यथा संभव सीमा तक मननीय सदस्यों की बातों का उत्तर दे दिया है। सभी ओर इन दोनों विधेयकों का स्वागत किया गया है मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं पुनः उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है और अपने अमूल्य सुझाव दिए हैं।

सभापति महोदय : सबसे पहले श्री जटिया बोलें। हमारे पास समय बहुत कम है। कृपया प्रश्न ही करें।

श्री सत्यनारायण जटिया : प्रतिमाह 600 रुपये से अधिक वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के मामले में संशोधित उपदान दरों के अनुसार उसे देय उपदान राशि की गणना करते समय, कर्मचारी द्वारा 1600 रुपए की अधिकतम सीमा तक पहुंचने के बाद की गई सेवा की अवधि पर विचार नहीं किया जाता। मैं यहां एक और बात का सुझाव देना चाहता हूं।

सभापति महोदय : अब कोई सुझाव मत दीजिए। यदि आप कोई स्पष्टीकरण चाहें तो कर सकते हैं।

श्री सत्यनारायण जटिया : जो कर्मचारी एक बार ग्रेच्युटी नियमों के अंतर्गत आ जाए, वह निरंतर बना रहना चाहिए। परन्तु 1600 रुपए की एमालुमेंटस होने के बाद उसको ग्रेच्युटी नहीं दी जाएगी। मंत्रालय इस बारे में क्या कर रहा है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : इस स्थिति में इसका निर्णय नहीं किया जा सकता।

सभापति महोदय : इस समय यह प्रश्न कैसे उठता है ? यह कोई नया मुद्दा नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री सत्यनारायण जटिया : मेरा प्रश्न 1600 रुपए की लिमिट से सम्बन्धित है। जो फायदा किसी कर्मचारी को मिलता है उस लिमिट के बाद वह उसे नहीं मिलेगा वह डिस्कन्टीन्यू हो जाएगा। जो फायदा उसको मिल रहा है, वह निरन्तर मिलना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि आप मुझे एलाऊ क्यों नहीं कर रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मान लीजिए, आज कोई मजदूर 1000 रुपए प्राप्त कर रहा है वह 1600 रुपए की मजूरी सीमा तक प्रतिवर्ष 15 दिनों की मजूरी की दर से ग्रेच्युटी प्राप्त करेगा। जैसे ही उसका वेतन 1600 रुपए से अधिक होगा उसे यह लाभ नहीं मिलेगा।

श्री सत्यनारायण जटिया : यदि उसकी अवधि 5 वर्षों से कम है तब क्या होगा ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : वह यहां लागू नहीं होगा।

श्री के० राममूर्ति : दूसरे विधेयक पर मैंने अत्यंत साधारण सन्देह उठाया था। मंत्री महोदय ने बताया है कि सर्वोच्च न्ययालय के निर्णय के परिणामस्वरूप व्यवधान रहित सेवा 240 दिनों की है। अब उन्होंने इसमें एक संशोधन जोड़ दिया है-बिना अवकाश के ड्यूटी से अनुपस्थित रहना। यदि कोई मजदूर वास्तविक रूप से 220 दिनों तक कार्य करता है और शेष 20 दिन वह बीमारी अथवा जबरन छुट्टी अथवा तालाबन्दी के कारण अनुपस्थित रहता है तो क्या वह ग्रेच्युटी का हकदार है ? नैतिक भ्रष्टता के आधार पर उसको ग्रेच्युटी से पूरी तरह वंचित करना कहां तक उचित है ? क्या इस बात ने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यदि आप परिभाषा को पढ़ें तो आप यह देखेंगे कि मैंने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है....

सभापति महोदय : कृपया इसे दोहराइए मत।

श्री कृष्ण चन्द हल्दर (दुर्गापुर) : असंगठित मजदूरों के बारे में मंत्री जी ने कहा है कि जब वे पांच वर्षों तक कार्य करते हैं तो वे सरकारी संस्थानों में ग्रेच्युटी प्राप्त करने के हकदार

बन जाते हैं। अंत में उन्होंने बताया है कि कृषि मजदूरों को इसके अन्तर्गत नहीं लाया जाएगा। बहुत से सरकारी कृषि फार्म हैं जहां मजदूर कार्य करते हैं। क्या वे पांच वर्षों तक कार्य करने के बाद ग्रेच्युटी प्राप्त करेंगे। ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जो बात मैंने कही है वह यह है कि आज कृषि फार्म इसके अन्तर्गत नहीं आते। लेकिन यदि सरकार कृषि मजदूरों को इस अधिनियम के अन्तर्गत लाना चाहती है तो उन मजदूरों को भी इस अधिनियम के अन्तर्गत लाया जा सकता है।

श्री सुबोध सेन : माननीय मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि व्यवधान रहित सेवा की परिभाषा का अर्थ बिना कर्मचारी के दोष के उसकी सेवाओं की समाप्ति भी है। लेकिन यहां जबरन छुट्टी, हड़ताल, तालाबंदी अथवा कार्य की समाप्ति 'जैसे शब्दों, की ओर भी ध्यान दीजिए ? कार्य की समाप्ति को भी उसी श्रेणी में रखा गया है। इसलिए उस व्याख्या को कौन स्वीकार करेगा ? इसे तदनुरूप बनाया गया है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं इस बात को पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं।

(इति)

सभापति महोदय : प्रश्न है :

"कि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

4.00 म० प०

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया !

खण्ड-3

धारा 4 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 2, पंक्ति 30,—

"1982" **के स्थान पर**

"1984" प्रतिस्थापित किया जाये। (3)

(श्री वीरेन्द्र पाटिल)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड-5

नई धारा 7 क और 7 ख का अन्तःस्थापन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 4, पंक्ति 6,—

"सहायता" **के स्थान पर**

"सहायक" **प्रतिस्थापित किया जाए ।** (9)

(श्री वीरेन्द्र पाटिल)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 5, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड-1

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,—

"1982" **के स्थान पर**

"1984" **प्रतिस्थापित किया जाये ।** (2)

(श्री वीरेन्द्र पाटिल)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"तैंतीसवें" **के स्थान पर**

"पैंतीसवें" **प्रतिस्थापित किया जाये।** (1)

(श्री वीरेन्द्र पाटिल)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.04 म० प०

उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 1984

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा इस पर खंडवार विचार करेगी।

चूंकि खण्ड 2 से 6 में कोई संशोधन नहीं है; मैं खण्ड 2 से 6 को सभा में मतदान के लिए एक साथ रखता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 6 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिये गए।

सभापति महोदय : खण्ड 1 में एक संशोधन है। मंत्री महोदय अब संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 3,—

"(संशोधन)" **के स्थान पर**

"(द्वितीय संशोधन)" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (1)

(श्री वीरेन्द्र पाटिल)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, संशोधित 'रूप में', विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है;

"कि अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय मैं, प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक......

(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : राव साहब भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : इसको कर दो छोटा सा बिल है, उसके बाद तसल्ली से डिस्कशन करना।

सभापति महोदय : बिजनेस-एट-हैण्ड निपटा दिया है, नया बिजनेस नहीं लेंगे।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह : मेरी एक सबमिशन है—इनको सिर्फ मूव करने की आज्ञा दे दीजिए।

सभापति महोदय : इसकी क्या जरूरत है ?

4.08 म० म०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

भारत-बंगलादेश सीमा पर भारतीय-क्षेत्र में बाड़ लगाने संबंधी घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा

4.08 म० म०

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अधीन चर्चा करेंगे। इसके लिए दो घंटे का समय आवंटित किया गया है। मैं सदस्यों से दो घंटे से अधिक समय न लेने का अनुरोध करूंगा।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : आपको भी दो घंटे तक बाहर नहीं जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नही जाऊंगा, परन्तु मेरा कहना है कि जो लोग यहां उपस्थित हैं और वे जो चर्चा में भाग लेंगे, उन्हें मन्त्री महोदय के भाषण के समय उपस्थित रहना चाहिए। मैं सभी सदस्यों से संक्षेप में बोलने का अनुरोध करता हूं। यदि माननीय सदस्य संक्षेप में बोलेंगे तो आधे घंटे की बात को वे दस मिनट में भी कह सकते हैं। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से

संक्षेप में बोलने का अनुरोध करता हूं। यह एक बहुत विशिष्ट और महत्वपूर्ण मामला है। इसलिए, हमें इसे दो घंटे के भीतर पूरा कर लेना चाहिए।

अब, श्री आर० एन० राकेश। मुझे आशा है वे एक उदाहरण पेश करेंगे।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : उपाध्यक्ष जी, 1971 में बंगला देश रूपी** जन्म दिया था, वह बच्चा जमीन पर खड़ा भी नहीं हो पाया था कि** ···वही हालत बांगला देश की भी है। वही हालत बंगलादेश की हुई। आज बंगलादेश किस की गोद में खेल रहा है, गंभीरता-पूर्वक विचार करना पड़ेगा। बंगलादेश एक तरफ चीन की गोद में बैठा है ·······

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि विदेश मंत्री को भी यहाँ उपस्थित होना चाहिए। यह मामला केवल गृह मंत्रालय से ही संबंधित नहीं है, इसका संबंध विदेश मंत्रालय से भी है। विदेश मंत्री को भी यहां होना चाहिए। (**व्यवधान**) मैं आपको बता रहा हूं यह अच्छी बात नहीं है। ये ऐसी प्रथाएं हैं जो अब अपनाई जा रही है जो संसदीय प्रक्रिया को कमजोर बनाती है। इसमें क्या नुकसान हैं ? विदेश मंत्रालय में दो मंत्री हैं। कम से कम इस विषय पर किसी को यहां उपस्थित होना चाहिए। इस विषय का विदेश मंत्रालय से काफी संबंध है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : यह केवल तार लगाए जाने का प्रश्न ही नहीं हैं बल्कि इसमें बांगलादेश के साथ सम्बन्ध का प्रश्न भी शामिल है।

(व्यवधान)

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : यह एक छोटा मामला हैं। इसलिए कोई मंत्री यहां कैसे उपस्थित रह सकता है ?

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, विदेश मंत्री को भी यहां उपस्थित होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार इस बात को समझती है। अब श्री राकेश अपनी बात जारी रख सकते हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय मेरी छोटी सी आपत्ति है और वह यह है कि हम एक देश के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो कि एक प्रभुसत्ता सम्पन्न देश है और हमारे उसके साथ मित्रतापूर्ण संबंध है। अब माननीय सदस्य उस देश की बात कर रहे हैं। बांगलादेश जैसा कि**······ यह बल्कि एक अपमानजनकशब्द है। हमें, वास्तव में, अपने मुद्दे पर वाद-विवाद करना चाहिए, यह एक अलग बात है, लेकिन दूसरों पर आक्षेप

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

नहीं लगाने चाहिये। इसलिए, उनको बहुत सावधान रहना चाहिए। आप इसको कार्यवाही वृतान्त से निकाल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : महोदय, आप इसको कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसके बारे में किसी और अवसर पर पहले ही उल्लेख कर चुका हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। प्रत्येक को ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं हैं। जब हम अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार करते हैं तो हमें संयम बर्तना चाहिए। मैंने पहले भी यह अनुरोध किया था। यह मेरा विनम्र विचार है।

श्री जी० एम० बनातवाला : अन्यथा आप इसको कार्यवाही वृत्तान्त से निकालने जा रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तान्त का अध्ययन करूंगा।

श्री जी० एम० बनातवाला : कृपया ऐसा शीघ्र कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, ऐसा संभव नहीं है। मैं कार्यवाही वृत्तान्त का अध्ययन करूंगा। कृपया बैठ जाइये।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : उपाध्यक्ष महोदय, आप कार्यवाही वृत्तान्त को पढ़ते हैं। उन्होंने साफतौर पर बताया है, **·······यह बुरी बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यविधि हैं। कृपया आप इसे मेरे पर छोड़ दीजिए।

श्री आर० एन० राकेश : मेरे कहने का मतलब वह नहीं था, जो ये कह रहे हैं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : माननीय सदस्य को ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं भी इस संबंध में अन्य माननीय सदस्यों के साथ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसको पढूंगा, मैंने इसको समझ लिया है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : महोदय, कृपया इसको कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाए।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया है।

श्री आर० एस० राकेश : और दूसरी तरफ अमेरिका भी बंगलादेश को अपनी गोद में लेने की कोशिश कर रहा है और हमारे सम्बन्ध उस पड़ोसी देश से बिगड़ते चले जा रहे हैं। ये क्यों बिगड़ रहे हैं, इस की गहराई की ओर जाने की जरूरत है।

सबसे पहले मैं पानी के विवाद की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। 29 अप्रैल, 1977 को दोनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ, जिस के अनुसार अकाल के दिनों में भारत को 20,800 क्यूसेक और बंगलादेश को 34,700 क्यूसेक पानी मिलेगा। गंगा नदी 97 प्रतिशत भारत में बहती है। इस के अनुसार भारत को ज्यादा पानी मिलना चाहिए था, फिर भी पड़ौसी देश से हमारे संबंध अच्छे हों, हमने इस शर्त को स्वीकार कर लिया लेकिन अक्तूबर 1982 को भारत की प्रधान मंत्री और बंगलादेश के सैनिक शासक जनरल इरशाद के बीच में गंगा नदी के बारे में जो समझौता हुआ, उस समझौते के तहत ब्रह्मपुत्र और गंगा के बीच में एक वाटर लिंक चैनल कायम होना था लेकिन 7 मई, 1983 को जनरल इरशाद ने इस समझौते को नाकामयाब यह कहकर रद्द दिया कि उन्होंने इस समझौते की आलोचना की थी। आज मुख्य समस्या यह है कि भारत चाहता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच में लिंक नहर कायम हो। बंगला देश दूसरी तरफ चाहता है कि भारत गंगा नदी पर जो भी ब्रिज बनाए उसकी राय लेकर बनाए। इस मामले में बंगला देश नेपाल को भी शामिल करना चाहता है। बंगला देश चाहता है कि बंगला देश और नेपाल के बीच एक सड़क मार्ग हो, साथ ही साथ बंगला देश और नेपाल के बीच वाटर चैनल भी कायम हो। बगला देश ने यह भी शर्त रखी है कि वह भारत से जो समझौता 1982 अक्तूबर में हुआ था, उसमें ब्रह्मपुत्र और गंगा के वाटर चैनल की शर्त को तब मानने के लिए तैयार है जब भारत नेपाल तक सड़क के लिए रास्ता दे देता है। दूसरी तरफ वह पानी के बाबत मांग करता है कि बंगलादेश और नेपाल के बीच वाटर चैनल जोड़ा जाए। उस चैनल में नेपाल को भी हिस्सेदार बनाया जाए।

फरक्खा जल समझौता 31 मई को समाप्त हो रहा है। सरकार ने वादा किया था कि इस समझौते को स्थायी रूप दे दिया जाएगा लेकिन अभी तक इस सम्बन्ध में कोई प्रयास नहीं हुआ है। बंगाल की खाड़ी में सुन्दर वन के निकट न्यू मौर्य द्वीप को लेकर बंगलादेश 1983 में कब्जा करने की कोशिश कर चुका है और आज भी उसका क्लेम बरकरार है। यह भी सम्बन्धों को सुधारने में एक रुकावट है।

1975 में जो समझौता हुआ था जिसमें भारत-बंगलादेश सीमा पर कांटेदार तार और खंभे लगाने का फैसला हुआ था ताकि घुसपैठ को रोका जा सके, तस्करी को रोका जा सके और सीमाओं का डीमार्केशन हो जाए तथा विदेशी आर्म्स एण्ड एम्यूशन जो सप्लाई होते हैं, उग्रवादियों को जो मिल रहे हैं, उनको रोका जा सके। इस समझौते के बावजूद गत 19-20 अप्रैल को बंगलादेश रायफल ने भारतीय क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों पर गोली चलाई, उनको घायल किया। फायरिंग 24-25 अप्रैल को भी बरकरार रही है।

सीमाओं का डीमार्केशन न होने के कारण घुसपैठ की समस्या एक विकट समस्या भारत के लिए बन गई है। इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं। 1971 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि की दर 21.64 प्रतिशत थी जबकि आसाम की जनसंख्या वृद्धि की दर 34.97 प्रतिशत थी। 1971 की ही एक रिपोर्ट के अनुसार सारे भारत की जनसंख्या वृद्धि की दर 24.80 प्रतिशत है और आसाम की जनसंख्या वृद्धि की दर 34.94 प्रतिशत है। घुसपैठ की इस समस्या से आसाम ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल भी प्रभावित हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल की हरिदासपुर चौकी में जो प्रवेश हो रहा है, उसमें एक बटा चार प्रतिशत लोग वापिस नहीं जाते हैं जिससे इस जिले की जनसंख्या में 27 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इसी प्रकार हिदरपुर की आबादी साठ सजार से बढ़कर एक लाख दस हजार हो गई। बंगलादेश, जलपाईगुड़ी और उसके पास के दो गांवों पर भी अपना दावा कर रहा है। लेकिन, सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में कोई प्रभावशाली कार्यवाही नहीं की जा सकी है। 48 घण्टे पहले बगलादेश के सैनिक प्रशासक श्री इरशाद ने घोषित किया है कि वह भारत और बंगलादेश की सीमा पर 24 चौकियां कायम करेगा और इन पर जबर्दस्त पहरा लगाया जायेगा। इसका मुख्य कारण यह है कि श्री इरशाद की कुर्सी की भूख समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी है लेकिन वह चुनाव नहीं कराना चाहते। इसकी वजह यह है कि बंगलादेश के लोग अपनी मूल समस्याओं को भूल जाएं जिनको हल करने में वहां की सरकार नाकामयाब है। इसलिए, वह चाहते हैं कि सीमा पर इस तरह की हरकतें की जाएं। एक रिपोर्ट के अनुसार, बंगलादेश ने चीन से नौ पनडुब्बियां ली हैं जिसमें एक तो बंगलादेश के पास पहुंच चुकी है और आठ अभी रास्ते में हैं। यह पनडुब्बियां बहुत ही शक्तिशाली हैं। वे, लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कल के अखबारों में जो समाचार आया है, उसके अनुसार पाकिस्तान के एक भूतपूर्व मंत्री ने लन्दन में यह रहस्योद्घाटन किया है कि गत वर्ष वाशिंग्टन में एक बैठक हुई जिसमें पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और बंगलादेश के सैनिक अधिकारियों ने भाग लिया। उसमें यह तय किया गया कि चारों देश भारत पर चारों ओर से सैनिक दबाव डालें। उत्तर से चीन, पश्चिम से पाकिस्तान, दक्षिण हिन्दमहासागर से अमेरिका तथा पूर्व से बंगलादेश। अमेरिका के आग्रह पर चीन ने बंगलादेश को युद्ध-पोत, पनडुब्बियां, लड़ाकू विमान और टैंक देने की बात की है और बदले में अमेरिका ने चीन को नए हथियार देने का भी आश्वासन दिया है। इस जानकारी के अनुसार अब तक 36 विमान, 6 युद्ध-पोत और भारी संख्या में टैंक बंगलादेश में पहुंच चुके हैं। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग दो हजार चीनी सैनिक बंगलादेश में पहुंचकर के सैनिक ट्रेनिंग लोगों को दे रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि बंगला देश में त्रिपुरा युवा जन-जाति संघ के लोग सैनिक ट्रेनिंग ले रहे हैं। और उनके माध्यम से बंगला देश से हथियार आसाम और नार्थ ईस्टर्न एरिया में भेजे जा रहे हैं। वहां की आदिमजातियां "चकमा" के नाम से जानी जाती हैं, उनके द्वारा खाने-पीने के सामान की तस्करी भारत से बंगला देश को की जा रही है। जहां तक त्रिपुरा जनजातीय लोगों का प्रश्न है, ये वही लोग हैं, जिनके साथ हाल ही के चुनावों में कांग्रेस आई ने चुनाव समझौता किया था। उस समय हमारे वैद्या जी नार्थ ईस्टर्न सैक्टर में कमान्डर इंचीफ हुआ करते थे। उन्होंने इन उग्रवादियों को क्लीन-चिट दी थी। साथ ही आसाम के तत्कालीन राज्यपाल श्री प्रकाश मेहरोत्रा

ने इन उग्रवादियों को कांग्रेस आई के निकट लाकर चुनाव समझौता कराने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जिसकी कीमत उनको अब मिल चुकी है।

अब यहां सवाल उठता है कि जब हमने अपने पड़ोसी देशों बर्मा, थाईलैंड, इन्डोनेशिया और श्रीलंका के साथ समुद्री क्षेत्र का सीमांकन किया हैं तो फिर बंगला देश के साथ समुद्री सीमांकन क्यों नहीं किया। इसके साथ-साथ यह सवाल भी उठता है कि हमारी सरकार की ऐसी कौन सी नीति है जिसके कारण हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं और सुधर नहीं रहे हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि भारत की वैदेशिक नीति इस दिशा में घातक सिद्ध हुई है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। हिन्द महासागर शांति का क्षेत्र होना चाहिए। हमारी सरकार को चाहिए कि वह पड़ोसी देशों के साथ और अन्य महाशक्तियों के साथ बातचीत करके, जिन्होंने इस क्षेत्र को अशांति का क्षेत्र बना रखा है, उनको बाहर करने की दिशा में पहल की। हमें उन शक्तियों का विरोध करना चाहिए जो इसको शांति का क्षेत्र बनाए रखने के रास्ते में रोड़े अटका रही हैं। मैं समझता हू कि हमारी सरकार की नीति इतनी गोलमोल है कि हमें अपने पड़ोसी देशों का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। अभी मेरी जानकारी के अनुसार, भारत सरकार को नेपाल सरकार की ओर से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसमें हिन्द महासागर क्षेत्र को शांति का क्षेत्र बनाए रखने की बात कही गई है। अब जबकि वह प्रस्ताव भारत सरकार को प्राप्त हो चुका है, पता नहीं भारत सरकार उस पर अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं व्यक्त करती। कोई स्पष्ट रवैया सामने नहीं आ रहा है। भूटान के साथ लगने वाली हमारी सीमाएं भी आज सुरक्षित नहीं है। अभी हाल ही में भूटान ने चीन के साथ सीमाओं के सम्बन्ध में विस्तार से वार्ता की है और शीघ्र ही एक चीनी प्रतिनिधि मण्डल भूटान आने वाला है। हमारी प्रधान मंत्री जी भी बार-बार कहती रहती हैं कि हमें अपने पड़ोसी देशों से खतरा है। पड़ोसी देश भारत पर आक्रमण करना चाहते हैं। लेकिन जब-जब हमारी प्रधान मंत्री जी कहती हैं कि पड़ोसी देश भारत के ऊपर आक्रमण कर हैं, पड़ोसी देश हमसे कट जाते हैं और घबरा कर हमारी तरफ देखने की बजाए चाइना की तरफ देखने लग जाते हैं....(व्यवधान)...

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : प्रधान मंत्री ने ऐसा कभी नहीं कहा।

श्री आर० एन० राकेश : प्रधान मंत्री ने हमेशा और हमेशा ऐसा कहा है। लेकिन आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : प्रधान मंत्री ने कभी ऐसा नहीं कहा।

श्री आर० एन० राकेश : प्रधान मंत्री हमेशा ऐसा कहती रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया तार लगाने के बारे में कुछ शब्द कहे। नियम 193 के अधीन यही चर्चा का विषय है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : उपाध्यक्ष महोदय को हमेशा ध्यान देना चाहिये।

श्री आर० एन० राकेश : पड़ोसी देश हमारी ओर देखने के बजाय मजबूर होकर चीन और हमारे दुश्मनों की ओर देखने लगते हैं। मतलब यह हुआ कि प्रधान मंत्री भले ही भारतीयों को भयभीत करने के लिये कर रही हों, लेकिन उसका असर पड़ौसी देशों पर बुरा पड़ रहा है। क्या प्रधान मंत्री और मौजूदा सरकार ने इस पर विचार किया है ? नहीं। अगर किया होता तो ऐसी स्थिति नहीं आती।

पहले ही कह दिया गया था कि सदन में विदेश मंत्री को होना चाहिये था, लेकिन वह नहीं है इसलिये मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या पड़ोसी देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से उन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है ? साथ ही हमने इन सम्बन्धों को सुधारने के लिये कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाये हैं। हमारा बंगला देश से व्यापारिक सम्बन्ध हो सकता था क्योंकि कोयला उसे चाहिये। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और आज उसको कोयला यूरोप और आस्ट्रेलिया से मंगाना पड़ रहा है। जब तक वह पूर्वी पाकिस्तान था जूट का व्यापार भारत के साथ होता था लेकिन बंगला देश बनने के बाद उसने उस व्यापारिक सम्बन्ध को कायम नहीं रखा जिसकी वजह से बांगला देश को 10,000 किलोमीटर दूर स्थित अमरीका से जूट का व्यापारिक सम्बन्ध उसको कायम करना पड़ा। इसी तरह से पेपर के बारे में भी हमारा व्यापारिक सम्बन्ध हो सकता था, लेकिन उसमें भी हम फेल रहे हैं। नैचुरल गैस बांगला देश में पर्याप्त मात्रा में पैदा होती है और बांगला देश से इस बारे में व्यापारिक सम्बन्ध कायम कर सकते थे। लेकिन हमने वैसा नहीं किया।

इसी तरह से काठमान्डू को छोड़ कर किसी भी पड़ौसी देश की राजधानी से हमारी एयर फ्लाईट का सम्बन्ध नहीं है, टेलीफोनिक संबंध नहीं हैं। इस्लामाबाद से जरूर है, लेकिन एस० टी० डी० नहीं है। आज बंगला देश और भारत के बीच में कैसे संबंध हैं यह इसी से साबित होता है कि बांगला देश का कोई व्यक्ति अगर भारत में आता है तो उसकी प्रापर्टी जो वह बंगला देश में छोड़ कर आता हैं, ऐनीमी प्रौपर्टी डिक्लेअर करके नीलाम कर दी जाती है। लेकिन बंगला देश के लोग जब पाकिस्तान या नेपाल जाते हैं तब उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि हमारे सम्बन्ध बांगला देश से बहुत खराब हो गये हैं इस पर हमें सोचना चाहिए।

जहाँ तक फैन्सिंग का सवाल के लगभग 3,000 किलोमीटर लम्बा यह एरिया है।··· बंगलादेश, त्रिपुरा, मणिपुर, असम और पश्चिम का एरिया है, जहाँ पर कंटीले तार लगने चाहियें। अगर कंटीले तार और खम्भे नहीं लगाये जाते हैं तो बराबर घुसपैठ बरकरार रहेगी। बंगला देश का सैनिक शासन चाहता है कि बराबर घुसपैठ होती रहे, तस्करी होती रहे। कांग्रेस (आई) के लोगों ने चुनाव जीतने की दृष्टि से देश की कीमत को बेचकर उग्रवादियों से और युवा जनजाति से समझौता करके चुनाव लड़ा है। इन लोगों के द्वारा विदेशी हथियार

असम और नार्थ इस्टर्न सैक्टर में बराबर आते रहे हैं और उससे जो विस्फोटक स्थिति बनी है, वह बराबर बनती रहेगी।

पिछले साल 22.12.84 को तत्कालीन गृह-राज्य मंत्री श्री लस्कर ने एक सवाल के उत्तर में कहा था कि भारी मात्रा में असम, मणिपुर, त्रिपुरा में हथियार पकड़े गये हैं और उन हथियारों पर विदेशों—बंगलादेश, चाइना और पाकिस्तान की मुहर लगी हैं। इससे यह साबित होता है कि सीमा पर अगर कंटीले तार नहीं लगाये जाते हैं, खम्भे नहीं लगाये जाते हैं, सीमा का डिमार्केशन नहीं होता है तो हमारे सम्बन्ध बराबर बिगड़ते चले जायेंगे।

बंगला देश ने कांटेदार तार और खम्भे लगाने में जो आपत्ति पैदा की हैं, वह 1975 के समझौते का विरोध करती हैं और उस समझौते के विपरीत है। दोनों देशों द्वारा यह तय हो चुका था, किन्तु नहीं मुद्दों को फिर से उखाड़ने का आज सवाल पैदा किया गया है। सच तो यह हैं कि भारत और बंगला देश की समस्याएं सुलझाने के बजाय बराबर उलझती जा रही हैं।

मेरा निवेदन है कि बंगला देश की सरकार द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप किया गया है, जो बाधा पैदा की हैं, उनको हटाया जाये और तार व खम्भे लगाने का काम तत्काल पूरा किया जाये। यह न सिर्फ भारत के ही हित में है, बल्कि बंगला देश के भी हित में होगा।

समुद्री क्षेत्रों में सीमांकन जिस तरह अन्य देशों के साथ हुआ है, उसी तरह बंगला देश के साथ भी तत्काल किया जाये। दोनों देशों के बीच में पानी का समझौता भी सही ढंग से होना चाहिये। बंगला देश से जो हमारे व्यापारिक सम्बन्ध आज तक नही बन पाये हैं, उन्हें तत्काल कायम किया जाये। ऐसा न करके हमने जानबूझकर बंगला देश को मजबूर कर दिया है, उसे धकेल दिया है कि वह दुश्मनों और विरोधियों की गोद में खेले।

बंगला देश सबसे ज्यादा गरीबी की रेखा का देश है। अगर उसके साथ हम अपने व्यापारिक सम्बन्ध जोड़ेंगे तो उसकी गरीबी को दूर करने में भी हमें कामयाबी मिलेगी।।

बंगला देश अपने मजदूरों को असम, बंगाल और त्रिपुरा में फेंक रहा है, इसके लिए हमें अपनी सीमाओं की चौकसी रखनी चाहिये। वहां के लोग जो घुसपैठ कर रहे हैं, उनको रोकना चाहिये और व्यापारिक सम्बन्धों के द्वारा उनकी दशा को सुधारने के लिये आवश्यक कदम उठाये जायें।

भारत की प्रधान मंत्री बार-बार कहती है कि पड़ोसी देश हमपर आक्रमण कर रहे हैं। इससे पड़ोसी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध तो बिगड़ ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारे दुश्मनों को इस उपमहाद्वीप के मामलों में हस्तक्षेप करने का मौका भी मिल जाता है। इन बातों को रोका जाए।

प्रधान मंत्री भारत के भूतपूर्व रक्षा मंत्री, बाबू जगजीवन राम, के उस बयान से सबक लें, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई देश हम पर आक्रमण करेगा, तो हम आक्रमणकारी की भूमि पर लड़ेंगे। प्रधान मंत्री को आक्रमण की बात कहकर देशवासियों को डराने की नीति नहीं अपनानी चाहिए। इससे हम अपने देश को छोटा कर रहे हैं, पड़ौसी देशों के साथ सम्बन्धों को बिगाड़ रहें हैं और देश के दुश्मनों को प्रोत्साहन दे रहे हैं।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : हमें पंजाब से बहुत ही बेचैन करने वाले समाचार प्राप्त हुए हैं कि उग्रवादियों द्वारा रेल संचार पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया गया है। मैं इस मामले में गृह मंत्री से इस विषय पर वक्तव्य देने की मांग करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, क्या मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं ? वाद-विवाद के अन्त में मंत्री महोदय उत्तर देंगे। लेकिन यह वाद-विवाद के लिए लाभप्रद होगा यदि वह इस समय यदि आप इस बात से सहमत हो उन्होंने उसी विषय पर दूसरे सदन में एक वक्तव्य दिया है—यदि आप चाहें तो वह उसी प्रकार का वक्तव्य यहां भी दोबारा दे सकते हैं। इससे कुछ आधार बन जाएगा जिस पर पर चर्चा कर सकते हैं। अन्यथा, हमारे पास चर्चा जारी रखने के लिए कुछ नहीं है। हम समाचार पत्रों में परस्पर विरोधी विभिन्न प्रकार के समाचार पढ़ रहे हैं।

श्री माधव राव सिन्धिया (गुना) : आप इसे राज्य सभा से प्राप्त कर सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस सदन को उससे क्यों वंचित रखा जा रहा है ? हमें क्यों उसे राज्य सभा से लेने जाना चाहिए ? मैं राज्य सभा का संग्राहक नहीं हूं।

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : यदि वे चाहते हैं, मैं इसे पढ़ सकता हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यह एक बहुत ही संगत बात है। जब मैंने यह मांग की कि इस पर चर्चा होना चाहिए, मैंने यह भी मांग की थी कि सरकार को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए जिसके आधार पर हम लाभदायक चर्चा जारी रख सके। लेकिन, दुर्भाग्यवश सरकार ने ऐसा कोई वक्तव्य जारी नहीं किया है। इसलिए मैं इन्द्रजीत गुप्त के तर्क का समर्थन करता हूं कि श्री सेठी को एक वक्तव्य देना चाहिए जिसके आधार पर हम इस वाद-विवाद को जारी कर सके।

श्री चन्द्रजीत यादव : वह अन्त में इसका उत्तर दे सकते है, लेकिन इस समय वह वक्तव्य पढ़ सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उनके वक्तव्य को उनके उत्तर के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन निश्चिय ही इससे चर्चा में सहायता मिलेगी।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं अभी इसे पढ़ता हूं।

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : महोदय,

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से भारत में लोगों की घुसपैठ 1947 में भारत के विभाजन के समय से होती आ रही है। असम में इस समस्या के गम्भीर रूप धारण करने तथा पश्चिम बंगाल व बंगलादेश की सभा से लगने वाले अन्य राज्यों में घुसपैठ की रिपोर्टों के संदर्भ में भारत सरकार ने कुछ उपाय किए थे। इन उपायों में भारत-बंगलादेश सीमा के साथ-साथ कांटेदार तार लगाकर वास्तविक अवरोधकों का निर्माण करना; सीमा के साथ-साथ सड़कों का निर्माण करना; सीमा सुरक्षा दल द्वारा सीमा पर गश्त कड़ी करना; सीमा सुरक्षा बल की और बाह्य चौकियां आदि स्थापित करना शामिल हैं। यह बाड़ सभी राज्यों की 3200 किलोमीटर लम्बी सीमा पर लगायी जानी है। यह निर्णय किया गया था कि विस्तृत सर्वेक्षण करके धूब्री तथा पश्चिम बंगाल के पश्चिमी दिनाजपुर जिले में 100-100 किलोमीटर सीमा पर बाड़ लगाने का काम चालू किया जाए।

2. असम में धूब्री जिले में रामराय कुटी गांव में असम, बंगला देश और पश्चिम बंगाल के त्रिसंगम पर प्रयोगात्मक आधार पर एक किलोमीटर बाड़ का निर्माण तुरन्त शुरू करने के लिए गोहाटी में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एकक को 24 मार्च, 1984 को अनुदेश जारी किए गए थे। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने भारतीय क्षेत्र में सीमा स्तम्भ 1001 के निकट 27 मार्च, 1984 को सर्वेक्षण कार्य शुरू किया। जैसे ही सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया, बंगलादेश राइफल्स के कार्मिक यह मालूम करने के लिए आए कि क्या हो रहा है। बी० डी० आर० कार्मिकों के छोटे दल घटनास्थल पर आते रहे। 2 अप्रैल को स्तम्भ 1001 से लगभग 100 गज की दूरी पर बी० डी० आर० कार्मिकों की लगभग एक प्लाटून की संख्या ने मोर्चा संभाला और सिविल कपड़ों में लगभग 100 व्यक्ति स्तम्भ के पास आए और नारे लगाए। उनमें से कुछ ने बाड़ के लिए पंक्ति निर्धारित करने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा भारतीय क्षेत्र में लगाए गए बांस के खम्बों को उखाड़ दिया। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने 5 अप्रैल, 1984 को बाड़ लगाने के लिए 2 परीक्षण स्तम्भ खड़े किए। सरकार द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार उस दिन बेहालगुड़ी में बंगलादेश राइफल्स की संख्या बढ़ाकर 1 कम्पनी कर दी गई। भारी हथियारों के साथ बंगलादेश बलों की एक बटालियन ने भी उनके क्षेत्र के अन्दर जहां से कांटेदार तार लगाना शुरू किया गया है, लगभग 300-400 गज पर मोर्चा संभाला। 6 अप्रैल को बंगलादेश राइफल्स के लगभग एक दर्जन कार्मिकों के संरक्षण में लगभग 30 बंगलादेशी नागरिकों का एक दल स्तम्भ 1001 के पास आया और बाड़ लगाने के खिलाफ नारे लगाए। कुछ समय के बाद वे तितर-बितर हो गए और बंगलादेश राइफल्स के सिपाहियों ने स्तम्भ के निकट मोर्चा संभाला। तनाव कम करने के लिए सोनाहाट में 7 और 8 अप्रैल 1984 को सीमा सुरक्षा बल और बंगलादेश राइफल्स के अधिकारियों की फ्लैग बैठकें की गई। इन बेठकों में बंगलादेश राइफल्स के सेक्टर कमाण्डरों ने अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर खम्बे लगाने का विरोध किया।

3. समय-समय पर बंगलादेश राष्ट्रिकों द्वारा प्रदर्शनों को छोड़कर अगले कुछ दिनों तक शांति रही। 19 अप्रैल, 1984 को बंगलादेश राइफल्स के लगभग 200 कार्मिक और लगभग 150

असैनिक सीमा के पास आये जहां हमारे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के आदमी काम कर रहे थे और सीमा पर अपनी तरफ बैठकर काम में बाधा डालने की कोशिश की। सीमा सुरक्षा बल के स्थानीय कमाण्डर छठी बंगलादेश राइफल्स के सेकेंड इन कमाण्ड से मिले और उनसे ऐसे कार्य न करने के लिए कहा। बंगलादेश राइफल्स के कार्मिकों और बंगलादेश राष्ट्रिकों द्वारा उपर्युक्त उत्तेजना के बावजूद केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने 1630 बजे तक कार्य जारी रखा और बाड़ लगाने के लिए खम्बे लगाने हेतु 14 गड्ढे खोदे।

4. 20 अप्रैल, 1984 को लगभग 0400 बजे (बहुत सवेरे) बंगलादेश राइफल्स के कुछ कार्मिकों ने बंगलादेश क्षेत्र में जीरो लाइन के पास खुदाई शुरू की और इसके बाद हमारे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा भारतीय क्षेत्र में खोदे गए गड्ढों को भरने की कोशिश की। ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल की सेनाओं ने उनकी इस कोशिश का प्रतिरोध किया। लगभग 1100 बजे 600-700 बंगलादेश नागरिक फावड़ों और टोकरियों को लेकर हमारे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किये जा रहे काम को रोकने के लिये सीमा के स्तम्भ सं० 1001 के पास इकट्ठे हो गए। सीमा सुरक्षा बल की सेनाओं ने उन्हें सीमा पार न करने और बाड़ लगाने के कार्य में बाधा न डालने की चेतावनी दी। 1830 बजे 30 बंगलादेश के नागरिकों के साथ बंगलादेश राइफल्स के लगभग 200 कार्मिक इस स्थल के निकट आ गए और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा लगाये गये खम्भों को उखाड़ने की कोशिश की। जब ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों ने झाऊकुटी और राम राय कुटी में सीमा सुरक्षा बल की सेना पर अकारण गोली चला दी। गोली लगभग 10 मिनट तक चलती रही। राम राय कुटी तैनात सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों ने आत्म-रक्षा में जवाबी गोली चलाई। विश्वास किया जाता है कि बंगलादेश राइफल्स का एक कांस्टेबिल मारा गया और एक अन्य व्यक्ति जख्मी हुआ।

5. बी० डी० आर० सैनिक राम राय कुटी के दक्षिण में 3 सीमा सुरक्षा बल बाह्य सीमा चौकियों के सामने खन्दकें खोदते दिखाई दे रहे थे। 22 अप्रैल, 1984 को रंगपुर, बी० डी० आर० के क्षेत्रीय कमाण्डर छठी बी० डी० आर० के कमाण्डेन्ट और अन्य अधिकारियों के साथ सीमा स्तम्भ सं० 1001 के नजदीक आए और राम राय कुटी के सीमा सुरक्षा बल के चौकी कमाण्डर से कहा कि हमको उच्च प्राधिकारियों की ओर से निर्देश दिये गये हैं कि यदि भारत द्वारा सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य जारी रखा जाता है तो इसे यदि आवश्यक हुआ तो गोली-बारी करके रोका जाएगा। सर्वेक्षण दल और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मजदूरों को स्थानीय सीमा सुरक्षा बल की बटालियनों द्वारा आवश्यक संरक्षण दिया जा रहा है।

6. सर्वेक्षण दल ने अपना कार्य 24 तारीख की सुबह प्रारम्भ किया। कार्य मुश्किल से 45 मिनट तक ही किया गया था कि बी० डी० आर० का एक अधिकारी स्तम्भ सं० 1007/एस०-4 पर आया और अपने खदानों को गोली चलाने का आदेश दिया। सीमा सुरक्षा बल ने रक्षात्मक कार्यवाई की और जवाब में कुछ समय तक गोलियां चलायी। गोलीबारी में हमारा एक

उप-निरीक्षक जख्मी हो गया लेकिन दुर्भाग्यवश एक मजदूर मारा गया। उप-निरीक्षक को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी हालत में सन्तोषजनक सुधार हो रहा है।

7. बंगलादेश सरकार ने हमारे हाई कमीशन को 2-4-84 को दो नोट दिए। अपने पहले की आपत्तियों को दोहराते हुए गलत रूप से यह दावा किया गया कि बाड़—जीरो ग्राऊंड पर लगायी जा रही है। हमें जिन कारणों से सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय करना पड़ा है वे सभी कारण ढ़ाका में बंगलादेश सरकार और दिल्ली में उनके हाई कमीशर को स्पष्ट कर दिए गए थे। यह भी बताया गया था कि सीमा पर हमारी तरफ को बाड़ लगाना जरूरी हो गया था क्योंकि अवैध आप्रवासियों की घुसपैठ जारी थी और बंगलादेश सरकार को हमारे प्रभुसत्तात्मक निर्णय का सम्मान करना चाहिए। इसे हमारे पारस्परिक संबंधों के लिए मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। यह सूचना प्राप्त होने पर कि बंगलादेश राईफल्स की सहायता के लिए बगलादेश सेना की टुकड़ियों को तैनात किया गया है, बंगलादेश हाई कमिशनर को 12 अप्रैल, 1984 को फिर बुलाया गया और हमारी गम्भीर आपत्तियों और चिन्ताओं से अवगत कराया गया।

8. 20 अप्रैल की घटना के बाद बंगलादेश के हाई कमिशनर को विदेश मंत्रालय में बुलाया गया और हमारी गम्भीर आपत्ति और चिन्ता उन्हें बतायी गयी और उन्हें सूचित किया गया कि इस घटना से हम अत्यधिक परेशान हैं। यह बताया गया कि 7 अप्रैल को विदेश सचिव द्वारा किए गए पुरजोर अनुरोध कि सरकार को स्थिति को नियंत्रित करना चाहिए के बावजूद बी० डी० आर० द्वारा अकारण गोलियां चलायी गयी। उसी दिन बंगलादेश के विदेश कार्यालय ने ढ़ाका में हमारे हाई कमिश्नर को एक विरोध पत्र दिया।

9. कांटेदार तारों की बाड़ भारतीय क्षेत्र में लगाई जा रही है। इसका उद्देश्य अवैध तथा अनधिकृत रूप से सीमा पार करने और वस्तुओं की तस्करी रोकना है, परन्तु जांच चौकियों पर वैध यातायात की व्यवस्था है। यह बंगलादेश के साथ "1975 सीमा मार्गदर्शी निदेशों" के प्रतिकूल नहीं है। हम अपने इस पड़ौसी देश के साथ कोई संघर्ष नहीं चाहते और आशा करेंगे कि बंगलादेश भी हमारी प्रभुसत्ता और सीमा पर हमारी तरफ बाड़ लगाने के अधिकार का सम्मान करेगा।

श्री माधव राव सिन्धिया (गुना) : उपाध्यक्ष महोदय, विषय सुस्पष्ट है, मुद्दे भी स्पष्ट हैं, और मेरे विचार से सरकार ने जो कार्यवाही की है तथा जो कार्यवाही सरकार को करनी चाहिये, उसके प्रभाव मुद्दों पर सदन के सभी पक्षों में आम सहमति है, महोदय, इसलिए सीमा पर बाड़ लगाने के विषय पर अपनी भावनाओं के सम्मान में मैं असंगत या विषय से हट कर चर्चा न करके संक्षेप में स्पष्ट वक्तव्य दूगां।

महोदय, एक दशक से कुछ समय पूर्व तत्कालीन संयुक्त पाकिस्तान की सरकार पश्चिम पाकिस्तान में जिनके हाथों में सत्ता की बागडोर थी, द्वारा किए गए अत्याचार और भेदभाव के

कारण हजारों भयभीत शरणार्थी तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से सीमा पार कर भारत में चले आये थे जिसके कारण अत्यधिक सामाजिक और आर्थिक समस्याएं पैदा हो गयी थी।

उनके संकट के समय भारत ने अपनी प्राचीन माननीय परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए उन हजारों असहाय शरणार्थियों को भोजन और शरण दी और उनके व्यक्तिगत और राष्ट्रीय संकट के समय उन्हें सहायता दी, उस समय हमें किसी बात की जरूरत नहीं थी और हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस संकट की घड़ी के अनुकूल कार्यवाही की, वास्तव में मार्च 1971 में बंगलादेश को तुरन्त मान्यता देने के सम्बन्ध में आन्दोलन करने के लिए मैंने एक रात तिहाड़ जेल में भी बितायी थी, मानवीय संकट की घड़ी में किसी भी मानवीय सरकार भी मानवीय प्रतिक्रिया युक्तिसंगत है।

4.54 म० प०

(श्री आर० एस० स्वैरो पीठासीन हुए)

हमारी सरकार ने हमेशा निर्दोष और जरूरतमन्द लोगों और अपने छोटे से संसार में जिन लोगों पर अकथनीय अत्याचार होते हैं, उनकी पीड़ाओं को कम करने के उच्च आदर्शों पर हमेशा जोर दिया है। परन्तु सम्बन्धित दूसरी सरकार का भी इतना ही दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सामान्य सत्ता में इस प्रकार की आवा जाही पर पूरी तौर से रोक लगायी जाय। और यदि बांग्लादेश अपने ही देशवासियों के आर्थिक उत्थान के लिए सहायक स्थिति का पैदा नहीं कर सकता है, यदि बंगलादेश अपने ही देशवासियों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए उनके अन्दर आशा और विश्वास नहीं पैदा कर सकता है, तथा यदि बंलादेशवासी परिस्थितियों से निराश होकर सैकड़ों और हजारों की तादात में पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा की सीमा पार करके यहां आते हैं, तो बंगलादेश सरकार को भी यह समझना होगा कि भारत को भी अपनी सुरक्षा की रक्षा अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा और सीमा पर अपनी ओर रहने वाले अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिये पर्याप्त उपाय करने होंगे। बंगलादेश के साथ अपने व्यवहार में हमने हमेशा सहनशीलता और धैर्य का परिचय दिया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि बंगलादेश की आर्थिक और राजनैतिक समस्याओं से अपने नागरिकों का ध्यान हटाने के लिए बंगलादेश सरकार ने फरक्का तथा अन्य सीमा पर लगाये जाने जैसे प्रश्नों को बहाना बनाने की नीति बना ली है। या इससे यह स्पष्ट होता है कि बंगलादेश चालाकी से अपने नागरिकों का ध्यान हटाने के लिए गलत ढंग से गलत स्थान पर युद्ध स्थिति पैदा कर रहा है। यदि ऐसा है, तो बंगलाशदे को, यदि उसका दम्व असफल हो जाता है, तो उसके क्या परिणाम होंगे, यह समझना होगा। दुर्भाग्यवश ढाका में सौहाद्रपूर्ण सोचा विचार के स्थान पर ढाका के समाचार माध्यमों ने भावनाओं को लगातार भड़काया है और भड़काने वाली शब्दावली का प्रयोग किया है, ढाका से निकलने वाले प्रभावशाली सप्ताहिक पत्र 'होली डे' ने कहा है :-

"भारत दो देशों के बीच सीमा सम्बन्धी मार्ग निदेशों का उल्लंघन क्यों कर रहा है जिसके अनुसार सामान्य सीमा के दोनों ओर 150 गज के भीतर किसी भी प्रकार का सुरक्षा निर्माण करना मना है। क्या भारत के इरादे कुछ और हैं,"

बंगलादेश के दैनिक पत्र 'आजाद' ने सम्पादकीय मे चेतावनी दी है और मैं उसे उद्धृत करता हूं :—

"बंगलादेश के लोगों की सहनशीलता की सीमा पूरी हो गयी है और अब वे किसी प्रकार की बेजाहरकत सहन नहीं करेंगे। वे अपने देश के सम्मान और अखण्डता के लिए निहत्थे लड़ेंगे और भारत की बेहूदगी के विरुद्ध यह आखिरी और अन्तिम लड़ाई होगी,"
इस दैनिक में बड़े रहस्यमय ढंग से यह बात कही गई है :—

"आपके कुकृत्य अन्तिम चरण में पहुंच गए हैं। अब आपको अपने कुकर्मों के फल भोगने पड़ेंगे। आजादी के संघर्ष के समय आपने बंगलादेश के लोगों को देखा है और आप अब उन्हें फिर से देखेंगे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की तरफ बंगलादेश का हक अभी समाप्त नहीं हुआ है।"

इसका आशय और प्रयुक्त शब्दावली सारा का सारा दिमाग को ठिठकाने वाली है। ऐसा कुछ सन्देह है कि यह सारा उन्माद सरकार प्रेरित है। हमारा राष्ट्र शान्ति दोस्ती और आपसी समझौते की नीति को समर्पित है। यदि बंगलादेश सरकार ने ऐसे प्रयासों को उकसाया है तो कठोरतम ढंग से इनकी भर्त्सना की जानी चाहिए।

हमारी सरकार ने बंगलादेश से आने वाले लोगों के कारण हमारे देश में, और इससे जनसंख्या वृद्धि पर पड़ने वाले प्रभाव तथा आंतरिक स्थिति की वास्तविकता को ढ़ाका को समझाने के प्रयास किए हैं। इन सभी बातों को पूरी तौर पर बंगलादेश को साफ-साफ बता दिया जाना चाहिये। बंबगलादेश से असम में बिना जांच के अवैध ढंग से आने वाले लोगों के कारण असम में जो विनाश हुआ है, उसे सारा विश्व जानता है इससे केवल इस कारण हम अपनी आँखे नहीं मूंद सकते हैं कि बंगलादेश ऐसा चाहता है।

5.00 म० प०

पश्चिम बंगाल और बिहार में भी स्थिति बहुत खराब है और हमारी सरकार ने तथ्यों और आंकड़ों सहित अवैध ढंग से आने वाले लोगों के ठोस प्रमाण ढ़ाका को दिये हैं। परन्तु दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ढाका ने इसे हतोत्साहित करने के स्थान पर कठोर शब्दों का प्रयोग करने और भड़काने वाले कृत्यों का मार्ग चुन कर एक सुनियोजित अभियान चलाया है ताकि भड़काने वाले रुख सु भड़काने वाली कार्यवाही हो, माननीय गृह मंत्री ने, जितनी भी घटनएं हुयी हैं, उनका विस्तार से उल्लेख किया है। 5 अप्रैल 1984 से, अन्तराष्ट्रीय सीमा स्तम्भ 1001 के नजदीक असम, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तिराहे पर पहला कंक्रीट खम्भा स्थापित किया

गया था, बंगलादेश राइफल्स से अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया है, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि बंगलादेश सशस्त्र सेना ने भावी कार्यवाही की तैयारी के लिए बंगलादेश की तरफ 300 मीटर की पट्टी में सीमा की जनसंख्या को वहां से खाली करवा दिया है और उनके मकानों को अपने कब्जे में ले लिया है, इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर हो रही तैयारियों के भी लक्षण दिखायी दे रहे हैं, गोपाल पाड़ा जिले के पास राय कुटी गांव में 3000 बंगलादेश वासी भारत में घुस आये और उन्होंने हमारे कामगारों को जिनकी संख्या उनके मुकाबले काफी कम थी, पीछे खदेड़ दिया। फिर उन्होंने सीमा पर अपनी तरफ इस उद्देश्य से खाइयां खोदनी शुरू दी कि जब वर्षा आएगी तो खाइयों में बरसात का पानी भर जाएगा और खम्भे अपने आप ढह जाएंगे। माननीय मंत्री जी ने अभी-अभी कहा है कि उन्होंने खम्मों को उखाड़ने की खुद भी कोशिश की थी।

24 अप्रैल को हुई आखिरी घटना भी कोई छोटी घटना नहीं है। सीमा सुरक्षा बल का एक उप-निरीक्षक घायल हो गया तथा एक श्रमिक मारा गया; बेचारे एक विनम्र श्रमिक-एक भारतीय नागरिक की हत्या हो गई। इसे कोई मामूली घटना नहीं मान सकता। यह स्थिति असहनीय हो गई है। हमारे धैर्य की सीमा समाप्त हो गई है।

मेरे मित्र श्री राकेश ने संक्षेप में बंगलादेश के सम्भावित उद्देश्यों पर रोशनी डाली है। बंगलादेश एक अत्यन्त अल्प विकसित देश है, जहां भूमि की बहुत कमी है। इसकी जनसंख्या, जो अब 10 करोड़ है, दो दशकों में बढ़कर 15 करोड़ तक पहुंच जाएगी, और इस दबाव को कम करने की उनकी यह तरकीब होगी कि उनके लोग समय-समय पर सीमा पार जाकर बसते रहें। लेकिन टपका अब पतनाला बन गया है।

एक अन्य उद्देश्य यह भी हो सकता है, जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री राकेश ने बताया है, कि अपनी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति से लोगों का ध्यान हटाने की यह एक तरकीब भी हो सकती है।

और अन्त में सबसे खतरनाक, उसका यह उद्देश्य भी हो सकता है कि सीमा पर इन घटनाओं से वह एक ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है कि एक महाशक्ति को उसमें हस्तक्षेप करने का बहाना मिल जाए और आई० डी० ए० तथा विभिन्न अन्य विश्व वित्तपोषण संस्थाओं द्वारा हाथ खींच लेने के बाद अब बंगलादेश उस महाशक्ति से अपनी आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए और अधिक धन प्राप्त कर सके।

वाशिंगटन ने पाकिस्तान को आधुनिक हथियार दिए हैं और हम विकास के महान कार्य को छोड़कर अपने राष्ट्रीय हित में, देश को हथियारों से सज्जित करने के लिए अपने बहुमूल्य स्रोतों को उस ओर लगाने के लिए विवश हो गए हैं। हम जानते हैं कि दक्षिण में हमें परेशान करने के लिए वाशिंगटन की आंखें इस त्रिसीमा पर लगी हुई हैं और वहां परेशान करने वाली इस तरह की खबरें हैं कि सिंगापुर स्थित 'कन्सोर्शियम जिसे श्री लंका सरकार द्वारा 'टैंक फार्म-कान्ट्रैक्ट'

दिया गया है, अमेरिका द्वारा प्रोत्साहित और वित्तपोषित है पूर्व में हमें थोड़ा चिन्तित करना तथा अनिश्चित आशयों में हमें घेरना, उस महाशक्ति के लिए लाभदायक हो सकता है। हमारी नीति शान्ति और पड़ोसियों से सद्भाव बनाए रखने की है। और कई बार अधिक शक्तिशाली होने के बावजूद हमने अत्यन्त सयंम से काम लिया और अपना धैर्य नहीं छोड़ा। श्री राकेश ने बताया है कि अपने पड़ोसियों के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत नाजुक हो गए हैं और गत चार-पांच वर्षों में तो बिगड़ से गए हैं। बड़े देशों के सम्बन्ध में सोचते समय कई बार लोगों को यह भ्रांति होती है। हमारा हमेशा यह प्रयास रहा है कि हम अपने पड़ोसियों को यह पक्का भरोसा दिलाएं कि हम शान्ति चाहते हैं और उनका भला चाहते हैं। हमारी यह इच्छा है कि जिस क्षेत्र में वे उचित समझें, चाहे वे प्रौद्योगिकी के विकास का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान के विकास का क्षेत्र हो, हम मिल-जुल कर आगे बढ़ें और एक-दूसरे की मदद करें। लेकिन एक भ्रान्ति हैं। और यह स्वाभाविक है कि जब कोई प्रमुख देश शक्तिशाली बनता है, तो यह भ्रम और बढ़ जाता है, चाहे इसका कोई औचित्य न हो। श्री राकेश, गत चार-चांच वर्षों से हमारे देश और हमारी सरकार की बागडोर फिर एक विश्व-स्तरीय नेता के हाथ में है और इसी कारण से हमारा देश मजबूत हुआ है और विश्व परिषदों में हमारी सरकार की आवाज सुनी जाती हैं। हमारे देश की मजबूती के कारण ही, वर्ष 1977-79 के दौरान की कमजोरी को छोड़कर यह डर सा समाया हुआ है, जो बिल्कुल अनुचित है, कि हमारे रिश्तों सम्बन्धों में कुछ नाजुकता आई है। हम इसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन महोदय, हमारे संयम को हमारी कमजोरी न समझा जाए। वर्ष 1975 के उन मार्गदर्शी निर्देशों में जो दोनों देशों ने स्वीकार किए थे, इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि दोनों देशों में से कोई भी देश अपनी सीमा के भीतर 150 गज की दूरी तक रक्षा सम्बन्धी कोई निर्माण नही करेगा और दोनों देश अनुचित रूप से सीमा-पार करने सम्बन्धी और तस्करी सम्बन्धी सभी प्रकार की गतिविधियों की रोकथाम करेंगे। महोदय, किसी भी प्रकार से सोच कर देखा जाए, क्या कांटेदार तार की बाड़ को रक्षा निर्माण माना जा सकता है? दूसरी ओर इस बाड़ से दूसरे निर्देश पर अमल करने में सहायता मिलती है और इससे सीमा-पार करने सम्बन्धी, तस्करी सम्बन्धी, आप्रवास सम्बन्धी तथा अन्य ऐसी ही डकैती, पशु चोरी आदि जैसी गतिविधियों की रोकथाम करने में मदद मिलेगी। हमें अपना यह वैध लक्ष्य अवश्य प्राप्त करना चाहिए और वर्ष के अन्त से पहले-पहले असम-बंगलादेश की 100 किलोमीटर लम्बी सीमा पर बाड़ लगाने के काम को पूरा कर लेना चाहिए। जनरल इरशाद की मंशा एक खतरनाक खेल खेलने की है।

मैं माननीय गृह राज्य मंत्री से इस बात की पुष्टि करना चाहता है कि क्या यह सच है कि बंगलादेश की सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिये कहा गया है। कुछ स्रोतों से पता चला है कि सेना सत्रसाल के उस तिराहे पर, सीमा से छः किलोमीटर दूरी तक आ गई है, जहां बंगलादेश रायफल्स और सीमा सुरक्षा बल के बीच 20 अप्रैल को पहली झड़प हुई थी, और यह कि बंगलादेश थल सेना के चीफ और जनरल स्टाफ मेजर जनरल नसरूद्दीन को, बंगलादेश रायफल्स और बंगलादेश थल सेना के बीच व्यापक तालमेल की कमान सौंपी है।

अन्तर्राष्ट्रीय परिषदों में अपनी न्यायशीलता और धैर्य के लिए भारत की साख है। लेकिन हमारी कार्यवाही, हमारी प्रतिक्रिया, हमारे पैमाने का चरम आधार हमारे राष्ट्रीय हितों, आर्थिक और सुरक्षा सम्बन्धी दोनों प्रकार के हितों पर पड़ने वाला प्रभाव होना चाहिए।

वर्तमान कार्यवाही के सन्दर्भ में हम नैतिक और कानूनी आधार पर काफी मजबूत हैं। हमें बंगलादेश की सरकार को यह विश्वास दिलाने की कोशिश जारी रखनी चाहिए कि हम शान्ति चाहते हैं, हमारे उद्देश्य शान्तिप्रिय हैं, और फिर हमें बाड़ लगाने का काम आगे बढ़ाना चाहिए। और अन्त में बंगलादेश सरकार को इस बात से स्पष्टतः अवगत कर देना चाहिए कि यदि हमें अपनी अविपत्य सीमा में इस कार्यवाही से रोका गया और वह खेदजनक युद्ध सम्बन्धी स्थिति को बनाए रखता है, तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं।

धन्यवाद।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : यह हमारे मित्र पड़ोसी बंगलादेश के साथ हमारे सम्बन्धों के लिए वास्तव में दुखद बात है कि हमें अपनी सीमाओं पर कंटीले तार लगाने का फैसला करना पड़ा। यह कोई बहुत सुखद बात नहीं है कि हमारे पड़ौस के देशों के लोग इस ओर आए। कभी-कभार ही ऐसी बातें होती हैं। हमें यह आशा कभी नहीं थी कि बंगलादेश के साथ लगने वाली सीमाओं पर हमें यह करना पड़ेगा।

बंगलादेश के साथ, बंगलादेश की जनता के साथ हमारे एक खास प्रकार के सम्बन्ध हैं, एक प्रकार के भावनात्मक सम्बन्ध हैं, क्योंकि ये वे लोग हैं, जो अपनी स्वाधीनता के लिए लड़े, अपने देश के लिए लड़े, और वे इसे हासिल करके रहे। और उनके इस संघर्ष में, खास हालात की वजह से हमारा योगदान भी था। इसलिए, उस देश के साथ हमारे सम्बन्ध एक विशेष प्रकार के हैं।

श्री सिंधिया का भाषण सुनकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक दैनिक पत्र 'दि डेली' की आलोचना की कि उन्होंने बहुत ही युद्ध स्थिति की भाषा और अत्यन्त ही उत्तेजनात्मक भाषा का प्रयोग किया। लेकिन मैं समझता हूं कि उन्हें भी थोड़ा सयम बरतना चाहिए था। उन्होंने भी प्रायः वैसी ही भाषा का प्रयोग किया और मैं समझता हूं कि अब हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं, जहां हमारा धैर्य समाप्त हो गया है और इसलिए हमें उपयुक्त कार्यवाही करनी चाहिए।

मैं समझता हूं, इस प्रकार की भाषा से कोई सहायता नहीं मिलेगी। यह भारत की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है क्योंकि भारत एक बड़ा देश है। हमें अपने विशेष प्रकार के सम्बन्धों पर भी विचार करना चाहिए। कुछ ऐसी शक्तियां और बाहरी ताकतें हैं जो भारत को आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से एक मजबूत देश बनता हुआ देखना नहीं चाहतीं। वे यह नहीं चाहतीं। वे ताकतें चाहती हैं कि इस प्रकार की घटनाएं हों। इसलिए यह ठीक है कि हम यह देखें कि हमारे

सभी पड़ौसी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण और अच्छे हों, हम किसी प्रकार की उत्तेजना में न पड़े और हम अन्य उन ताकतों को भी किसी भी तरह का मौका नहीं दें, जो हमारे मामलों में हस्तक्षेप करना चाहती हैं ।

गृह मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है । कुछ बातें पिछले एक महीने के दौरान हुई हैं । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बंगलादेश राइफल्स और उनकी बार्डर राइफल्स ने पहले उत्तेजनात्मक कार्यवाही की । मैं समझता हूं, इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए अर्थात् वास्तव में उन्होंने पहले ऐसा कार्य किया । उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, खासतौर पर उस समय जब भारत अपने भू-भाग में ये कंटीले तार लगा रहा था । ऐसी बात नहीं थी कि हम किसी विवादास्पद भू-भाग पर ये कंटीले तार लगा रहे थे । मैं समझता हूं भारत सरकार इस कार्य के लिए केवल अपने ही क्षेत्रों का चयन करने के प्रति काफी सजग थी ।

इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि विभिन्न कारणों से बंगलादेश से लोग यहां घुसपैठ करते रहे हैं और वे लगातार अनेकों वर्षों से घुसपैठ करते रहे हैं, अवैध आप्रवासी सीमा पार करके आते रहे हैं और हमारे लिए राजनीतिक और आर्थिक समस्याएं पैदा करते रहे हैं। हमें अपने सीमावर्ती राज्य में बहुत सी समस्याओं का सामना करना है । हम जानते हैं कि बंगलादेश सरकार इस बाहरी और भारत सरकार का ध्यान दिलाती रही है कि उसे इस अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए । इसी समस्या के कारण आसाम का आन्दोलन शुरू हुआ । यही बात त्रिपुरा में भी हो रही है, जब तक हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण और अच्छे नहीं होते, क्या हम 3000 किलोमीटर के क्षेत्र में कंटीले तार लगाने की स्थिति में हैं । क्या यह संभव होगा ? मैं नहीं समझता कि ऐसा हो जाएगा । यदि हम तार लगाते हैं, तो इससे. एक और समस्या पैदा हो जाएगी; क्या हम अपनी सीमा की रक्षा करने अथवा क्या हम इन तारों की भी रक्षा करेंगे; क्या हम सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की और बटालियनें बढ़ाकर और उन्हें अधिक सक्रिय बनाकर यह कार्य बेहतर तरीके से कर सकेंगे अथवा किसी अन्य तरीके से । मैं समझता हूं इस समस्या पर हमारी भारत सरकार कुछ समय से विचार करती रही है ।

'दि हिन्दू' और गृह मंत्री का वक्तव्य इस बात को स्पष्ट कर देते हैं । कल ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना फिर हुई, जिसमें बंगला देश सरकार ने यह कहते हुए विरोध व्यक्त किया है कि भारतीय सीमा पर भारतीय सुरक्षा बल द्वारा अकारण गोलीबारी की गयी । और सीमा का उल्लंघन किया गया । उन्होंने यह भी कहा कि कल दो भारतीय विमानों ने उनके देश की वायु सीमा का उल्लंघन भी किया । जनरल इरशाद ने अत्यंत उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया । उन्होंने यह कहते हुए कि "घटनाएं हो रही है और ये गंभीर संकेत है ।" मंत्रीमंडल की एक आवश्यक बैठक बुलाई । तब जमाते इस्लामी से सम्बद्ध 700 व्यक्तियों ने भारतीय सूचना केन्द्र के खिलाफ प्रदर्शन किया, और उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक नारे लगाए । बंगलादेश में कुछ राजनीतिक दलों ने, छोटे राजनीतिक दलों से अत्यन्त ही भड़काने वाली भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि भारत

सरकार की कार्यवाहियां विस्तारवादी कार्यवाहियां हैं और हम आक्रामक रुख अपना रहे हैं। यहां कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं, जो अपने राजनीतिक कारणों से इन घटनाओं का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें सावधान रहना है क्योंकि अपने देश में हमारा स्वयं का अनुभव है।

राजनीतिक दलों की अपनी स्वतंत्रता है, वे कुछ नारे लगाते हैं, वे कुछ प्रदर्शन आयोजित करते हैं। चीन के शासकों ने कई बार हमें गलत समझा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि चीनी शासक यह कभी नहीं समझ सके कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में उनके नेता के विरुद्ध प्रदर्शन हो सकते हैं, उसमें कुछ नारे भी हो सकते है। उन्होंने कहा, "ओह, माओ-त्से-तुंग के चित्र पर एक टमाटर फेंका गया और इसलिए हमारे राष्ट्रपति का अपमान किया गया, और भारत सरकार केवल एक मूकदर्शक बनी रही।" वे यह बात नहीं समझ सके कि एक लोकतांत्रिक देश में हमारे अपने नेताओं के विरुद्ध भी प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। पुतले जलाए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं और तमाम आपत्तिजनक कार्य किए जाते हैं।

दुर्भाग्य से आज हमारे पड़ोस में अलोकतांत्रिक सरकारें कार्य कर रही हैं। संभवतः उनमें जनता की अपनी स्वयं की जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की बेहतर समझ नहीं है। इसलिए, उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें स्वयं अपने ही लोगों के साथ राजनीतिक मुकाबला करना पड़ता है। मेजर जनरल इरशाद ने कुछ समस्याएं उठाई। उन्होंने कहा, "मैं भारत के साथ सम्बन्ध सुधारने का प्रयास कर रहा हूं। हमारी समस्याएं फरक्का और गंगा के पानी के बंटवारे तथा अन्य बातों के सम्बन्ध में हैं। हम धीरे-धीरे अपनी समस्याओं को दूर कर रहे हैं। मैं अपना भरसक प्रयास कर रहा हूं।" यदि आप सीमा पर कोई बाड़ लगाते हैं, तो इससे मेरे देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब हो जाएगी, मानो मेरे देश से बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हों। इसलिए इसे विचाराधीन रखें। मैं जानना चाहूंगा कि क्या हमारे विदेश मंत्री ने इस मामले को औपचारिक तौर पर बंगलादेश सरकार के साथ उठाया था और कहा था कि "देखिए, हमने इन अवैध रूप से आने वालों को रोकने के लिए, जिसे रोकने में हम असफल रहे हैं, राष्ट्रीय हित में यह निर्णय किया है।" हमें जानना है कि क्या बाड़ लगाने से पूर्व वे इसे बंगलादेश सरकार की जानकारी में लाए हैं अथवा नहीं।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी (नरसारावपंट) : यह बात स्पष्ट है।

श्री चन्द्रजीत यादव : कृपया यह बात गृह मंत्री को कहने दीजिए क्योंकि उन्होंने यह बात नहीं कही है। उन्हें इस बात को स्पष्ट करने दीजिए। दूसरे, मैं एक बात का अनुरोध करूंगा, क्योंकि अनेक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। हमारी ओर का एक जवान मारा गया और एक सिपाही उनका मारा गया था। दोनों ओर के लोग मरे हैं। यह और खराब हो जाएगी और इसलिए यह बात पूरी तरह सीमा पर तैनात हमारे पुलिस अधिकारियों पर नहीं छोड़नी चाहिए कि वे सारे

मामले को अपने हाथ में लें। अपितु यदि संभव हो, राजनीतिक स्तर पर, मंत्रिमंडल के स्तरपर हमारे विदेश मंत्रालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए। जनरल इरशाद से यह बात अवश्य कही जानी चाहिए, कि चूंकि वे अवैध रूप से यहां आने वालों को रोकने में असफल रहे हैं। इसलिए अपने भूभाग में हम यह कार्य कर रहे हैं और उन्हें यह बात देखनी चाहिए कि कोई भी उत्तेजनात्मक कार्यवाहियां न की जाएं। यदि वह अपनी सेना बढ़ाता जाता है अथवा बड़ी संख्या में अपनी सेना या बंगलादेश राइफल्स को भेजता है तो मेरे विचार से वह उत्तेजित करने वाली कार्यवाही होगी, और हम उसकी अनदेखी नहीं कर सकते हैं। हम इन सभी मामलों की अवहेलना नहीं कर सकते। विशेष रूप से हमारी सीमा सुरक्षा अब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय बन गया है। विदेशी ताकतों को देखते हुए. मैं विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का उल्लेख कर रहा हूं, जो भारत में समस्या पैदा करने के लिए हर मौके की तलाश में रहता है, और दुर्भाग्यवश बंगलादेश ने यह सबक नहीं सीखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी विदेशी शक्ति पर बहुत विश्वास करना अच्छा नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने कारनामों और कार्यवाहियों तथा नीतियों से यह सिद्ध कर दिया है कि विश्व भर में वे किसी भी विकासशील देश के मित्र नहीं हैं। बंगलादेश सरकार और पाकिस्तान प्रशासन को भी यह सबक सीखना चाहिये। यदि दुर्भाग्यवश भारत जैसे देश, जिसकी नीति मैत्रीपूर्ण और आपसी समझ बूझ तथा एक दूसरे की मदद करने की है, के स्थान पर वे संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भर करते हैं; तो इससे उन्हें सहायता नहीं मिलेगी।

पिछले कुछ महीनों के दौरान वास्तव में एक उत्साहवर्धक बाद यह हुई है कि पहली बार 'सार्क' (एस० ए० आर० सी०) देशों की बैठक। विदेश सचिवों के स्तर पर हुयी है और उसके बाद विदेश मंत्रियों के स्तर पर हुयी है और अब शासनाध्यक्षों के स्तर पर एक बैठक होगी अथवा एक सम्मेलन आयोजित किया जायेगा।

इन राष्ट्रों के विकसित होने पर भारत को वाणिज्य, और सांस्कृतिक क्षेत्रों में विकास और आपसी सामाजिक-आर्थिक सहयोग के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी इस समय ऐसा ही हुआ है, और मैं महसूस करता हूं कि ऐसा करना दोनों सरकारों का दायित्व है, दोनों सरकारों को वास्तविकता का ध्यान रखना चाहिये और यह कहते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा कि भारत सरकार को एक बड़ा देश होने तथा अधिक उत्तरदायित्व पूर्ण होने के कारण और अधिक सावधान रहना चाहिए। यदि बंगलादेश की कुछ ताकतें यह चाहती हैं कि हम छेड़ खानी का शिकार हों तो हमें यह सावधानी बरतनी चाहिये कि हम कुछ राजनैतिक दलों, जो अपना सिर उठा रहे हैं, और कुछ भड़काने वाले तत्वों के प्रचार के बहकावे में न आयें। बल्कि हमें बंगलालेश के नेताओं को यह समझाना चाहिए कि उन्हें भी कारणों को जानना चाहिये और यह भी देखना चाहिये कि इन समस्याओं को दोस्तान ढंग से हल किया जाना चाहिये।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : सभापति महोदय, हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं प्रारम्भ में ही इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि हुआ क्या है। यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि हमारा एक मजदूर मारा गया है और सीमा सुरक्षा बल का एक जवान घायल हो गया है। यह बात भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनका भी एक आदमी मारा गया है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी। ऐसी भी खबर है कि अनेक क्षेत्रों में विस्फोटक स्थिति बन रही है। आज के स्टेट्समेंन को मैंने दुर्भाग्यवश पढ़ा है जिसमें श्री इरशाद मुख्य मार्शल्ला प्रशासक ने कहा है :

"शहर के एक कालेज में एक समारोह में बोलते हुए जनरल इरशाद ने "राष्ट्रीय स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता की सुरक्षा के लिए" राजनैतिक और अन्य छोटे-मोटे मतभेद भुला......"और अधिक राष्ट्रीय एकता" स्थापित करने का अहवान किया है।"

उनको कुछ संयम से काम लेना चाहिए था उन के वक्तव्य और अधिक सन्तुलित होने चाहिए थे। मुझे पता चला है कि दुर्भाग्यवश आज ढाका स्थित हमारे सूचना कार्यालय पर हमला किया गया है। और भारत द्वारा लगाये जा रहे कांटेदार तार के वाले क्षेत्र के आसपास काफी उत्तेजना है।

मेरा ध्यान 1972 के भारत-बंगलादेश सहयोग समझौते की तरफ जाता है। 19 मार्च 1972 को मैत्री और शान्ति संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। संधि में आरम्भ में ही इन शब्दों का उल्लेख है—

"शान्ति, धर्म निरपेक्षता, लोकतंत्र, समाजवाद और राष्ट्रीयता के सामूहिक आदर्शों से प्रेरित होकर, इन आदर्शों की प्राप्ति के लिए एक साथ संघर्ष करने और खून बहा कर बलिदान करके की गई दोस्ती के सम्बन्धों को सुदृढ करके जिससे मुक्त प्रभुसत्तासम्पन्न और स्वतंत्र बंगलादेश का अभ्युदय हुआ है।

मैत्री और अच्छे पड़ौसी सम्बन्ध बनाये रखने के लिये दृढ प्रतिज्ञ हैं और हम अपनी सीमाओं को शाश्वत शान्ति और भाई चारे में बदलेंगे।"

"संधि की शुरूआत "शाश्वत शान्ति और मैत्री की सीमा"से हुयी है, यह अच्छे पड़ौसी होने का एक उदाहरण था समझौता करने वाले उच्च पदास्थ दल इस बात पर सहमत थे कि यह सीमा शाश्वत शान्ति और भाईचारे की सीमा हो, मैं आपसे इन शब्दों पर भी ध्यान देने का अनुरोध करता हूं"खून बहाकर और बलिदान करके सुदृढ बनायेगा कि दोस्ती के सम्बन्ध जिससे

स्वाधीन प्रभु सत्ता सम्पन्न और स्वतंत्र बंगलादेश का आयुदय हुआ" बांगलादेश और भारत दोनों देशों के खून और बलिदान से यह देश बना। हमें शरणार्थियों के रूप में वहां पर आए 10, मिलियन लोगों का बोझ उठाना पड़ा। भारत ने उन्हें खिलाया और जब उसके बाद पाकिस्तानी सेनाएं वापस चली गयी वे लोग लौट गये। मेरी हार्दिक इच्छा है कि 1972 की भावना कायम रहनी चाहिए। हमारा व्यवहार पड़ोसियों जैसा होना चाहिए क्योंकि बंगलादेश हमारा सबसे नजदीक का पड़ोसी है। मैं उन लोगों की गरीबी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं हमारा देश भी इतना ही गरीब है। हो सकता है तुलना में हम लोग बेहतर हों लेकिन हमारे यहां भी गरीबी है सवाल यह नहीं है। समझौते में हमने कहा है कि गरीबी से लड़ने के लिए हम एक साथ काम करेंगे, व्यापार और वाणिज्य में सहयोग के लिए हम एक साथ का करेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश आज हमें यह देखना पड़ रहा है कि कटीले तारों की बाड़ लगाने के प्रश्न पर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है जिन्हें बंगलादेश के शासनाध्यक्ष को नहीं करना चाहिए।

हमें समस्या को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यहां तक कि जब वहां पर पूर्वी पाकिस्तान था तब भी हमारी सीमा समस्याएं और पानी की समस्याएं थी। ये समस्याऐ हमेशा वहां पर रही हैं, मई 1974 के सीमा समझौते में यह तय हुआ था कि सीमा को और अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए दोनों देशों के बीच कुछ खास स्थानों पर भूमि सीमा निशान लगाने काम पूरा किया जायेगा इसलिये यह मान लिया गया था कि कुछ क्षेत्रों में हमारी कुछ सीमा समस्याएं हैं जिनके सम्बन्ध में यह तय किया गया था कि वहां पर निशान लगाये जायेंगे दुर्भाग्य से निशान लगाने का काम शुरू नहीं किया गया था और इस संकट का मूल कारण यही है।

आज हम क्या देख रहे हैं? यदि निशान लगाने का यह काम शुरू किया जाता है तो पश्चिम बंगाल में समस्या पैदा हो जायेगी क्योंकि संयुक्त सर्वेक्षण के अनुसार पश्चिम बंगाल के तीन गांव बंगलादेश में चले जायेंगे यद्यपि अभिलेखों के अनुसार हर तरह से ये गांव भारत में हैं। ये बहुत नाजुक विषय है। समाचार पत्रों की खबर के अनुसार :—

"बंगलादेश के एक प्रवक्ता ने 3 अप्रैल को कहा है कि चन्द्रा, जिन्हें 2 अप्रैल को विदेश मंत्रालय ने बुलाया था से कहा गया था कि बंगला देश किसी भी सीमा की शून्य रेखा (जीरो लाइन) के पास इकतरफा किसी प्रकार का निर्णय नहीं किया जा सकता है सर्वमान्य अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्ड का स्पष्ट उल्लंघन मानता है। उसने यह कहा था कि सीमा सुरक्षा बल और पुलिस भारतीय निर्माण इंजीनियरों और मजदूरों की सुरक्षा कर रही है," ये सभी स्थान विवादग्रस्त में नहीं है मेरे विचार से ऐसा कोई अन्तर्राष्ट्रीय कानून नहीं है जो हमें, उन क्षेत्रों में जो विवाद-ग्रस्त नहीं है, कटीले तारों का बाड़ लगाने से रोक सकते हैं। इससे बंगलादेश की प्रभुसत्ता पर क्या

प्रभाव पड़ता है। जनरल इरशाद सारे राष्ट्र को युद्ध की तैयारी करने का आह्वान कर रहे हैं। यह एक ऐसा मामला है जो आपसी बातचीत से हल हो सकता है, यदि निचले स्तर पर यह असफल हो जाता है तो उसे उच्च स्तर पर निबटाना चाहिये। जिन लोगों के पास सत्ता है उन्हें इसका प्रयोग इस ढंग से करना चाहिए कि एक छोटे से मसले पर युद्ध का उन्माद न हो बंगलादेश और भारत दोनों के हित में नहीं होगा।

हमें तथ्यों की ओर से भी मुंह नहीं मोड़ना है, ढाका ने कहा है कि किसी भी प्रकार का अवैध प्रचार नहीं हुआ है। लेकिन हमारे विचार से कुछ तस्करों सहित अवैध उत्प्रवास करने वाले सीमा पार कर हमारे देश में आये हैं। इसलिए जिस प्रकार बंगलादेश को अपनी सीमा की रक्षा और देख भाल का हक है उसी प्रकार हमें भी अपनी सीमा की रक्षा और देखभाल करने का हक हैं हम यह नहीं कहते हैं कि "आप अपना हक नहीं ले सकते हैं" यदि वे ऐसा महसूस करते हैं तो वे ऐसा कर सकते है लेकिन वे हमें चुनौती नहीं दे सकते हैं अथवा वे हमसे यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जो कुछ वह कहेंगे हम उसे मान लेगें।

इससे पहले कि आप यह करें, हमें इस बात पर विचार विमर्श करें कि आपकी समस्या क्या है। हम आपको अपनी समस्या बताएंगे आप हमें अपनी समस्या बताएं। यह परस्पर आदान प्रदान की भावना है। यह अच्छे पड़ौस की भावना है। और मैं आशा करता हूं कि बंगलादेश की सरकार इस भावना का प्रदर्शन करेगी। किन्तु कई समस्याएं हैं।

महोदय, त्रिपुरा में त्रिपुरा के मुख्य मंत्री ने मांग की है कि तमाम सीमा पर कांटेदार तार लगा कर बन्द कर दिया जाए। क्यों ? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है कि उग्रवादी जो त्रिपुरा में लोगों की हत्या कर रहे हैं बंगलादेश के क्षेत्रों में शरण लेते है। वह बंगलादेश के क्षेत्रों का अपने शरण स्थल के रूप में इस्तेमाल कर रहे है और हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। मेरे विचार में बंगलादेश को यह बात समझनी चाहिए। या तो उन्हें यह सब रोकना चाहिए। या कांटेदार तार लगाने के हमारे दावे को स्वीकार करना चाहिए। हमें उग्रवादियों की यह गतिविधियां रोकनी ही होगी। हम उग्रवादियों, जिनके पास अतिआधुनिक हथियार है, को भारत में कार्य करने, और जब हम कोई कार्यवाई करने लगे, उन्हें बंगलादेश के क्षेत्र में छुपने की अनुमति नहीं दे सकते। बंगलादेश से या तो उन्हें प्रोत्साहन मिलता है या वे उदासीन रहते हैं।

मैं सदन का ध्यान बंगलादेश सरकार द्वारा उठाए जा रहे एक गम्भीर कदम की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सभी व्यापारिक प्रयोजनों के लिए चकमास बंगलादेश के नागरिक है। किन्तु चकमास को वहां से प्रणालीबद्ध तरीके से निकाला जा रहा है व समाप्त किया जा रहा

है। महोदय रैड इण्डियन्स के मामले में क्या हुआ ? उन्हें मार दिया गया। अब यही चकमास के मामले में हो रहा है और दुर्भाग्य से वे उन्हें बाहर निकालने अथवा भेजने में लगे हैं। वे उन क्षेत्रों में, जहां चकमास रहा करते थे, अपने लोगों को बसाने के लिए ला रहे है। वे लोग यही कुछ कर रहे है। हम इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते क्योंकि चकमास लोग सीमा रेखा पार करके यहां आ रहे है और त्रिपुरा में भी समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। हम उन्हें बाहर निकल जाने के लिए नहीं कह सकते और न ही हम उन्हें आने के लिए कह सकते हैं। यह उनकी समस्या है। वह अपनी अस्थिरता की समस्या यहां खदेड़ रहे हैं। आप अपनी समस्याएं निपटाईये, हमें कुछ लेना देना नहीं है। किन्तु हम इसलिए प्रभावित है क्योंकि वे अपनी सुरक्षा के लिए सीमा पार करके यहां आ रहे हैं। आप उनका उन्मूलन कर रहे है। महोदय, मेरा विचार है कि बंगलादेश सरकार इसके लिए जवाब देय है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए केन्द्रीय सरकार को इसका और जो कुछ त्रिपुरा सरकार कह रही है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं अपने गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें त्रिपुरा सरकार से ऐसे समाचार प्राप्त हुए हैं। यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? और महोदय यह मिजो नेशनल फ्रंट और अन्य लोगों जो हमारे विरुद्ध हथियारों से लड़ रहे है, का मिलन स्थल किस प्रकार बन गया है ?

एक अन्य समस्या अप्रवासियों से सम्बन्धित है। मुझे मालूम नहीं है कि अप्रवासियों की संख्या का ब्यौरा क्या है। किन्तु वे यहां पर है। इसीलिए आसाम आन्दोलन के कारण, कांटेदार तार लगाने की यह समस्या उठी है। असम के आन्दोलनकर्ता जो कुछ कह रहे है मैं उससे सहमत नहीं हूं कि यह सब विदेशी है। किन्तु यह सच है कि कुछ घुसपैठ हुई है और किसी भी राजनैतिक दल ने इस बात से इन्कार नहीं किया है। हम सब इस बात से सहमत है कि 1971 के बाद जिस किसी ने भी सीमा रेखा पार की है उसे पकड़ा जाना चाहिए और वापस भेजा जाना चाहिए। इसीलिए, यह उपाय करना पड़ा। जैसा कि आपने कहा है कि यही हमारी प्रमुख समस्या है। मैं चाहता हूं कि अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए भारत सरकार को सख्त कार्यवाई करनी चाहिए और गैर कानूनी अप्रवासन को रोकने के लिए एक उदार नीति भी होनी चाहिए, किन्तु हम जहां तक संभव हो सके न केवल बंगलादेश से बल्कि अपने सभी पड़ौसी देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध रखना चाहते है। हमारी चेष्टा मैत्री की होनी चाहिए। इसलिए, हमें उनसे कहना चाहिए कि इस प्रकार की झगड़ालू नीति उनके लिए भी खराब है और हमारे लिए भी। उन्हें इसमें नहीं पड़ना चाहिए और हमें भी यह नहीं करना चाहिए। मुझे खुशी है कि श्री चन्द्रजीत यादव ने इसका उल्लेख किया है। इसका निर्णय उच्चतम राजनीतिक स्तर पर किया जाना चाहिए ताकि उत्तेजक बातों को समाप्त किया जा सके।

सभापति महोदय, मैं गृह मंत्री से फिर अनुरोध करूंगा—बेहतर होता यदि विदेश मंत्री यहां उपस्थित होते क्योंकि इन मामलों को बंगलादेश सरकार के साथ उठाया जाना है। हमें

अपनी सीमा की रक्षा का प्रयत्न भी करना चाहिए। हमने कुछ निगरानी स्तम्भ बनाए है और उन्होंने भी कुछ बनाए हैं, किन्तु हमें अधिक सतर्क रहना होगा, मैं जानता हूं कि इससे समस्या सुलझने वाली नहीं है। हमारी सीमा 4000 किलोमीटर है। हमें समुद्री सीमा की भी व्याख्या करनी होगी। यह कुछ ऐसी समस्याएं है जिनका निपटारा किया जाना है। किन्तु सीमा सुरक्षा बल की ओर से हमें अधिक सतर्क रहना होगा ताकि हम अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकें और इसके साथ ही हमें बंगलादेश के साथ बातचीत करने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि हम इन मामलों को आपसी बातचीत द्वारा सुलझा सकें। धन्यवाद।

श्री भुवनेश्वर भूयन (गौहाटी) : सभापति महोदय, सीमा पर गोली बारी के बारे में पहले ही बहुत कुछ कहा जा चुका है। यह देश के लिए बहुत ही गम्भीर मामला है।

महोदय, जैसा कि पहले कहा जा चुका है सीमा पार से विशेषकर आसाम तथा हमारे देश के अन्य पड़ौसी राज्यों में लोगों की लगातार आमद के कारण घुसपैठियों की गम्भीर समस्या पैदा हो गई है और इस प्रश्न को लेकर 1979 से असम आन्दोलन आरम्भ हो गया। इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप विशेषकर आसाम तथा देश के अन्य पड़ौसी राज्यों में घुसपैठियों के उत्पात को रोकने के लिए सरकार ने सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया और इस प्रयोजन के लिए कांटेदार बाड़ लगाने के आदेश दिए। अब जबकि कुछ स्थानों पर कांटेदार तार लगाने का प्रयत्न किया गया, सीमा पर गोली बारी की कुछ घटनाए हुई जिसके परिणामस्वरूप हमारे देश, हमारे नागरिकों और पड़ौसी देशों को नुकसान हुआ।

इस संदर्भ में मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि उन्होंने अभी बताया कि एक किलोमीटर की लम्बाई में परीक्षण स्तम्भ खड़े करने और कांटेदार तार लगाने के आदेश दिए गए है, यद्यपि कुल सीमा 3,200 किलोमीटर है, जैसा कि उन्होंने कहा है। महोदय, क्या वक्तव्य से हमारी सरकार का भारत और बंगलादेश की लम्बी सीमा पर बाड़ लगाने या स्पष्ट दृढ़ निश्चय प्रकट होता है? यह एक प्रश्न है और इस प्रश्न पर आप जानते है कि आसाम के बहुत से लोग किसी न किसी रूप में अपना आन्दोलन जारी रखे हुए हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि सरकार ने सभी संभव सीमाओं, विशेष रूप से आसाम के चारों ओर सीमा पर कांटेदार तार लगाने के लिए पर्याप्त उपाय किए है। यद्यपि असम के दुबरी जिले में एक प्रयोग किया गया था, उसका नतीजा आपको मालूम है। समाचारपत्रों में पहले ही इसका उल्लेख हो चुका है। बहुत पहले सीमा पर बाड़ लगाने से सम्बन्धित यह मामला उठाया गया था, भारत

सरकार ने आन्दोलनकारियों और असम की जनता को आश्वासन दिया था। बंगलादेश ने अपनी आपत्तियां उठायीं। मैं नहीं जानता कि तब से उस देश को विश्वास दिलाने के लिये कि यद्यपि हम सीमा पर बाड़ लगा रहे हैं, हम उनके आन्तरिक मामलों में अथवा उनकी अखंडता में हस्तक्षेप नही कर रहे हैं, क्या उपाय किये गये हैं। मुझे पता नहीं कि क्या इस विशेष मामले में इस विशेष पहलू के सम्बन्ध में उन्हें विश्वास दिलाने के लिये ऐसा कोई प्रयास किया गया था। जैसा कि विरोधी पक्ष के श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती ने पहले उल्लेख किया है कि यदि हमारे पड़ौसी देश को यह विश्वास दिलाने के लिये कि हम उनके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं; हम अपने ही देश के हितों की रक्षा करना चाहते हैं; तथा हम सभी तरह की तस्करी आदि रोकना चाहते हैं अब भी उच्च राजनीतिक स्तर पर ऐसा कोई उपाय किया जाये तो मुझे खुशी होगी।

यह भी पता चला है, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, कि बंगलादेश भी कुछ निगरानी टावरों का निर्माण कर रहा है। निगरानी टावरों आदि का निर्माण करना उनका अपना मामला है। परन्तु बात यह है कि यह कोई ऐसा मामला न हो जिससे कोई सीमा सम्बन्धी गड़बड़ी पैदा हो, जिससे हमारे देश हमारे उप-महाद्वीप में कोई विदेशी एजेन्ट आ जाये। इसलिये तनाव को रोकने के लिये उच्च राजनैतिक स्तर पर प्रयास और पहल की जानी चाहिये।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : बहुत जल्दी ही।

भुवनेश्वर भूयन (गोहाटी) : इस संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि कुछ समय पहले विपक्ष के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता ने सीमा पर गोली चलाने का उल्लेख किया था। मैं नहीं जानता कि उन्होंने ढाका स्थित भारतीय ग्रंथालय पर पत्थरबाजी किये जाने का उल्लेख क्यों नहीं किया था। इसलिये, सरकार से मेरा अनुरोध है कि सरकार केवल विरोध ही प्रकट न करे बल्कि उन्हें हमारी बातें स्पष्ट करें।

भारत सरकार को यह बता देना चाहिये और स्पष्ट कर देना चाहिये कि सीमा पर बाड़ लगाये जाने से इस देश की जनता के हितों की रक्षा होगी। ऐसा और देर किये बिना किया जाना चाहिये, इसके साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) , सभापति महोदय, देश की सीमाओं की सुरक्षा पर चर्चा हो रही है और 37 साल के बाद देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का इस सरकार ने प्रयास किया है । मैं सरकार को तो नहीं, लेकिन इस संसद के दोनों सदनों को जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा कि असम के आन्दोलन के बाद बार-बार चर्चा के बीच में हमारे सांसदों और नेताओं ने इस बात पर जोर दिया था कि इस 3200 किलोमीटर की सीमा की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और सांसदों की बात अन्ततोगत्वा इस सरकार को माननी पड़ी ।

सभापति जी, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि जनरल इरशाद ने 15 अगस्त, 1983 को चटगांव में जबकि बाड़ लगाने का काम भी शुरू नहीं हुआ था, बार-बार बंगलादेश के अन्दर इस बात का विरोध किया था और देश की जनता का आवाह्न किया था कि वह संगठित होकर इस खतरे का मुकाबला करने के लिये तैयार रहे । गृह मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि बार-बार जनरल इरशाद की तरफ से जब ऐसे ब्यान आते रहे हैं, तो उन ब्यानों के विरोध में हमारी सरकार ने वहाँ की फौजी सरकार से प्रोटेस्ट के तौर पर कभी पूछताछ की कि बाड़ लगाने में आपको क्या एतराज है । मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से ब्यानों के बारे में किसी तरीके की पूछताछ की गई और की गई है, तो मंत्री जी जवाब दें लेकिन अफसोस इस बात का है और मैं इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता कि सन् 1947 से लेकर अब तक करीब-करीब पौने दो करोड़ हिन्दू और मुसलमान हिन्दुस्तान के अन्दर आए हैं और इस देश में बस गये हैं । यह आज भी ज्यों का त्यों चालू है और मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं इस तरफ इशारा करना चाहता हूं कि पहले इन सीमाओं पर बाड़ नहीं लगी थी और जब से लगाने का कार्यक्रम शुरू किया है बंगलादेश के लोग और ज्यादा गति से हिन्दुस्तान के अन्दर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार घुसते जा रहे हैं । जो दो महीनों की अखबारों की रिपोर्टें हैं, उनके अनुसार 80 हजार आदमी हिन्दुस्तान की सीमाओं में बंगलादेश से आ कर घुसे और सरकार को यह बात मालूम है । मैं इस तरफ इशारा करना चाहता हूं कि बंगलादेश के अन्दर जो बिहारी मुसलमान हैं, उनको बंगलादेश के फौजी प्रशासक का पश्चिमी पाकिस्तान का एजेन्ट समझते हैं, और जो वहां पर हिन्दू हैं, उनको काफिर समझते हैं । इसलिए बाड़ लगाने की प्रक्रिया जब से शुरू हुई है, तब से हिन्दू और बिहारी मुसलमान बड़ी तादाद में बंगलादेश से भागने की तैयारी कर रहे हैं और लगातार भाग रहे हैं और आप की सीमाओं को पार कर रहे हैं । इसलिए आपको इसमें बड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए और आप अपनी फौज और बी० एस० एफ० की वहां पर ठीक से व्यवस्था कराएं वरना जरनल इरशाद एक-एक हिन्दू को और एक-एक बिहारी मुसलमान को, जिनको वह पश्चिमी पाकिस्तान का एजेन्ट समझता है, वहां से भागने पर मजबूर कर देगा । अगर वे भागना नहीं चाहते हैं, तो भी जबरदस्ती, उनको भगाने की कोशिश की जा सकती है और की जा रही है । इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि वह इस मामले में सतर्क रहे । जब सरकार ने कंटीले तार लगाने का काम शुरू किया था, तो वहां पर सुरक्षा के लिए उसे बी० एस० एफ० मिलिट्री और पुलिस की व्यवस्था करनी चाहिए थी लेकिन ऐसा प्रबन्ध आपने नहीं किया है। आपको बगलादेश के प्रशासक जनरल इरशाद से पूछना चाहिए था कि किस सीमा पर, किस जगह पर और किस मोड़ पर उनको तार

[श्री जगपाल सिंह]

लगाने पर एतराज है जबकि उनके एतराज लगातार आ रहे थे और आप को उनसे बातचीत करनी चाहिए थी। मैं अपनी सरकार की कोई आलोचना नहीं करना चाहता। हमारी सरकार और हमारा देश हमेशा शान्ति, सहयोग और सह-अस्तित्व में विश्वास करता है और हम नहीं चाहते कि हम बंगलादेश या किसी और पड़ोसी मुल्क के साथ अपनी ताकत की अजमाइश करें। हम शान्ति में विश्वास रखते हैं लेकिन जनरल इरशाद ने कहा है कि बंगलादेश के बहादुर लोगों की हिम्मत को हिन्दुस्तान को देखना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान से बंगलादेश बनवाया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि संकट के वक्त हिन्दुस्तान की फौजों और हिन्दुस्तान के लोगों के साहस और दोस्ती को जनरल इरशाद ने देखा है लेकिन अगर सीमा पर तार लगाने के मामले में हमारे साथ कोई छेड़खानी की गई; तो वे दुश्मनी का हाथ भी देखने के लिए तैयार रहें। हम इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमें अपनी सीमा पर तार लगाने से रोका जाय। वे अपनी सार्वभौमिकता के लिए, अपनी सोवरेन्टी के लिए लोगों को भड़काते हैं गलत तरीके से और हम अपनी सोवरेन्टी के लिये अपनी सीमा में तार लगायेंगे और अगर हमें तार लगाने से रोका गया, तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इस मामले में सरकार सतर्क रहे।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं। अभी तक सरकार ने नदियों से जो हमारा बार्डर बंगलादेश के साथ लगा हुआ है, उस पर कंटीले तार लगाने का कोई प्रबन्ध नहीं किया है। कई जगहों पर हमारी सीमायें नदियों के जरिये मिली हुई हैं और लोग दूसरी तरफ से न आकर नदियों के बार्डर से आना शुरू कर देंगे। इसलिये नदियों के किनारों पर, जहां पर हमारी सीमा बंगलादेश से मिलती हैं, भी कोई कंटीले तार लगाने का आपका विचार है। क्या भारत सरकार नदियों से मिली हुई सीमा पर भी इसी तरीके से कंटीले तार लगाने की व्यवस्था करेगी।

एक बात और कहना चाहता हूं कि आसाम के मुख्य मंत्री ने फीडर रोड बनाने का सुझाव दिया था। जब तक वहां पर कंटीले तारों के साथ-साथ फीडर रोड नहीं होंगे तब तक जरूरत पड़ने पर हमारी सेना कैसे पहुंच सकेगी। इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिस तत्परता से वहां पर कंटीले तार लगाये जाएं उसी तत्परता से फीडर रोड़ का निर्माण भी होना चाहिए।

शरणार्थियों की समस्या एक मानवीय समस्या है। हमने कभी बंगलादेश से आए हुये शरणार्थियों के बारे में यह नहीं कहा कि उनको हम बांगल की खाड़ी में फेंक देंगे या उनको मार देंगे, जैसा वे चकमाज के बारे में कहते हैं। हमने उनको आसाम से हटाकर देश के दूसरे प्रदेशों में बसाया है। 1971 के बाद और उससे पहले श्री मुजीब से जो भी समझौते हुए, उनका हमारी सरकार ने हमेशा पालन किया है और करती रहेगी। इसलिए मुझे आशा है कि इस सारी समस्या को मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाएगा। सारी संधियों को ध्यान में रखते हुए बंगलादेश सरकार द्वारा इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस डिबेट के बाद बंगलादेश सरकार हमारे देश के साथ जूझने का काम नहीं करेगी। (धन्यवाद)

श्री बृज मोहन महन्ती (पुरी) : सभापति महोदय; शुरू में मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि क्या इस मामले में दोनों पक्षों का हित अन्तर्ग्रस्त है अथवा बंगला देश जो कुछ कर रहा है वह हमारे आन्तरिक मामलों अथवा हमारे महान देश की प्रभुसत्ता में हस्तक्षेप है।

फरक्का मामले की तरह, इस मामले को भी अन्तर्राष्ट्रीय महत्व दिलाने के लिये धूर्त प्रयास किया जा रहा है। नेपाल को भी इस मामले में घसीटा जा रहा है कि उक्त जलाशय नेपाल में बनाया जाना चाहिये। आप कल्पना कर सकते हैं कि हमने कहां से शुरू किया है। देश के विभाजन के समय गंगा भारत की नदी थी । किसी ने भी नहीं कहा था कि गंगा जल में बंगलादेश अथवा पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा होगा। वस्तुत: बड़ी संख्या में हिन्दू रहने वाले खुलना क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान को और मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद भारत को इस उद्देश्य से दे दिया गया कि भारत ही गंगाजल का उपयोग करेगा और पूर्वी पाकिस्तान का उससे कोई वास्ता नहीं है।

बाद में, एक उदार दृष्टिकोण के रूप में, भारत सरकार ने शुरू से अब तक प्रतिक्रिया दिखाई है और इन सभी वर्षों से उदार दृष्टिकोण को स्वीकार किया है। अब केवल फरक्का मामले को ही नहीं इस मामले को भी अन्तर्राष्ट्रीय महत्व दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। एक बार इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त हो जाये, तो मैं पूछता हूं उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरा यह निवेदन है, जैसा कि श्री सत्य साधन चक्रवर्ती ने कहा है, अपने हमारे अधिकार क्षेत्र में कांटेदार बाड़ लगाना हमारा अधिकार है। क्या इसके लिए बंगला देश सरकार की सहमति की आवश्यकता है ? नहीं।

6.00 म० प०

यह बंगलादेश सरकार का मामला नहीं है कि भारत सरकार उसके क्षेत्र में अनधिकृत रूप से प्रवेश कर रहा है अथवा हम बाड़ का निर्माण उनके क्षेत्र में कर रहे हैं, परन्तु भारत अपने ही क्षेत्र में बाड़ लगा रहा है। भारत द्वारा अपने ही क्षेत्र में बाड़ लगाने पर बंगलादेश सरकार को क्या आपत्ति है ? बंगलादेश क्यों आपत्ति करेगा ? यह इसलिये कि बंगलादेश की अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति धूमिल हो जायेगी। संसार के सभी देशों को पता चल जायेगा और उनकी राय यह होगी कि बंगलादेश एक गरीब देश है। बंगलादेश नहीं चाहता कि संसार के अन्य देशों में ऐसा एक विचार पैदा हो। यही कारण है कि वे लगातार रट लगाते रहते हैं कि "कुछ अन्य कारण हैं और हमें उनकी जांच करनी होगी"।

सैनिक शासक अब एक विशाल आन्दोलन और जनता के विरोध का सामना कर रहे हैं, जिसे जन जागरण कहते हैं, जैसा की पाकिस्तान में है । धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली ताकतें सैनिक शासकों के प्रति आक्रमाक रुख अपना रही हैं। यह राष्ट्रीय जागरण है। छात्र परिसंघ के नेता, एक मुसलमान बालक ने सैनिक शासकों को यह कहते हुये चुनौती दी है कि धर्म दिल का मामला है, सरकार का मामला नहीं है। उसने सीधी चुनौती दी है। पूर्व बंगाल और बंगलादेश की जनता अत्यंत चिंतित है और स्वतंत्रता आन्दोलन में उनका योगदान अद्वितीय है।

[श्री बृजमोहन महन्ती]

स्वतन्त्रता आन्दोलन से संबद्ध प्रत्येक व्यक्ति जनता के योगदान को समझता है । वे मुसलमान हों या हिन्दू । परन्तु, सर्वप्रथम वे राष्ट्रवादी हैं। समस्त विश्व में विभिन्न देशों में इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं में स्वतंत्रता के लिये उनके द्वारा किये गये आन्दोलन की जानकारी हम सबको है।

अब, बंगलादेश और पाकिस्तान की सरकारें अपनी-अपनी जनता का ध्यान कुछ अन्य कार्यों की ओर मोड़ने का प्रयास कर रही हैं और इस प्रयोजन के लिये ये विवाद उठाये गये हैं। केवल जनता का ध्यान परिवर्तित करने के लिये जो मामले उठाये, गये हैं, उनमें 'मूरे आइलैंड, जलपाईगुड़ी के तीन गांव और त्रिपुरा के कुछ क्षेत्र शामिल हैं । इन लोगों के मन में भारत के प्रति दुर्भावना पैदा करने और उनके मन से अपने ही देश में विद्यमान सैनिक शासन को भुला देने के लिये वे सरकारें कुछ ऐसे और मामले उठाने की कोशिश कर रही हैं। यही समूचे मामले का निर्णायक मुद्दा है ।

उनके देश से 14 सोवियत राजनयिकों को इसलिये निष्कासित कर दिया गया है कि वे जासूसी गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त हैं । उसी प्रकार हमें अपने देश को राष्ट्र-विरोधी तत्वों से मुक्त करना चाहिये ।

विशेष रूप से गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के बाद भारत को कमजोर बनाने और वहाँ अस्थिरता पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है । यही कारण है कि ये सभी मामले भारत के आस-पास उठ रहे हैं। यह सभा उच्च शक्तियों की कूटनीति का दृश्य देख सकती है । आप देख सकते हैं कि वे चाहते हैं कि भारत कमजोर बन जाये और इस्लामाबाद के साथ उसके संबंध अच्छे न रहें । आप देखेंगे कि हमारा देश चारों ओर से विवाद से घिर जायेगा और इन असंख्यक विवादों को वे बृहत शक्तियां या अन्य शक्तियाँ पैदा कर रही हैं और वे उनका संचालन कर रही हैं। वे नहीं चाहती कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का विकास हो, वृद्धि हो, भारत स्थिर रहे और संसार में शांति आन्दोलन का नेतृत्व करें ।

मुझे विश्वास है कि इन सभी बाधाओं के बावजूद, भारत सभी तरह के साम्राज्यवाद के विरुद्ध, चाहे वह आर्थिक हो, या राजनैतिक आन्दोलन का निश्चित रूप से नेतृत्व करेगा और भारत इस दिशा में संसार के देशों का नेतृत्व करेगा । यही स्वतंत्रता आन्दोलन का आधार है ।

हमें इस पृष्ठ भूमि के आधार पर विभिन्न मामलों पर विचार करना चाहिये ।

मैंने गृहमंत्री महोदय को सलाह दी कि हम में वैसी उदारता होनी चाहिये जैसी हमारी उत्तरोतर सरकारों द्वारा अन्य देशों के प्रति उनके संकट के समय लगातार अपनाई जाती रही है ।

बंगला देश की जनता के दुख, तथा उनकी पीड़ा की ओर देखिये । उन्हें किस प्रकार यातनाएं दी जा रही हैं । हम अपने हृदय की उदारता तथा सद्भावना से अतिरिक्त उनके प्रति कुछ नहीं कर सकते । हमारी नीति सदैव यही होनी चाहिये ।

हमें बहुत ही सावधानी से यह देखना है कि मामला द्विपक्षीय बना रहता है। इसे अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का रूप नहीं दिया जाना चाहिये। उसके लिए प्रयास किया जायेगा। हमें इस मामले में बहुत सावधानी बरतनी चाहिये।

बंगलादेश में 14 प्रतिशत लोग हिन्दू हैं। भारत में केवल 12 प्रतिशत लोग मुसलमान हैं। मुसलमानों की संख्या अधिक या कम होने का प्रश्न नहीं है। रूढ़िवाद हमारा दुश्मन है। धर्म निरपेक्षता हमारी मित्र है। इसलिये रूढ़िवाद पर विश्वास रखने वाले सभी देश हमारे दुश्मन हैं। धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास रखने वाले सभी देश हमारे मित्र हैं।

आज बंगलादेश में शहीदों को माला पहनाना वर्जित है क्योंकि यह 'इस्लाम के विरुद्ध है; यह इस सैनिक सरकार की स्थिति है। हमें सावधान रहना चाहिए। बंगलादेश के लोग उस देश में अब धर्मनिरपेक्ष और लोकतन्त्र की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सैनिक शासन इस बात से भयभीत है क्योंकि भूतपूर्व राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई थी और भूतपूर्व राष्ट्रपति की बेटी को भी मार दिया गया था। उसको अब भय है और वह एक डावांडोल स्थिति में है। इसलिए वह ऐसा नियम चाहते हैं जिससे लोगों का ध्यान दूसरी ओर आकर्षित कर सकें जिससे वह सत्ता में रह सकें। हमें बहुत ही सावधान रहना है। मैं गृह मन्त्री को सलाह दूंगा कि वह कोई कमजोरी प्रकट न करें। हमारे अन्दर उदारता और मजबूती होनी चाहिए।

इसी तरीके से हम इस स्थिति का सामना कर सकते हैं। इस बात को देखना चाहिए कि वे इस विषय को अन्तर्राष्ट्रीय विषय न बना सकें।

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : सभापति महोदय, श्रीमान, इस सदन की बैठक, बंगलादेश के साथ हमारी सीमा के पार जो उत्तेजक और भड़काने वाली स्थिति बनी हुई है और जो स्थिति पैदा हुई है, उस पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई है। यदि आप इस पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से विचार करें तो इस देश में और कुछ नहीं लेकिन बांगलादेश के लिए सदभावना रूपी धन है और हम उनकी मित्रता की अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। मेरा मतलब है कि हमारी भावनाएं उनसे जुड़ी हैं क्योंकि इसके पीछे ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि है, और यहां तक कि इसके भू-राजनीतिक कारण हैं। इन कारणों से बंगलादेश, बंगलादेश सरकार और बंगलादेश के लोगों के विरुद्ध भारत के दिल में कुछ भी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत सी घटनाएं हुई हैं और इस समय जो छिटपुट झड़प चल रही है। दुर्भाग्यवश और बहुत सी अजीब तरीके से चरम बिन्दु पर पहुंच गई है। मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इन घटनाओं के क्रम में जो अब हुई हैं, यदि हम उनमें से कुछ पर विचार करें तो उससे हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। मैं विस्तृत रूप से उनका उल्लेख नहीं करूँगा। शुरू में, फरक्का का मामला उठाया गया था, गंगा जल के बटबारे की बात उठाई गई थी। इसके बटवारे की शर्तों के बारे में भारत के पूर्ण सहयोग के साथ निर्णय किया गया था। इसके बाद चकमा, मिजोरम में घुसपैठ की समस्या उठाई गई थी। इसके बाद समुद्र का कानून, न्यु-मूर आइलैंड घटना घटी। हर बार उन लोगों द्वारा जो कि शासन कर रहे थे न कि बंगलादेश के लोगों द्वारा बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कुछ न कुछ भड़काने वाली बात उठाई गई थी।

[श्री रतन सिंह राजदा]

लेकिन उन सैनिक शासकों द्वारा जो कि शासन में एक के बाद एक वहां शासक के रूप में आए, उन्होंने एक के बाद एक ने यह हौदा खड़ा किया। 10 मार्च, 1983 को जब जनरल इरशाद दिल्ली में थे उन्होंने एक वक्तव्य दिया था। हमारे संवाददाताओं ने उनसे भारत-बंगलादेश मित्रता के बारे में बातचीत के दौरान यह पूछा, "कि उसमें भड़काने वाले कारण क्यों हैं ? आप कार्यवाही क्यों नहीं करते ? आप यह क्यों नहीं करते कि इस मित्रता को और मजबूत बनाया जाए ?" तब उन्होंने कहा था—यह बात 10-3-1983 की है और सभी मुख्य समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ था—"भारत के साथ कोई गम्भीर समस्या नहीं है।" समाचार पत्रों में यह मुख्य समाचार थे। उन्होंने कहा था, 'भारत के साथ कोई गम्भीर समस्या नहीं है लेकिन उसके कुछ समय बाद सीमा-पार होने वाले अपराधों की घटनाओं में वृद्धि हुई, डकैतियां पड़नी शुरू हो गई, अपहरण किए गए, पशुओं को चुरा कर ले जाया गया, गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ हुई, और यह सब बातें फिर से शुरू हो गईं, यह सब बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जारी रहीं। कोई भी व्यक्ति इन घटनाओं को पढ़ सकता है। यदि हम इन सभी घटनाओं को पढ़ें, यदि हम इन सभी घटनाओं पर विचार करें और उनका विश्लेषण करें, हम देखेंगे कि पागलपन में कुछ तरीका है। इस पागलपन में यह तरीका है कि, जब कभी भी कोई समस्या होती है, चाहे वह घरेलू समस्या हो, तो ऐसी स्थिति में सैनिक शासक अपना लोगों को ध्यान उस ओर से हटाना चाहते हैं। क्योंकि वे घरेलू कठिनाइयों से परेशान हैं, ये सैनिक शासक, एक के बाद एक, किसी न किसी बहाने भारत के विरुद्ध यह हौवा खड़ा करते रहे हैं।

6.10 म०प्र०

(श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए)

महाराजा सिन्धिया और माननीय सदस्य श्री जयपाल सिंह कश्यप सहित कुछ मित्रों ने बोला है और उन्होंने कठोर भाषा में बोला है···

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : एक बहुत ही प्रगतिशील सदस्य होने के नाते, आप किसी सदस्य को महाराजा के नाम से कैसे पुकार सकते हैं ?

श्री रतन सिंह राजदा : ठीक है, मैं इसमें सुधार करता हूं—श्री माधवराव सिन्धिया।

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) यह एक महाराजा के राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं महाराजाओं को नहीं मानता।

श्री रतन सिंह राजदा : मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ प्रगतिशील तत्व हैं। मैं अपने विद्यार्थी जीवन के दिनों में राजाओं और महाराजाओं के विरुद्ध लड़ा हूं। मैं आपके बारे में नहीं जानता।

श्री सतीश अग्रवाल : बम्बई में उससे भी अधिक राजा महाराजा हैं।

सभापति महोदय : आपके अपने नाम के साथ में भी कुछ 'राज' शब्द है।

श्री सतीश अग्रवाल : राजभोग के बारे में क्या है ?

श्री रतन सिंह राजदा : आप मेरा ध्यान दूसरी ओर ले जाने की कोशिश न करें। मैं अब इस प्रलोभन के आगे नहीं झुकुंगा। कृपया माननीय सदस्य से व्यवस्था का पालन करने के लिए कहें।

मैं बता रहा था कि इन सैनिक शासकों के पागलपन में एक तरीका है। क्योंकि अपनी घरेलू कठिनाइयों के कारण वे इन विषयों को उठा रहे हैं और उनके परिणामस्वरूप वे लोगों का ध्यान उस ओर से हटा रहे हैं। जब यह घुसपैठ लगातार जारी रही, हम शुरू से हर वक्त संयम की नीति अपनाते रहे हैं। जब हमने उनका ध्यान आकर्षित किया है और जब कभी भी दूसरी ओर से इश्तहार, हिंसा के भड़काने वाले इश्तहार और धमकियां आती हैं, मैं प्रशंसा करूंगा, मैं अवश्य कहूंगा और इस बात की मुबारकबाद दूंगा कि अब तक हमारे देश ने संयम की नीति का पालन किया है। हमने कभी भी भड़काने वाली भाषा अथवा कठोर शब्दों का कभी भी प्रयोग नहीं किया है और हमने हमेशा महत्व पर जोर दिया है और यह हमारी हार्दिक इच्छा रही है कि बांगलादेश के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहें। इसके बावजूद भी जब यह घुसपैठ जारी रही, तो उसने हमारे देश के लिए गम्भीर समस्या पैदा कर दी। असम में स्थिति इस प्रकार उत्पन्न की गई असम के लोग इतना उत्तेजित हो उठे कि हमें बहुत ही जटिल समस्या का सामना करना पड़ा। असम, बिहार, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा—ये सभी स्थान पूरी तरह से अशान्त हो गए थे। यदि आप असम की तुलना में अन्य राज्यों की जनसंख्या की वृद्धि को देखें, असम की वृद्धि 40 प्रतिशत थी। इसमें 50 प्रतिशत से अधिक अन्य राज्यों से घुसपैठ के कारण हैं। दुर्भाग्यवश यह हमारी कमजोरी के कारण था और हमारी सरकार बहुत ही धीमे चली है और उससे स्थिति खराब हो गई। घुसपैठ का पता लगाने के लिए जो न्यायाधिकरण हमने स्थापित किए हैं पूरी तरह से अप्रभावी रहे हैं। तथ्य हमारे सामने हैं। इसलिए, भविष्य में सरकार के लिए मार्ग निर्देश होने चाहिए और सरकार आगे इस तरह की और कोई कमजोरी नहीं दिखाएगी। अब हमने यह निर्णय किया है क्योंकि घुसपैठ का पता लगाने के लिए न्यायाधिकरण अप्रभावी रहे हैं। हम क्षेत्र की छंटाई करेंगे और एक वक्तव्य जारी किया गया सरकार का इस प्रकार का विचार है और सरकार क्षेत्र की छंटाई करेगी और हम घुसपैठियों और उन सभी लोगों को जो सीमा पार करके आए हैं वापस भेज देंगे। लेकिन यह कार्य बहुत शीघ्रता से नहीं किया गया। मुझे इस बात की हैरानी है कि यह कार्य आज तक भी किया गया है या नहीं। यह प्रशासन का कर्त्तव्य है कि वह इस बात को न्यायाधिकरण के सामने रखे। अब इसमें एक धारा है और यह सारी समस्या उसके कारण पैदा हुई है—कि एक प्राइवेट नागरिक को घुसपैठियों का पता लगाने के लिए नियुक्त न्यायाधिकरण से शिकायत करनी होती है और प्रशासन स्वयं अपनी ओर से अपने आप कार्यवाही नहीं करता। अब, महोदय, ऐसे कौन से गैर-सरकारी व्यक्ति होंगे जो उन सभी घुसपैठियों का कोपभाजन बनेंगे और फिर प्रशासन के पास जायेंगे और सारे तन्त्र को सक्रिय करेंगे ? यह एक बहुत ही अनुपयुक्त और बेतुका खंड था जिसे इसमें जोड़ा गया है। मैं यह चाहूंगा कि जहां तक हमारे प्रशासन का सम्बन्ध है उसे यह स्वयं देखना चाहिए कि वे घुसपैठियों का पता लगाने और उनके विरुद्ध कार्यवाई करने के लिए स्वयं अपने आप कार्यवाई करें।

[श्री रतनसिंह राजदा]

महोदय, उन नागरिकों को, जो सीमा क्षेत्र में रहते हैं, पहचान पत्र जारी करने का सुझाव दिया गया था ताकि भविष्य में और आगे कठिनाई पैदा न हो। विशेष रूप से असम, बिहार और पश्चिम बंगाल में ऐसा करना आवश्यक है। निर्वाचन आयोग ने भी यह सुझाव दिया है कि मतदाताओं के लिए पहचान पत्र वितरित किए जाएं। ये केवल कुछ सुझाव हैं ताकि भविष्य में हम इन सब बातों पर बहुत तेजी से कार्य कर सकें।

मैं और अधिक कुछ नहीं कहूंगा। मैं केवल यह अनुरोध करूंगा और अपनी सरकार से इस बात का अनुरोध करूं कि वे बांग्लादेश के नेताओं, बांग्लादेश के अधिकारियों को यह बात समझायें और उन्हें यह बतायें कि जहाँ तक सीमा पर होने वाली इन झड़पों और उनके द्वारा अपनाए गए हिंसापूर्ण रुख का सम्बन्ध है भारत की नीति यह है कि हम एक परिपक्व राष्ट्र हैं तथा हम परिपक्वता और संयम से कार्य करेंगे। परन्तु, यदि भड़काने वाली ये कार्रवाइयां जारी रहती हैं तब भी बांग्लादेश के प्रति हमारी कोई दुर्भावना नहीं है, परन्तु इसके साथ-साथ सरकार इस संबंध में बहुत व्यवहार-कुशलता और दृढ़ता से कार्य करे तथा जहां तक बांग्लादेश सीमा पर 3200 किलोमीटर लम्बी सीमा पर तेजी से कांटेदार बाड़ लगाने का संबंध है, इस काम में प्रत्येक भारतीय सरकार के साथ है। घुसपैठियों द्वारा की जाने वाली इस घुसपैठ से बहुत विकट स्थिति पैदा हो गई है। हम बाहर के लोगों को इस बात की अनुमति नहीं दे सकते कि वे हमारे देश में घुसें तथा आर्थिक, राजनीतिक और अन्य समस्याएं पैदा करें और हमारे देश में तोड़-फोड़ की गतिविधियों में संलग्न हों।

इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार को कार्य में तेजी लानी चाहिए। सरकार का नारा होना चाहिए कि व्यवहार कुशलता और दृढ़ता से और तेज कार्य करें और भी तेज। यदि सरकार यह नीति अपनाती है तो मुझे आशा है कि बांग्लादेश के सैनिक शासकों को सद्बुद्धी आएगी। यह कहने के बाद अब मैं अपने माननीय गृह मंत्री का ध्यान एक बात की तरफ दिलाना चाहूंगा। इस सभा में हमने सीमा घुसपैठियों की समस्या पर प्राय: चर्चा की है। हमारी बहुत बड़ी सीमा हैं और तट्टीय क्षेत्र हैं जहां अनेक भागों से घुसपैठ हो रही है। हमारी सरकार ने सदा सुस्ती दिखाई है। कुछ समय पहले भी मैंने इसके बारे में लिखा था। कच्छ से लोगों ने मुझे लिखा है कि बड़ी संख्या में लोग सीमा पर से कच्छ में घुसपैठ कर रहे हैं और वे विघटनकारी गतिविधियों में संलग्न हैं; वे स्थानीय लोगों को आतंकित कर रहे हैं तथा वे हर प्रकार की तस्करी और अन्य गतिविधियों में लगे हैं। सीमा पार हमारी तरफ के कानून के रक्षक बिल्कुल सक्रिय नहीं हैं। उल्टे उनकी इन लोगों के साथ सांठ-गांठ पाई गई है। क्योंकि तस्कर तथा अन्य लोग साधन सम्पन्न लोग हैं और इसीलिए इस समस्या की गंभीरता को समझने की तुरन्त आवश्यकता है। मैं तो यह कहूंगा कि घुसपैठ के बारे में इस सभा में राष्ट्रीय महत्व के मामले के रूप में चर्चा होनी चाहिये क्योंकि हमने शुरू से ही इसमें ढील बरती है और यदि सरकार की ओर से यह ढील जारी रही तो यह बहुत अमंगतकारी होगा तथा हमारा राष्ट्रत्व और यहां तक कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं चाहूंगा कि हमारी, सरकार समय की मांग को पूरा करे तथा अपनी सुस्ती त्यागे और दृढ़ निश्चय के साथ दृढ़ कार्रवाई करे।

"महोदय, मैंने अपनी बात कह दी है। धन्यवाद।

सभापति महोदय : विपक्ष के कुछ और माननीय सदस्य भी बोलना चाहते है। मैं उन्हें एक-एक करके बुलाऊंगा।

श्री राम जेठमलानी।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई-उत्तर-पश्चिम) : सभापति महोदय, जो घटनायें समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं और जिनका आज दोपहर बाद माननीय गृह मंत्री ने जिक्र किया है वे इतनी गंभीर हैं कि हम उनके बारे में अपने निष्कर्ष निकालें तथा अपनी प्रक्रिया और नीति तैयार करें।

पहली बात तो यह है कि हम अपने उचित निष्कर्ष निकालें। मुझे नहीं पता कि सरकार ने निष्कष निकाले हैं या नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि शासक दल की ओर से जो माननीय सदस्य बोले हैं उन्होंने निष्कर्ष नहीं निकाले। चूंकि समय बहुत कम है इसलिए मैं केवल क्रमवार यह बताऊंगा कि मेरे विचार से हमें इन घटनाओं से क्या निष्कर्ष निकालने चाहिएं।

पहली बात तो यह है कि इस देश के लोगों को आश्वासन देने के बाद भी सीमा पर निगरानी नहीं की जा रही है; घुसपैठ जारी है तथा आत्मनिरीक्षण की गंभीर बात यह है कि हमारे द्वारा चौकस रहने का निर्णय किए जाने; हमारे कार्यदल सीमा पर लगाए जाने और हमारे सुरक्षा दल वहां तैनात किए जाने के उपरान्त इस प्रकार की असुरक्षा की स्थिति है और जब इस प्रकार की सभी सावधानियां नहीं बरती गई थीं तो ऐसे समय में क्या हो रहा होगा ?

इससे एक अन्य विचार भी पैदा होता है कि कम से कम आज आप उनके प्रति थोड़ा आभार व्यक्त करें जिन्होंने इस खतरे की ओर आपका ध्यान दिलाया तथा जिन पर आपने राष्ट्र-विरोधी होने का आरोप लगाया है और जिन पर आपने हिंसक कारँवाई करने का आरोप लगाया है। कम से कम सिंहावलोकन के रूप में आज इस बात को स्वीकार करें कि उन्होंने भारी संकट की ओर आपका और राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया और वे वास्तव में देश भक्त थे।

समस्या के बारे में गंभीरता से सोचने वाला कोई भी व्यक्ति दूसरा निष्कर्ष जो निकालता है वह यह कि आज भी कोई पर्याप्त निगरानी या सतर्कता नहीं बरती जा रही है। ऐसा क्यों हुआ है कि आप 5 अप्रैल और आज के बीच जो कुछ हुआ उसका पूर्वानुमान नहीं लगा सके ? क्या आपको समय रहते इस बात की जानकारी मिली थी कि इन खम्बों के निर्माण का और इस प्रतिरक्षा कार्य का विरोध होगा ? आपको 5 तारीख को अचानक गफलत में पकड़ा गया कि आपको दी गई चेतावनी के बावजूद आप 5 और 6 तारीख को सुरक्षा दलों को तैनात नहीं कर सके और वहां कार्यरत श्रमिकों और अपने सुरक्षा बल के श्रमिकों की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर सके। अप्रैल में बाद के दिनों में भी घटनाएं हुईं और शर्मनाक बात यह है कि जब 20 तारीख को दो दिनों तक घटनायें हुईं तो आपको सीमा पर अपनी ओर निर्माण कार्य रोकने के लिए बाध्य होना पड़ा। इससे क्या पता चलता है ? इससे पता चलता है कि हम बिल्कुल बिना तैयारी के थे, चेतावनी के बाद भी हम कोई तैयारी नहीं कर रहे थे तथा हम अपनी तथाकथित सुरक्षा बलों की उपस्थिति के बावजूद उन गरीब श्रमिकों की सुरक्षा नहीं कर सके जिन्हें हमनें स्वयं वहां काम पर लगाया था।

तीसरा निष्कर्ष, जिसने कांग्रेस (आई) से सम्बन्धित मेरे दोस्तों को अवश्य ही परेशानी होगी और इस सम्बन्ध में, मैं प्रो० रंगा का नाम अपने गवाह के रूप में ले रहा हूं, मैं आपको यह बता सकता हूं कि उस दिन ही कांग्रेस (आई) के एक जिम्मेदार सदस्य ने गम्भीरतापूर्वक यह दावा किया था कि वर्तमान विदेश मंत्री को विदेश कार्य सौंपने के बाद और श्रीमती इन्दिरा गांधी के गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का अध्यक्ष बन जाने के बाद, भारत एक महाशक्ति बन गया है। यह एक गम्भीर दावा है, जो उनके द्वारा किया गया, और मैं तब तक कोई वक्तव्य नहीं देता जब तक कि मेरे पास इज्जतदार गवाह न हों।

महोदय, इस बात से हमारे में अवश्य ही हीनता की भावना पैदा होनी चाहिए कि हमारी सीमा पर एक छोटी कमजोर शक्ति इस काबिल है कि वह हमारा अपमान करे, हमें उत्तेजित करे, हमारी सीमा पर गोली-बारी करे और न केवल हमारे सैनिकों को मारे, अपितु उन मजदूरों को भी मारे, जो वहां काम पर लगाए गए हैं।

अन्तनिरीक्षण का गम्भीर मसला यह है कि हमें कल्पना के लोक में नहीं रहना चाहिए। हमने कल्पना के उस लोक में फिर जीना शुरू कर दिया है, जिसमें हम वर्ष 1962 में रह रहे थे और कल्पना की वह दुनिया ढह गई थी, लेकिन उस समय ऐसे महान् लोग मौजूद थे, जिन्होंने यह स्वीकार किया था कि वे कल्पना के लोक में रह रहे थे। आज हमारे पास ऐसा कोई महान् व्यक्ति नहीं है। जितनी जल्दी हम अपने दिमाग से कल्पना का यह पर्दा हटा लेंगे, उतना ही राष्ट्र के लिए बेहतर होगा।

इस छोटी-सी घटना से हम दो दिन तक काम रोके रखने को मजबूर हो गए, यह चौथे निष्कर्ष को जन्म देता है। आपने 3200 किलोमीटर लम्बी सीमा पर बाड़ लगाने की योजना बनाई है और मेरे विचार में इसमें से 1500 किलोमीटर लम्बी सीमा असम-बंगलादेश सीमा पर पड़ती है। 'दि टाइम्स आफ इण्डिया' में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है—मैं चाहता था कि सरकार हमें विश्वास में ले—वह यह है कि सरकार का अत्यधिक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम यह है कि वर्ष 1984 के अन्त तक इस 1500 किलोमीटर या कुल 3000 किलोमीटर से कुछ अधिक दूरी में से हम केवल 100 किलोमीटर की दूरी तक में ही बाड़ लगाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि इस सरकार का विचार सीमा की रक्षा संबंधी इस कार्य को करने में 32 वर्ष का समय लगाने की है। महोदय, वे देश के साथ मजाक कर रहे हैं। मेरे हिसाब से यह देश के साथ एक बड़ा मजाक है। पिछले 30 वर्षों में हमारी सीमा की रक्षा के बारे में कभी उन्होंने गम्भीरतापूर्वक नहीं सोचा। अब वे इस देश के साथ छल कर रहे हैं और देशवासियों को यह बता रहे हैं कि हम काम पूरा करने में जुटे हुए हैं और हमने अपनी सीमा की रक्षा करने का गम्भीरतापूर्वक निर्णय किया है। यह धोखाधड़ी बंद की जानी चाहिए। इस देश के लोगों की आंखों में धूल झोंकना बन्द होना चाहिए।

अन्तिम से पहले वाला निष्कर्ष यह है कि : यह फिर एक ऐसा तथ्य है, जिसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। इस छोटे से काम के निष्पादन में भ्रष्टाचार दिखाई देता है। 'दि टाइम्स आफ इण्डिया' ने समाचार दिया है कि एक खंभा जो खड़ा किया गया था, उसे गिरा दिया गया है।

किसके द्वारा ? टैंक द्वारा नहीं। न ही किसी हथियारबन्द गाड़ी द्वारा। लेकिन सीमा पार रहने वाले एक बांगलादेशी अध्यापक द्वारा। मुझे नहीं मालुम कि इस अध्यापक को कैसा जादू आता है कि उसने सीमा पार से ही एक खड़े हुए खंभे को गिरा दिया। बांग्लादेश का यह अध्यापक आपके निर्माण ढांचे को ढहाने में समर्थ है, इसका अर्थ यह हुआ कि इन खंभों के निर्माण में वास्तविक कंक्रीट या सीमेन्ट या अन्य किसी ऐसी सामग्री का प्रयोग नहीं किया जा रहा, जो इन खंभों को मजबूती से खड़ा रखे। इस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है वहां। यदि एक अध्यापक द्वारा खंभे को गिराया जा सकता है, तो पूरी की पूरी बाड़ एक टैंक द्वारा एक ही रात में मिट्टी में मिलाई जा सकती है, जिसका आपको पता न लगेगा, क्योंकि वहां आपकी कोई चौकसी नहीं है।

और अन्तिम हैरानी में डाल देने वाला निष्कर्ष यह है—मुझे स्पष्ट शब्दों में तो नहीं बताया गया, लेकिन कूटनीतिक शब्दों में बताया गया है। एक सज्जन, मेरे मित्र श्री मोहन्ती ने ऐसा संकेत दिया है। यह हैरानी में डालने वाला निष्कर्ष है। सीमा-क्षेत्र में मुख्य रूप से ऐसे लोग बसे हुए हैं, जिनका समर्थन और निष्ठा आपकी ओर नहीं है। अन्यथा ऐसा सम्भव नहीं है। वहां रहने वाले लोग, निष्ठावान लोग ही सीमा पर हमारे प्रतिष्ठानों की रक्षा कर सकते हैं। कितना भी सुरक्षा बल लगाया जाए, वह यह काम नहीं कर सकता। यदि कोई अध्यापक सीमा पार करके आ जाए और आपके निर्माण को ढहा दे, तो इस सीमा के इस पार रहने वाले हमारे लोग क्या कर रहे थे ? मुझे बताया गया है कि यह जगह दो गांवों के ठीक सामने स्थित है। आप अपना निष्कर्ष स्वयं निकालिए। ये बहुत असन्तोषजनक निष्कर्ष हैं। ये हमारी आंखें झुकाने वाले निष्कर्ष हैं। अपने निष्कर्ष खोजिए। यदि आप सो जाते हैं, तो फिर आप समस्या का बिलकुल भी समाधान नहीं कर सकते। इससे मैं एक और गम्भीर समस्या तक पहुंचा हूं।

कल, मेरे दल के नेता श्री अटलबिहारी वाजपेयी ने इस सभा में एक यह प्रश्न पूछा था कि पश्चिम बंगाल और बिहार के ऐसे कौन-कौन से जिले हैं जहां 1971 से 1981 तक (क) जनसंख्या में 40 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है; और (ख) जनसंख्या में सौ प्रतिशत की या इससे अधिक वृद्धि हुई है। इसका उत्तर यह दिया गया है कि पश्चिम बंगाल में 8 जिलों और बिहार में 4 जिलों में जनसंख्या में 100 प्रतिशत की या इससे अधिक वृद्धि हुई है, सम्बन्धित गांवों की कुल संख्या 51 है; तथा पश्चिम बंगाल में 8 जिलों और बिहार में 6 जिलों में 40 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है और सम्बन्धित गांवों की कुल संख्या 181 है।

भारत जैसा एक बड़ा देश इसे सहन कर सकता है, लेकिन मुझे इससे दुःख हुआ है। मैं कोई कटु शब्द प्रयोग करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि उत्तर एक महिला द्वारा, जो मेरी उम्र की है, दिया गया था, अपने पौरुष का ज्ञान मुझे अभी है और मैं इस उत्तर का भार एक बहुत मजबूत कन्धे वाले व्यक्ति श्री सेठी पर डालता हूं और उस महिला को इस परिधि से बाहर रखता हूं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : जो कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं, वह उचित नहीं है। वे किसका जिक्र कर रहे हैं ? क्या वे प्रधान मंत्री की ओर इशारा कर रहे हैं ?

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : वे केवल एक महिला का आदर करते हैं जो प्रधान मंत्री हैं······ (**व्यवधान**)

श्री रामजेठ मलानी : प्रधान मंत्री के प्रति मेरे प्यार और स्नेह का उन्हें ज्ञान नहीं है।

तो यह उत्तर दिया गया था। जनसंख्या बढ़ने के कारणों संबंधी प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया। पहला जन्मदर। मैं इससे सहमत हूं। दूसरा कारण मृत्युदर है। यह मंत्री की सहज बुद्धि है कि उनके अनुसार जनसंख्या वृद्धि का कारण मृत्युदर हो सकती है। तीन कारण दिए गए हैं-- जन्मदर, मृत्युदर और देशान्तरण। मैं यह अन्दाजा लगा सकता हूं कि यह गलती थी। लेकिन उत्तर में और आगे यह कहा गया है कि किसी एक कारण को जनसंख्या की वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराना मुश्किल है। क्या उनकी सामान्य बुद्धि लोप हो गई है ? क्या उन्हें निष्कर्ष निकालना बिल्कुल भी नहीं आता है ? क्या उनमें इतनी बुद्धि नहीं है कि जब उनके सामने प्रमेय प्रस्तुत कर दिया गया है तो वे एक उपप्रमेय खींच सके ? पूरे देश में जन्मदर की औसत दर 2 प्रतिशत वार्षिक है। चलो यह मान लेता हूं कि यह 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 25 प्रतिशत या 30 प्रतिशत भी हो सकती है। लेकिन यहां तो जनसंख्या में 100 प्रतिशत वृद्धि हुई है। अत: शेष 70 प्रतिशत वृद्धि देशान्तरण के कारण ही हुई है। यदि मृत्यु-दर में कोई कमी नहीं हुई है, तो 70 प्रतिशत ही वृद्धि होनी चाहिए। गृह मंत्रालय की आसूचना का क्या स्तर है, कि उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं कि जनसंख्या में 70 प्रतिशत वृद्धि देशान्तरण के कारण हुई है ? ऐसी हालत में यह देश इन महानुभावों के हाथों में कैसे सुरक्षित रह सकता है ? मैं यह जानना चाहता हूं। देश को यह पूछने का अधिकार है और उनकी सहजबुद्धि पर देश आपत्ति कर सकता है।

जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें केवल एक ही सलाह दी जा सकती है, जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उस समय दी गई थी, जब चैम्बरलेन शासन त्यागने को कहा गया था। यह उससे विपक्ष द्वारा नहीं कहा गया था, बल्कि यह बात उसकी अपनी पार्टी ने उससे कही थी कि वह देश के लिए केवल एक यही कुर्बानी दे सकता है कि उसे सत्ता छोड़ देनी चाहिए। और उनकी अपनी पार्टी में से हमें किसी व्यक्ति को इस सरकार से यह अनुरोध करना है कि वह सत्ता त्याग दे।

श्री राजेश पायलट (भरतपुर) : चर्चित विषय के अन्तरगत मैंने भी अपने विचार प्रकट करने के बारे में सोचा है क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों विशेष रूप से बांग्लादेश के साथ हमारे कुछ भावनात्मक सम्बन्ध हैं।

मुझे दिसम्बर, 1971 याद आता है जब युद्ध चल रहा था। बांग्लादेश की घोषणा हो जाने के बाद कुछ सैनिकों को ढाका में बुलाया गया था। वहां पर हमसे युवा लड़कियां, परिवार और दूसरे लोगों ने मुलाकात की थी। वहां पर उन सभी लोगों की आंखों में आंसू उमड़ रहे थे। हमने उन लोगों से पूछना शुरू किया—"आप लोग कितने भाई बहिन हैं" भारतीय लोगों के प्रति स्नेह और प्यार के अलावा उनके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था।

दिसम्बर, 1971 में ऐसी स्थिति थी, भारतीय लोगों के प्रति बांग्लादेश के लोगों में कितना प्यार था यह दर्शाने के लिए मैं और आगे जाता हूं। अब चूंकि युद्ध समाप्त हो गया है और मैं वायुसेना से सेवा निवृत्त हो गया हूं, मैं एक बम वर्षाने के अभियान की चर्चा कर सकता हूं, मैं बम वर्षाने के एक अभियान के बाद कुर्मीटोला से वापस आ रहा था। पाकिस्तानी ट्रांसमीटर एक गलत आदेश प्रसारित कर रहा था, हमें एक निश्चित ऊंचाई से बम बर्साने थे, उन्होंने समाचार प्रसारित किया "आप अमुक-अमुक ऊंचाई तक जायें" यह एक स्पष्ट आदेश था। उन्होंने कहा —"गला बन्द रखो; बम गिराओ"। मुक्ति वाहनी के नियंत्रण में एक दूसरा ट्रान्समीटर था। यह तुरन्त लाइन पर आया और उसने कहा "यह गलत प्रसारण है। इसे मत सुनो"। बात यह नहीं थी कि मैंने पाकिस्तानी ट्रान्समीटर के आदेश को सुना लेकिन आप इस बात की कल्पना करें कि हम लोगों में कितना प्रेम था। इस एक सेकेण्ड के प्रसारण ने मुझे सोचने को मजबूर कर दिया था।

दोनों देशों के बीच इस प्रकार की भावनायें थीं, युद्ध के विमानों के मार गिराये जाने के बाद पकड़े गये युद्धबन्दी अथवा कुछ युद्धबन्दी जिन्हें पाकिस्तानी सेनाओं ने पकड़ा था उन्हें धावन पट्टी के नजदीक एक छोटे से बैरक में रखा गया था। इन पायलटों को धावन पट्टी के नजदीक रुकने के पीछे यह मंशा थी कि यदि भारतीय जहाज आयेंगे और उन्होंने धावन पट्टी पर बम वर्षा की तो ये लोग स्वत: ही मारे जायेंगे। इसलिए इन युद्ध बन्दियों के साथ ड्यूटी पर उस समय जो अधिकारी नियुक्त था, युद्ध के बाद, जब उन्हें छोड़ दिया गया था, वह हमसे मिला। वह पाकिस्तानी अधिकारी था, पाकिस्तान का नागरिक था। उसकी पत्नी बांग्लादेश की थी। उस समय वह पूर्वी पाकिस्तान था। वहां पर एक कैम्प था वह जब उनके लिए भोजन लाती थी तो वह इन भारतीय अधिकारियों के लिए अतिरिक्त भोजन लाती थी, और कभी-कभी कुछ पत्रिकाएं लाती थी। वह किसी तरह इन चीजों को हमारे लिए ले आती थी।

इन भावनाओं के साथ जब हम लोग उनसे बिदा हुए थे, मेरे विचार से कोई भी सैनिक यह नहीं सोच सकता था और यह सोचना बहुत कठिन था कि वह एक अलग देश था। उस समय यह भावना थी कि भारत और बांग्लादेश एक है; लोगों के बीच ऐसी भावना थी ?

जब हम आज इस विषय पर चर्चा करते हैं, जब अखबारों में यह पढ़ते हैं कि हमारे दोनों देशों के बीच गोलाबारी चल रही है तो विश्वास नहीं होता है, विशेष रूप से उन लोगों को जिन्होंने बंगलादेश की मुक्ति के लिए हुई लड़ाई में भाग लिया था। यह बात कल्पना के परे की है। मैं अभी भी यह महसूस करता हूं कि यह खबर गलत है। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो सकता है कि गोलाबारी हुई है।

लेकिन इसके क्या कारण हैं ? मुझे याद है जब यह बाढ़ लगाने का काम शुरू किया गया था तो बंगलादेश और भारत से भी अनेक प्रकार की खबरें आ रही थीं। प्रत्येक समाचार-पत्र में मैंने पढ़ा था कि इस सीमा पर बहुत अधिक तस्करी हो रही थी, एक खबर यह भी थी कि पटसन की 5 लाख गांठें पकड़ी गयी थी। यह समाचार मैंने बंगलादेश के एक अखबार में कलकत्ता में पढ़ा था।

श्री राजेश पाइलट

ऐसी भी खबरें थी कि पिछले साल 476 तस्कर पकड़े गये थे और इन 476 तस्करों में से 336 तस्कर बंग्लादेश के निवासी थे। वहां से अनेक लोग हमारी सीमाओं में घुस रहे हैं।

6.40 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

जैसाकि आपने पिछली चर्चा के दौरान और अन्य समय में भी सुना था कि हमारे देश में असम एक ऐसा राज्य है जिसके सामने बंगलादेश से सीमा पार करके आने वाले लोगों की समस्या हमेशा रही है। यह असम की ओर ही नहीं है, मिजोरम, त्रिपुरा और उसके बाद पश्चिम बंगाल जैसे उत्तर-पूर्वी कुछ राज्यों में बहुत अधिक तादाद में लोग आये हैं यदि मेरी सूचना गलत है तो गृहमंत्री इस बात को स्पष्ट करेंगे कि मार्च, 1984 तक बंगलादेश से 2321 लोग सीमा पार कर भारत में आये थे। पिछले वर्ष भी लगभग इतने ही—2086 व्यक्ति वहां से सीमा पार करके हमारे देश में चले आये थे। 10 अप्रैल, 1984 को बंग्लादेश के नागरिकों ने 50 वर्षीय मौलाना मियां को पकड़ा था और उसे बंग्लादेश राइफल्स कैम्प छत्तरपुर में ले जाया गया था। उसके बाद सीमा सुरक्षा बल और बंग्लादेश राइफल्स के बीच बैठकें हुई थी और तब यह आश्वासन दिया गया था कि उसे शीघ्र मुक्त कर दिया जायेगा। इस प्रकार की सभी जटिलताओं और समस्याओं को आते हुए देखते हुये यह फैसला किया गया था कि हम सीमा पर बाढ़ लगायेंगे।

·रे माननीय श्री दोस्त जेठमलानी सुरक्षा तार लगाने के बारे में चर्चा कर रहे थे। सुरक्षा के उद्द्श्य से तार नहीं लगाये गये हैं। मेरे विचार से वह रोड के बारे में मतलब नहीं समझ पाये हैं। मुझे मालूम नहीं है कि लकड़ी के ढांचे के लिए क्या शब्द दिया गया है, हमारा पक्षवादी साक्षी है और उनका पक्ष प्रतिवादी पक्ष है। इसे इन शब्दों के साथ मिला दिया गया है। सुरक्षा के उद्देश्य से, तार लगाना इसका कोई हल नहीं है। आप सारे देश की सीमा पर तार लगाने का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका उद्देश्य केवल तस्करी और बंग्लादेश के लोगों का यहां आने को रोकना है। यही इसका मुख्य उद्देश्य था। उन उत्तरी राज्यों में हमारी जो समस्या है केवल अपनी उन्हीं समस्याओं को हल करने का फैसला हुआ था। जहां तक बंग्लादेश की स्थिति का सवाल है, वहाँ पर राजनैतिक अस्थिरता है। वहां पर कोई राजनैतिक नेतृत्व नहीं है। ऐसी कोई राजनैतिक पार्टी नहीं है जिसे लोगों का कुछ समर्थन प्राप्त हो, सेना ने सत्ता सुख भोग लिया है। आप उनसे पुनः बैरकों में चले जाने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, उन्होंने सत्तानसीन होकर कहा है कि आप हमसे बैरकों में चले जाने, और जो काम हमने 13 साल पूर्व किये थे, उन्हीं को फिर से करने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। 1971 के बाद 13 सालों तक उन्होंने सत्ता-सुख भोग लिया है। इसलिए इससे मुक्ति पाना उनके लिए कठिन हो रहा है। राजनैतिक स्थिति बड़ी खराब है। इसलिये विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से वे लोगों का ध्यान हटा रहे हैं। 13 अप्रैल, 1984 को जमायते-इस्लामी सहित 13 राजनैतिक दलों का एक जुलूस भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय पर गया था और उन्होंने मांग की थी

कि बंगलादेश सरकार और भारत सरकार के बीच हुए समझौते को तोड़ दिया जाना चाहिये। यह समाचार पत्रों में छपा था। यह एक पुष्ट समाचार है। बंगलादेश के किसी भी सरकारी अधिकारी ने इसका खण्डन नहीं किया था। किसी भी उत्तरदायी अधिकारी ने यह नहीं कहा कि शान्ति के लिये हमने जो समझौता किया था हमें उसके विरुद्ध नहीं जाना चाहिये। केवल इतना ही नहीं, 20 दिसम्बर, 1983 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के समाचार, कि जिसमें उन्होंने बंगलादेश के एक महत्वपूर्ण अखबार का उल्लेख किया है जिसका नाम 'बंगलादेश टुडे' है, ने 16 नवम्बर, 1983 को एक खबर जारी की थी जिसमें कहा गया था कि जम्मू और कश्मीर तथा सिक्किम अलग-अलग राष्ट्र हैं, और वे भारत के हिस्से नहीं हैं। उस देश में इस समाचार का भी खण्डन नहीं किया गया है। ऐसे उनके इरादे हैं। स्थिति सन्देहजनक हो गयी है। इस प्रस्ताव के पीछे खराब नीयत है। इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के होते हुए जरनल इरशाद ने 16 नवम्बर, 1983 को एक और वक्तव्य दिया—"यदि भारत सीमा पर तार बाड़ लगाता रहा, तो दोनों देशों के बीच सम्बन्ध बिगड़ जायेंगे।" उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया। एक राष्ट्र का प्रमुख, जो एक सरकार चला रहा है, उसने ऐसा वक्तव्य दिया। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस बात को गम्भीरता से ले।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : यह नवम्बर, 1983 में हुआ था।

श्री राजेश पायलट : उन्होंने 6 नबम्बर, 1983 को यह वक्तव्य दिया था। यदि हमने इस काम को बन्द नहीं किया तो इससे कठिन स्थिति पैदा हो सकती है।

मैं गृहमंत्री जी से दो बातें पूछना चाहता हूं। क्या यह सच है कि सीमा के आस-पास पक्के बंकर बनाये जा रहे हैं। यह बात सही है कि 1971 में वहां पर कुछ बंकर थे। क्या यह सही है कि उनकी सीमा पर और अधिक काम हो रहा है और वे कुछ नये बंकर बना रहे हैं। यह सही है कि कुछ बंकर हमारी सेनाओं ने तोड़ दिये थे।

दूसरी बात, क्या यह सच है कि बंगलादेश की तरफ के गांवों के लोगों को हटाया जा रहा है और उन्हें रक्षा सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए सौंपा जा रहा है। ऐसी कुछ खबर है कि सिलहट में कुछ सेनाएं नहर के नजदीक पहले ही चली आयी हैं। दो या तीन बड़े गांवों में सेना ने पिछले सप्ताह से पोजीशन ले रखी है और सिविलियनों को वहां से हट जाने के लिए कहा गया है।

प्रो० चक्रवर्ती को यह जानकर भी परेशान नहीं होना चाहिए—यह एक खबर है कि पश्चिम बंगाल सरकार कुछ घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में घुसने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। न्यायमूर्ति खन्ना और जरनल अरोड़ा ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया है। मुझे यह पता नहीं है कि यह समाचार उन तक पहुंचा है अथवा नहीं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं कहता हूं कि यह गलत है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : इसके विपरीत पश्चिम बंगाल सरकार ने परमिट प्रणाली को फिर से लागू किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने ही केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया था कि प्रतिवर्ष पासपोर्ट लेकर एक लाख लोग यहां पर आते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय उत्तर देंगे ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसके विपरीत पश्चिम बंगाल सरकार इसे बन्द करने के प्रयास कर रही है और बंगलादेश सरकार ने परमिट प्रणाली शुरू की है यह प्रणाली उस समय भी थी जब उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था ।

श्री चित्त बसु : उन्होंने भारत सरकार से आवासीय परमिट प्रणाली पुन: शुरू करने के लिए कहा है जो वहां पर तब भी थी जब बंग्लादेश, बंगला नहीं होकर पूर्वी पाकिस्तान था । जब बंगलादेश का अस्तित्व सामने आया तो इस प्रणाली को समाप्त कर दिया दिया गया था । घुसपैठियों की रोकथाम को रोकने के लिए किए गए पश्चिम बंगाल सरकार के इस प्रस्ताव से केन्द्र सरकार अभी तक सहमत नहीं हुई है ।

श्री राम जेठमलानी : मैं कलकत्ता की बैठक में उपस्थित था । श्री खन्ना या किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया था ।

श्री राजेश पायलट : जो भी हो, मुझे ऐसी सूचना मिली है और मैंने यह जानकारी सदन को दी है । इसकी जांच हो सकती है ।

मेरे दोस्त श्री जेठमलानी ने सीमा के लोगों की निष्ठा के बारे में उल्लेख किया है इसके बारे में आखरी मुद्दा उठाना चाहता हूं, यह एक गलत विचार है और मेरे विचार से उनकी धारणा गलत है । जहां तक मेरा विचार है निष्ठा का जहां तक सम्बन्ध है वह स्वयं बम्बई में रहते हैं, जो सीमाक्षेत्र से बहुत दूर है । हो सकता है कि मेरे मित्र उसको न जानते हों, जिन लोगों ने युद्ध में भाग लिया था वे पूरे तौर पर निष्ठावान हैं । उनकी निष्ठा पर सन्देह करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

उसके बाद उन्होंने कुछ सलाह दी है । मुझे कुछ दूसरी ही बात याद आ रही है । मैंने अपने एक वरिष्ठ अधिकारी को कुछ सलाह दी थी, मैंने कहा "यदि मैं अपने स्थान पर होता मैं ऐसा करता" तब उसने मुझे इतना ही कहा "कभी-कभी आप अपनी हद से ज्यादा बात कह जाते हैं ।"

मैं इस अनुरोध के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं कि सरकार को अवश्य काम करना चाहिये, वे बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं और हमने भी जो काम शुरू किया है उसे इस देश के लोगों और बंग्लादेश के लोगों के हित के लिए भी अवश्य जारी रखना चाहिए ।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : पहले बोलने वाले कई वक्ताओं ने बंगलादेश के प्रति हमारी सहानुभूतिपूर्ण भावनाओं का ठीक ही उल्लेख किया है । महोदय, यदि वे इतनी सहानुभूति रखते हैं तो आप अच्छी तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि मैं स्वयं बंगाली होते हुए वही भाषा बोलते हुए बांग्लादेश के लोगों के प्रति कितनी सहानुभूति रखती हूंगी । हमारा पूरा राष्ट्र बांग्लादेश के साथ सदा ही बहुत मैत्री भाव से रहना चाहता है और उनके साथ शान्ति से रहना चाहता है ।

यहां स्वाभाविक ही है कि यह स्थिति बहुत गम्भीर है। सभी ने इस बारे में कहा है। मैं इसके विस्तार में जाना नहीं चाहती। परन्तु तथ्य यह है कि बांग्लादेश के सैनिक शासक प्राय इस प्रकार के वक्तव्य देते रहते हैं कि बाड़ लगाकर उनके देश की प्रभुसत्ता का उल्लंघन किया जा रहा इनसे स्पष्ट है कि वह बांग्लादेश के लोगों में हमारे देश के प्रति शत्रुतापूर्ण भावनाएं पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समस्या के इसी पहलू की ओर विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहूंगी और मंत्री महोदय से इस पर विचार करने का अनुरोध करूंगी। तथ्य यह है कि हमारे देश में वहां के लोगों का आगमन होता रहा है। इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता यद्यपि, श्री इरशाद इससे इंकार कर रहे हैं। परन्तु, तथ्य स्वयं बोलते हैं और यहां उनका काफी हवाला दिया जा चुका है। यह भी सच है कि यह हमारे लिए एक बड़ी समस्या है। इसके साथ-साथ ही आम तौर से वहां के जो लोग भारत में घुस आते हैं वे गरीब लोग हैं। उनमें हिन्दू और मुसलमान, दोनों ही जातियों के लोग हैं। उनकी भी उपयुक्त समस्या है क्योंकि बांग्लादेश की स्थिति बहुत पिछड़ी हुई है। ऐसे हालात होने की वजह से उन्हें भड़काना बहुत आसान है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरा यह विचार है कि उस देश के सैनिक शासकों द्वारा उस देश के नागरिकों को भड़काने के लिए जो मुद्दे उठाए जाते हैं उनका जवाब बहुत प्रभावपूर्ण और मैत्रीपूर्ण ढंग से दिया जाना चाहिए ताकि दोनों देशों के बीच हमारे सदा से चले आ रहे मैत्री बंधन के जरिए इस प्रकार के भड़कावे को वास्तविक रूप से और प्रभावपूर्ण ढंग से रोका जा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय के विचार के लिए कुछ मुद्दे उठा रही हूं।

बाड़ लगाने के हमारे इरादे के बारे में इस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है कि बाड़ के तारों में बिजली छोड़ दी जाएगी ताकि सीमा के पास रहने वाले लोग, उनके बच्चे और उनके पशु आदि मर जाएंगे। एक समस्या यह है। उसके बाद, दूसरा इस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है कि हम रक्षा ठिकानों के बारे में पहले के समझौते का उल्लंघन कर रहे हैं। एक और प्रचार यह किया जा रहा है कि हम यह बाड़ जीरो लाइन पर बना रहे हैं। मैं इस जीरो लाइन के बारे में जानना चाहूंगी क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से इसके बारे में नहीं जानती तथा मंत्री महोदय के वक्तव्य में भी उन्होंने जीरो लाइन का जिक्र किया है परन्तु इसकी व्याख्या नहीं की है। मैंने 24 तारीख के टाइम्स आफ इंडिया में पढ़ा है कि खम्बों की पहली लाइन अंतर्राष्ट्रीय रेखा से 22 सैंटीमीटर अलग हटकर गाड़ी जा रही है। यह स्वाभाविक ही है कि इस प्रकार के प्रचार का आसानी से प्रतिरोध किया जा सकता है कि बाद उनकी धरती पर लगाई जा रही है या उनकी प्रभुसत्ता का उल्लंघन किया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से यह स्पष्ट करने का अनुरोध करूंगी कि वास्तव में यह जीरो लाइन है क्या ? क्या वहां ऐसी जीरो लाइन है जिसके दोनों तरफ कुछ ऐसी भूमि है जिस पर किसी देश का अधिकार नहीं है ? दूसरे, न केवल हमारे हित में बल्कि बांग्लादेश के लोगों के हित में भी यह 22 सैंटीमीटर वाली बात समझाई जाए। बिजली छोड़ने सम्बन्धी प्रचार का भी प्रभावपूर्ण ढंग से प्रतिरोध किया जाना चाहिए।

जहां तक सीमा पार से आने वाले लोगों का प्रश्न है तो ऐसे कुछ लोग होंगे जो यह सोच रहे होंगे कि सीमा पार से घुसपैठ करने वालों की संख्या अधिक नहीं है। बांग्लादेश सरकार का दायित्व

श्रीमती गीता मुखर्जी

है कि वह अपने लोगों को हमारे यहां घुसने से रोकें। यदि वे यह काम नहीं करते हैं तो फिर यह हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम चाहे बाड़ लगाकर या किसी अन्य तरीके से उसे रोकें। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम पहले से ही बाढ़ लगाना चाहते थे। मैं पहले बाढ़ न लगाने के लिए सरकार को भी दोष नहीं दूंगी।

परन्तु, फिर भी प्रश्न यह है कि हम इस घुसपैठ को किस प्रकार रोकेंगे। क्योंकि यह केवल बाढ़ लगाने से ही नहीं रोकी जा सकती। हमें बांग्लादेश सरकार को यह समझाना है कि उनके हित के लिए और हमारे हित के लिए भी उनका यह कर्तव्य है कि घुसपैठ रोकी जाए। समस्या का समाधान न तो बाढ़ लगाने से होगा और न ही बंदूकें खड़खड़ाने से। यह बहुत आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति का इस प्रश्न के बारे में समझाया जाए क्योंकि बाड़ खड़ी करना कोई साधारण बात नहीं है। आपको याद होगा कि जब बर्लिन की दीवार बनाई गई थी तो उस समय जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य के विरुद्ध कितना भारी अंतर्राष्ट्रीय प्रचार किया गया था और कहा गया था दीवार बनाकर वे कुछ बहुत गलत काम कर रहे हैं। तो हमें इस प्रकार का प्रचार सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें उन सभी प्रश्नों का उत्तर देना है जो बांग्लादेश द्वारा गलत ढंग से खड़े किए गए हैं। हमें उन्हें बहुत प्रभावपूर्ण उत्तर देने होंगे। ऐसा करने से हमें उनके द्वारा किए जा रहे भड़कावे वाले प्रचार को मात देने में काफी सहायता मिलेगी,

इसमें कोई संदेह नहीं है कि जनरल इर्शाद चुनावों को ध्यान में रखते हुए और हथियार प्राप्त करने के लिए अमरीका की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इस प्रयास में वे भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैये में पूरे बांग्लादेश के लोगों को शामिल करना चाहते हैं ताकि सैनिक शासन चलता रहे और लोकतांत्रिक आंदोलन को कमजोर किया जा सके।

इस प्रकार के प्रचार का जवाब देने के लिए हम क्या कर रहे हैं। बांग्लादेश के मुक्ति संघर्ष के दौरान हमने रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से बहुत सशक्त प्रचार किया था। उस समय हमने बांग्लादेश के लोगों से एक अपील की थी। उस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए। हमें यह जानना चाहिए कि उस बारे में क्या किया जा रहा है। इस दिशा में एकदम प्रभावपूर्ण उपाय किए जाने की आवश्यकता है। मैं इस बारे में आश्वस्त नहीं हूं कि ऐसा किया जा रहा है। व्यापक रूप से पढ़ा जाने वाले बंगाली दैनिक समाचार पत्र, **आनन्द बाजार पत्रिका** में, जो कि बांग्लादेश में भी जाता है, प्रकाशित एक समाचार से मुझे थोड़ा कोतुहल हुआ। इसने 24 अप्रैल, के अंक में एक समाचार छापा है। जिसे सुनने में श्री जेठमलानी की रुचि होगी। इसमें गोहाटी से 23 अप्रैल की तारीख पड़ी हुई है। समाचार में कहा गया है कि कल भारतीय जनता पार्टी के सचिव, श्री जसवंत सिंह ने यह शिकायत की है कि बांग्लादेश सीमा पर शांति भारत सरकार की साहसिकता के कारण भंग हुई है क्योंकि उन्होंने इसके बारे में बांग्लादेश सरकार के

7.00 म० प०

साथ पर्याप्त रूप से विचार-विमर्श नहीं किया और उन्होंने यह साहसिकता का रास्ता अपनाया है। आनन्द बाजार पत्रिका कहीं भी साम्यवादी पत्र नहीं है। पत्रिका वाले आपके भी मित्र हैं और कांग्रेस (आई) के भी। इसलिए आपका भाषण सुनकर और यह देखकर मुझे कोतुहल हुआ कि क्या मामला है, आपका क्या दृष्टिकोण है? महोदय, आप जानते हैं कि हमारे देश के भीतर कुछ ताकतें हैं। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि श्री सुलेमान सैट के बारे में भी यही बात कही गई थी, जो अब यहां नहीं है। उन्होंने भी यही शिकायत की थी। ऐसा लगता है कि शिकायत पर दोनों छोर आपस में मिलते हैं। यह बहुत आश्चर्य की बात है। इसलिए यदि हमारे देश के भीतर इस प्रकार का अभियान चल रहा है तो यह स्वाभाविक ही है कि सीमा के उस पार और क्या होगा। इसलिए, मेरा कहना यह है कि बाढ़ लगाना कोई अच्छी बात नहीं है और न ही अकेले बाड़ लगाना ही समस्या का एकमात्र समाधान है। इसलिए, वास्तव में आखिरी समाधान यह हो सकता है कि बांग्लादेश के साथ सम्मान-जनक तरीके से शांति से रहा जाए और यही दोनों के लिए लाभकारी होगा। इसके लिए हमें सभी प्रयास करने हैं। ऐसा करने के लिए हमारी तरफ से कोई भड़काने वाली कार्रवाई करना बिल्कुल ही गलत होगा। इसके लिए हजारों बार अपने प्रयास करने होंगे यद्यपि, हममें से प्रत्येक यह जानता है कि और यह सच भी है कि हमारी बांग्लादेश के प्रति कोई आक्रामक भावना नहीं है। यह प्रतिरक्षा के लिए नहीं है। यह तो पैदा हो रही अवश्यम्भावी समस्या के लिए है और जिसका हमें बहुत ख्याल है। इसलिए, महोदय, मैं चाहूंगी कि गृहमंत्री हमें यह बताएं कि इसके बारे में क्या किया जा रहा है। और इस 22 सैन्टीमीटर वाली बात के लिए क्या किया जा रहा है। मैं यह भी जानना चाहूंगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी और मुस्लिम लीग का वास्तव में यही दृष्टिकोण है और इस पर किस प्रकार गौर किया जा रहा है। मेरी राय में इस प्रकार कहना ठीक नहीं है, चाहे भले ही वे सहमत न हों। सशक्त प्रचार अभियान के द्वारा हमें बांग्लादेश के लोगों को समझाना होगा। मैं लोगों की बात कर रही हूं, इरशाद साहब की नहीं। मेरा तात्पर्य बांग्लादेश के लोगों से है जिनको हमें अपील करनी और हम सभी सावधानी और कुशलता के साथ सफलतापूर्वक अपील कर सकते हैं।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी सीमा के चारों ओर बाड़ लगाने और वह भी कांटेदार बाड़ लगाने के प्रश्न पर पूरा सदन एकजुट है। महोदय, यदि यह सच है तो अपनी बात रखने के लिए मैं केवल कुछ मिनट बोलना चाहूंगा और यह कहना चाहूंगा कि मैं इसका विरोध करता हूं। मैं कथित घुसपैठ को रोकने के लिए कांटेदार तार लगाने की धारणा का ही विरोध करता हूं।

महोदय-कंटीले तार की राजनीति भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। और बाड़ लगाना और मित्रता करना, दोनों बातें एक-साथ नहीं चल सकती। हमें अपने आपको धोखा नहीं देना चाहिए। यह पहली बात है जो मैं कहता हूं। हम सफल हो सकते हैं, हम असफल हो सकते हैं; परन्तु कम से कम हमें भारतीय संस्कृति की एक परम्परा को नहीं भूलना चाहिए और वह यह है कि हमें अपनी राजनीतिक सोच और प्राचीन विचारधारा में बेईमान नहीं बनना चाहिए। यह कांटेदार तार इसलिये नहीं लगाए जा रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग हमारे देश में घुसपैठ कर रहे हैं; ऐसा हो सकता है कि

श्री ए० के० राय

कुछ समय पहले कुछ लोगों ने घुसपैठ की और वह भी अनेक ऐतिहासिक कारणों की वजह से। परन्तु आज वहां ऐसा नहीं है। आज हम यह बाड़ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आज हम असम की अति जातिवादी और साम्प्रदायिक संगठन के ब्लैकमेल का शिकार हो रहे हैं। उन्हें संतुष्ट करने और इन लोगों को संतुष्ट करने के लिए हम असंतोष को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, कुछ जातिवादी और फासिस्ट संगठनों की बिल्कुल अनुपयुक्त मांगों को भी नहीं रोक पा रहे हैं और इसीलिए हम बाड़ लगा रहे हैं। महोदय, यह एक बिल्कुल ही गैर-इमानदाराना विचार है और मैं यह कहता हू कि इस बारे में आगे कार्रवाई करने से पहले सैकड़ों बार सोचना चाहिए। मैं यह जानना चाहूंगा कि आप कांटेदार तार की बाड़ कहां लगाएंगे। क्या हमारे अस्तित्व को कांटेदार तारों के संरक्षण की आवश्यकता है ? क्या यह असम का अनादर नहीं है ? क्या यह भारत का अनादर नहीं है ? जर्मन लोकतान्त्रिक गणराज्य ने भी कांटेदार तार लगाए थे। परन्तु क्या यह एक अच्छी बात थी ? यह एक आवश्यक बुराई थी, यह एक मजबूरी थी और यह भी कि जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य पश्चिमी विश्व के मुहाने पर एक कमजोर देश था। क्या आपने कभी बड़े राष्ट्रों को छोटे राष्ट्रों के विरुद्ध बाड़ लगाते हुए सुना है ? आज हम यहां कांटेदार तारों की बाड़ लगा रहे हैं। कल हो सकता नागा लोग बर्मा से कार्रवाई कर रहे हों। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या हमें बर्मा की सीमा पर कांटेदार तारों की बाड़ लगानी चाहिए ? हम सुनते हैं कि पाकिस्तान पंजाब के उग्रवादियों की सहायता करता है। क्या हम वहां बिजली के करंट वाली कांटेदार तार की बाड़ लगाने जा रहे हैं ? आज लंका से लोग आ रहे हैं। हमारे मछुआरों पर हमले किए जा रहे हैं। तो क्या हमें समुद्र में कांटेदार तारों की कोई बाड़ लगानी चाहिए ? कहां लगाएंगे हम यह बाड़ ? लोगों की देशभक्ति की भावना और इच्छा शक्ति किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा है और किसी भी प्रकार की घुसपैठ न होने देने की सबसे बड़ी गारंटी है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राय क्या आप विश्व में प्रत्येक देश की सीमाओं को पहचानते हैं ?

श्री ए० के० राय : क्या दुनिया के किसी भी देश की सीमा पर कांटेदार तार लगी हुई है (**व्यवधान**) महोदय, संयुक्त राष्ट्र विश्व का सबसे बड़ा मंच है और राष्ट्रों के लिए आवागमन महत्त्वपूर्ण है। 130 अथवा 140 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। क्या किसी भी सीमा पर कांटेदार तार की बाढ़ है।

श्री राजेश पायलट : कितने देश घुसपैठियों की आमद से पीड़ित हैं।

श्री ए० के० राय : प्रत्येक देश। आप जानते हैं कि शरणार्थी समस्या एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है। आप नहीं जानते। आप एक अच्छे विमानचालक (पायलट) हो सकते हैं किन्तु, आप कृपया अध्ययन करें (**व्यवधान**)। मैं इसे स्पष्ट करता हूं, वह इस बारे में नहीं जानते। शरणार्थी समस्या एक बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है, किन्तु कांटेदार तार की बाड़ लगाने के बारे में किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसके लिए कितने टन इस्पात की आवश्यकता

होगी ? महोदय, इसके लिए पांच लाख टन इस्पात की आवश्यकता होगी और मुझे बताया गया है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण की स्थिति सबसे सुखद है क्योंकि इस संगठन के पास एक लाख टन इस्पात की छड़ें बिना बिकी पड़ी हैं। उनका कहना है कि वे इसे बेचेंगे। यह क्या है। यह देश का मजाक है ? इसके लिए 550 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

(व्यवधान)

श्री मधुसूदन वैशले (अकोला) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : नहीं, आप इसे मत उठाइए।

(व्यवधान)

श्री मधुसूदन वैशले : मैं इसे वापस लेता हूं।

श्री ए० के० राय : उनका कोई भी व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कल क्या होगा ? श्री जेठमलानी कहेंगे कि युद्ध का खतरा है। वह एक और समस्या होगी। इसलिए, मैं कहता हूं कि हमें साम्प्रदायिक खतरे का बहादुरी से मुकाबला करना चाहिए। अतः यह कांटेदार तार की बाड़ लगाने में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है ? बांग्लादेश का इरशाद सबसे सुखी व्यक्ति है क्योंकि इससे उसे नया जीवन मिला है। आज सबसे सुखी व्यक्ति श्री जेठमलानी है, जिसे सरकार से यह कहने की हिम्मत हुई है कि वे लोग देशभक्त हैं तो कहते हैं कि काफी घुसपैठ हो रही थी। कल लंका से तमिल लोग आ सकते हैं। क्या हमें वहां पर भी बाड़ लगा देनी चाहिए ? क्या आप इसे पसन्द करेंगे ? इसमें क्या तुक है ?

श्री माधव राव सिंधिया—मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच भी कांटेदार तार है। मुझे नहीं मालूम कि माननीय मित्र इस बात को जानते हैं या नहीं।

श्री ए० के० राय : मैं नहीं जानता कि मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच में लगी हुई कांटेदार तार लगी है। मैं इसके बारे में पूछताछ करूंगा।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बैया) : जब उन्हें अभी पूछताछ करनी है, तो इनकी बात किस लिए ?

श्री ए० के० राय : जब हमारे सामने कोई कठिनाई आती है तो हमें अपनी बुद्धि नहीं खोनी चाहिए।

एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, कल गृह मंत्री ने बताया कि बिहार के 6 जिलों में घुसपैठ हो रही है। निष्कर्ष यह था कि वह बंगलादेश के विद्यार्थी हैं। उन्हें हर जगह, और बम्बई तक में भी बंगलादेश के लोग, दिखाई दे रहे हैं।

[श्री ए० के० राय]

यह जिले कौन-कौन-से हैं।

यह हैं—पश्चिमी चम्पारन, पूर्वी चम्पारन, सीतामढ़ी, मधुवनी, सहरसा, पूर्निया। किसी एक जिले की सीमा भी बंगलादेश के साथ नहीं लगती। इन सभी जिलों की सीमा नेपाल के साथ लगती है। इसका क्या अर्थ हुआ। इसका अर्थ यह है कि सीमावर्ती ग्रामों में हमें तस्करों और समाज विरोधी तत्वों से मुकाबला करना पड़ रहा है कांटेदार तार से हम अपना बचाव नहीं कर सकते। विश्व के किसी भी कोने में कांटेदार तारों द्वारा तस्करी को नहीं रोका जा सकता। इसे राजनीतिक इच्छा शक्ति, सतर्कता को सुदृढ़ बनाकर, लोगों की देशभक्ती द्वारा रोका जा सकता है। मैं मौजूदा सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमें ईमानदारी और विकेक से काम लेना चाहिए। हमें चाहिए कि हम देश के भीतर उग्रवादियों, साम्प्रदायिकतावादियों और जातिवादियों के से घर न मानें और विदेशी समस्याओं को आमंत्रित न करें।

श्री माधव राव सिंधिया : आपने कम से कम हमें तो विवेक प्रदान किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अब्दुल रशीद काबुली।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : जनाब डिपुटी स्पीकर साहब, यह बड़े दुख की बात है कि जब हमारी वार्ड वायर की तामीर का काम शुरू हुआ है, तो दोनों तरफ से फायरिंग हुई और कुछ अमवात वाके हुई। इसके अलावा ढाका में हमारे इनफार्मेशन के डिपार्टमेंट के दफ्तर को नुकसान पहुंचाया गया है और वहां एक बार फैजा पैदा की जा रही है। यह बड़े दु:ख की बात है कि दोनों मुल्कों के दरमियान टेन्शन पैदा हो रहा है। हमारी हुकूमत का यह फर्ज होता है कि वह अपने बार्डर्ज को सिक्युर बनाए। वैनअलकलामी कानून के मुताबित भी और अपने मुल्क की हिफाजत और दिफा के लिहाज से भी यह हमारा हक है। दुनिया के किसी भी कायदे-कानून का रूप से बंगलादेश की कार्यवाही मुनासिब और मौजूं नहीं है। वह इन्टरईशनल ला का खिलाफवर्जी कर रहा है।

लेकिन में सरकार से अर्ज करूंगा कि बंगलादेश एक बहुत छोटा मुल्क है। दूसरी बात यह है कि उसके साथ हमारे नाते-रिश्ते रहे हैं। उस मुल्क के साथ हमारे कल्चरल और सांस्कृतिक ताल्लुकात रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें अपने इन्ट्रेस्ट और मुफाद की हिफाजत करनी है। जैसा कि मिनिस्टर साहब ने कहा है, बंगलादेश के साथ हमारी सरहद 3200 किलोमीटर लम्बी है। हमने यह भी देखना है कि वह गरीब और पिछड़ा हुआ इलाका है, जो हिन्दुस्तान की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है, ताकत नहीं है। पावर के लिहाज से हमारा और उसका कोई मुकाबला नहीं है। इसके अलावा बंगलादेश के लिए हमने कुर्बानियां दी हैं। बंगलादेश के सूरते हालात अलग हैं, पाकिस्तान के सूरते हालात अलग हैं और श्रीलंका के सूरते हालात अलग हैं। बंगलादेश में हमारे जवानों ने अपना खून बहाया है। बंगलादेश की आजादी की जंग में हिन्दुस्तान का हाथ रहा है इसलिए हमारी तवक्को है कि बंगलादेश में डिमोक्रैटिक और

सेक्युलर सिस्टम कायम होगा। ऐसे मुल्क के बारे में जब हम देखें कि यहां पर ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं तो हम अपने हक का इस्तेमाल करके अपने बार्डर्स को शील करना चाहते हैं, अपने बार्डर पर वार्ब्ड वायर और पिलर्स लगाना चाहते हैं और दूसरी तरफ से जो प्रोवोकेशंस हो रही हैं उनका एक ही नतीजा हो सकता है कि हालात और बिगड़ जायें और ऐसा तनाव पैदा हो जाए कि हमें उस मुल्क के साथ जंग करनी पड़े। इसलिए मैं समझता हूं बंगलादेश के साथ हमें बड़ी समझदारी और अकलमन्दी से काम लेकर ट्रीटमेन्ट करना होगा और अपने ताल्लुकात बनाने होंगे क्योंकि बंगलादेश के साथ हमारा टकराव वैनलअकवामी तौर पर हमारे लिए मिसायल पैदा करेगा। आज श्रीलंका के साथ हमारा तनाव बढ़ रहा है और इस तरह से हमारा जो जूनबी बार्डर है। उस लिए चिन्ता पैदा हो रही है और इण्डियन ओशन को हम अपने लिए महफूज नहीं समझते, क्योंकि बड़ी ताकतें वहां आ रही हैं जो श्रीलंका और दूसरे छोटे मुल्कों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हैं। पाकिस्तान के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। चीन के साथ भी हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। इन हालात में क्या हिन्दुस्तान इस पोजीशन में है कि हम एक-दूसरा फ्रंट खोलें ? मैं समझता हूं इस मुकद्दस हाउस में जो भी यह बात कहेगा कि हमें जल्दबाजी में बंगलादेश के प्रोवोकेशन का ताकत के साथ जवाब देना होगा, मैं समझता हूं वह गलत होगा। यह हमारे देश के हित में नहीं होगा। हमें डिप्लोमैटिक तौर पर अकलमन्दी के साथ उस मुल्क से निपटना होगा। बार्ब्ड-वायर्स और पिलर्स की बुनियाद पर यह देश अपनी हिफाजत नहीं कर सकता है। बार्ब्ड-वायर्स या पिलर्स जो भी इस वक्त आप वहां बना रहे हैं, उससे मैं समझता हूं स्पगिलग और इनफिल्ट्रेशन बन्द नहीं होगा। उसको रोकने के लिए और मुल्क की हिफाजत करने के लिए हमें चाहिए—लोगों में नेशनलिज्म और मुल्क की हिफाजत करने का जज्बा। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जेठमलानी साहब ने यहां पर कहा—उधर से एक टीचर आता है और हमारे पिलर को उखाड़ देता है और दूसरी तरफ एक आबादी है जो उस इलाके में रहती है, उन लोगों की नेशनलिज्म इतनी पक्की नहीं है कि अपने देश के इन्टरेस्ट की हिफाजत करें। मैं पूछना चाहूंगा—ये कौन लोग हैं ? क्या किसी पर्टिकुलर रिलिजस कम्यूनिटी से ताल्लुक रखते हैं जिन पर से ऐतमाद उठ गया है ? यह बात मेरी समझ में नहीं आती है, जेठमलानी जी बेहतर तौर पर बतला सकते हैं। मैं तो जाती तौर पर समझता हूं—बंगाल आसाम, त्रिपुरा में हिन्दू-मुसलमान या बाकी कौमों के लोग बसते हैं वे पक्के नेशनलिस्ट हैं और इस देश की हिफाजत के लिए वे अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। बंगलादेश अलग मुल्क है, हिन्दुस्तान अलग मुल्क है। हिन्दोस्तान के मुसलमान हों, हिन्दू हों या कोई भी देशवासी हो, उनको इस देश की उतनी ही चिन्ता है जितनी जेठमलानी जी या किसी और को हो सकती है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन्फिलट्रेशन की बात को इतनी अहमियत दी गई—यह तो सरकार ही बताएगी कि बंगलादेश से कितना इन्फिलट्रेशन हो रहा है। हम जानते हैं कि सी०पी०एम० की जो सरकार है, वैस्ट बंगाल की जो सरकार है, वह 1971 को ही डिमार्केशन लाइन बतला रही है। उसके बाद जो लोग आए हैं, उनको निकालने के लिए बात करते हैं, लेकिन वह लाइन आफ डिमार्केशन है। जो हालात बंगलादेश के बारे में उगाए गए हैं, उनसे सिचूएशन क्रिटिकल हो गई है। असम में जो टर्न लिया है, बाद में जो हालात पैदा हुए, उसमें दो काम्युनिटीज में टकराव पैदा हुआ। एक काम्युनिटी का नुकसान हुआ, यह भूल नहीं सकते हैं। नील

[श्री अब्दुल रशीद काबुली]

में जो पसैंकर हुआ है, वह हमारे लिए कलंक का टीका है। यह हमारे दिलों पर जख्म है। इस बिना पर मैं कहना चाहता हूं कि बंगलादेश को एक अलग फॉरन कन्ट्री के तौर पर ट्रीटमेंट दिया जाए। हमें हिन्दुस्तान और बंगलादेश के ताल्लुक बिगाड़ने के बजाय बनाने चाहिए, सुधारने चाहिए और किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। इस बिना पर भी कि हिन्दुस्तान के बंगलादेश के साथ सांस्कृतिक ताल्लुक हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमारे जो पटसन के कारखाने चलते थे वैस्ट बंगाल में उसका सारा पटसन ईस्ट बंगाल से आता था, पार्टीशन से पहले भी। जब इंडिपेंडेंट बंगला देश बना तो सारा रॉ-मैटीरियल आना क्यों बन्द हो गया, इसके सम्बन्ध में कदम क्यों नहीं उठाए गए। कार्मशियल बिजनेस की दृष्टि से भी हम फायदा उठा सकते हैं। मैं सरकार को वार्न करते हुए कहना चाहता हूं कि बड़ी ताकतें बंगला देश को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हैं,क्योंकि बंगला-देश छोटा मुल्क है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस मसले को बड़ी अकलमन्दी औरसमझ से डील करना चाहिए।

श्री चित्त बसु (बारसार) : उपाध्यक्ष महोदय, विचाराधीन मामला काफी गम्भीर है और यह आशा की जाती है कि इस पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाए। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि भारत के सीमा सुरक्षा बल और बंगलादेश राईफल्स के बीच गोलीबारी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद से हमारी सीमा पर कई भागों में तनाव बढ़ रहा है। हमारे सीमावर्ती ग्रामों में व्याप्त पहले की शान्ति गायब हो गई है और उसके स्थान पर असुरक्षा, और चिन्ता की भावना व्याप्त है।

जैसा कि मैंने पहले कहा कि, वर्तमान उत्तेजना का कारण कांटेदार तार की बाड़ के दोनों ओर से गोलियों का चलाया जाना है। जहां तक कांटेदार तार लगाने का संबंध है भारत, कानूनी रूप से ऐसा करने के लिए स्वतन्त्र है। कानूनी सक्षमता, बंगलादेश और भारत के बीच हुए 1975 के करार से प्राप्त होती है। करार में विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया था कि, घुसपैठ और तस्करी की गतिविधियों को समाप्त अथवा कम करने के लिए कांटेदार तार की बाढ़ या इसी प्रकार की कोई अन्य व्यवस्था की जा सकती है। करार में यह भी कहा गया है कि कोई भी रक्षा निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। कांटेदार तार की बाड़ का लगाना कोई रक्षा निर्माण नहीं है सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमारे क्षेत्र के भीतर है, 125 गज भीतर।

प्रश्न यह उठता है कि हमारा देश प्रभुसत्ता सम्पन्न देश है और यह हमारा अधिकार है कि हम कोई भी निर्माण कर सकते हैं, यदि इसका स्वरूप सैन्य नहीं है, यदि यह आक्रामक किस्म का नहीं है, यह केवल हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है और इस विशेष मामले में यह घुसपैठ को रोकने और तस्करी सम्बन्धी गतिविधियों को रोकने के लिए है।

इसलिए भारत सरकार ऐसा अपने कानूनी अधिकार और नैतिक अधिकार के भीतर रहते हुए कर रही है।

दुर्भाग्य से बांग्ला देश सरकार द्वारा जो रवैया अपनाया गया है वह युद्ध और वैर का है। मेरे विचार से बांग्लादेश द्वारा इसका भारत विरोधी रवैया अपनाना दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि भारत का किसी भी पड़ौसी देश पर आक्रमण का कोई इरादा नहीं है, चाहे वह बांग्लादेश हो या श्री लंका या कोई अन्य देश हो। किन्तु बंगलादेश की ओर से भारत विरोधी प्रचार का एक संयोजित प्रयत्न किया जा रहा है। मेरे मित्र श्री माधव राव सिंधिया ने उनमें से कुछ घटनाओं का उल्लेख किया है। मेरे पास एक लेख है जो "आजाद" द्वारा प्रकाशित किया गया है तथा एक अन्य लेख है जो "हॉली डे" द्वारा प्रकाशित किया गया है, जो कि बांग्लादेश के बहुत महत्वपूर्ण साप्ताहित हैं। इसमें और कुछ भी नहीं केवल भारत के विरुद्ध जन उन्माद और युद्धोन्माद खड़ा करना है।

जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि हमारा देश एक उत्तरदायित्वपूर्ण देश है। हमें इस प्रकार के युद्धोन्माद से भड़कना नहीं चाहिए। यह हमारे देश के हित में है कि हम अपने पर काबू रखें। सबसे बड़ी आवश्यकता अपने पर काबू रखने की है।

मेरे कुछ मित्रों ने भी युद्धपरक शब्द बोले हैं। मैं उनसे सहमत नहीं हूं।

हमारा देश एक विशाल देश है। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है ?

श्री पी० वेंकट सुब्बैया : यह हमारा दोष नहीं है।

श्री चित्त बसु : कृपया मेरी बात सुनें। इतने व्यग्र न हों। यह आपका दोष नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप इतने बड़े देश पर शासन कर रहे हैं।

श्री पी० वेंकट सुब्बैया : यह लोगों की इच्छा है। जब लोगों ने आपको सत्ता से बाहर निकाल फेंका है तो हमारा दोष नहीं है।

श्री चित्त बसु : अब यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि हमें अपने शक्तिशाली रवैये का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए।

श्री एम० गोपाल रेड्डी : यह कौन कर रहा है।

श्री चित्त बसु : आप सुनें। यह हमारे अपने ही हित में है। किन्तु इसके साथ मैं यह भी महसूस करता हूं कि मैत्री, सहयोग और अच्छा पड़ौसीपन एक तरफा नहीं हो सकता। इस तथ्य को भी ध्यान में रखा जाना होगा। जितना बड़ा देश होगा उतना ही अधिक दायित्व होगा। हमारा दायित्व भी बांग्लादेश से अधिक है। इसका अर्थ यह है कि हमें बांग्लादेश से बेहतर दृष्टिकोण अपनाना होगा। हमें अपने बड़े देश होने पर गर्व है। तो हम बड़े उत्तरदायित्व का निर्वाह क्यों न करें।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें अपने बड़े उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए क्या करना चाहिए था।

श्री चित्त बसु : हमें हमेशा प्रत्यायन की नीति अपनानी चाहिए। जैसा कि 'हालीडे' में दिए गए लेख में सुझाव दिया गया है, हमें बांग्लादेश की सरकार को आश्वस्त करने का प्रयत्न करना चाहिए कि हमारी बांग्लादेश के विरुद्ध कोई दुर्भावना नहीं है। हमें युद्धोन्माद की नीति का कड़ाई से विरोध करना चाहिए और यह कि जहां तक पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार का संबंध है अनुक्रमण की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई।

हमारे राजनयिक संबंध हैं। हमारे पास राजनयिक है। हमारे पास राजनीतिक नेतृत्व है। इसलिए हम उन्हें बता सकते हैं। हम उन्हें समझा सकते हैं कि भारत के विरुद्ध यह द्वेषपूर्ण प्रचार बांग्लादेश के हित में नहीं है।

आखिर, आपका देश स्वतंत्र और प्रभुसत्ता सम्पन्न देश है। हम आपस में मित्रता, सहयोग अच्छे पड़ोसी-संबंध रखना चाहते हैं। आप ऐसा कोई बर्ताव न करें जिससे हमारे आपसी संबंध बिगड़ें। यह केवल सरकारों के बीच का मामला ही नहीं है। इससे जनता का भी संबंध है। यहां मैं अपने अच्छे मित्र श्री राम जेठमलानी की एक विशेष टिप्पणी का उल्लेख करूंगा। भारत के सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोग किसी समुदाय विशेष से संबद्ध हो सकते हैं। परंतु वे हम सबकी तुलना में कम देश-भक्त नहीं हैं। मैं आपके सामने एक तस्वीर पेश कर सकता हूं।

श्री राम जेठमलानी : समुदाय के बारे में किसने कहा ? आपके मन में बहुत मैल है।

श्री चित्त बसु : "मन में मैल" मत कहिये। सन्दिग्ध मन।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नियमों को देखूंगा कि क्या वे इस तरह कह सकते हैं **(व्यवधान)** क्या एक माननीय सदस्य के मन के बारे में क्या वे ऐसी कोई बात कह सकते हैं, मैं नियमों को देखूंगा।

श्री चित्त बसु : मैं उनकी किसी प्रकार की अभिव्यक्ति का बुरा नहीं मानता। मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं और मुझे मालूम है कि वह क्या हैं।

मामला यह है। जलपाईगुडी के तीन गांवों की मुसलमान आबादी दंगलादेश में जाना नहीं चाहती। जिन पर बंगलादेश द्वारा दावा किया जाना बताया जाता है, वे भारत में रहना चाहते हैं। इसलिये इस तरह का कथन भारत के हित में अच्छा नहीं है।

इसलिये, भारत को कंटीले बाड़ का निर्माण कार्य जारी रखना चाहिये। परंतु शांतिपूर्ण रूप से। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : किसी ने ऐसा नहीं कहा है।

श्री चित्त बसु : इसलिये, यदि मैं 'शांतिपूर्ण रूप से' कहता हूं, तो इसमें क्या हानि है।

उपाध्यक्ष महोदय : शांतिपूर्ण उपायों से। यही हमारी नीति है।

श्री चित बसु : आपको अपने आपको संरक्षण देना पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य : कोई अपने आपको शांतिपूर्ण रूप से कैसे संरक्षण दे सकता है।

श्री चित बसु : सरकार को ही यह कहना पड़ेगा, प्रभारी अधिकारी को यह कहना पड़ेगा। ऐसे विवाद इसलिये उठाये गये, क्योंकि कुछ गलतफहमी पैदा हो गयी है कूटनीतिक अथवा राजनैतिक उपायों से इससे निपटा जा सकता है। मेरे विचार में वह यह समझते हैं। यदि उनके मन में ऐसा विचार है, कि हमारा देश महान है, इसलिये सेना को सीमावर्ती क्षेत्र में क्यों न भेजी जाये, तो उनका मन साफ नहीं है। मैं कहता हूं कि, सही परिप्रेक्ष में इस पर विचार करना पड़ेगा, और सही परिप्रेक्ष राजनैतिक नेतृत्व……

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बंगलादेश के लिये क्या सलाह है ?

श्री चित्त बसु : बंगलादेश को इस तरह की उद्वत राष्ट्रबाड़ को बढ़ावा देने से बाज आना चाहिये। बंगलादेश को ऐसी कोई सचाई पैदा करने से भी दूर रहना चाहिये जिससे हालात बिगड़ जाये। मुझे बंगलादेश की जनता को संबोधित करने का अधिकार है। यह केवल जनरल इरशाद ही नहीं है, जिसने बंगलादेश को बनाया है। बंगलादेश और पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित करने में हमारा भी योगदान है। यह हमारी सुरक्षा के लिये सबसे बड़ी गारंटी है। बंगलादेश और पाकिस्तान में लोकतंत्र का बहाल होना हमारे देश की सुरक्षा के लिये सबसे बड़ी किलाबन्दी है। हमारे चारों ओर ऐसी स्थिति मौजूद है। इसलिये, इस पक्ष को भी मत भूलिये कि लोकतंत्र की पुनःस्थापना में हमें भी लाभ है। हमने बंगलादेश की जनता से मित्रता बनाने में हमें भी लाभ है। उस देश के लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं। हम बंगलादेश की जनता के साथ मित्रता रखना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश, बंगलादेश का सत्ताधारी पक्ष इस तरह का प्रतिकूल वातावरण पैदा कर रहा है। वे सार्वजनिक भावोन्माद पैदा कर रहे हैं, वे इस तरह वैरभाव पैदा कर रहे हैं, इस तरह की उद्वत राष्ट्रवादिता पैदा कर रहे हैं, उनकी तरफ से इस तरह की उद्वत राष्ट्रवादिता पैदा किये जाने से बंगलादेक्ष और भारत की जनता के बीच के संबंध अच्छे नहीं बन सकते।

अंत में, मैं कहता हूं कि समाधान द्विपक्षीय वार्ता में निहित है, राजनैतिक नेतृत्व की समझ-दारी के जरिये समाधान हो सकता है।

हमारी सरकार को इस विशेष स्थिति से उत्पन्न समस्या के समाधान से संबंधित मामले में द्विपक्षीय वार्ता और राजनैतिक स्तर पर पहल करनी चाहिये।

अन्य बातें भी हैं। कुछ द्विपक्षीय विवाद भी हैं। उसे आप अलग नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : वे इससे भिन्न बातें हैं। आप ये सब बातें क्यों उठा रहे हैं ?

श्री चित्त बसु : कृपया सुनिये । गंगाजल के बंटवारे के बारे में भी कुछ विवाद हैं । कृपया सुनिये । आप क्यों अधीर होते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : में अधीर नहीं हूं । आपको समय को भी देखना चाहिये ।

श्री चित्त बसु : तीरता जल के बंटवारे के संबंध में भी कुछ विवाद हैं । 'तीन बीघा' के संबंध में कुछ विवाद हैं । सीमावती गांवों के सीमांकन के संबंध में भी कुछ विवाद हैं । इन सभी समस्याओं से यथेष्ठ समझदारी, उपयुक्त समझ और उसी परिप्रेक्ष में नहीं निपटा गया, तो इस समस्या का भी समानधान नहीं होगा । इसलिये, यह केवल इतनी सी समस्या नहीं है कि हम सीमा में कंटीली बाड़ लगाना चाहते हैं । भारत और बंगलादेश के बीच के संबंधों को भी समग्र रूप से लेना पड़ेगा और इस समस्या का समाधान द्वीपक्षीय वार्ता और राजनैतिक नेतृत्व के माध्यम से करना पड़ेगा ।

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : आरंभ में, मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है । सरकार भारत-बंगलादेश सीमा पर हुई घटनाओं के संबंध में माननीय सदस्यों की गंभीर चिंता का आदर करती है ।

वर्तमान स्थिति को हमने नहीं बनाया है । हम बंगलादेश से भारत में हो रही अनियंत्रित घुसपैठ से चिंतित हैं । हम समझते हैं कि एक उपाय के रूप में, बाड़ के निर्माण की आवश्यकसा है । इसका निर्माण भारतीय क्षेत्र में होगा । यह ऐसी बात भी है जिसके बारे में बंगलादेश सरकार को कुछ समय पहले पता था । प्रस्तावित बाड़ को किसी भी दृष्टि से बंगलादेश सरकार के विरुद्ध परिकल्पित नहीं किया गया है । दूसरी ओर बाड़ के निर्माण के बाद घुसपैठ की भारी मुसीबत को रोका जा सकता है और इससे हकारे संबंध मजबूत होंगे ।

हम मैत्री और सदभावना के वातावरण में रहना चाहते हैं । हम सच्चे दिल से आशा करते हैं कि बंगलादेश सरकार हमारी स्थिति को समझेगी और उसी भावना से कार्यवाही करेगी ।

जहां तक प्रतिरक्षात्मक कार्यों का संबंध है । मैं कहूंगा कि यह पूरी तरह 1975 के समझौते के सनुसार है । वर्ष 1975 के सरझौते में इस बात का उल्लेख है कि 300 गज अर्थात प्रत्येक तरफ की सीमा पर 150 गज की दूरी पर यदि खाई सहित किसी भी प्रकार के प्रतिरक्षात्मक कार्य हैं तो उसे नष्ट कर दिया जायेगा अथवा भर दिया जायेगा । जहां तक कटीले बाड़ का संबंध है, हमारे विचार में यह कोई प्रतिरक्षात्मक कार्य नहीं है, यह घुसपैठ रोकने के लिये केवल एक संरक्षात्मक कार्य है ।

यहां एक प्रश्न यह भी उठाया गया था कि क्या काम शुरू करने से पहले हमने बंगलादेश सरकार से बात की है । हमारे विदेश मंत्री, श्री नरसिम्हा राव ने अगस्त, 1983 में अपनी ढाका यात्रा के दौरान बंगलादेश में उच्चाधिकारियों को विस्तार से स्पष्ट कर दिया था कि कंटीले बाड़ निर्माण का क्या औचित्य है । विदेश मंत्री ने उन्हें समझा दिया था कि एक बार लग जाय तो यह बाड़ दोनों देशों

के लिये लाभप्रद होगी। विदेश मंत्री ने स्पष्ट करते वक्त यह भी बताया था कि यह मामला हमारे द्विपक्षीय संबंध के अंतर्गत नहीं आता है। तबसे, यह बात राजनयिक संपर्कों से भी कई बार स्पष्ट की जा चुकी है।

श्री ए० के० राय ही, एकमात्र ऐसे सदस्य हैं, जो कंटीली बाड़ लगाने का विरोध कर रहे हैं। यद्यपि कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि कंटीली बाड़ ही एक मात्र उपाय नहीं है, परंतु किसी ने इसका विरोध नहीं किया है।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि दो एशियाई देश हैं, मैं उनके नाम नहीं बताऊंगा, जिनकी सीमा पर कंटीली बाड़ हैं और दोनों देश संरक्षात्मक उपाय के रूप में इसका निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि वहां घुसपैठ की समस्या है। महोदय, श्री राकेश ने भारत द्वारा किसी अन्य देश के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप की बात उठाई है।

मैं माननीय सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमने कभी भी किसी देश के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं किया है। हम उन पड़ोसी देशों के मामले में हस्तक्षेप क्यों करेंगे जिनके साथ हम अच्छे मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना चाहते हैं।

श्री माधव राव सिंधिया ने प्रश्न उठाया है कि प्राप्त समाचार के अनुसार वहां पर सेना मौजूद है। एक अन्य माननीय सदस्य ने भी प्रश्न उठाया है कि दो विमानों ने सीमा का अतिक्रमण किया और हमारी सेना ने भी सीमा पार की है। यह समाचार सही नहीं है और वहां पर कोई सेना मौजूद नहीं है।

श्री माधव राव सिंधिया : मैंने पूछा था कि क्या बंगलादेश की सेना छः कि०मी० के क्षेत्र में मौजूद है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : अधिकांशतः यह बंगलादेश राइफल होती है। उसके परे बंगलादेश की सेना है।

जहां तक श्री चक्रवर्ती के मुद्दे का संबंध है, त्रिपुरा सरकार ने हमें रिपोर्ट भेजी है कि 'चकमा' तथा अन्य लोगों द्वारा आतंकवादी गतिविधियों के लिये सीमा पार करने की गंभीर घटनायें हुई हैं। और हमने उनकी इच्छानुसार अतिरिक्त बल भेज दिया है।

जहां तक सीमा सुरक्षा बल की चौकियों और कंटीली बाड़ का संबंध है, हमने सीमा सुरक्षा बल की गश्त टुकड़ियों की संख्या बढ़ा दी है और अब एक निगरानी चौकी से दूसरी निगरानी चौकी की दूरी 15 कि०मी० से घटा कर 8 किलो मीटर कर दी गई है तथा स्थिति की मांग के मुताबिक हमारे पास अपनी तरफ पर्याप्त सशस्त्र बल है।

[श्री प्रकाशचन्द्र सेठी]

जहां तक नदी जल के माध्यम से चल रही घुसपैठ को रोकने का संबंध है। उसके लिये नदी बोर्ड हैं और नदी के माध्यम से घुसपैठ को रोकने के लिए कर्मचारी तैनात किये गये हैं। जहां तक कंटीली बाड़ लगाने का संबंध है, उसे जोड़ने वाली सड़कों के बाद बनाया जायेगा उन्हें और अधिक संख्या में चलते-फिरते एकक और अधिक जीपें दी जायेंगी ताकि वे देश के चारों ओर घूम सके।

श्री राम जेठमलानी ने कहा है कि हमारी सीमा पर सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं है और वहां पर हमारी निगरानी चौकियां नहीं हैं। जैसा कि मैंने अभी-अभी बताया है, हमारी निगरानी चौकियां हैं और हमारी सीमा पूरी तरह सुरक्षित है। फिर भी, मैं मानता हूं कि कुछ लोग हैं जो सीमा पार कर जाते हैं। श्रीमती गीता मुखर्जी ने एक प्रश्न पूछा है कि शून्य रेखा क्या होती है। दो देशों के बीच की सीमा का सीमांकन कर दिया जाता है। एक खंभे से दूसरे खंभे के बीच संयोजक रेखा होती है जिसे शून्य रेखा कहते हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : दूरी कितनी है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : इसका सीमांकन किया जाता है और खंभे लगाये जाते हैं। मैं नहीं कह सकता कि एक दूसरे के बीच की दूरी कितनी है। मैं जोर देकर कहूंगा कि बंगलादेश के साथ हमारे संबंध मित्रतापूर्ण हैं। हम बंगलादेश सरकार को यह विश्वास दिलाने के लिये कि घुसपैठ की समस्या के कारण ही कंटीली बाड़ लगाना आवश्यक हो गया है, सभी तरह के राजनयिक प्रयास करेंगे और अपनी जमीन पर कंटीली बाड़ लगाने के लिये हमारे प्रभुसत्ता सम्पन्न निर्णय का आदर करने के लिए उन्हें मनायेंगे। वहां पर कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा की व्यवस्था करने के बाद, हमारा उद्देश्य उक्त कार्य को जारी रखने का है। मैं सभी को यह आश्वासन भी दूंगा कि हम यह कार्य बन्द नहीं करेंगे और बंगलादेश के साथ मित्रतापूर्ण संबंध मजबूत करने की कोशिश करेंगे। परंतु यदि इस मामले में बंगलादेश की ओर से अथवा किसी अन्य देश की ओर से कोई खतरा पैदा होता है, तो हम उसका सामना करने के लिये पूरी तरह तैयार हैं।

श्री चित्त बसु : कृपया एक स्पष्टीकरण दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनके वक्तव्य पर किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं दे सकता। अब श्री जनार्दन पुजारी सभापटल पर पत्र रखेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : महोदय मे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 303 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण) जो 26 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई है। तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो बैराइट्स को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण निर्यात शुल्क से छूट देने के बारे में है, सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिये संख्या एल० टी० 8227/84]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब कल 11 बजे म० पू० तक के लिये स्थगित होती है।

7.46 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 27 अप्रैल, 1984/7 वैशाख, 1906 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

मुद्रक : सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली